Monday, 17 March, 1975

# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र / Thirteenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On 1-9-
Parliament Library

[खंड 49 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. XLIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

## विषय सूची/Contents

अंक 20, सोमवार, 17 मार्च, 1975/26 फाल्गुन, 1896 (शक)

No. 20, Monday, March 17, 1975/Phalguna 26, 1896 (Saka)


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| भारतीय हॉकी टीम को बधाई | Congratulations to Indian Hockey Team | |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 364 से 366 और 368 | Starred Questions Nos. 364 to 366 and 368 . . . . . . | 2—17 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 367 और 369 से 383 | Starred Questions Nos. 367 and 369 to 383. . . . . . . | 17—27 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 3504 से 3531, 3533, 3535 से 3544, 3546 से 3570, 3572 से 3574, 3576 से 3605, 3607 से 3616, 3618 से 3621, 3623 से 3654, 3656 से 3672, 3674 से 3676, 3678 से 3685 और 3687 से 3703 | Unstarred Questions Nos. 3504 to 3531, 3533, 3535 to 3544, 3546 to 3570, 3572 to 3574, 3576 to 3605, 3607 to 3616, 3618 to 3621, 3623 to 3654, 3656 to 3672, 3674 to 3676, 3678 to 3685 and 3687 to 3703 . . . . | 27—129 |
| 24 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 913 को शुद्ध करने वाला विवरण | Correcting Statement to USQ No. 913 dated 24-2-1975 . . . . | 130 |
| दिल्ली में अध्यापकों की हड़ताल के बारे में | Re. Teachers' Strike in Delhi | 131 |
| यू० एन० आई० द्वारा क्षमा याचना | Apology by U.N.I. . | 131 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | Papers laid on the Table | . 131—139 |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance . . . . | 139 |
| हिमाचल प्रदेश में भूकम्प से हुई जन धन की हानि | Damage to life and property by earthquake in Himachal Pradesh . . | 139 |
| श्री वीरभद्र सिंह | Shri Vir Bhadra Singh | 139 |
| श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे | Shri Annasaheb P. Shinde . . | 141 |


किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| पश्चिम बंगाल में लघु किसान विकास एजेन्सी तथा सीमान्तक किसान एवं कृषि श्रमिक योजना के अन्तर्गत उठाये गये कदमों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 187 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य | Statement correcting answer to a supplementary question on S.Q. No. 187 re. steps taken under S.F.D.A. and M.F.D.A.L. Scheme in West Bengal | 144 |
| श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे | Shri Annasaheb P. Shinde . . | 144 |
| अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) 1974-75 विवरण प्रस्तुत किया गया | Supplementary Demands for Grants (General), 1974-75 Statement presented. . . . . . . . | 144 |
| न्यास विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प | Statutory Resolution re. Disapproval of the Trust Laws (Amendment) Ordinance, 1975 ; | |
| और | and | |
| न्यास विधि (संशोधन) विधेयक-- | Trust Laws (Amendment) Bill— . | 144 |
| विचार किये जाने का प्रस्ताव | Motion to Consider | |
| डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय | Dr. Laxminarain Pandeya | 144 |
| डा० रानेन सेन | Dr. Ranen Sen . . | 146 |
| श्री नुरुल हुडा | Shri Noorul Huda . | 146 |
| श्री बी० वी० नायक | Shri B.V. Naik . . | 147 |
| श्री प्रणव कुमार मुखर्जी | Shri Pranab Kumar Mukherjee | 147 |
| खण्ड 2 से 9 और 1 | Clauses 2 to 9 and 1 . | 148 |
| पास किये जाने का प्रस्ताव | Motion to pass | |
| अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1975-76 | Demands for Grants (Railways), 1975-76 . . . . . . | 150 |
| श्री अजीत कुमार साहा | Shri Ajit Kumar Saha . . | 215 |
| श्री विभूति मिश्र | Shri Bibhuti Mishra . . | 215 |
| श्री रामावतार शास्त्री | Shri Ramavatar Shastri . | 217 |
| श्री दरबारा सिंह | Shri Darbara Singh | 218 |
| श्री था किरुतिनन | Shri Tha Kiruttinan . . | 220 |
| श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी | Shri Dinesh Chandra Goswami | 222 |
| प्रो० एस० एल० सक्सेना | Prof. S. L. Saksena | 224 |
| श्री सी० डी० गौतम | Shri C. D. Gautam | 225 |
| श्री टी० बालकृष्णेय्या | Shri T. Balkrishniah | 225 |
| श्री अटल बिहारी वाजपेयी | Shri Atal Bihari Vajpayee | 226 |
| श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान | Shri Md. Jamilurrahman | 227 |
| श्री आर० पी० यादव | Shri R. P. Yadav | 228 |
| श्री भागीरथ भंवर | Shri Bhagirath Bhanwar | 228 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| श्री स्वामी ब्रह्मानन्द | Shri Swami Brahmanandji | 229 |
| श्री मधु लिमये | Shri Madhu Limaye . | 229 |
| श्री नाथू राम अहिरवार | Shri Nathu Ram Ahirwar | 231 |
| आधे घंटे की चर्चा | Half-an-Hour Discussion . . | 231 |
| दिल्ली नगर निगम को देय राशि | Dues payable to Delhi Municipal Corporation . . . . . | 231 |
| श्री अटल बिहारी वाजपेयी | Shri Atal Bihari Vajpayee . . | 231 |
| श्री ओम मेहता | Shri Om Mehta . . . . | 234 |

## लोक सभा

## LOK SABHA

**सोमवार, 17 मार्च, 1975/26 फाल्गुन, 1896 (शक)**

*Monday, March 17, 1975/ Phalguna 26, 1896 (Saka)*

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Speaker in the Chair**]

### भारतीय हॉकी टीम को बधाई

### CONGRATULATIONS TO INDIAN HOCKEY TEAM

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे हॉकी विजेताओं को बहुत-बहुत बधाई हमें खड़े होकर उनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों, मैं आप को सूचित करना चाहता हूं कि मुझे श्री एस० एम० बनर्जी, श्री गंगा देव, श्री बसंसत साठे, श्री राव, श्री बी० एस० भौरा तथा अन्य अनेक माननीय सदस्यों ने पूर्वसूचनायें प्राप्त हुई हैं। आप सब की ओर से तथा अपनी ओर से क्वालालमपुर में शानदार विजय प्राप्त करने के उपलक्ष में अपनी हॉकी टीम को, उस के मैनेजर, प्रशिक्षकों, क्रीड़ा कालेज तथा उस के प्रशिक्षकों और यदि आप मुझे अनुमति दें तो पंजाब के मुख्य मंत्री ज्ञानी जैल सिंह जो कि ओलम्पिक एशोसियेशन के प्रधान भी हैं तथा जिन्होंने तीन महीनों तक प्रातः से रात्रि तक समस्त टीम के भोजन तथा हर अन्य व्यवस्था के लिये व्यक्तिगत रूप से रुचि ली है, तथा उन के साथियों को बधाई देने में अत्यधिक प्रसन्नता एवं गौरव का अनुभव हो रहा है।

मैं सुझाव देता हूं कि हमें अन्य खेल-कूद दलों के बारे में भी उन की भोजन व्यवस्था, प्रशिक्षण, सुविधायें प्रदान करने तथा प्रोत्साहन देने आदि के बारे में यह पद्धति अपनानी चाहिये। यह बहुत गौरव की बात है कि इस सभा ने इस सम्बन्ध में पहल की है। आप सब की ओर से मैं पुन उन्हें बहुत-बहुत बधाई देता हूं। यदि आप खड़े हो कर उन के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

**माननीय सदस्यों ने थोड़ी देर खड़े होकर करतल ध्वनी से हर्ष प्रकट किया।**

**The hon. Members stood for a while and gave a standing oration.**

**श्री राम सहाय पांडे (राजनन्दगांव)** : ज्ञानी जैल सिंह ने सराहनीय सदभावना व्यक्त की है। उन्होंने विजेता दल के हर सदस्य को 5,000 रुपये दिये हैं। आप के नेतृत्व में तथा भारत सरकार द्वारा भी ऐसी ही सद्भावना व्यक्त करनी चाहिये।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : अध्यक्ष महोदय, यह साधारण विजय नहीं है। विश्व में हॉकी में एक बार फिर एशिया का सिक्का जम गया है। क्योंकि एक बार फिर यह कप एशिया में आया है, इस लिये मेरा निवेदन है कि आज के लिये सभा को स्थगित किया जाये। मैं चाहता हूं कि सभा को स्थगित किया जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : पंजाब सरकार ने पहले ही छुट्टी घोषित कर दी है। मैं समझता हूं कि यही काफी है। आप का बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री एच० के० एल० भगत** (पूर्व दिल्ली) : आप हॉकी के खिलाड़ियों को यहां आमंत्रित कीजिए और हमें सूचित कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : हम उन का सम्मान करेंगे।

**श्री बसंत साठे** (अकोला) : आप के नेतृत्व में हम कान्सटीट्यूशन क्लब में उन का सम्मान करेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा। आप कभी-कभी बहुत अच्छी बातें करते हैं। आप लोग बहुत भले व्यक्ति हैं।

**Shrimati Sahodrabai Rai (Sagar)** : The Government should do away with the implementation of family planning schemes, so that promising boys are born who may bring honour to the country.

**Mr. Speaker :** I was just going through your bio-data. You are an excellent horse-rider, hunter and walker. You take great interest in sports. We have great regard for your views.

---

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### कर्नाटक के लिये महिलाओं और बच्चों के कल्याण संबंधी योजनायें

*364. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में वर्ष 1975 में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिये मंजूर की गई योजनायें कौन-कौन सी हैं ; और

(ख) प्रस्तावित योजनायें कौन-कौन सी हैं जो सरकार की मंजूरी के लिये विचाराधीन पड़ी हुई हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) और (ख) एक विवरण-पत्र सभा के पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रवर्तित क्षेत्रों के अधीन कर्नाटक के लिए वर्ष 1974-75 में स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिए शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने निम्नलिखित योजनाएं मंजूर की हैं :—

(1) नौकरी पेशा स्त्रियों के लिए होस्टलों के निर्माण हेतु एक योजना।

(2) निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए 26 योजनाएं।

(3) स्कूल-पूर्व बच्चों तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए अनुपूरक पोषाहार हेतु 5.14 लाख रुपए की धनराशि।

2. निम्नलिखित योजनाओं पर इस मंत्रालय में विचार किया जा रहा है :—

(1) नौकरी पेशा स्त्रियों के लिए होस्टलों हेतु 6 योजनाएं।

(2) निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए एक योजना।

3. इस मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को जो अनुदान दिए जाते हैं, उन में से इस बोर्ड ने सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम की एक योजना, 48 महिला मंडलों, प्रौढ़ स्त्रियों के लिए शिक्षा के 10 संक्षिप्त पाठ्यक्रमों, बच्चों के लिए 16 अवकाश शिविरों, नौकरी पेशा स्त्रियों के लिए होस्टलों को विविध अनुदान देने की एक योजना, कल्याण विस्तार परियोजना की एक योजना, 24 परिवार और बाल कल्याण परियोजनाओं, 299 स्वैच्छिक संगठनों को वार्षिक योजना अनुदान तथा 40 स्वैच्छिक संगठनों को योजना अवधि अनुदानों हेतु वर्ष 1974-75 के लिए कर्नाटक को सहायता मंजूर की जाती है।

4. बालसेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद को दिए गए अनुदानों में से परिषद ने वर्ष 1974-75 में कर्नाटक में तीन बालसेविका प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए सहायता दी है।

5. बालबाडी पोषाहार कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, भारतीय बाल कल्याण परिषद तथा हरिजन सेवक संघ को जो अनुदान दिए जाते हैं, उनमें से इन संगठनों को अनुपूरक पोषाहार के लिए कर्नाटक में 418 बालवाडियों के लिए सहायता दी जाती है।

**श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** विवरण से मुझे यह जानकर खुशी हुई कि नौकरी पेशा स्त्रियों के लिये होस्टल निर्माण हेतु एक योजना तथा निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिये 26 योजनायें मंत्रालय के विचाराधीन हैं। मैं जानना चाहता हूं निराश्रित बाल कल्याण योजनाओं का स्वरूप क्या है तथा नौकरी पेशा महिलाओं के लिये छः होस्टल योजनाओं के अन्तर्गत कहां-कहां पर होस्टल बनाये जायेंगे तथा इन सब योजनाओं पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ये योजनायें कब तक मंजूर तथा क्रियान्वित की जायेंगी ?

**श्री अरविन्द नेताम :** महोदय, यह सही है कि नौकरी पेशा महिलाओं के लिये छः योजनाओं में से हमने एक को मंजूरी दे दी है। माननीय सदस्य ने नौकरी पेशा महिलाओं के छः होस्टलों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी मांगी है। हमने एसोसियेशनों तथा राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगा है। इस समय कुछ बताना संभव नहीं है।

**श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : इस बात को देखते हुए कि 1975 अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन योजनाओं को शीघ्र मंजूरी प्रदान करेगी ताकि इन सभी योजनाओं को इसी वर्ष क्रियान्वित किया जा सके ?

**श्री अरविन्द नेताम** : हमारी ओर से कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाइयां राज्य सरकारों तथा एसोसियेशनों की ओर से हैं कि वे समय पर सही अपेक्षित जानकारी दें।

**श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा** : मुझे बहुत खुशी है कि आप कर्नाटक की महिलाओं के कल्याण में इतनी रुचि ले रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करती हूं कि क्या कर्नाटक में महिलाओं के लिये और अधिक रोजगारों की व्यवस्था करने तथा कर्नाटक राज्य में मैसूर में जहां सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रम हैं तथा नौकरी पेशा महिलाओं की संख्या बहुत कम है, और अधिक महिलाओं को नौकरी देने के लिये कोई योजना बनाई है ?

**श्री अरविन्द नेताम** : महोदय, यह तो कार्यवाही करने के लिये एक सुझाव है।

**सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या बिहार राज्य में बाल कल्याण सम्बन्धी अनेक योजनाओं पर भारत सरकार द्वारा मंजूरी देनी बाकी है ? यदि हां, तो अभी तक उन योजनाओं को मंजूर क्यों नहीं किया गया है और क्या सरकार वर्ष 1975 में अथवा निकट भविष्य में बिहार में महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के लिये ऐसी योजनायें आरम्भ करने पर विचार करेगी ?

**श्री अरविन्द नेताम** : महोदय, हम माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव पर विचार करेंगे।

**श्री एस० एम० सिद्द्य्या** : महोदय, यह योजना केवल उन ही स्थानों पर लागू हैं, जिन की जनसंख्या एक लाख अथवा उससे अधिक है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे नगरों अथवा देहाती क्षेत्रों में भी जिन की जनसंख्या एक लाख से कम है, यह योजना लागू करने का प्रस्ताव है ?

**श्री अरविन्द नेताम** : यह सच है कि यह विशेष पोषाहार कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों विशेषकर गन्दी बस्तियों पर लागू हैं, परन्तु यह उन सब बड़े नगरों पर जहां गंदी बस्तियां हैं, लागू हैं।

**श्री एस० एम० सिद्द्य्या** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह योजना उन स्थानों पर भी लागू की जायेगी, जिन की जनसंख्या एक लाख से कम है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन)** : पांचवीं पंचवर्षीय योजना से विशेष पोषाहार योजना राज्य क्षेत्र को सौंप दी गई है, परन्तु कर्नाटक राज्य के पास कुछ बकाया राशि है, जिस का उपयोग करने के लिये उससे निवेदन किया गया है।

**Shri B.S. Bhaura** : I would like to know from the hon. Minister whether he has any information to the effect that at the Centres established for the children 20,30 or 50 children are just brought together and the lady teacher there is given just Rs. 50 only. Whenever anybody goes there, the children are brought together just for inspection. Will Government ensure that the Lady teachers are paid full pay so that they may make proper arrangements for keeping the children ?

**Prof. S. Nurul Hasan** : No such complaint has been received.

**Shri Hukam Chand Kachwai** : He should accept the information furnished by an hon. Member.

**Shri Arvind Netam** : If any case is brought to my notice. I would look into that.

**श्री के० मलन्ना**: महोदय मुझे खुशी है कि समाज के कमजोर वर्ग की सहायता करने के लिये इतनी अधिक केन्द्रीय योजनायें आरम्भ की गई है। महोदय, प्रायः यह शिकायत की जाती है कि समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करने के लिये उचित ढंग से तथा समूचे धन का उपयोग नहीं किया जाता। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस राशि का कर्नाटक में उचित ढंग से तथा समूचे रूप से उपयोग किया गया है यदि हां, तो इन योजनाओं से कितने बच्चे तथा महिलायें लाभान्वित हुई हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च की गई राशि की प्रतिशतता क्या है ?

**श्री अरविन्द नेताम** : महोदय, कर्नाटक में विभिन्न योजनायें हैं। अतः महिलाओं तथा बच्चों की संख्या बताना मेरे लिये बहुत कठिन है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य को दी गई राशि का समूचे रूप से उपयोग किया जाये।

**Shrimati Sahodrabai Rai** : Mr. Speaker, Sir, I want to know from the hon. Minister through you, the names of the States visited by him and the names of those States out of them in which he found the condition of the backward people unsatisfactory. The Adivasi women in particular are unable to get suitable jobs and they are subjected to numerous difficulties. Has any arrangement been made or proposed to be made for providing jobs to Adivasi Women and if so, the details thereof?

**Mr. Speaker** : The question pertains to Karnataka State in particular and you are asking the Minister to undertake tour of the entire country.

**Shri Hukam Chand Kachwai** : I want to know from the hon. Minister whether the Central Government was made aware about the scheme prepared by Karnataka Government and whether any directions have been issued by the Centre to adopt uniform policy in all the States and if not, the reasons thereof and whether any such directions are being issued?

**Shri Arvind Netam** : The scheme applicable to all the States are sanctioned by our Ministry more or less on the uniform policy.

## 12 वर्षीय स्कूल शिक्षा पद्धति के बारे में हायर सेकेण्डरी स्कलों के प्रधानाचार्यों की एसोसियेशन के विचार

* 365 **श्री शशिभूषण** :

**श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 16 फरवरी, 1975 के 'सण्डे स्टैण्डर्ड' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है कि दिल्ली के हायर सेकेण्डरी स्कूलों के प्रधानाचार्यों के एसोसियेशन ने यह चेतावनी दी है कि अगर बिना उचित तैयारी और योजना के इस वर्ष मई से 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा की

नई योजना लागू की जाती है, तो अध्यापक उसकी उपेक्षा करके पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ाना जारी रखेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार, स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने अपनी बैठक में इस योजना की उपेक्षा करने का सुझाव नहीं दिया था। वास्तव में, वे इसके उद्देश्यों से सहमत थे। किन्तु सदस्यों ने इस योजना की सफलता के बारे में अपने संदेह प्रकट किए थे, क्योंकि उनके विचार से बहुत भारी पाठ्यचर्या, धन की कमी, प्रशासन की ओर से समुचित आयोजन और तैयारी का अभाव और अध्यापकों तथा प्रिंसिपलों का बड़ी संख्या में पदावनति की आशंका है।

यह ठीक नहीं है कि स्कूल शिक्षा की नई योजना पर्याप्त तैयारी तथा आयोजन के बिना शुरू की जा रही है। 1968 में अपनायी गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश में एक-समान शैक्षिक संरचना अभिकल्पित की गई थी। तब से IX और X कक्षाओं का पाठ्यविवरण की विभिन्न विशेषज्ञ समितियों निरंतर पुनरीक्षण कर रही हैं तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उस पर सावधानी से विचार करने के बाद अब उसे अंतिम रूप दे दिया है। इसके साथ ही, पाठ्यपुस्तकें तैयार करने और उनके निर्माण में भी प्रगति हुई है। अध्यापकों के पुनः स्थापन के लिए नई पाठ्यचर्या के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। दिल्ली संघ क्षेत्र के सरकारी तथा सहायता पाने वाले मान्यता प्राप्त स्कूलों को विज्ञान उपस्कर की खरीद तथा कार्य अनुभव कार्यक्रमों के लिए भी दिल्ली प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है।

शिक्षा मंत्री ने अध्यापकों को यह आश्वासन दिया है कि बड़े पैमाने पर उनकी छटनी अथवा पदावनति का भय निराधार है।

**Shri Shashi Bhushan :** I want to know whether the Principals of Delhi have requested that if the scheme will be introduced without any prior notice and preparation, they have handed out various threats ? I want to know Government's reaction thereto ? Whether they have also demanded that whenever such changes are sought to be made in the education pattern, a Commission should be appointed and teachers associations should also be consulted so that there is no misgiving in this regard ?

**Prof. S. Nurul Hasan :** The honourable Member has perhaps not seen the statement carefully. This scheme has been evolved on the basis of Education Commission's recommendation. Government had framed education policy resolution which was discussed in the entire country including both Houses of Parliament. Thereafter, the Central Advisory Board of Education passed it twice. Before embarking upon it they appointed special committee to suggest ways and means for its implementation. The recommendations of this committee were sent to all the schools which were members of this Board and other connected agencies for opinion. Neccessary changes were made after their comments

were received. The syllabus and courses for all the subjects were processed in consultation with school teachers and subject experts, N.S.E.R.T., State Institute of Education, Central Institute of English, Hyderabad, Central Institute of Education, Delhi, Central Schools organisation etc. The syllabus evolved thereby was finalised after it was dicussed in the seminar, workshop and by school teachers. Therefore, the impression that school teachers and Principals are opposed to it is not correct. They have contradicted it and have said that they are not opposed to is in principle. The impression that it is being introduced without prior preparation is also not correct. As for as I am aware, people feel that the schemes formulated should be implemented soon as we had had enough preparation.

**Shri Shashi Bhushan :** According to the newspaper, the report of which I have cited, the Principals' organisation has threatened to launch an agitation on this issue. I want to known as to how many people were consulted ? It will be better if teachers' organisations are also consulted in such matters. I want to know why there is resentment in Delhi teachers for which they had to send representations repeatedly ? Such a situation could not arrised if they are consulted. Whether Government would appoint a Commission to remove the anomalies in Pay Commission's recommendations due to which 40,000 teachers are on strike? So that a decision is taken after direct negotiation with them?

**Shri Arvind Netam :** The reference to Pay Commission and such other matters by hon. Member is not relevent here.

**Shri Shashi Bhushan** : 40,000 teachers on strike. I want Government to have talks with teacher's organisation.

**Shri Atal Bihari Vajpayee :** If he brings an adjournment motion on this subject, we are ready to support it.

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या ऐसे मामलों में आप शिक्षकों से भी सला लेते हैं ? इसके बाद सदस्य ने अन्य मामलों का उल्लेख किया जो इस प्रश्न से संबन्धित नहीं है ।

**प्रो० एस० नुरुल हसन** : शिक्षा में सुधार की योजना के बारे में हम शिक्षकों के संघों से विशेषकर आल इण्डिया फेडरेशन आफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स से सलाह लेते रहे हैं जिनके क्षेत्र में मुख्य रूप से यह सुधार हो रहा है । हमने आल इण्डिया फेडरेशन आफ सेकेण्डरी स्कूल टीचर्स और आल इण्डिया एज्यु-केशनल कौंसिल से भी विचार विमर्श किया है जहां ये सभी संघ प्रतिनिधित्व प्राप्त किये हुये हैं ।

**श्री एच० एम० पटेल** : विवरण में बताया गया है कि शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि बड़े पैमाने पर छंटनी या पदावन्नति का भय निराधार है । क्या कोई छंटनी की जायेगी या क्या केवल यही सच है कि बड़े पैमाने पर छंटनी नहीं होगी ?

**प्रो० एस० नरुल हसन** : किसी प्रकार की छंटनी नहीं होगी ।

**श्री एच० के० एल० भगत** : यह वास्तव में बहुत ही अच्छा है कि मंत्री महोदय ने बातचीत करके इस मामले को विभिन्न स्तरों पर हल करने की कोशिश की है क्योंकि यह मामला बहुत महत्व-पूर्ण है और इससे छात्रों की स्कूल जाने की अवधि 11 वर्ष से बढ़ा कर 12 वर्ष की जा रही है और

इससे प्रत्येक परिवार पर शिक्षा का एक वर्ष या इससे अधिक का भार पड़ेगा इसलीए उन्होंने इस मामले में दिल्ली के संसद् सदस्यों से सलाह करना क्यों उचित नहीं समझा? क्या वह इस स्कीम को लागू करने से पहले उनसे सलाह करेंगे क्योंकि हो सकता है वे इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देने की स्थिति में हों ?

**प्रो० एस० नुरुल हसन** : मैंने अभी निवेदन किया है कि कोठारी आयोग की यह सिफारिस संसद् के दोनों सदनों में विचाराधीन रही है । न केवल दिल्ली के मानवीय सदस्यों अपितु सभी संसद् सदस्यों को इस योजना पर विचार करने का अवसर मिला है ।

**श्री० एच० के० एल० भगत** : प्रश्न यह है कि इस योजना को कब लागू किया जाये । कोठारी आयोग का प्रतिवेदन काफी पहले आ चुका है जबकि दिल्ली से संसद् के वर्तमान सदस्य इस सभा में नहीं थे । प्रश्न यह है कि जब इसे लागू किया जायेगा तो क्या व्यावहारिक कठिनाईयां पेश आयेंगी ।

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार बात बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है । मंत्री महोदय बता ही चुके है कि इस पर संसद् में चर्चा हो चुकी है ।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : तब श्री भगत यहां नहीं थे ।

**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु संसद् तो थी ।

**श्री मार्धूर्य हाल्दार** : विभिन्न राज्यों में स्कूली शिक्षा की विभिन्न प्रणालियां हैं । पश्चिम बंगाल में 11 वर्ष की बजाए 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा कर दी गई है । उत्तर प्रदेश में भी यह अवधि 10 वर्ष ही है । फिर दिल्ली में ही इसे क्यों 12 वर्ष किया जा रहा है ? मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या पूरे देश में 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा लागू करने की सोच रहा है या क्या कोई राज्य किसी भी प्रकार की व्यवस्था अपना सकता है ? शिक्षकों की छंटनी की भी आशंका है । पश्चिम बंगाल में शिक्षकों को 60 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत किया जाता है और वे पश्चिम बंगाल के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अनुमति से 65 वर्ष तक सेवा कर सकते हैं । अब क्योंकि 11 वर्ष की बजाए 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा लागू है इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें सेवा में 5 वर्ष की वृद्धि ना देने पर विचार कर रही है ।

**प्रो० एस० नुरुल हसन** : जैसाकि सभा को विदित है स्कूली शिक्षा और वास्तव में सभी प्रकार की शिक्षा राज्यों का विषय है । केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड को किसी राज्य सरकार को किसी प्रकार का निदेश देने का अधिकार नहीं है । तथापि केन्द्रीय बोर्ड दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में स्कलों को अपने साथ मिलाता है जहां स्कूली शिक्षा की प्रणाली 10 वर्ष जमा 2 वर्ष की हो और सीधे 12 वर्ष की न हो । दूसरे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विभिन्न राज्यों में उन सरकारों की अनुमति से वहां के कुछ स्कूलों को भी अपने साथ सम्बद्ध करता है ।

**श्री समर गुह** : 10 वर्ष जमा 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी कोठारी आयोग की सिफारिश लागू करने और स्नातक के लिये 3 बर्ष की शिक्षा के बारे में चर्चा हुई थी और सिद्धान्त रूप में इसे मान लिया गया था । परन्तु विभिन्न राज्यों में इस सिफारिश को लागू करने में कठिनाइयां पेश आ रही हैं । जब 11 वर्ष की व्यवस्था पर सहमति हुई थी तब पश्चिम बंगाल में काफी आन्दोलन

हुआ था । अब यह व्यवस्था 10 वर्ष जमा 2 वर्ष की कर दी गई है क्या ऐसे शिक्षा संस्थान इन्टर कालिज होंगे या उच्चतर माध्यमिक स्कूल ? इसका निर्णय नहीं हुआ है शिक्षकों के लिए आवास, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक की उपलब्धता, स्कूल के लिए भवन आदि की कठिनाइयां सामने आयेंगी और इन कठिनाइयों से बड़ी गड़बढ़ होगी । क्या दिल्ली सरकार को क्रियान्वयन के तरीके पर भी विचार नहीं करना चाहिए था। यह कि काम धीरे-धीरे होना चाहिये । क्या मंत्री महोदय इस नई समस्या के बीच भी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और माध्यमिक स्कूल बोर्डों के अध्यक्षों और मंत्रियों की एक बैठक बुलाकर इन सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे ?

**प्रो० एस० नुरुल हसन :** केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक बैठक में जिसमें सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, संसद् के माननीय सदस्य और विख्यात शिक्षा विद्व होते हैं नवम्बर, 1974 में आयोजित की गई थी । इसके साथ ही राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों के सचिवों और लोक शिक्षा निदेशकों की बैठक में भी इन मामलों पर चर्चा की गई थी ।

**श्री समर गुह :** केवल सिद्धान्त पर ही तो चर्चा हुई थी । क्रियान्वयन का क्या हुआ ? यह कठिनाइयां तो क्रियान्वयन के समय ही सामने आई हैं ।

**प्रो० एस० नुरुल हसन :** विभिन्न चर्चाओं में आम राय यही सामने आई है कि हमें यह व्यवस्था पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरी कर लेनी चाहिये । अत: यह क्रियान्वयन धीरे-धीरे ही हो रहा है । कुछ राज्यों ने इसे शीघ्र लागू करने का निर्णय किया है । परन्तु आम धारणा यही है कि यह व्यवस्था पांचवीं योजना के अन्त तक पूरी हो जाये ।

दूसरे केन्द्रीय बोर्ड ने उचित विचार के बाद महसूस किया है कि इस समय यह सामान्य नीति निर्धारित करना उचित नहीं होगा कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के दो वर्ष किसी स्कूल में पूरे किये जायें या किसी इन्टर कालिज में । स्थायी उपाय के तौर पर इन्हें कालेज में पूरा करने की व्यवस्था है । यह ऐसा मामला है जिस पर राज्य सरकारों की राय के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर इसका निर्णय नहीं किया जा सकता और प्रत्येक राज्य में वहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा । अतः यह निर्णय किया गया है ।

### Meeting of Education Officers

*366. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :**

(a) whether a meeting of the Education Officers from various parts of the country was convened in Delhi from 16th to 21st February, 1975;

(b) if so, the conclusions arrived at in regard to educational reforms; and

(c) the extent of coordination made between the Centre and the States to implement them ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) :** (a), (b) and (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

**Statement**

No meeting of officers from various parts of the country was held. However, an orientation course for 24 District Education Officers and District Superintendents of Education and 26 Primary and Secondary School Teachers from Bihar was organised in the NCERT from 15th to 21st February, 1975. In this Orientation Course the Participants were acquainted with the latest trends in school improvement programmes with special reference to universalization of primary education science teaching, work-experience, non-formal education and improvement of supervisory practices. In addition the National Staff College for Educational Planners and Administrators, New Delhi organised two training courses on 'Modernisation of Educational Administration' for District and other Education Officers of Haryana from January 21 to February 24, 1975. It was agreed that such facilities and resources as are at the disposal of NCERT and the National Staff College for Educational Planners and Administrators would be made available to the State educational authorities for implementing the schemes for school improvement.

**Shri Bibhuti Mishra** : I would request you, Sir, to go through my question and the reply also and judge whether my question has been properly replied or not.

The reply does not state how the research material will be disseminated to primary teachers in States. I want to know the steps taken by Government to bring about improvement in primary education in the entire country? And how the improvements and research will be carried to them ?

**The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan)** : As I had already submitted to the Hon'ble Member the All India Federation of Primary School Teachers has been tried to be involved therein in a special way and this matter has been considered in detail in the said Conference. We will extend all help to them so that they may spread these conclusions. Alongwith this they have felt that it would greatly facilitate matters if education Officers and Inspectors of Schools are also acquainted with these programmes. In this connection meetings were held separately in Bihar, Haryana and Himachal Pradesh and separate meetings were also organised for primary and secondary teachers workshops and science Education etc. Meetings are also being of organised with Regional Colleges of Education a also with State Institutes of Education and Institutes of Science Education. A conference of Directors was convened by the National Council of Educational Research and Training. It is also being tried to send field Officers of N.C.E.R.T. to various States for extending any help to the State Governments.

These Teachers Institutions and the State Government Directorate are trying to bring about these changes and to inform them about them.

**Shri Bibhuti Mishra** : Sir, according to the Constitution education should be free upto 14 years of age and this is Centre's responsibility. The Hon'ble Minister has vaguely stated that this will be done. I want a specific reply from the Honb'le Minister that for those School in villages having no building and there being no training facilities and books for Sub-inspectors of Schools and they have no curriculum to change odd habits and impart

new scientific education. I want to know but the Central Government propose to do in respect of financial help or otherwise so that the conclusions of research reach the village level? He should be specific about the extent of help likely to be extended and the number of villages covered thereunder and the time taken to implement the same...... (*Interruption*). I want a reply from the Minister. This is a question which concerns every body including yourself.

I want to know the number of villages where arrangements have been made for free education during the last 27 years since independence?

**Prof S. Nurul Hasan :** The position is the Education is a State subject under the Constitution. We only provide assistance and tender advice to them.

**श्री एच० एम० पटेल :** यह सच है कि शिक्षा राज्य का विषय है । परन्तु अनेक राज्यों ने अब उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बारे में शिक्षा आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं । क्या शिक्षा मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि ये सब राज्य इस नई योजना को सही ढंग से क्रियान्वित करें ? जहां तक व्यावसायिक पक्ष का सम्बन्ध है क्या शिक्षा मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि पर्याप्त संख्या में ऐसे संस्थान स्थापित किये जायें ताकि जो कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहे, वे सन्तोषप्रद ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकें, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया, तो यह योजना सफल नहीं हो सकती ?

**श्री एस० नुरुल हसन :** मैं माननीय सदस्य से सिद्धान्त रूप में सहमत हूं, परन्तु यह सुनिश्चित करना मेरी शक्ति से बाहर है । मैं इस बात का भरसक प्रयत्न कर रहा हूं तथा राज्य सरकारों को सही ढंग से व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करने में हर सम्भव सहायता दे रहा हूं ।

**श्री एच० एम० पटेल :** मैंने अपना वाक्य इस बात से आरम्भ किया था कि शिक्षा राज्य का विषय है । परन्तु शिक्षा मंत्रालय उन राज्यों को आमंत्रित कर सकता है, जो इस योजना को क्रियान्वित करने को सहमत हो गये हैं ताकि एक राज्य दूसरे राज्यों की कठिनाइयों से कुछ सीख सकें तथा इस प्रकार अधिक सन्तोषजनक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है ।

**श्री एस० नुरुल हसन :** हम व्यावसायिक शिक्षा परिषद् का गठन करने पर विचार कर रहे हैं ताकि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की कठिनाइयों और समस्याओं पर चर्चा की जा सके और अनुभव के आधार पर राज्यों के बीच विचारों का आदान-प्रदान किया जा सके । अपने मंत्रालय के सीमित वित्तीय संसाधनों में से हम राज्य सरकारों को कुछ सहायता प्रदान करने का प्रयास करेंगे ।

**श्री विश्वनारायण शास्त्री :** सभा पटल पर रखे गये विवरण में कहा गया है :—

"इस अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों को स्कूल सुधार कार्यक्रमों—विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने, विज्ञान अध्यापन, कार्य अनुभव, गैर-परम्परागत शिक्षा तथा पर्यवेक्षण प्रक्रिया में सुधार के बारे में अद्यतन विचारधाराओं से अवगत कराया गया था ।"

मैं जानना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिये धन, उपकरणों, तकनीक तथा तकनीकी जानकारी के रूप में केन्द्र से राज्यों को कितनी सहायता दी जायेगी ?



18 LSS/75—2

**प्रो० एस० नुरुल हसन :** जैसा कि सभा को ज्ञात है, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का भाग है तथा इसके लिये सहायता कार्यक्रमवार नहीं, अपितु एक मुश्त दी जाती है ।

**श्री विश्वनारायण शास्त्री :** धन के अतिरिक्त, क्या उपकरण तथा तकनीकी जानकारी भी दी जायेगी ?

**प्रो० एस० नुरुल हसन :** उपकरण भी धन से प्राप्त होते हैं । यदि धन न हो, तो उपकरण कैसे दिये जा सकते हैं ? जहां तक सेवा में सहायता तथा सेवा में प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, वह कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है ।

**श्री मान सिंह भौरा :** केन्द्रीय स्कूल केवल नगरों में ही हैं । क्या आप पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी केन्द्रीय स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे ? दूसरे पब्लिक स्कूलों में शिक्षा इतनी मंहगी है कि गरीब बच्चे उनमें नहीं जा सकते । इसलिये समाज में विषमता को दूर करने के लिये आप किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं ?

**Shri Arvind Netam** : Sir, the question does not arise from the original question.

**श्री मान सिंह भौरा :** आपका उत्तर क्या है ? क्या आप ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय स्कूल खोल रहे हैं अथवा नहीं ?

**Mr. Speaker** : This question is not relevant to the main question.

**Shri R. P. Yadav** : It appears from the Statement laid on the Table that the main point of discussion in the Conference of the Education officers of Bihar was the universalisation of primary education. I want to know from the hon. Minister whether he is aware of the fact that most of the primary schools in Bihar are on papers only and whether the present scheme of universalisation will not meet the same fate ?

**Prof. S. Nurul Hasan** : I have no information in this regard.

**Shri R.P. Yadav** : Mr. Speaker, Sir, my question arises from the reply given by the hon. Minister. He was talking about universalisation of Primary education. I wanted to know whether the scheme would be implemented or it would remain on papers only.

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने एक सामान्य उत्तर दिया है । आप अब उनसे विशिष्ट प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं ?

**श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** बिहार राज्य भी इस प्रश्न में शामिल है ।

### Review Committee on working of Regional Engineering Colleges

*368. **Dr. Laxminarain Pandeya** : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) whether a Review Committee was set up by the Central Government to look into the working of Regional Engineering Colleges which submitted its report in February, 1974;

(b) whether most of its recommendations have been accepted by Government:

(c) whether some representatives of the Federation of Regional Engineering Colleges Teacher's Associations also met him on 27th December, 1974 in this regard; and

(d) if so, the action taken by Government to implement the recommendations?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) :** (क) से (घ) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

**विवरण**

(क) से (घ) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के वर्तमान संगठनात्मक और प्रशासनिक ढांचे तथा साथ ही उनके स्थापना के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के सन्दर्भ में उनके कार्यकरण का पुनरीक्षण करने के लिए, रुड़की विश्वविद्यालय के कुलपति डा० जयकृष्ण की अध्यक्षता में जनवरी, 1972 में क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के लिए एक पुनरीक्षण समिति गठित की गयी थी । उक्त समिति इन कालेजों के उच्चकोटि और स्तर की अखिल भारतीय संस्थाओं के रूप में इनके कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्रीय तथा राज्य संसाधनों से धन उपलब्ध करने की पद्धति सहित इनके भावी ढांचे के सम्बन्ध में भी सिफारिश करेगी ।

2. पुनरीक्षण समिति ने जो रिपोर्ट फरवरी, 1974 में प्रस्तुत की थी, उसमें निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं :—

(i) डिग्रियां प्रदान करने और अनुदान संवितरण करने के अधिकारों सहित संसद के अधिनियम के द्वारा इन इंजीनियरी कालेजों के लिए एक परिषद् की स्थापना की जानी चाहिए ;

(ii) प्रत्येक कालेज में अलग-अलग स्वायत्त अभिशासी मण्डल होना चाहिए;

(iii) कालेजों को दो संसाधनों से धन उपलब्ध कराना अधिक सन्तोषजनक नहीं है और इन कालेजों के लिए भावी वित्तीय जिम्मेदारी सम्पूर्ण रूप से केन्द्रीय संसाधन से होनी चाहिए; ब्यौरेवार सिफारिशें समिति की रिपोर्ट में उपलब्ध हैं जो कि संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

3. पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने 17 मई, 1974 को हुई अपनी बैठक में विचार किया था । साधारणतः समिति की सिफारिशों का समर्थन करते समय, परिषद् ने यह सिफारिश की थी कि (क) इन इंजीनियरी कालेजों की सांविधिक परिषद् के स्थान पर इन कालेजों के नीति सम्बन्धी मामलों में सलाह देने के लिए तथा मार्गदर्शी रूप-रेखाएं निर्धारित करने हेतु इन कालेजों के लिए सहालकार समिति गठित की जाये; (ख) केन्द्रीय सरकार को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अभिशासी मण्डल की संरचना में संशोधन किया जाये; और (ग) दाखिले तथा भर्ती नीतियों, दोनों बातों के सम्बन्ध में इन कालेजों के वर्तमान स्वरूप को बनाये रखा जाये ।

परिषद् ने यह भी सिफारिश की है कि उक्त सुझाये गये संशोधनों सहित, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, योजना आयोग तथा सम्बन्धित संस्था से प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर समुचित निर्णय तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए और आगे विचार किया जाये ।

केन्द्रीय सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि इन कालेजों के लिए धन उपलब्ध कराने की वर्तमान पद्धति को वर्ष 1974-75 से और पांच वर्षों की आगे की अवधि के लिए जारी रखा जाना चाहिए ।

पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा आयोजना आयोग को भेज दी गयी है । कुछ राज्य सरकारों से टिप्पणियां प्राप्त हो चुकी हैं । अन्य राज्यों से भी टिप्पणियां प्राप्त हो जाने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा अगली कार्रवाई पर विचार किया जायेगा ।

भारतीय प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज अध्यापक संघ के कुछ प्रतिनिधि 27 दिसम्बर, 1974 को शिक्षा मंत्री से मिले थे, जब उन्हें स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी ।

**Dr. Laxminarain Pandeya :** Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has stated that the Central and State Governments would continue to follow the existing pattern for a further period of five years. But the Government have themselves admitted—I am quoting from a circular of 1963 :—

> "As the Regional Colleges are functioning as all India institutions and the teaching and senior administration and technical staff are also recruited on All-India basis, the Board of Governors of some colleges sanctioned dearness allowances in accordance with the Central Government rules for all the posts for which the pay scales have been prescribed in the original scheme."

I want to know the time by which Central pay scales would be given to the teachers of 15 Regional Engineering Colleges, when you have agreed in principle to do so and the reasons for delay in doing so.

Is it a fact that 50% expenditure of these Colleges is borne by the Central Government and 50% is borne by the State Governments ? The Central Government has been requested to run these institutions, as the States Governments are not in the financial position to run these colleges Jai Krishna Committee has also recommended that the Centrel Government should come forward and run these institutions.

**Prof. S. Nurul Hasan :** So far as the recommendation of Jai Krishna Committee that central Government should meet the entire expenditure, I am sorry to say that the Central Government is not in a position to accept this recommendation. According to the agreement central assistance was to be provided up to 31st March, 1974, but in view of the financial difficulties of the State Governments it has been decided that the Central Government would continue to give 50% assistance during the fifth five year plan.

So far as the pay scales of the teachers are concerned I wrote to the State Ministers immediately after my declaration in this House, that the scales should be accepted and suitable action would be taken after receiving the replies from them.

So far as the scales of the non-teaching employees are concerned, it was decided in the very beginning that their scales would be equal to the Corresponding post in the school of the State concerned.

**Dr. Laxminarain Pandeya :** Jai Krishna Committee has recommended :—

"Salary scales, allowances, service conditions and benefits for teaching and non-teaching staff should be identical with those fixed for corresponding posts in th... of the Institutes of Techonology"

The hon. Minister has said that he has accepted most of the recommendations. The State Governments have also accepted these recommendations. Then what is the difficulty in the way of Central Government in implementing this recommendation. Most of the State Governments are giving Central pay scales in their colleges, but some states are not doing so. I want to know the steps being taken to remove this discrepancy.

**प्रो० एस० नुरुल हसन :** मुझे अफसोस है कि सरकार ने जयकृष्ण समिति की इस सिफारिश को कि सभी प्रादेशिक इंजीनियरी कालेजों को केन्द्रीय इंजीनियरी कालेजों में परिवर्तित किया जाये तथा उन्हें भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों के समान समझा जाये, कभी स्वीकार नहीं किया है। तथापि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने सिफारिश की है कि जहां तक इन कालेजों के शिक्षकों का सम्बन्ध है, उन्हें वही वेतनमान दिये जाने चाहियें, जिनकी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय तथा कालेजों के शिक्षकों के लिये सिफारिश की गई है। यह बात मैंने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को लिख दी है जो उनके विचाराधीन है।

**श्री एम० एस० संजीवी राव :** मुझे कुछ इंजीनियरी कालेजों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैंने देखा कि उन का स्तर बहुत अच्छा है। वे औज़ारों तथा उपकरणों का सदुपयोग करने में भी बहुत चुस्त हैं। शिक्षण का स्तर भी अत्योत्तम है : इतने अच्छे संस्थान बनाने के बाद, मैं महसूस करता हूं कि आई०आई०टी० की भांति सरकार को इन संस्थानों को भी अपने अधीन ले लेना चाहिये तथा उनमें सुधार किया जाना चाहिये।

**प्रो० एस० नुरुल हसन :** माननीय सदस्य ने प्रादेशिक इंजीनियरी संस्थानों की सरहाना की है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। परन्तु मैं समझता हूं कि यह सोचना सही नहीं है कि यदि कोई इंजीनियरी कालेज अथवा अन्य विश्वविद्यालय या कालेज अच्छा हो, तो उसे केन्द्र द्वारा अपने अधीन कर लेना चाहिये।

**श्री पी० के० देव :** भारत सरकार पहले ही इन 15 इंजीनियरी कालेजों में 75 करोड़ रुपये लगा चुकी है तथा वे बहुत अच्छा काम करते रहे हैं। सारी कठिनाई की जड़ यह है कि जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच बंटी हुई है। जयकृष्ण समिति ने ठीक ही सुझाव दिया है कि इन प्रादेशिक इंजीनियरी कालेजों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन ले लेना चाहिये क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा इन में दाखिला देश के हर भाग से होना चाहिये। राज्य सरकारों के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करना उनके लिए सम्भव नहीं है। भारत सरकार को अपने उत्तरदायित्व से विमुख नहीं होना चाहिये। अब समय है कि क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के कार्यकरण में उचित सुधार किया जाये और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित की जायें। अन्यथा हमें भय है कि अध्यापक अगले महीने की 21 तारीख से सामूहिक रूप से आकस्मिक छुट्टी लेने की सोच रहे हैं। अतः सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करे।

**प्रो० एस० नुरुल हसन :** मैं यह बात नहीं मानता कि राज्य सरकारों के संसाधन सीमित हैं और केन्द्रीय सरकार के पास असीमित संसाधन हैं। फिर भी विश्वविद्यालय और कालेज के वेतनमानों में 1-1-1973 अथवा किसी अन्य तारीख से संशोधन करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार 80 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय वहन करने को तैयार है।

**श्री पी० के० देव :** इस द्वितन्त्रीय प्रणाली का अन्त होना चाहिये।

**Shri Narsingh Narain Pandey :** Whether the hon. Minister propose to call a Conference of Education Ministers in the near future to implement the three recommendations made by the Review Committee so that a definite programme may be chalked out?

**Prof. S. Nurul Hasan :** All India Council of Techical Education had suggested the formations of a Council under an Act of Parliament and all the regional colleges should be declared central colleges and degrees may be awarded by this Council. But the Ministers of all States, who are members of this Council did not agree to that.

The Second point is of Central assistance. I have already said that it is not possible for the Central Government to provide 100 percent assistance. So far as the pay scales of teachers are concerned, I am considering that question.

**Shri Narsingh Narain Pandey :** What about Roorkee ?

**Prof. S. Nurul Hasan :** It will be done there because U.P. Government have already accepted it.

**श्री के० रामकृष्ण रेड्डी :** केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के लिये राज्यों को क्या सहायता दे रही है और क्या यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुसार है ?

**प्रो० एस० नुरुल हसन :** मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं।

**श्री पी० जी० मावलंकर :** यद्यपि ये इंजीनियरी कालेज क्षेत्रीय हैं लेकिन उनका रुप अखिल भारतीय है। तब सरकार उन्हें अखिल भारतीय संस्थान मान कर पूरी वित्तीय सहायता क्यों नहीं देती ?

**प्रो० एस० नुरुल हसन :** ये कालेज केन्द्रीय सरकार की सहायता से स्थापित किये गये थे। आवर्ती व्यय के लिये हम पांच वर्ष तक 50 प्रतिशत सहायता देंगे। उस समय से लेकर अब तक यह समय बढ़ाया ही जाता रहा है। अब यह समय पांचवीं योजना के अन्त तक बढ़ाया गया है। कभी भी 100 प्रतिशत सहायता की बात नहीं कही गई।

**श्री राम सूरत प्रसाद :** मेरा विचार है कि प्रत्येक क्षेत्रीय कालेज का अपना स्वायत्तशासी बोर्ड है। क्या उस बोर्ड में केन्द्रीय सरकार का भी कोई प्रतिनिधि होता है जो नियंत्रण रखे और केन्द्र के हितों को भी ध्यान में रखे।

**प्रो० एस० नुरुल हसन :** निदेशक मंडल का वर्तमान गठन इस प्रकार है कि उसका सभापति राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की सहमति से नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त 2 प्रतिनिधि राज्य सरकार के, 1 केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि, 2 प्रतिनिधि भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के, जिन्हें क्षेत्रीय समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाता है, 1 प्रतिनिधि उस विश्वविद्यालय का जिससे कालेज संबंद्ध है, एक-एक प्रतिनिधि उन राज्यों का, जो उस क्षेत्र में हैं, केन्द्र सरकार की सहमति से और कालेज का प्रिंसीपल सदस्य-सचिव होता है।

**श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या यह सच है कि कई राज्यों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और कई राज्यों ने नहीं की है ? क्या इसका अर्थ है कि क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में अलग-अलग वेतनमान उचित हैं यदि नहीं, तो इस भेदभाव को मिटाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

**प्रो० एस० नुरुल हसन :** यह प्रश्न मूल प्रश्न के साथ ठीक नहीं बैठता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अध्यापकों के बारे में सिफारिशें की हैं न कि कर्मचारियों के बारे में।

**श्री एस० एम० बनर्जी :** दोनों के बारे में ।

**श्री एन० के० पी० साल्वे :** जयकृष्ण समिति का गठन इसलिये हुआ था ताकि क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के कार्यकरण का पुनरीक्षण करने, उनके संगठनात्मक और प्रशासनिक ढांचों और उनके उद्देश्यों के प्रश्न की जांच की जा सके। उसने यह भी सिफारिश की है कि सारा वित्तीय भार केन्द्र सरकार वहन करे लेकिन उससें मुख्यमंत्री सहमत नहीं हैं। कई अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की गई हैं। सरकार का उनके बारे में क्या विचार है ?

**प्रो० एस० नुरुल हसन :** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने इन सिफारिशों पर विचार किया है लेकिन यह कहा है कि राज्य सरकार के विचार भी प्राप्त किये जायें। अभी तक मुझे सभी राज्य सरकारों के विचार प्राप्त नहीं हुए हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** अब प्रश्नकाल समाप्त होता है ।

# प्रश्नों के लिखित उत्तर
# Written Answers to Questions

### समुद्री कटाव का केरल के तट से नए क्षेत्रों में फैलाव

*367. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

**श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समुद्री कटाव केरल के तट से नए क्षेत्रों में फैल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो समुद्री कटाव को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) :** (क) भारत के समुद्र-तट की कुल लम्बाई लगभग 5700 किलोमीटर है। इसमें से, केरल में ही, जहां 560 किलोमीटर की कुल लम्बाई में से लगभग 320 किलोमीटर लम्बे तट पर समुद्र-कटाव होता है, यह समस्या अधिक गंभीर तथा व्यापक है। अन्य समुद्र-तटीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों में समुद्र कटाव होता है परन्तु किसी गंभीर कटाव से नए क्षेत्रों के प्रभावित होने की कोई सूचना नहीं हैं ।

(ख) समुद्र-कटाव-रोधी उपाय राज्य योजनाओं का भाग होते हैं और इस तरह से इन उपायों के आयोजन तथा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है ।

केरल की राज्य सरकार प्रथम योजना से समुद्र-कटाव-रोधी उपायों का क्रियान्वयन करती रही है। 17.50 करोड़ रुपये के परिव्यय से चतुर्थ योजना के अन्त तक लगभग 113 किलोमीटर की लम्बाई में तट को सुरक्षित किया जा चुका है जिसमें केन्द्र ने 4.59 करोड़ रुपये की विशेष ऋण-सहायता दी है। इन उपायों को पांचवीं योजना में भी जारी रखा जा रहा है जिनके लिए अनन्तिम तौर पर 20 करोड़ रुपये का परिव्यय रखने का प्रस्ताव किया गया है।

अन्य राज्यों में यह समस्या स्थानीय किस्म की है तथा अधिक व्यापक नहीं होती। उनकी राज्य सरकारें, जैसा आवश्यक समझती हैं, इन उपायों का आयोजन तथा कार्यान्वयन करती हैं।

**त्रिवेन्द्रम और क्विलोन जिलों में द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत 'परीक्षण के तौर पर राहत काय'**

*369. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के त्रिवेन्द्रम और क्विलोन जिलों में इस समय ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत परीक्षण के तौर पर कोई राहत कार्य चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है और उनको किस प्रकार का रोजगार दिया गया है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इन कार्यों पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

**Non-Publication of special issue of "Bhagirath"**

*370. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether a special issue of "Bhagirath" a Hindi magazine published by his Ministry was proposed to be brought out on the occasion of world Hindi convention but it has not been published although the convention is already over;

(b) if so, the reasons therefor and the difficulties faced in its publication:

(c) whether some anti-Hindi officers created difficulties deliberately as a result of which the special issue could not be brought out in time; and

(d) if so, the appropriate action taken or proposed to be taken against the persons responsible therefor?

**The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and irrigation (Shri Kedar Nath Singh)** : (a) and (b) Yes Sir. It was proposed to bring out a special issue of Hindi 'Bhagirath' on the occasion of World Hindi Convention held at Nagpur during January, 1975. However, on account of various administrative factors and delay in receiving articles from the contributors, the special issue could not be brought out in time. It was actually published in the first week of March, 1975.

(c) No Sir.

(d) Does not arise.

## राष्ट्रीय स्वस्थता दल

*371. **श्री शिवशंकर प्रसाद यादव : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुंजरू समिति की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय किया गया था कि राष्ट्रीय स्वस्थता दल के लिए एकीकृत कार्यक्रम बनाकर उसे समूचे देश में वर्ष 1965-66 में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की पूरी सहमति से क्रियान्वित किया जाये जो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एकमात्र राष्ट्रीय कार्यक्रम हो;

(ख) क्या उक्त निर्णय के आधार पर यह भी निर्णय किया गया था कि केन्द्रीय राष्ट्रीय स्वस्थता दल के सभी कर्मचारियों की सेवाओं को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानान्तरित कर दिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो क्या कारण है कि कोई भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रीय स्वस्थता दल के स्वीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं और न ही देश के किसी भी शारीरिक प्रशिक्षण कालेजों/संस्थाओं में संशोधित पाठयक्रम को लागू किया गया है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) से (ग) कुंजरू समिति की सिफारिश स्वीकार कर लेने के फलस्वरूप, "राष्ट्रीय स्वस्थता की" नामक शारीरिक शिक्षा का एक एकीकृत कार्यक्रम तैयार किया गया था। इस कार्यक्रम को 27 फरवरी, 1965 तथा 8 अप्रैल, 1975 को हुई राज्यों के शिक्षा सचिवों तथा जनशिक्षा निदेशकों की बैठकों में, विद्यालयों में चलाए जाने हेतु सामान्य रूप से स्वीकार किया गया था। इन बैठकों में इस बात पर भी सहमति प्रकट की गई थी कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अनुदेशकों को राज्यों को हस्तांतरित कर दिया जाए और उन्हें राज्यों के शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के संदर्भ में खपा लिया जाए तथा राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के नए कार्यक्रम के वास्तविक निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होनी चाहिए। 1968-69 में भी, राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के 18,000 विद्यालय तथा 75,00,000 छात्रों से अधिक इसके अन्तर्गत आते थे।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र को छोड़कर, 20 शारीरिक शिक्षा अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय स्वस्थता कोर अभिमुख संशोधित शारीरिक शिक्षा अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य में, जिसमें 24 शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, वर्ष 1968-69 से शारीरिक शिक्षा में अध्यापक प्रशिक्षण की एक संशोधित पद्धति अपनायी गयी है जिसमें अध्यापकों को शारीरिक शिक्षा के साथ-साथ किसी एक अन्य विषय में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है।

## गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन द्वारा तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन को क्रियान्वित किया जाना

*372. **श्री आर० पी० दास :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के स्वीकृत प्रस्तावों को गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन में सब श्रेणियों के कर्मचारियों पर लागू कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह)** : (क) और (ख) सरकार द्वारा गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन में पदों के सभी वर्गों के लिए तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए संशोधित वेतनमानों को अधिसूचित किया जा चुका है। वरिष्ठ ड्राफ्टसमैन तथा वरिष्ठ कम्प्यूटर के पदों के मामले में, प्रत्येक वर्ग के लिए दो-दो वेतनमान अधिसूचित किए गए हैं। बहरहाल, दोनों वेतनमानों के लिए इन दोनों वर्गों के पदों की पृथक्-पृथक् संख्या निशि्चित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

इस संगठन में सहायक के पद के लिए तीसरे वेतन आयोग ने किसी संशोधित वेतनमान की सिफारिश नहीं की है। बहरहाल, इस मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित संशोधित वेतनमान पर वित्त मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

**वन लगाना**

*373. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वैज्ञानिक खाद्यान्न की अधिक उपज देने वाली किस्मों के बाद अब मानव द्वारा लगाये गये वनों पर ध्यान दे रहे हैं;

(ख) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन के वन विभाग ने ही कम उपज देने वाले वनों के स्थान पर शीघ्र बढ़ने वाले वन लगाये जाने के लाभों की ओर ध्यान दिलाया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार खाद्य तथा कृषि संगठन के विचार के अनुसार वन लगाने का है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे)** : (क) वन वैज्ञानिक मानव निर्मित्त वनों को उगाने में लगे हैं।

(ख) जी नहीं। भारतीय फोरेस्टरों ने काफी समय पहले कम उपज देने वाले मिश्रित वनों के स्थान पर महत्वपूर्ण एवं शीघ्र उगने वाली किस्मों के वन लगाने के महत्व को समझ लिया था। इसके बाद खाद्य एवं कृषि संगठन ने इस कार्य के महत्व के संबंध में भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**भारतीय खाद्य निगम के परिसंचालन व्यय में बचत**

*374. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :
**श्री आर० वी० बड़े** :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुनेजा आयोग ने परिवहन भाण्डागारण और पारगमन, ब्याज प्रभारों और प्रशासनिक ऊपरी खर्च के क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम के परिचालन व्यय में कमी करने का सुझाव दिया था; और

(ख) सरकार को प्रतिवेदन मिलने के बाद, इन चार शीर्षों के अन्तर्गत कितनी बचत की गई है?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों को संभालने की लागत के बारे में भारत सरकार द्वारा नियुक्त सचिव समिति ने परिवहन, भण्डारण और पारगमन, ब्याज प्रभार और प्रशासन संबंधी ऊपरी खर्चों के संबंध में भारतीय खाद्य निगम की परिचालन संबंधी लागत को कम करने के बारे में कुछेक सिफारिशें की हैं।

(ख) भारतीय खाद्य निगम अपनी परिचालन लागत को कम करने के लिए सभी प्रयत्न कर रहा है। तथापि, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम के चालू वर्ष के लेखों को अभी बन्द नहीं किया गया है इसलिए विभिन्न शीर्षों के अधीन हुई बचत की राशि को बताना मुश्किल है।

### दिल्ली में सहायता-प्राप्त स्कूलों के साथ शैक्षिक प्राधिकारियों का असहयोग

*375. **श्री मधु दण्डवते : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशामन से सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों के शैक्षिक कर्मचारियों में, दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के उपबन्धों का पालन करने के संबंध में शैक्षिक प्राधिकारियों के असहयोग के कारण घबराहट है; और

(ख) यदि हां, तो स्कूलों के कार्यकरण में पुनः सामान्य स्थिति लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का कुछ सहायता प्राप्त स्कूलों और खासकर के उन स्कूलों द्वारा जिन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की मांग की है तथा उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर की है के प्रबन्धों द्वारा पालन न किये जाने की वजह से, अध्यापकों में कुछ चिन्ता उत्पन्न हो गई है।

(ख) दिल्ली प्रशासन, सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम तथा उसके नियमों का कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित कदम उठा रहा है। उन स्कूलों के बारे में जो न्यायालय में गए हैं, न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी। तथापि सरकार उच्च न्यायालय में अभियोग का प्रतिवाद कर रही है।

### सेवानिवृत्त अधिकारियों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा सरकारी आवास का खाली किया जाना

*376. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे श्रेणी I और श्रेणी II के सेवानिवृत्त अधिकारियों, भूतपूर्व मंत्रियों, भूतपूर्व संसद् सदस्यों तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने एक वर्ष से अधिक समय से सरकारी आवास खाली नहीं किये हैं;

(ख) श्रेणी II और श्रेणी III के उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जो अभी सरकारी आवास के आबंटन के लिये अपनी बारी की प्रतिक्षा कर रहें हैं;

(ग) गत एक वर्ष में टाईप III और टाइप IV के कितने क्वार्टर बनाये गये; और

(घ) सरकार ने अनधिकृत व्यक्तियों से सरकारी आवास खाली करवाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) तथा (ख) सरकारी वास के लिए पात्र सरकारी कर्मचारियों के श्रेणीवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। कुल मिलाकर, 178 व्यक्ति, जिनमें 3 भूतपूर्व संसद्-सदस्य शामिल हैं, सेवानिवृत्ति के बाद एक वर्ष से अधिक समय से सरकारी वास के दखल में हैं। श्रणी-II तथा श्रेणी-III के अधिकारी सामान्यतया टाईप II से टाईप IV तक के पात्र हैं। 1-10-74 को, इन टाईपों में आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों की कुल संख्या 38,719 थी।

(ग) 1973-74 के वित्तीय वर्ष के दौरान टाईप-III तथा टाईप-IV के बनाए गए क्वार्टरों की संख्या निम्नलिखित है :—

| | |
|---|---|
| टाईप-III | 224 |
| टाईप-IV | 80 |
| योग | 304 |

(घ) अनधिकृत दखल के सभी मामलों में, लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन बेदखली की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

**खाद्यान्न के लिये खाद्य तथा कृषि संगठन से अनुरोध**

377. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
**श्री पी० गंगादेब :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने खाद्यान्न संबंधी किसी सहायता के लिये खाद्य तथा कृषि संगठन से अनुरोध किया है;

(ख) क्या उक्त संगठन ने भारत को कोई सहायता देने का आश्वासन दिया है; और

(ग) तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) जी हां। विश्व खाद्य कार्यक्रम (जो खाद्य तथा कृषि संगठन की एक संस्था है), विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा भारत सरकार के बीच तय हुए करार के अनुसार समय-समय पर भारत सरकार के अनुरोध पर खाद्यान्न सप्लाई करता रहा है।

(ख) तथा (ग) खाद्य तथा कृषि संगठन/विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। मौलिक करार के अनुसार ही विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा सहायता दी जाती रही है और दी

जा रही है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता इस बात पर निर्भर करती है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को सहायता देने वाले देश किस सीमा तक अपना वायदा पूरा करते हैं। अतः भारत तथा अन्य देशों को विश्व खाद्य कार्यक्रम से मिलने वाली सहायता केवल इसी बात पर निर्भर है।

**दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा**

*378. **श्री श्रीकिशन मोदी : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में कुछ अलाटियों ने अपने ग्राउंड फ्लोर फ्लैट्स/मकान के आस-पास पड़ी सार्वजनिक भूमि पर किचिन गार्डन तथा लान, बनाने के लिए उस भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है जिससे दूसरे लोगों को असुविधा हो रही है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के गंदी बस्ती विभाग को ऐसे अवैध कब्जों के बारे में रंजीत नगर तथा चन्द्रशेखर आजाद कालोनियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या ऐसे दोषियों के विरुद्ध, विशेष रूप से दिल्ली विकास प्राधिकरण के गंदी बस्ती विभाग द्वारा, कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे अवैध कब्जों को समाप्त करने तथा रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) जी, हां।

(ख) किसी दल विशेष को इस संबंध में हुई किसी विशिष्ट कठिनाई की कोई शिकायत मिलने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) तथा (घ) सरकार द्वारा इस मामले पर विचार किया गया है। दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के गन्दी बस्ती विभाग में आपसी क्षेत्राधिकारों के संबंध में उनके अलग-अलग मतों को देखते हुए उप-राज्यपाल को मामले की जांच करने तथा उपयुक्त हिदायतें जारी करने के लिये कहा जा रहा है।

**दिल्ली नगर निगम द्वारा निशुल्क मध्याह्न भोजन कार्यक्रम**

*379. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :**
**श्री हरि सिंह :**

**क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्धनों और भरपेट भोजन न मिलने वाले व्यक्तियों को निशुल्क मध्याह्न भोजन देने के कार्यक्रम में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972-73, वर्ष 1973-74 और वर्ष 1974-75 में कितनी राशि दी गई;

(ग) इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ऐसी वित्तीय सहायता देश के अन्य राज्यों और संघ शासित राज्य क्षेत्रों को दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा स्वीकृत किए गए अनुदानों में से दिल्ली नगर निगम ने स्कूल के बच्चों के लिए दूध के निःशुल्क वितरण हेतु 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 में क्रमशः 6.00 लाख रुपये, 5.00 लाख रुपये तथा 11.50 लाख रुपये निर्धारित किए थे।

(ग) 1972-73 तथा 1973-74 में क्रमशः 6.00 लाख रुपये तथा 3.34 लाख रुपये का प्रावधान उपयोग में लाया गया था। 1974-75 के मामलों पर अभी तक नगर निगम में कार्रवाई की जा रही है;

(घ) अधिकतर राज्य सरकारों द्वारा योजनागत बजट में इस प्रकार के कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। जहां तक चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नागर हवेली, लक्ष्यद्वीप और गोवा जैसे केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों का संबंध है, उनके बजटों में, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार की योजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान स्वीकृत किए गए हैं।

### पाकिस्तान क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड से आमंत्रण

*380. **श्री एम० बी० कृष्णप्पा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ष 1975-76 के दौरान पाकिस्तान का दौरा करने के लिए आमन्त्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच भारत सरकार को कोई औपचारिक आमंत्रण प्राप्त हुआ है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) से (ग) भारत के क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड को पाकिस्तान क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड से 1975-76 के दौरान भारतीय क्रिकेट दल द्वारा पाकिस्तान का दौरा करने के लिए निमंत्रण प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव पर दोनों बोर्डों के बीच बातचीत हो रही है।

### केरल में खजूर के तेल का उत्पादन करने के लिए सहयोगी कम्पनी

381. **श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले :**

**श्री वरके जार्ज :**

**क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खजूर के तेल का उत्पादन करने के लिये केरल बागान निगम लि० के अधीन एक सहयोगी कम्पनी का गठन करने के लिये केरल सरकार ने प्रस्ताव किया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार भी साम्य पूंजी से सहयोग करेगी;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार किस अनुपात में साम्य पूंजी लगायेंगी ;

(ग) क्या वर्ष 1974-75 से 1976-77 तक की अवधि के लिये 100.86 लाख रुपये की ऋण सहायता जारी करने के लिये केन्द्रीय सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(घ) क्या इस मामले में सरकार ने कोई निर्णय किया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) जी हां।

(ख) 49 प्रतिशत।

(ग) जी हां।

(घ) अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

**कृषि कार्यों पर बिजली की कमी का प्रभाव तथा किसानों को डीजल की सप्लाई**

382. **श्री डी० डी० देसाई :**
**श्री पुरुषोत्तम काकोडगर :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कमी से देश में कृषि कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो किसानों ने इस संबंध में हाल ही में कोई शिकायत की है ; और

(ग) यदि हां, तो जहां बिजली की कमी से कृषि कार्य प्रभावित हुए हैं उन क्षेत्रों के सहायतार्थ पर्याप्त मात्रा में डीजल सप्लाई करने के लिये क्या उनके मंत्रालय द्वारा कोई कदम उठाये गये हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) :** (क) देश के कुछ भागों में बिजली की कमी का सिंचाई तथा अन्य कृषि कार्यों पर कुछ प्रभाव पड़ा है।

(ख) बिजली की कमी से फसलों की सिंचाई पर प्रभाव पड़ने के संबंध में कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्रों से कृषकों की शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) जी हां। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि गैर-कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत पर प्रतिबन्ध लगाकर प्राथमिकता के आधार पर सिंचाई के लिये बिजली देने के लिये कदम उठाए जाएं। इसके अलावा, सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए डीजल आयल की सप्लाई में सुधार करने के लिये भी कई अनेक कदम उठाये गय। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(i) डीजल आयल की मांग का वास्तविक मूल्यांकन करना और इसके आधार पर कृषि क्षेत्र में उपभोक्ताओं को डीजल के लिए कार्ड जारी करना, ताकि ऐसे उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर डीजल उपलब्ध हो सके।

(ii) परिवहन के क्षेत्र में हाई स्पीड डीजल आयल की खपत को कम करने के लिये उपाय करना।

(iii) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उत्सव के लिये बिजली पैदा करने के लिए डीजल आयल के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाना।

## मछली उत्पादन

383. **श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मछली का उत्पादन बढ़ाने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या आगामी वर्ष में मछली पालन विकास योजनाओं में और जिलों को भी शामिल किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो मछली पालन विकास एजेंसियों के विचाराधीन राज्यवार और जिलावार प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :** (क) मछलियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई विकासात्मक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इनके फलस्वरूप, तटीय मीन-ग्रहण के काम में आने वाली यंत्रीकृत मीन-ग्रहण नौकाओं की संख्या, जो वर्ष 1968-69 में 6460 थी बढ़ाकर वर्ष 1973-74 में 9300 हो गई है। मछली पकड़ने के 80 बड़े मध्यम श्रेणी के 80 जलयानों का प्रयोग भी प्रारंभ किया गया है। बम्बई स्थित समन्वेषी मीन-उद्योग परियोजना और इससे सम्बद्ध 11 उप-केन्द्र सारे तट पर और कोचीन में स्थित समेकित मात्स्य की परियोजना समुद्रीय मात्स्य की संसाधनों का समन्वेषी सर्वेक्षण कर रहे हैं। कोचीन स्थित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गहन समुद्रीय मीन-उद्योग परियोजना भी गहरे समुद्र में मीन-उद्योग संबंधी सर्वेक्षण कर रही है। इसके फलस्वरूप गहरे समुद्र में पाई जाने वाली श्रिम्प, लोबस्टर, एंकोबीज एवं शेलो वाटर मिक्स के व्यापक स्टाक का पता लगा है। आशा है कि उद्योग द्वारा इन संसाधनों का उपयोग करने पर मछलियों का उत्पादन और बढ़ेगा।

अन्तर्देशस्थ मीन-उद्योग क्षेत्र में लगभग 6 लाख हैक्टर जल-क्षेत्र मीन पालन के अंतर्गत लिया गया है। इस प्रकार मछलियों का प्रति हैक्टार औसत उत्पादन 600 कि०ग्रा० है। अब केन्द्रीय अन्तर्देशस्थ मीन-उद्योग अनुसंधान संस्थान कलकत्ता ने हौज तथा तालाबों से प्रति वर्ष 5000 कि०ग्रा० प्रति हैक्टार से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिये तकनोलोजी का विकास किया है। तकनोलोजी को लोकप्रिय बनाने की कारगर प्रक्रिया के विकास के लिये मत्स्य पालक विकास एजेंसी की स्थापना की एक केन्द्रीय योजना स्वीकृत की गई है। पश्चिम बंगाल (जिला बर्दवान), बिहार (जिला चम्पारन), कर्नाटक (जिला मैसूर), मध्य प्रदेश (जिला रायपुर) एवं असम (जिला कामरुप) में एक-एक एजेंसी की स्थापना की गई हैं। इन एजेंसियों का उद्देश्य प्रति हैक्टार में कम से कम 1500 कि०ग्रा० मछलियों का उत्पादन करना है।

प्रारंभ किये गये विभिन्न विकासात्मक उपायों के फलस्वरूप मछलियों का वार्षिक उत्पादन जो 1961 में 9.61 लाख मीटर टन था, वर्ष 1973 में बढ़कर 19.58 लाख मीटरी टन हो गया है।

(ख) जी हां।

(ग) एजेंसियों का राज्यवार एवं जिलावार ब्यौरा, राज्य सरकारों से प्राप्त हुए संबंधित प्रस्ताव एंव वर्ष 1975-76 में केन्द्र की स्वीकृति के विचाराधीन प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :—

| राज्य | जिला |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 आंध्र प्रदेश . . . . . . | करीम नगर |
| 2. हरियाणा | करनाल |
| 3. केरल | पालघाट |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 4. महाराष्ट्र | भंडारा |
| 5. उड़ीसा | गंजम |
| 6. राजस्थान | भीलवाड़ा |
| 7. गुजरात | सूरत |
| 8. तमिलनाडु . . . . . . | तंजावूर |

**गुजरात में अभावग्रस्त क्षेत्रों में हो रहे काम पर स्वस्थ व्यस्कों को रोजगार दिया जाना**

3504. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में अभावग्रस्त क्षेत्रों में होने वाले काम पर सभी स्वस्थ व्यस्कों को रोजगार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो दैनिक मजूरी कितनी दी जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) जी हां।

(ख) दैनिक मजूरी किए जाने वाले काम के अनुसार दी जाती है और यह अधिकतम 3 रुपये प्रति दिन है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**बंगला देश से मछली का आयात**

3505. **श्री शंकर नारायण सिंह देव : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से मछली का आयात करने के बारे में एक नवीन प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या बंगला देश से मछली का आयात करने के बारे में अड़चनों को दूर किया गया है; और

(ग) आगामी वित्तीय वर्ष में बंगला देश से कितनी मात्रा में मछली का आयात किया जायेगा ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) 17 दिसम्बर, 1974 को किए गए करार के अधीन 1975 में बंगलादेश से 3.5 करोड़ रुपये की मछली का आयात किया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था की जा रही है।

**आवास सुविधाएं और भूमि की व्यवस्था**

3506. **श्री रोबिन ककोटी : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने (क) हरिजनों, (ख) अनुसूचित जाति के और भूमि हीन कृषि श्रमिकों को आवास सुविधाएं और भूमि प्रदान करने की योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष 1973-74 और 1974-75 में उक्त योजना क्रियान्वित किये जाने के लिये विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कितना अनुदान और ऋण दिया गया है; और

(ग) उक्त अवधियों के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने कुल कितने मकान बनाये हैं और उनके राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) हरिजनों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मज़दूरों को बिना मूल्य के आवास देने के लिए सरकार के एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के रूप में, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मज़दूरों को आवास स्थल देने की एक योजना केन्द्रीय क्षेत्र में अक्तूबर, 1971 में आरंभ की गई थी। यह योजना, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ से अर्थात् अप्रैल, 1974 से केन्द्रीय क्षेत्र से राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित कर दी गई है। इस योजना को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित करने के लिए, राज्य सरकारों के वार्षिक प्लान नियतनों में पृथक तथा विशिष्ट निधियां निर्दिष्ट की गई हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना के दो निम्नलिखित विवरण संलग्न हैं **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9197/95]**।

(i) वर्ष 1973-74 के दौरान राज्य सरकारों को दी गई निधियों का विवरण।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मज़दूरों को आवास-स्थल देने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1974-75 के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए परिव्यय का विवरण।

(ग) इस योजना में इन स्थलों पर मकान बनाने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने हेतु व्यवस्था नहीं है। आवास स्थलों के आवंटियों से आशा की जाती है कि वे उन स्थलों पर मकान अपने संसाधनों से अथवा ऐसी सहायता से बनाएं जो उन्हें राज्य सरकारें दे सकती हों। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आवास-स्थलों पर निर्मित किये गये मकानों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

### आपातकालीन कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटी सिंचाई परियोजनाएं

**3507. श्री नारायण चन्द्र पराशर :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकालीन कृषि उत्पादन कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां छोटी सिंचाई परियोजनाओं की व्यवस्था की गई थी;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन छोटी सिंचाई परियोजनाओं का संचालन किया था और क्या सरकार ने खर्च की गई धनराशि की कोई जांच की थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो कोई जांच अथवा मूल्यांकन न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :**

(क) से (घ) वर्ष 1972-73 के दौरान आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत किये गये आवंटन में मुख्यतः लघु सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को मध्यावधि ऋण एवं कृषि सम्बन्धी आदानों के लिये कृषकों को ऋण देने के लिए राज्य सरकारों को अधिक अल्पाविधि ऋण देना शामिल था। इस बात पर निगाह रखी जाती है कि राज्य सरकारें इन ऋणों का सही ढंग से उपयोग करती हैं या नहीं। इसके बारे में आवधिक प्रगति रिपोर्टों तथा क्षेत्र अधिकारियों के रूप में नियुक्त किए हुए इस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती रहती है।

जिन राज्यों को आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिय धनराशि दी गई है उनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं। इन सब राज्यों ने कार्यक्रम को क्रियान्वित कर दिया है। राज्य सरकारों को स्वीकृत किये गये ऋण में से उनके द्वारा समय-समय पर सूचित किए गए वास्तविक व्यय एवं क्रियान्वयन की प्रगति के आधार पर उन्हें किश्तों के रूप में धनराशि निर्मुक्त की गई थी। प्रशासनिक रूप से स्वीकृत किये गये राज्यवार मध्यावधि ऋण एवं निर्मुक्त की गई धनराशि को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को प्रशासनिक रूप से स्वीकृति देकर निर्मुक्त की गई धनराशि।

(रुपये करोड़ों में)

| राज्य का नाम | लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिये स्वीकृत की गई धनराशि | निर्मुक्त की गई धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 9.865 | 8.397 |
| 2. असम | 2.029 | 2.020* |
| 3. बिहार | 17.728 | 17.728 |
| 4. गुजरात | 5.000 | 5.000 |
| 5. हरियाणा | 12.000 | 12.000 |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 0.500 | 0.325 |
| 7. केरल | 2.500 | 2.500 |
| 8. मध्य प्रदेश | 5.810 | 5.800 |
| 9. महाराष्ट्र | 24.963 | 24.963 |

*ट्रैक्टरों तथा थ्रेसरों की खरीद के लिये 32 लाख रुपये भी शामिल हैं।

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 10. मणिपुर | 0.577 | 0.383 |
| 11. कर्नाटक | 6.389 | 5.299 |
| 12. नागालैंड . | 0.200 | 0.200 |
| 13. उड़ीसा . | 6.600 | 6.600 |
| 14. पंजाब . | 14.720 | 14.720* |
| 15. राजस्थान . | 3.892 | 3.892 |
| 16. तमिल नाडु | 3.820 | 2.990** |
| 17. त्रिपुरा . | 0.229 | 0.229 |
| 18. उत्तर प्रदेश | 20.750 | 20.750 |
| 19. पश्चिम बंगाल | 14.330 | 14.330 |
| योग | 151.892 | 148.136 |

* सीमावर्ती क्षेत्रों में नलकूपों के निर्माण के लिये 197 लाख रुपये का अनुदान भी शामिल है।
** टैक्टर तथा थ्रेसरों की खरीद के लिये 20 लाख रुपये भी शामिल हैं।

### विदेशी राष्ट्रकों को बच्चों का वैध संरक्षक बनाना

3508. **श्री बसंत साठे : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल महाराष्ट्र में ही विदेशी राष्ट्रिकों का 501 बच्चों का वैध संरक्षक बनाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो विदेशी राष्ट्रिकों/सामाजिक संगठनों द्वारा उत्तरोत्तर अधिक संख्या में विकलांग अनाथ बच्चों को देश से बाहर ले जाये जाने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ; और

(ग) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) जुलाई, 1972 से दिसम्बर, 1973 तक की अवधि के दौरान बम्बई हाई कोर्ट द्वारा विदेशी नागरिकों को 501 बच्चों का वैध-संरक्षक बनाया गया था।

(ख) तथा (ग) संरक्षक तथा बाल अधिनियम 1890 के अधीन सक्षम क्षेत्राधिकार के कोर्ट की अनुमति से विदेशी नागरिक वैध संरक्षकों के रूप में भारतीय बच्चों को विदेश ले जा सकते हैं कानून द्वारा जिस कार्य की अनुमति है, उसकी जांच करने का प्रश्न नहीं उठता है।

### Committee on Educational Reforms

†3509. **Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state whether Government propose to constitute any committee on

educational reforms in the context of day-to-day problems in the field of education and also in view of the demand to bring about radical changes in educational policy ?

**The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Professor S. Nurul Hasan) :** The Education Commission has already comprehensively reviewed the question of educational reforms. The report of the Commission was discussed in Parliament and based on these a Resolution on National Policy on Education was issued by Government. It has been the effort of the Government to ensure that concrete steps are taken to implement the Policies and Reforms as indicated in the Resolution, in the light of such modifications, changes or adaptations as may be recommended from time to time by the Central Advisory Board of Education and All India Council of Technical Education. These bodies have been continuously reviewing the situation and making suitable recommendations. In view of this it is not proposed to set up a committee of the type referred to.

### पी० जी० टी० ग्रेड में स्थानापन्न टी० जी० टी० अध्यापकों को चयन ग्रेड न दिया जाना

3510. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री दिल्ली में पी० जी० टी० ग्रेड में स्थानापन्न टी० जी० टी० अध्यापकों को चयन ग्रेड न दिये जाने के बारे में 11 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 33 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 27 सितम्बर, 1974 के उच्च न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है जिसका उल्लेख उस के भाग (ख) में किया गया था ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के 27 सितम्बर, 1974 के निर्णय के अनुसार, पी०जी०टी० अध्यापकों के स्थायीकरण को रद्द करने के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए जा चुके हैं । पात्र टी०जी०टी० अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड देने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

### Relief works in villages of Rewa Division of M.P.

3511. **Shri Martand Singh :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the district-wise number of villages in Rewa division of Madhya Pradesh declared as scarcity areas or areas particularly hit by scarcity;

(b) the district-wise number of relief works started so far and the number of persons provided employment therein; and

(c) the amount provided by Central Government for these relief works and the amount of expenditure incurred thereon so far and the progress of the construction work and the work remaining to be completed?

**The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) :** (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

**देश में बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं की संख्या**

3512. **श्री तुना उरांव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं की संख्या क्या है ;

(ख) उक्त परियोजनाओं द्वारा कितने क्षेत्र में सिचाई की जाएगी ;

(ग) इनमें से कितनी परियोजनाएं चल रही हैं ; और

(घ) उपर्युक्त श्रेणियों की कितनी परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह)** : (क) सूचना का विवरण संलग्न है ।

(ख) भाग (क) में दी गई स्कीमों के पूर्ण विकसित हो जाने पर सिंचाई क्षमता 22.8 मिलियन हैक्टेयर होगी ।

(ग) और (घ) अब तक कार्यान्वियन के लिए मंजूर की गई 109 बड़ी और 581 मध्यम सिंचाई स्कीमों में से 25 बड़ी और 367 मध्यम स्कीमें पूर्ण की जा चुकी हैं और प्रचालन में हैं शेष बड़ी स्कीमों में से 10 काफी हद तक पूर्ण हो चुकी हैं और 33 पर निर्माण कार्य प्रौढ़ावस्था में हैं और इनसे आंशिक रूप से लाभ मिलने शुरू हो गए हैं ।

**विवरण**

| राज्य का नाम | योजना अवधि में कार्यान्वियन के लिए अब तक स्वीकृत बड़ी और माध्यम सिंचाई स्कीमों की संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | बड़ी | मध्यम | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. आंध्र प्रदेश | 10 | 50 | 60 |
| 2. असम | — | 12 | 12 |
| 3. बिहार | 9 | 53 | 62 |
| 4. गुजरात | 10 | 70 | 80 |
| 5. हरियाणा | 2 | 7 | 9 |
| 6. हिमाचल प्रदेश | — | — | — |
| 7. जम्मू और काश्मीर | 2 | 11 | 13 |
| 8. कर्नाटक | 5 | 23 | 28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 9. केरल | 8 | 11 | 19 |
| 10. मध्य प्रदेश | 7 | 47 | 54 |
| 11. महाराष्ट्र | 18 | 98 | 116 |
| 12. मणिपुर | 1 | 3 | 4 |
| 13. मेघालय | — | — | — |
| 14. नागालैण्ड . | — | — | — |
| 15. उड़ीसा | 5 | 25 | 30 |
| 16. पंजाब | 8 | 9 | 17 |
| 17. राजस्थान . | 4 | 50 | 54 |
| 18. तमिलनाडु | 5 | 26 | 31 |
| 19. त्रिपुरा . | — | — | — |
| 20. उत्तर प्रदेश | 11 | 74 | 85 |
| 21. पश्चिम बंगाल | 3 | 10 | 13 |
| कुल (राज्य में) | 108 | 579 | 687 |
| संघ राज्य क्षेत्र | 1 | 2 | 3 |
| कुल योग . . . . . | 109 | 581 | 690 |

**शान्ति निकेतन कालोनी में भूमि के प्लाट पर स्कूल की इमारत**

3513. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति, नई दिल्ली की शान्ति निकेतन कालोनी में एक टीले पर रक्षित भूमि के प्लाट का अभी तक निर्बाध रूप से सार्वजनिक सुविधा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और बाढ़ लगाने के बावजूद वहां सब तरह के जानवर रात दिन घूमते रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे निकटवर्ती लोगों को भारी परेशानी हो रही है ;

(ग) क्या उक्त प्लाट पर जो गत कई वर्षों से खाली पड़ा है, स्कूल भवन का निर्माण करने अथवा निकट भविष्य में ऐसा न करने पर भूमि के प्रयोग में परिवर्तन करने के लिये कोई प्रभावकारी कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) तथा (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण को स्थल पर कोई स्कूल नहीं बनाना है । इसका भूमि-उपयोग भी बदला नहीं जा सकता । इस बारे में कोई अनुरोध प्राप्त होने पर स्कूल के लिए निर्दिष्ट स्थल नगर निगम/किसी संस्था को आबंटित कर दिया जाएगा । ऐसा कब तक हो जाएगा, इस बारे में कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती ।

**चीनी के फुटकर मूल्य के बारे में नीति**

3514. **श्री गजाधर माझी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने देश में चालू वर्ष में खुले बाजार में चीनी की बिक्री के फुटकर मूल्य के बारे में कोई नई नीति अपनाई है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : जी नहीं । खुले बाजार में बिकने वाली चीनी का खुदरा मूल्य बाजार में मांग तथा पूर्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता रहेगा।

**Shortage of jeeps for animal husbandry programmes**

3515. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) Whether acute shortage of jeeps and jeep pickups is being faced under the various agricultural or animal husbandry plan programmes; and

(b) if so, the arrangements made to make available such vehicles on priority basis with a view to implementing the various plan programmes ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas atel)** : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

**उड़ीसा में धान की वसूली के लिए लेवी**

3516. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में खरीफ के मौसम के दौरान धान की वसूली के लिए लेवी के मामले में सफलता मिली है ;

(ख) क्या इसका लक्ष्य प्राप्त हुआ है ; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वसूली के लिए लेवी संबंधी अधिकांश कठिनाइयां आदेश की क्रियान्विति में त्रुटि होने के कारण हुई हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) और (ख) चालू खरीफ मौसम 1974-75 से चावल/धान की अधिप्राप्ति 31 अक्तूबर, 1975 तक जारी रहेगी और इस समय यह नहीं बताया जा सकता है कि इसमें कितनी सफलता मिलेगी और अन्ततः किस हद तक लक्ष्य प्राप्त

किए जाएंगे। तथापि, मानसून के असफल रहने के कारण, खरीफ की धान की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है जिसके परिणामस्वरूप, मंडी में अब तक कम आमद और अधिप्राप्ति हुई है और कुल मिला कर कम अधिप्राप्ति होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

(ग) लेवी आदेश द्वारा प्रदत्त शक्ति के दुरुपयोग का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

**कोचीन विश्वविद्यालय का व्यावहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव**

3517. **श्री वयालार रवि :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन विश्वविद्यालय ने केन्द्रीय सरकार को व्यावहारिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रम आरम्भ करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :** (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव में, अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने हेतु तथा अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रभाग स्थापित करने की परिकल्पना है :—

(1) नौसेना निर्माण तथा समुद्रीय इंजीनियरी,

(2) बहुलक (पोलीमेर) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी,

(3) इलेक्ट्रानिक्स,

(4) रसायन प्रौद्योगिकी।

प्रस्ताव की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा जांच की जा रही है।

**पांचवीं योजना के दौरान राजस्थान में भूमिहीनों को भूमि का वितरण**

3518. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये अथवा वर्ष 1975-76 की वार्षिक योजना के लिये राजस्थान को राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को भूमि देने के लिये कोई कार्यक्रम सरकार के अनुमोदनार्थ भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं, भूमिहीन किसानों में कितनी भूमि वितरित की जायेगी और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने किसान परिवारों को भूमि दी जायेगी तथा इस बारे में अन्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना पर कितनी लागत आयेगी और क्या सरकार ने इस योजना की मंजूरी दे दी है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) ऐसी कोई योजना कृषि मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**ऊपरी मंजिलों के फ्लैटों के बदले में ग्राऊंड फ्लौर के फ्लैट देने के लिये आवेदन**

3519. **श्रीमती मुकुल बनर्जी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण को गत तीन वर्षों में ऊपरी मंजिलों के फ्लैटों के वदले में ग्राऊंड के फ्लैट देने के लिए, विभिन्न योजनाओं में, रिहायशी फ्लैटों के अलाटियों से कालोनीवार कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ; और

(ख) ऐसे मामलों की, कालोनीवार संख्या कितनी है जिनमें इस प्रकार के तबादले की अनुमति दी गई थी और उसका आधार क्या था ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) तथा (ख) कुछ मामले थे जिनमें आबंटियों ने मंजिल के परिवर्तन हेतु आवेदन दिए थे । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रत्येक मामले पर उसके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया था तथा मांगी गई मंजिल पर फ्लैटों की उपलब्धता और अनुकम्पा के आधार को, जिस पर परिवर्तन मांगा गया था, दृष्टि में रख कर निर्णय लिया गया । दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे आवेदनों का अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

**प्रत्येक राज्य में खाद्यान्नों के मूल्य समान रखने के लिये एक राज्यीय खाद्य जोन समाप्त करना**

3520. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की 'एक राज्यीय खाद्य जोन' नीति उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिये हानिप्रद साबित हुई है क्योंकि खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में खाद्यान्नों के मूल्य बहुत कम रहे और उपभोक्ता राज्यों में इनके मूल्य बहुत अधिक रहे ;

(ख) उपर्युक्त बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार खाद्य जोन सम्बन्धी नीति समाप्त करने का है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो प्रत्येक राज्य में खाद्यान्न के मूल्य समान रखने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) से (ग) तक एक राज्यीय खाद्य जोन की नीति अधिशेष राज्यों में अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने के लिए अपनाई गई है ताकि सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य पर कमी वाले राज्यों को खाद्यान्न उपलब्ध किया जा सके । इस नीति का उद्देश्य अधिशेष और कमी वाले राज्यों के बीच मूल्य संबंधी असमानताओं को कम करना है और इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

**छोटे और मध्यम दर्जे के रेशे की रुई की कमी**

3521. **श्री बीरभद्र सिंह : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में छोटे और मध्यम दर्जे के रेशों की रुई की कमी होने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो उसके उत्पादन का लक्ष्य क्या है ; और

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) :** (क) तथा (ग) कपास के उत्पादन के वर्ष 1974–75 के सरकारी अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान तथा महाराष्ट्र के भागों में, जहां असिंचित परिस्थितियों में मध्यम रेशे की कपास का उत्पादन होता है, इन किस्मों की कपास के उत्पादन में कमी होने की सम्भावना है । छोटे रेशे की कपास के उत्पादन में कमी होने की कोई सम्भावना नहीं है ।

(ख) कपास के उत्पादन के लक्ष्य रेशे की लम्बाई के अनुसार निर्धारित नहीं किये जाते । परन्तु, वर्ष 1974–75 के दौरान कपास के उत्पादन का लक्ष्य 68 लाख गांठ निर्धारित किया गया है ।

**केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण**

3522. **श्री हरि किशोर सिंह : क्या निर्माण और आवास** मंत्री 24 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 955 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25,000 रुपये के गृह निर्माण ऋण की मंजूरी केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को दी जा रही है जो सात वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत होने वाले हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसे प्रतिबंध से बहुत से कर्मचारीयों को अत्यधिक असुविधा होगी क्योंकि उन्हें कम किश्तों में ऋण चुकाना पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिबन्ध में ढील देने का कोई प्रस्ताव है ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) पहले गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की कतिपय विशिष्ट श्रेणियों तक सीमित की गई थी जिनमें वे भी शामिल थे जिन्होंने सात वर्ष के अन्दर सेवा-निवृत्त होना था अथवा जिनका सेवाकाल 25 वर्ष से अधिक का था । तथापि, 31-1-1975 से ये नियन्त्रण हटा दिये गये और अब गृह निर्माण अग्रिम के पात्र सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्र लिए जा रहे हैं ।

(ख), (ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**बम्बई में क्रिकेट टैस्ट मैच के दौरान दंगे**

3523. **श्री एच० के० एन० भगत :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में गत क्रिकेट टैस्ट मैच के दौरान किन परिस्थितियों में दंगे हुए ; और

(ख) सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नैताम) :** (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, वानखेडे स्टेडियम में 24 जनवरी 1975 को दंगे एक पुलिस सिपाही द्वारा एक ऐसे दर्शक को पीटे जाने के कारण प्रारम्भ हुए थे, जो वैस्ट इन्डीज के कप्तान क्लाइव लायड को, उनका दोहरा शतक पूरा हो जाने पर, बधाई देने के लिये वानखेडे स्टेडियम के उत्तरी स्टेंड की तार वाली बाड़ को फांदकर पिच पर पहुंच गया था । तथाकथित दर्शक को एक छड़ी के आघात से मामूली सी चोटें आई बताते हैं । उसे तत्काल ही स्टेडियम से चिकित्सा के लिये भेज दिया गया परन्तु अन्य दर्शकों ने यह समझा कि घायल व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा गया है और परिणामस्वरूप वे क्रुद्ध हो उठे । फलस्वरूप भीड़ द्वारा फर्नीचर को तोड़ने और परिसर में आग लगाने के प्रयत्न किये गये । राज्य सरकार ने संबंधित पुलिस सिपाही को निलम्बित कर दिया है और गिरफ्तार किये गये 22 व्यक्तियों के विरुद्ध दंगे करने का मामला दर्ज कर लिया गया है । राज्य सरकार द्वारा इस घटना की आगे जांच की जा रही है ।

कानून और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है । राज्य सरकार ने, स्टेडियम क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये स्टेडियम के अन्दर और बाहर पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारियों को तैनात करके उचित सावधानी बरती है । राज्य सरकार का प्रस्ताव है कि भविष्य में स्टेडियम के अन्दर पुलिस के आदमियों को तैनात नहीं किया जायगा और यदि कोई विकट स्थिति उत्पन्न होती है तो स्थिति को संभालने के लिये स्टेडियम के बाहर तैनात पुलिस के आदमियों को बुला लिया जायेगा ।

**कनाडा में काम कर रहे एक भारतीय भौतिकविद् द्वारा इन्टरव्यू दिये जाने का समाचार**

3524. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जनवरी, 1975 के अंग्रेजी के एक स्थानीय दैनिक समाचार में प्रकाशित एक इन्टरव्यू की ओर दिलाया गया है जो गत 16 वर्ष से कनाडा में रहने वाले एक भारतीय भौतिकविद डा० आर० डी० वर्मा द्वारा दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस महत्वपूर्व शैक्षिक क्षेत्र में इन कदाचारों और बुराइयों को जो कि डा० वर्मा ने बताई हैं, समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यबाही करने का विचार है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) :** (क) और (ख) 5 जनवरी, 1975 के टाइम्स आफ इंडिया के दिल्ली संस्करण में छपे एक समाचार में कनाडा में रह रहे एक भौतिक वैज्ञानिक डा० आर० डी० वर्मा द्वारा यह कहा गया बताया जाता है कि "उम्मीदवारों को चुनने अथवा उन्हें छोड़ देने में समितियों द्वारा चयन में की जाने वाली प्रर्वचनाओं, वैज्ञानिक निबन्धों को तैयार करने में वरती जाने वाली बेईमानी और उच्च पदों पर आसीन वैज्ञानिकों की अफसरशाही प्रवृत्ति, युवा भारतीय विज्ञानी द्वारा अनुसन्धान के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान किए जाने में बाधक हैं ।" उन्होंने युवा भारतीय वैज्ञानिकों को अच्छा अनुसन्धान कार्य करने हेतु अपयुक्ति प्रेरणा, प्रोत्साहन अथवा सुविधाओं के अभाव का भी उल्लेख किया था ।

(ग) डा० वर्मा द्वारा की गई टिप्पणियां सामान्य प्रकार की हैं । जब कभी ऐसे किसी कदाचार का कोई मामला प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है, उसकी जाँच करके आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

## अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष

3525. **श्री इन्द्र जीत गुप्त :** क्या **शिक्षा , समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने के लिए प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष को मनाने के लिये उस समिति ने क्या योजनाएं बनाई हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) जी हां ।

(ख) समारोह के कार्यक्रम की विशेष बाते सलंग्न विवरण पत्र में दर्शाई गई हैं ।

## विवरण

1. (1) **भारत के राष्ट्रपति की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के लिये सन्देश ।**
   राष्ट्रपति ने 1 जनवरी, 1975 को राष्ट्र के नाम समुचित सन्देश प्रसारित किया ।

   (2) **समारक डाक टिकटों को जारी किया जाना ।**
   डाक और तार विभाग द्वारा 16 फरवरी, 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के संस्करण में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया ।

   (3) **16 फरवरी, 1975 को अखिल भारतीय महिला दिवस के रूप में मनाना ।**
   16 फरवरी, 1975 को देश भर में अखिल भारतीय दिवस महिला के रूप में मनाया गया ताकि समाज में महिलाओं के अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में समुदाय में चेतना लाई जाए ।

   (4) शैक्षिक संस्थाओं, पंचायत राज संस्थाओं आदि में शिक्षा सामग्री का वितरण ताकि समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में अधिक जानकारी लाई जाए ।

   (5) विभिन्न जन प्रचार साधनों (रेडियों, टेलीविजन, फिल्मों, सचल प्रदर्शनियों आदि) के माध्यम से प्रचार उपाय जिनमें देश में महिला जीवन के विभिन्न पहलू शामिल हों ।

(6) देश में महिलाओं को जिन विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन की ओर युवा पीढ़ी का ध्यान आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय और जिला स्तरों पर निबन्ध प्रतियोगिताओं का आयोजन ।

(7) महिलाओं के विषय पर विशेष अनुस्मारक पुस्तकों/लेखों का प्रकाशन ।

(8) महिलाओं के लिए विशेष खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन ।

(9) महिलाओं की स्थिति और महिलाओं के कल्याण से संबंधित समस्याओं पर शोध के कार्यक्रमों का प्रवर्तन ।

2. राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा महिला कल्याण में लगे प्रमुख स्वयं सेवी संगठनों को मार्ग दर्शक अनुदेश भेज दिये गए हैं कि इस वर्ष के दौरान कम से कम व्यय में महिला कल्याण के लिये समारोहों के सर्वोत्तम कार्यक्रम बनाएं जाएं ।

**कमजोर वर्ग के बच्चों के विकास के लिये कार्यक्रम**

3526. **श्री एस० एन० मिश्र:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के विकास के लिए किसी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया है;

(ख) प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1975-76 के लिये इस योजना हेतु उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

**शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविंद नेताम):** (क), (ख) तथा (ग) शहरी गन्दी बस्तियों, आदिवासी तथा अन्य पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल एवं बच्चों, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं और 15 से 45 वर्ष तक की स्त्रियों को समाविष्ट सेवाएं (अनुपूरक पोषाहार, शारीरिक जांच, निर्देश सेवाएं, प्रतिरक्षण, अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा तथा पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा) प्रदान करने के लिये पांचवीं योजना अवधि के दौरान सरकार का समेकित बाल विकास सेवा के रूप में एक नई योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है । इस योजना को वर्ष 1975-76 में सीमित पैमाने पर प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है । इस योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

2. निराश्रित बच्चों के व्यापक कल्याण तथा उनके लिए संस्थागत सेवाओं हेतु स्वैच्छिक संगठनों को भुगतान करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना पहले पहले चालू वर्ष में क्रियान्वित की गई थी । 2055 निराश्रित बच्चों के कल्याण और विकास सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष रूप से उल्लिखित स्वैच्छिक संगठनों को भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 17.71 लाख रुपये की सहायता दी गई है । वर्ष 1975-76 में राज्य सरकार को धन दिया जाना उस राज्य में कार्यान्वियन की प्रगति और केन्द्रीय बजट में कुल बजट व्यवस्था पर निर्भर करेगा ।

3. असंगठित क्षेत्र की नौकरी पेशा माताओं के बच्चों (3 वर्ष तक) के लिए शिशु केन्द्रों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने की एक योजना हाल में मंजूर की गई है तथा उस योजना की एक प्रति उत्तर प्रदेश सरकार को (अन्य राज्य सरकारों को भी) स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त करने तथा उन्हें अपनी (राज्य सरकार की) सिफारिश सहित इस विभाग को प्रेषित करने के लिए भेज दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार को धन का दिया जाना राण्य सरकार से मिले प्रस्तावों तथा कुल बजट व्यवस्था पर निर्भर करेगा।

**हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के त्रिची संयंत्र का उसके कर्मचारियों द्वारा अधिग्रहण**

3527. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की ओर से इस कम्पनी के त्रिची एकक को वेचने के प्रस्ताव सम्बन्धी कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार को कम्पनी के कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने अपने ही संसाधनों से इस कारखाने का अधिग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) इस फर्म ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 31 के अधीन भारत के रिजर्व बैंक को आवेदन-पत्र दिया है।

(ख) अखिल भारतीय हिन्दुस्तान लीवर कर्मचारी यूनियनों के संघ की दिसम्बर, 1974 में हुई बैठकों में पारित दो संकल्पों की प्रतियां सरकार को मिली हैं। पहले संकल्प में संघ ने यह मांग की थी कि सरकार कम्पनी को अपने 75 प्रतिशत शेयरों को सममूल्य पर भारतीय शेयरधारियों विशेषतया अपने कर्मचारियों को देने के लिए कहे। दूसरे संकल्प में यह कहा गया था कि यदि सरकार इस यूनिट को अपने अधिकार में लेने के लिए आना-कानी करती है तो कर्मचारी इसे अपने अधिकार में लेने के लिए तैयार हैं।

(ग) सरकार यह समझती है कि फर्म को त्रिची में बनस्पति यूनिट भारतीय उद्यमियों को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है क्योंकि इससे देश में वनस्पति की उपलब्धता या उस क्षेत्र में नौकरियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**गान्धी हरिजन हायर सेकेंडरी स्कूल ब्रह्मपुरी दिल्ली में नियुक्तियां**

3528. **चौधरी दलीप सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी हरिजन हायर सैकेण्डरी स्कूल, ब्रह्मपुरी, शाहदरा, दिल्ली में अनेक गैर हरिजन अध्यापकों के मुकाबले केवल एक हरिजन अध्यापक नियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या इस स्कूल के प्रबन्धक एक और नए अध्यापक नियुक्त कर रहे हैं और दूसरी ओर उनमें से अनेक को फालतू घोषित कर रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)**: (क) दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों में, अध्यापकों की भर्ती के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार, चयन सही अर्थ में योग्यता के आधार पर किया जाता है। निर्धारित नियमों के अनुसार अब तक की गई नियुक्तियों में केवल एक हरिजन अध्यापक अर्हता प्राप्त मिला है।

(ख) यह ठीक नहीं है कि एक ओर तो प्रबन्धक अध्यापकों की नई भर्ती कर रहा है और दूसरी ओर उन में से बहुत को फालतू घोषित कर रहा है। अब तक स्कूल में कोई भी अध्यापक फालतू घोषित नहीं किया गया है।

## राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों का विकास

3529. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य सरकार ने पांचवी योजना में राज्य में रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं, और

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, चुरू, जैसलमेर और बीकानेर के मरुस्थल जिलों के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं। इनमें से प्रत्येक योजना के अंतर्गत, कृषि, डेरी चरागाह और वानिकी का विकास करने का प्रस्ताव है। इन योजनाओं की मुख्य बातें नीचे दे दी गई हैं :

1. भूमिगत जल का विकास।
2. भूमि की नमी का उपयोग।
3. ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए संदर्भ में भूमि, पशु और भेड़ों का व्यापक सर्वेक्षण।
4. चारा बैंक।
5. आर्थिक विकास के कार्यक्रम का उपलब्ध भूमिगत तथा सतही जल से समन्वय।
6. कमजोर वर्ग के लोगों का आर्थिक स्तर बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करना।

आशा है कि पांचवीं योजना के दौरान, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत, कुल 48 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की जायेगी, जिसको केन्द्र और राज्य बराबर बराबर देंगे।

## रेमुनरेटिव प्राजैक्ट योजना के अधीन दुकानों/प्लाटों/कियास्कों का नीलाम किया जाना

3530. **श्री सतपाल कपूर : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेमुनरेटिव प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत दुकानों/प्लाटों/कियास्कों की नीलामी से तथा अन्य योजनाओं से दिल्ली नगर निगम ने कुल कितनी धनराशि प्राप्त की है :

(ख) ये दुकानें/प्लाट/कियास्क आदि कहां-कहां पर हैं;

(ग) खरीददारों के नाम क्या हैं और इन दुकानों/प्लटों/कियास्कों का आकार कितना कितना है और वे किस दर पर नीलाम किये गये;

(घ) क्या यह दिल्ली की वृहद योजना के अनुसार हैं;

(ङ) केन्द्र सरकार/दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली नगर निगम को किस प्रयोजन के लिए भूमि दी थी; और

(च) क्या इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 427 और 428 के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण/टाउन प्लानिंग आर्गनाइजेशन की अनुमति प्राप्त की गई थी?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उसने लाभकारी परियोजना योजना के अधीन दुकानों/प्लाटों/फ्लैटों आदि की बिक्री से 2,00,48,949 रुपये प्राप्त किए।

(ख) निम्नलिखित क्षेत्रों में दुकानों/प्लाटों/कियास्कों का विकास किया गया तथा बेचा गया है :—

(1) इन्दिरा नगर, नई दिल्ली के समीप जी० टी० रोड पर पंचवटी (भरोला वाला बाग) रिहायशी कालोनी।

(2) सेक्टर ए० तथा डी०, टैगोर गार्डन, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली।

(3) सैक्टर बी० तथा सी०, विशाल एन्क्लेव, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली।

(4) अशोक नगर, नई दिल्ली में अशोक नगर मार्कीट में दुकानें।

(5) रमेश नगर मार्कीट, रमेश नगर, नई दिल्ली में दुकानें-फ्लैट।

(6) शक्ति नगर चौक, दिल्ली में निर्मित दुकानें तथा फ्लैट।

(7) करोलबाग, नई दिल्ली में अजमल खां रोड, तथा पदम सिंह रोड के चौराहे पर निर्मित भवन।

(8) दरिया गंज दिल्ली में गोल्चा सिनेमा के निकट भवन।

(9) मेन बाजार, पहाड़गंज, नई दिल्ली में सम्पत्ति नं० 1101 में निर्मित दुकानें।

(10) 65 दुकानें/कियास्क/रेस्तरां मासिक अनुज्ञप्ति शुल्क के आधार पर आवंटित किए गए हैं।

(ग) खरीददारों के नाम, प्लाटों/दुकानों/फ्लैटों का आकार तथा नीलाम की राशि अनुलग्नक में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-9198/75]**

(घ) जी, हां।

(ङ) **पंचवटी** : यह भूमि उन तांगेवालों के पुनर्वास के लिए अर्जित की गई थी जो नगरपालिका भूमि के दखल में थे। बाद में, तांगेवालों को सीलमपुर में बसाया गया था तथा इस भूमि का विकास लाभकारी परियोजना योजना के अधीन वृहत्त योजना में भूमि सुधार उपयोग के अनुसार रिहायशी कालोनी में किया गया।



18 LSS/75—4.

**(2 तथा 3) सैक्टर ए० तथा डी०, बी० तथा सी०, नजफगढ़ रोड**

निगम ने राजौरी गार्डन के सामने नजफगढ़ रोड पर 773 एकड़ भूमि एकीकृत विकास के लिए अर्जित की जिसमें स्तम्भ टेनमेंटों का निर्माण 80 वर्ग गज वाले जे०जे० प्लाटों तथा 25 वर्ग गज वाले केम्पिग स्थलों के विकास, वृहत योजना के अनुसार बेहतर आवास तथा डिस्ट्रिक्ट सेन्टर के विकास की व्यवस्था है। बेहतर आवास योजना के अंतर्गत सैक्टर ए० तथा डी० और बी० तथा सी० का विकास किया गया और उन्हें लाभकारी परियोजना योजना के अंतर्गत बेचा गया। अन्य सैक्टर एफ० तथा जी० सैक्टर 'डी' और डिस्ट्रिक्ट सेन्टर का विकास किया जा रहा है।

**(4) अशोक नगर मार्कीट**

निगम ने पुनर्वास मंत्रालय से तिहाड़-11 में 9824 रुपये के भुगतान पर दुकानों के 44 प्लाट खरीदे तथा भूतल में 42 दुकानें और प्रथम तथा द्वितीय मंजिलों पर 42 फ्लैटों का निर्माण किया। 42 दुकानें लाभकारी परियोजना योजना के अंतर्गत बेची गई जबकि 42 फ्लैट निगम के कर्मचारियों को किराये पर आवंटित किए गए हैं।

**(5) रमेश नगर मार्कीट में दुकानें तथा फ्लैट**

निगम ने पुनर्वास मंत्रालय से रमेश नगर मार्किट में 2948.25 वर्ग गज के 65 दुकान-प्लाट 59637 रुपये में खरीदे। इन 65 प्लाटों में से, 12 दुकान-प्लाट समाज सदन के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए हैं तथा कुछ प्लाटों पर सब्जी बेचने वाके के लिए 48 स्टाल बनाए गए थे: शेष 902.88 वर्गगज भूमि पर निचली मंजिल में 16 दुकानें तथा पहली और दूसरी मंजिल पर 16 फ्लैट बनाए गए थे जिन्हें लाभकारी परियोजना योजना के अंतर्गत बेचा गया।

**(6) शक्ति नगर चौक, दिल्ली में निर्मित दुकानें/फ्लैट**

निगम ने इस भूमि को दिल्ली विकास प्राधिकरण से खरीदा तथा दो गोदामों के अलावा निचली मंजिल पर 9 दुकानें, पहली तथा दूसरी मंजिल पर 6 रिहायशी फ्लैट बनाए और उन्हें लाभकारी परियोजना के अंतर्गत बेच दिया।

**(7) अजमल खां रोड और पदमसिंह रोड के चौराहे पर भवन**

अजमल खान रोड तथा मदम सिंह रोड के चौराहे पर एक सार्वजानिक शौचालय तथा मेहतरों के कुछ क्वार्टर होते थे। यह 38′×60′ के क्षेत्रफल की भूमि क्षेत्र की सेवाओं साहित निगम को हस्तांतरित की गई थी। शौचालय ब्लाक करोलबाग जैसे बड़े वाणिज्यिक क्षेत्र में एक भद्दी दशा में था। निगम ने सार्वजनिक शौचालयों तहखानों निचली मंजिल में चार दुकानों तथा एक खुले रेस्तोरां तथा पहली मंजिल पर कार्यालय वास का निर्माण करके इस स्थान का बेहतर उपयोग किया है तथा इन को लाभकारी परियोजना योजना के अन्तर्गत बेच दिया है

**(8) गोलचा सिनेमा, दरियागंज, दिल्ली के समीप भवन**

गोलचा सिनेमा के समीप भवन में टीका और सफाई निरीक्षक का कार्यालय होता था जो निगम के अधिकार में था। इस भवन की मयाद खत्म हो चुकी थी तथा लाभकारी परियोजना योजना के अन्तर्गत एक नया भवन बनाया गया था जिसमें तहखाना, 5 दुकानें तथा पहली और दूसरी मंजिल में हाल हैं तथा उन्ह बेच दिया गया था।

**(9) मेन बाजार पहाड़गंज, नई दिल्ली में सम्पत्ति नं० 1101 में दुकानें**

यह सम्पत्ति हस्तांतरित निष्क्रांत सम्पत्ति है, यह खतरनाक हालत में थी और गिरा दी गई थी। निगम ने निचली और पहली मंजिल पर लाभकारी योजना के अन्तर्गत 26 दुकानें बनाई तथा उन्हें बेच दिया।

(च) पंचवटी, टैगोर गार्डन के सेक्टर ए० और डी०, विशाल एन्कलेव के सेक्टर बी० और सी० योजनाओं की विस्तृत लेआउट प्लाटों को नगर निगम की स्थायी समिति द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 312 और 313 के उपबन्धों के अधीन अनुमोदित किया गया था। धारा 427 तथा 428 के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण/नगर आयोजना संगठन का पूर्व अनुमोदन लेना आपेक्षित नहीं था क्योंकि इन योजनाओं को बृहत्त योजना/क्षेत्रीय योजनाओं में निर्दिष्ट भूमि-उपयोग के अनुसार तैयार किया गया था। निगम की स्थायी समिति लेआउट प्लान का अनुमोदन करने के लिए पूर्णतया सक्षम है।

अशोक नगर मार्कीट की दुकानें, रमेश नगर मार्कीट की दुकानें/फ्लैट, शक्ति नगर की दुकानें/फ्लैट, अजमल खान रोड और पदम सिंह रोड के चौराहे पर स्थित भवन, गोलचा सिनेमा के समीप भवन तथा मेन बाजार पहाड़ गंज की सम्पत्ति नं० 1101 में दुकानें, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 427 तथा 428 के अधीन नहीं आतीं क्योंकि वे सक्षम प्राधिकरण द्वारा पहले ही अनुमोदित ले आउट का भाग हैं। ये भवन अधिनियम के उपबन्धों/उस के अधीन बनाए गये उप-नियमों के अनुसार बनाए गए थे।

## Starvation deaths among Harijans

3531. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have received a report as to how many poor Harijans starved to death during the current year;

(b) the facts thereof, State-wise; and

(c) whether Government propose to take measures to ensure that such deaths do not occur ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) :** (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received.

## बम्बई राशन व्यवस्था में कदाचारों के बारे में शिकायतें

3533. **श्री निम्बालकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बम्बई राशन व्यवस्था में कदाचार व्याप्त है; और

(ख) इन कदाचारों को दूर करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल)** : (क) और (ख) राज्य के अन्दर खाद्यान्नों के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। बम्बई की राशनिंग प्रणाली में किसी कदाचार के बारे में भारत सरकार को कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । तथापि राज्य सरकारों को समय-समय पर कहा गया है कि वे उचित मूल्य की दुकानों/राशन की दुकानों पर कड़ी निगरानी रखें और उचित मूल्य की दुकान/राशन की दुकान के दुकानदारों द्वारा कदाचार/अनियमितताएं करने के बारे में प्राप्त किसी भी शिकायत पर शीघ्र कार्यवाही करें।

**इण्डियन वालीवाल फेडरेशन के कार्यों में इण्डियन ओलम्पिक एसोसियेशन का कथित हस्तक्षेप**

3535. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंडियन वालीवाल फेडरेशन के प्रेजीडेंट द्वारा लगाए गए इस आशय के आरोप की ओर दिलाया गया है कि इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन, इंडियन वालीवाल फैडरेशन के कार्यों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा और समाज कयाल्ण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) भारत के वालीवाल संघ के अध्यक्ष ने सरकार के ध्यान में यह बात लाई है कि भारतीय ओलम्पिक संघ ने इस संघ को मान्यता नहीं दी है।

(ख) संघ के प्रतिद्वन्दि दल मुकदमेबाजी में लगे हैं। मामला न्यायाधीन है।

**गुजरात के अभावग्रस्त क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों को दी गई सहायता**

3536. **श्री एन० आर० बेकारिया :**
**श्री अरविन्द एम० पटेल :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे विकलांग व्यक्तियों को अनुग्रहपूर्वक कोई सहायता अथवा नकद धनराशि दी जाती है जो गुजरात के अभावग्रस्त क्षेत्रों में काम पर नहीं जा सकते;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रति दिन के हिसाब से कितनी धनराशि आवंटित की गई/दी जाती है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) जी हां।

(ख) 1 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले सप्ताह में 40,312 व्यक्तियों को नगद धनराशि दी गई थी ।

(ग) इस समय वयस्कों को 30 रुपये प्रति मास और बच्चों को 15 रुपये प्रति मास नकद धनराशि दी जाती है ।

## पुस्तक उद्योग

3537. **श्री भागीरथ भंवर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि पुस्तक उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और पुस्तकों की अनेक दुकानें इस काम को छोड़ने का प्रयत्न कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो पुस्तक उद्योग की कठिनाइयां क्या हैं और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :** (क) और (ख) सरकार देश में पुस्तक उद्योग के प्रोत्साहन की आवश्यकता के प्रति जागरूक है और उसने राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए कुछ उपायों को कार्यान्वित किया है किन्तु किसी पुस्तक विक्रेता द्वारा अपने व्यापार को बन्द करने का कोई विशिष्ट मामला नोटिस में नहीं आया है। पुस्तक उद्योक की कठिनाइयों में पुस्तकों के लिए बाजार का सीमित होना है। सरकार ने, पुस्तक मेले और प्रदर्शनियां आयोजित करने में तथा साथ ही पुस्तक व्यापार में लगे कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/सेमीनारों के आयोजन में मदद दी है। पुस्तकों के व्यापक वितरण में मदद देने की दृष्टि से वी०पी०पी० पुस्तक पैकेटों के लिए रियायती दर पर रजिस्ट्री फीस की भी व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा उद्योग की मदद के लिए उठाए गए हर कदमों में, प्रकाशकों की कुल आय की गणना करने में लाभ की 20 प्रतिशत तक दर में छूट ; पुस्तक प्रकाशन व्यापार द्वारा ऋण की सुविधाओं के लिए छोटी इकाइयों से प्राप्त होने वाली प्रार्थनाओं पर गुणावगुणों के आधार पर विचार करने के वास्ते व्यापार बैंकों को भारत के रिजर्व बैंक द्वारा निर्देश और पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशकों को रियायती दर पर सफेद मुद्रण कागज उपलब्ध कराना सम्मिलित है।

## दिल्ली में अपने स्वयं के मकान रखने वाले सरकारी अधिकारियों को सरकारी आवास

3538. **श्री अनन्त राव पाटिल : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दिए गए ऋण से दिल्ली में जिन बहुत से सरकारी अधिकारियों ने अपने खुद के मकान बना लिये हैं वे अभी भी सरकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं;

(ख) वे कितने हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की नवीनतम नीति क्या है ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) तथा (ख) उन अधिकारियों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है जिन्होंने सरकार द्वारा दिए गए ऋणों से दिल्ली में अपने मकान बनाए हैं तथा अभी भी सरकारी क्वार्टरों के दखल में हैं।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार, वे सरकारी कर्मचारी जिनके पास अपनी तैनाती के स्थान पर अपने मकान हैं, सरकारी वास के आबंटन के पात्र हैं।

### गुजरात में नई शिक्षा पद्धति का क्रियान्वयन

3539. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार गुजरात में नई हायर सेकेण्डरी शिक्षा पद्धति 10+2+3 को क्रियान्वित कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब, कैसे और किन तैयारियों के साथ और कितने धन से ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** **(क)** और **(ख)** जी हां । राज्य सरकार ने सिद्धांत रूप से शिक्षा की नई पद्धति स्वीकार कर ली है। इस प्रश्न की जांच करने के लिए, राज्य स्तर पर बनाई गई समिति की सिफारिशों पर, राज्य शिक्षा सलाहकार परिषद् द्वारा विचार किया गया है। नई योजना के अन्तर्गत, प्रथम सार्वजनिक परीक्षा अर्थात माध्यमिक स्कूल प्रमाण पत्र (एस०एस०सी०) की परीक्षा मार्च, 1976 में होगी तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की नई कक्षा XI जून 1976 से शुरू होगी। नई उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं (XI तथा XII) के अध्ययन के विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। वर्ष 1975-76 की बजट व्यवस्था पर्याप्त है ।

### बीहड़ भूमि को खेती योग्य बनाने की योजना के लिये धनराशि

3540. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
**श्री पी० गंगादेव :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मध्य प्रदेश के चम्बल क्षेत्र में बीहड़ भमि को खती योग्य बनाने की योजना के लिए धनराशि की मंजूरी के लिये अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव कब प्राप्त हुए ; और

(ग) उन पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार से 3 मार्च, 1975 को 6,000 हेक्टिार के लिए 74 लाख रुपये के परिव्यय के संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ।

(ग) 1974-75 के कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है ।

### आन्ध्र प्रदेश में भूमि की अधिकतम सीमा विधेयक

3541. **श्री के० एम० माधुकर :**
**श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम की अधिसूचना पुनःस्थगित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिनियम पर राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही ऐसा किया जा सकता था; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है क्योंकि इसमें भू-स्वामियों को बेनामी सौदे करने का समय मिलता है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) आंध्र प्रदेश भूमि सुधार (कृषि जोतों की अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1973 इस वर्ष 1 जनवरी को लागू किया गया था ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**Next All India Whips Conference**

3542 **Shri Ramavatar Shastri** Will the Minister of Parliamentary Affairs be pleased to state :

(a) whether more than 2 years have elapsed since the 8th All India Whips Conference was held;

(b) if so, whether it is not violation of the practice of holding this Conference every year;

(c) if so, the reasons for this violation; and

(d) when Government propose to hold 9th Conference and the venue thereof ?

**The Minister of Works & Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghu Ramaiah) :**

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) All India Whips Conferences were not held in the past annually. In the case of earlier eight Conferences, the intervening period had varied from one year to six years. There is no violation of practice in holding the Conference.

(d) The question of holding the 9th Whips Conference & the venue thereof has not as yet been decided.

**Expenditure on maintenance of Parliament House and Rashtrapati Bhawan**

3543. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state the total amount spent on the maintenance of Parliament House and Rashtrapati Bhavan during 1974-75 ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh) :** The financial year 1974-75 is not yet over. The actual figures for the whole year can be given only after these are compiled on the close of the year.

The actual expenditure on maintenance of the Parliament House for the period from 1st April, 1974 to 31st January, 1975 is Rs. 12,37,754.00. The anticipated expenditure for the whole year is Rs. 14,48,923.00.

In the case of Rashtrapati Bhavan the actual expenditure on maintenance for the period from 1st April, 1974 to 31st January, 1975 is Rs. 5,56,031.00 and the anticipated expenditure for the whole year is Rs. 6,92,251.00.

**कृषि विशेषज्ञों द्वारा तमिल नाडु का दौरा**

3544. **श्री एम० कतामुत्तू** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विशेषज्ञों के एक दल ने हाल ही में तमिल नाडु के कुछ जिलों का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके उद्देश्य क्या थे ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल)** : (क) जी हां ।

(ख) इसका उद्देश्य खड़ी फसलों की स्थिति का जायजा लेना था ।

**तमिल नाडु में चावल का मूल्य**

3546 **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) क्या फालतू चावल वाले राज्य, तमिल नाडु में चावल का बाजार मूल्य गत कुछ महीनों से बहुत अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या चावल का अधिकतम बिक्री मूल्य निर्धारित करने का राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल)** : (क) और (ख) मुख्यतः सूखे की स्थिति के कारण शीतकालीन धान की फसल के क्षतिग्रस्त होने की रिपोर्टों के परिणामस्वरूप तमिल नाडु में चावल के बाजार मूल्य दिसम्बर, 1974 से स्थिर हो गए थे ।

(ग) और (घ) जी हां । धान और चावल के मूल्यों की सीमा निर्धारित करने के बारे में राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और वह सरकार के विचाराधीन है ।

**केरल में बेमबनाड के आर-पार बांध का निर्माण**

3547. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि केरल सरकार ने जनता और स्वयंसेवी संगटनों का सहयोग लेकर थान्नीर मुकीम परियोजना का बड़ा कार्य, वेमबनाड 'ब्रेक वाटर' के आर-पार 20 दिनों में सफलता पूर्वक बांध बना लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार परियोजनाओं के निर्माण में लोगों के सहयोग को प्रोत्साहित करेगी जो इस मामले में बहुत सफल सिद्ध हुआ है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह)** : (क) और (ख) केरल सरकार ने सूचना दी है कि स्थानीय लोगों के पूर्ण सहयोग के साथ, थान्नीर मुकीम परियोजना के मध्य भाग में नदी की तरफ काफर बांध के बाकी हिस्से का निर्माण 20 दिन में पूरा कर दिया गया था ।

(ग) जहां भी इस तरह का सहयोग तकनीकी तथा आर्थिक तौर पर, व्यवहार्य समझा जाता है, सरकार इसका स्वागत करती है ।

## राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के सेवानिवृत्त कर्मचारी

3548. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कुछ कर्मचारियों को उस महीने के अन्त तक सेवा में बने रहने दिया गया जिसमें उन्हें सेवा निवृत्त होना था जबकि कुछ अन्य कर्मचारियों को कैलेण्डर महीने के अन्त तक सेवा में बने रहने दिए बिना ठीक तारीख को सेवा निवृत्त कर दिया गया यद्यपि यह विद्यमान नियमों के अन्तर्गत अनुमेय है ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों के एक ही वर्ग के सम्बन्ध में भेदभाव पूर्ण बर्ताव करने के क्य कारण हैं ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार तत्सम्बन्धी त्रुटि में सुधार करने का है ; और

(घ) इस प्रकार प्रभावित हुए कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) से (घ) राज्य सरकारों से, जिन्हें केरल तथा दिल्ली के कुछ अनुदेशकों के अतिरिक्त राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अनुदेशकों का प्रशासनिक नियन्त्रण हस्तान्तरित कर दिया गया है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

## रोहतक नें भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की गिरफ्तारी

3549. **श्री प्रबोध चन्द्र** :

**श्री राम सहाय पाण्डे** :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कछ अधिकारियों को सरकार को धोखा देने के कारण रौहतक में गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को कैसे धोखा दिया गया और इस बारे में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) और (ख) : भारतीय खाद्य निगम के किसी भी अधिकारी को सरकार को धोखा देने के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया है । तथापि, भारतीय खाद्य निगम के जिला प्रबंध, रोहतक के अधीन कार्य कर रहे और निगम के फरीदाबाद में स्थित साइलों पर नियुक्त दो चौकीदारों को रेलवे के माल गोदाम से 11 बोरियां गेहूं की तथाकथित चौरी के बारे में रेलवे पुलिस द्वारा 10 फरवरी, 1975 को गिरफ्तार किया गया था ;

**कीटनाशी औषधियों का उचित प्रयोग**

3550. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वैज्ञानिक के अनुसार एक किलों उर्वरक के प्रयोग से 10 किलो खाद्यान्न का उत्पादन होता है जबकि एक किलों कीटनाशी औषध के प्रयोग से 100 से 200 किलोग्राम तक खाद्यान्न का उत्पादन हो सकेगा ;

(ख) क्या देश में गत तीन वर्षो के दौरान कीटनाशी औषध की कमी के कारण हुई खाद्यान्न की हानि के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) क्या इस समय उपलब्ध कीटनाशी औषध से 50 प्रतिशत मांग भी पूरी नहीं होती है और ना ही कीटनाशी औषध के प्रयोग के लिये किसानों को शिक्षा देने हेतु, कोई संगठित व्यवस्था है; और यदि हां, तो स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल)** : (क) फसलों की उपज पर कीटनाशी दवा का प्रभाव उर्वरकों के प्रभाव से भिन्न होता है। कीटनाशी दवा के प्रयोग के कारण उपज में जो वृद्धि प्रतीत होती है वह फसलों को कीड़ों/रोगों द्वारा होने वाली हानि से बचाने के कारण होती है। कीटनाशी दवाओं के प्रयोग से उपज नहीं बढ़ती जैसा कि उर्वरकों के प्रयोग से होता है। कीटनाशक दवाओं की सहायता से हानि को कम किया जा सकता है और इस से फसल की सम्भावनाएं बनी रहतीं है।

(ख) गत तीन वर्षों में देश में कीटनाशी दवा की कमी के कारण खाद्य उत्पादन में हुई कमी के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है ?

(ग) वर्ष 1973-74 से कच्चे माल बिजली की कमी के कारण कुछ कीटनाशी दवाओं की उपलब्धि में कुछ कमी रही है। इस समय कीटनाशी दवाओं की वार्षिक जरूरतों का 75 प्रतिशत भाग देश में ही तैयार होता है और शेष मात्रा को आयात किया जाता है। कीटनाशी दवा की विश्व में कमी होने के कारण अपेक्षित मात्रा के आयात करने में कुछ कठिनाई महसूस होती रही है। जहां तक देशीय उत्पादन का संबंध है, कीटनाशी दवा के उत्पादन को अधिकाधिक बढ़ाने के लिये प्रयत्न किए जा रहे हैं। किसानों को राज्य/केन्द्रीय विस्तार स्रोतों के माध्यम से कीटनाशी दवाओं के प्रयोग के बारे में भी शिक्षित किया जाता है।

**राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को स्वायत्त-शासी निकाय में बदलना**

3551. **श्री एन० ई० होरी :**
**श्री डी० बी० चन्द्र गोडा :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण और आवास मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को स्वायत्त-शासी निकाय में बदला जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सार्वजनिक धन की केवल बरबादी नहीं होगी जबकि केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रूड़की, आवास तथा नगरीय विकास निगम, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, दिल्ली जैसे स्वायशासी निकाय पहले से ही विद्यमान हैं ;

(ग) यह मुख्य निर्माण और आवास मंत्रालय के भाग के रूप में कारगर तथा दक्षतापूर्वक क्यों नहीं कार्य कर सकता है ; और

(घ) इसको स्वायत्तशासी दर्जा देने से पूर्व इसकी उपयोगिता का अध्ययन करने हेतु संसदीय समिति क्यों नहीं नियुक्त की जाती है ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन की सलाहकार परिषद् ने संगठन को एक स्वायत्त निकाय के रूप में बदलने के लिये अपनी कार्यकारी समिति के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि मामला अभी सरकार के सामने नहीं आया है।

## राज्यों में लागू की गई फसल बीमा योजना का मूल्यांकन

3552. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में लागू की गई आंशिक फसल बीमा योजना के परिणामों के बारे में इस बीच कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या आंशिक बीमा योजना से प्राप्त हुए अनुभव को देखते हुए, सब प्रकार की फसलों के लिये बीमें की व्यवस्था करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क) व (ख) भारत सरका और सामान्य बीमा निगम ने गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले में एच-4 कपास के बारे में चल रही फसल बीमा योजना की तरह चुने इलाकों में चुनी फसलों के लिये पायलट योजनायें लागू करने के प्रश्न के बारे में लिखा है। सामान्य बीमा निगम कपास, मूंगफली और गेंहूं के बारे में प्रयोगात्मक आधार पर फसल बीमा योजना चला रहा है। वर्ष 1974 में इन योजनाओं के कार्यान्वियन के राज्यवार परिणाम संलग्न अनुबंध में दिये गये हैं।

(ग) सामान्य बीमा निगम इस समय इस बात की जांच कर रहा है कि प्रयोगात्मक योजनाओं के प्रतिरूप में कैसे तथा किस सीमा तक संशोधन किया जाना चाहिये और इन प्रयोगात्मक योजनाओं को सभी किस्म की फसलों को लागू करने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

### विवरण

### सामान्य बीमा निगम द्वारा 1974 में कार्यन्वित की गई फसल बीमा योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

| राज्य | फसल की किस्म | इनके अन्तर्गत क्षेत्र (हैक्टेयर) | शुद्ध प्रीमियम आय (रु०) | दावे (रु०) |
|---|---|---|---|---|
| गुजरात | कपास एच-4 | 197.10 | 22,174,00 | अप्रैल, 1975 में पता चलेगा। |

| राज्य | फसल की किस्म | इनके अन्तर्गत क्षेत्र (हैक्टेयर) | शुद्ध प्रीमियम आय (रु०) | दावे (रु०) |
|---|---|---|---|---|
| तमिलनाडु | 3 कपास एम० सी० यू- 5 | 226.40 | 20,129,00 | 19,000,00 के लगभग |
| महाराष्ट्र | 3 कपास एच-4 | 177.00 | 15,646.00 | संभवत: 5000 रु० के भीतर/सही आंकड़ों की प्रतीक्षा है। |
| आंध्र प्रदेश | मूंगफली टी एम वी-2 | 288.03 | 20,161.00 | 3,63,962.00 |
| गुजरात : | मूंगफली | | | |
| पाटीदाद | जीएडीएच० | 469.92 | 36,378.00 | 9,39,840.00 |
| अमरोली | जीएडीएच० | 356.61 | 42,890.00 | 7,843.00 |
| | जीएडीएच० | 202.57 | 17,725.00 | 3,16,720.00 |
| तमिलनाडु (सत्यमंगलम) | कपास एम० सी० यू-5 | 81.80 | 6,135.00 | उपज के आंकड़ों की प्रतीक्षा है। |
| आंध्र प्रदेश | मूंगफली | 325.76 | 32,576.00 | अप्रैल, 1975 में पता चलेगा। |
| महाराष्ट्र | गेंहूं सर्दी 1974-75 | 76.86 | 3,689.00 | अप्रैल, 1975 में पता चलेगा। |

कपास की योजनाओं के बारे में उपज के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार 1974 की हानियां अधिक होने की संभावना नहीं है। वास्तविक उपज के आंकड़ों की प्रतीक्षा है। अभी इन योजनाओं की व्यावहार्यता के बारे में किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने का समय नहीं हुआ है।

**खाद्यान्नों के मूल्य**

3553. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1974 के बाद खाद्यान्न के मूल्य कम हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो हापुड़ मंडी और दिल्ली में इस समय गेंहूं के थोक और खुदरा मूल्य क्या है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल)** : (क) अक्तूबर, 1974 के अन्त में चल रहे थोक मूल्य की तुलना में खाद्यान्नों के थोक मूल्य के सूचकांक में 1-3-75 की गिरावट की प्रवृत्ति आई है।

(ख) हापुड़ में 7 मार्च, 1975 को गेंहूं के थोक और खुदरा मूल्य क्रमश: 200 रुपये और 210 रुपये प्रति क्विंटल थे।

दिल्ली में गोदाम पर गेहूं का निर्गम मूल्य 125 रुपये प्रति क्विटल है जबकि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ता को देने की दर 128 रुपये प्रति क्विटल है। दिल्ली में खुले बाजार में गेहूं के अधिकतम थोक और खुदरा मूल्य क्रमशः 158 रुपये और 161 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित किए गए हैं।

**महाराष्ट्र को खाद्यान्न की मांग और उसे की गई सप्लाई**

3554. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1974 के बाद महाराष्ट्र सरकार की खाद्यान्न की मांग प्रति मास कितनी थी और केन्द्रीय सरकार ने इस अवधि के दौरान कितनी वास्तविक सप्लाई की ;

(ख) आगामी छह महीने के लिये राज्य सरकार की मांग कितनी है और इस मांग को पूरा किस प्रकार किया जायेगा ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष कोकण जिलों के भागों और चन्दा तथा भंडार में गम्भीर कमी है ; और

(घ) क्या इन अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये कोई अतिरिक्त आवंटन किया गया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल)** : (क), (ख), (ग) और (घ) अक्तूबर, 1974 से महाराष्ट्र सरकार द्वारा मांगी गई खाद्यान्नों की मात्रा और केन्द्रीय भण्डार से उन्हें दी गई सप्लाई इस प्रकार है :—

(हजार मी० टन में)

| माह | मांगी गई मात्रा | सप्लाई की गई/ आवंटित मात्रा |
|---|---|---|
| **1974** | | |
| अक्तूबर | 185.0 | 132.7 |
| नवम्बर | 175.0 | 131.0 |
| दिसम्बर | 175.0 | 130.2 |
| **1975** | | |
| जनवरी | 175.0 | 120.7 |
| फरवरी | 200.0 | 130.6 |
| मार्च . | 166.0 | 121.0 (आवंटन) |

राज्य सरकार ने बताया है कि अगले छः महीनों के लिये 10.5 लाख मी० टन खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी।

महाराष्ट्र सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्रों को कमी से प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है :—

| जिला | गांव |
|---|---|
| भंडारा . . | 1227 |
| चन्द्रपुर . . | 1208 |
| कोलाबा . | 472 |
| सांगली . . . . . . . . | 101 |

केन्द्रीय भण्डार में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता, मंडी में उपलब्धता और मूल्य, कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रति माह केन्द्रीय भण्डार से राज्यों को खाद्यान्नों के आवंटन किए जाते हैं। अन्य राज्यों की भांति, आगामी महीनों के लिये महाराष्ट्र को किए जाने वाले आवंटन के बारे में उस समय चल रही परिस्थितियों की दृष्टि में उपयुक्त समय पर निर्णय किया जाएगा राज्य के अन्दर खाद्यान्नों के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होने के नाते यह बात राज्य सरकार पर छोड़ दी गई है कि वे विभिन्न जिलों में उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्नों का आवंटन करें।

**बैजनाथ हायर सैकेन्डरी स्कूल, ईश्वर नगर, नई दिल्ली के कर्मचारियों की शिकायतें**

3555. **श्री एस० एम० बनर्जी**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3517 के उत्तर में शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री ने यह कहा था कि बैजनाथ हायर सैकेन्डरी स्कूल, ईश्वर नगर, नई दिल्ली के कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान कर दिया गया है ;

(ख) क्या वास्तविकता यह है कि कर्मचारियों की किसी भी शिकायत का अभी तक समाधान नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन (शिक्षा विभाग) द्वारा इस सदन को गुमराह करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सारे मामले में एक निष्पक्ष जांच कराने के लिये और कर्मचारियों की सभी शिकायतों का शीघ्र से शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिये उनका मंत्रालय उप-राज्यपाल से कहेगा ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** (क) तथा (ख) दिनांक 26 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3517 के उत्तर में यह कहा गया था कि उक्त प्रश्न के उत्तर में उल्लेखित लगभग सभी विवादों का निपटान हो चुका है। दिल्ली प्रशासन से उस के बाद और प्राप्त सूचना के अनुसार, पहले दिए गए उत्तर में उल्लेखित शिकायतों का निपटान हो चुका है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते।

## बहराइच, उत्तर प्रदेश में सरजू पंप नहर के निर्माण के लिये केन्द्रीय सहायता

3556. **श्री बी०आर० शुक्ल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सरजू पम्प नहर के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) उक्त सहायता में से कितनी सहायता का उपयोग किया गया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह)** : (क) और (ख) राज्यों को उनकी योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता पूरी योजना के लिए ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विशेष स्कीम से जुड़ी नहीं होती। चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार को सरजू पम्प नहर स्कीम के लिये कोई विशेष सहायता नहीं दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## मध्य प्रदेश में स्मारकों के जीर्णोद्धार पर हुआ खर्च

3557. **श्री पीलू मोदी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान (विंध्य और छत्तीस गढ़ क्षेत्र को छोड़कर) स्मारकों के विशेष जीर्णोद्धार पर कितना खर्च हुआ;

(ख) उपरोक्त खर्च में ऐसे कार्यों के निष्पादन पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गयी जिससे इमारतों का जीवन काल बढ़ गया हो; और

(ग) इस प्रकार किये गए इमारतों के कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक जीर्णोद्धार की मुख्य बातें क्या हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन)** : विशेष मरम्मतों पर खर्च की गई राशियां नीचे दी गई हैं :—

| वर्ष | राशि |
|---|---|
| 1971-72 | 1,78,629 रुपये |
| 1972-73 | 1,52,450 रुपये |
| 1973-74 | 3,56,357 रुपये |

उपरोक्त बताये गये खर्चे में से निम्नलिखित राशियां उन कार्यों पर खर्च की गई थीं जिनका उद्देश्य स्मारकों की संरचना संबंधी मजबूती को सुनिश्चित करना था।

| | |
|---|---|
| 1971-72 . . . . . | 1,58,743 रुपये |
| 1972-73 . . . . . | 1,30,604 रुपये |
| 1973-74 . . . . . | 3,56,357 रुपये |

जिन प्रमुख स्मारकों पर कार्य किया गया उनके अन्तर्गत असीरगढ़ किला, ग्वालियर किला, सांची में बौद्ध अवशेष, उदयगिरि गुफाएं, भोजपुर स्थित शिव मंदिर, ग्रामपुर स्थित मालदेवी मन्दिर, रायसेन किला, ग्वालियर स्थित मोहम्मद गोस का मकबरा, माण्डु स्थित होशांग शाह का मकबरा, विदिशा स्थित बिजे मंडल इत्यादि शामिल हैं जो संरचना संबंधी प्रमुख मरम्मतों की गई वे ये हैं। इमारतों की बचाव, कुर्सियों का पुनर्नवीकरण, ऊपरी ढांचों की दीवारों के उभरे भागों को ठीक करना, प्रलम्बी भागों को मजबूत करना, पत्थर की इमारत को मजबूत करना, पत्थर की इमारत के खुले जोड़ों की भराई करना, छतों को रिसने से रोकना, पत्थर के टूटे फूटे फर्शों को ठीक करना, बचाव चार दीवारी खड़ी करना इत्यादि।

**राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कर्मचारियों द्वारा दिल्ली के उप-राज्यपाल को अभ्यावेदन देना**

3558. **श्री के० लकप्पा :** क्या **शिक्षा, समाज और कल्याण संस्कृति** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कर्मचारियों ने राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के विकेन्द्रीकरण से उत्पन्न हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिये दिल्ली के उप-राज्यपाल को अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) क्या अनेक संसद सदस्यों ने भी इस मामले में उप-राज्यपाल से अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो जहां तक दिल्ली का संबंध है, राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के कर्मचारियों की क्या कठिनाइयां हैं ; और

(घ) क्या दिल्ली प्रशासन द्विपक्षीय आधार पर उनकी कठिनाइयां दूर करने पर विचार कर रही है, जैसा कि कर्मचारियों और संसद सदस्यों की इच्छा है ?

**शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) यह विषय दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

**विवरण**

रा० अनु० यो० अनुदेशकों ने निम्नलिखित मांग की है :—

(i) 9 रा० अनु० यो० अनुदेशकों (निरीक्षण स्टाफ) की सेवाएं हाथ में ले ली जाएं ;

(ii) गैर-मैट्रिक अनुदेशकों की सेवाएं हाथ में ले ली जाएं ;

(iii) अन्य अनुदेशकों की सेवाएं जो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट खराब होने जैसे कारणों से अभी तक हाथ में नहीं ली गई है उनको भी हाथ में ले लिया जाए ;

(iv) 339 अनुदेशकों को 1-11-1972 से परस्पर वरिष्ठता प्रदान की जाए।

अथवा

पदोन्नति, सिलेक्शन ग्रेड आदि जैसे सेवा लाभ जो राज्य शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिये लागू है, 339 रा० अनु० यो० अनुदेशकों के लिये भी लागू किए जाएं।

(v) भारत सरकार में की गई सेवा का पूर्व-छुट्टी लाभ दिया जाए ;

(vi) जो अनुदशक स्नातक हैं उन्हें डी० पी० एड० वेतनमानों ‥ लाभ दिए जाएं ;

(vii) दिल्ली प्रशासन में खपाए गए राष्ट्रीय अनुशासन योजना के कार्मिकों को दिल्ली प्रशासन द्वारा सीधे भर्ती किए गए नियमित शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के समान माना जाए।

### उड़ीसा में कालेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए नये वेतनमान

3559. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की घोषणा के अनुसार कालेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों के नये वेतनमानों की क्रियान्विति के लिये केन्द्रीय सरकार की वचनबद्ध सहायता के लिये अपने प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन नये वेतनमानों की क्रियान्विति के लिये उड़ीसा सरकार को वर्ष 1974-75 और 1975-76 में धनराशि आवंटित की है ; और

(ग) यदि हां, तो इन दो वर्षों में उड़ीसा और अन्य राज्यों को राज्यवार कितनी सहायता दी गई ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) :** (क) से (ग) शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय को, उड़ीसा सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

### आवास सहकारी समितियों को प्लाटधारी सहकारी समितियों में बदलना

3560. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**
**श्री हरी सिंह :**

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड एसोसिएशन आफ़ ग्रुप हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज़ ने सरकार से अनुरोध किया है कि आवास सहकारी समितियों को प्लाटधारी सहकारी समितियों में बदला जाए और भूमि का नये सिरे में आवंटन किया जाये; और



18 LSS/75—5

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) एसोसिएशन द्वारा दिए गए ज्ञापन में एक मांग यह थी कि वर्तमान ग्रुप आवास सहकारी समितियों को प्लाटधारी सहकारी समितियों में बदला जाना चाहिये तथा उनको भूमि का आवंटन नये सिरे से नये आधार पर किया जाना चाहिये।

(ख) सरकार ने नीति के एक मामले के तौर पर निर्णय किया था कि भूमि के आवंटन के लिये सभी नई सहकारी गृह निर्माण समितियों का पंजीकरण केवल तभी किया जाना चाहिये यदि वे ग्रुप हाउसिंग के लिये विकल्प दें। इस बात को देखते हुए सरकार एसोसिएशन के अनुरोध पर विचार नहीं कर सकती।

**राष्ट्रीय स्वस्थता दल के कर्मचारियों को सचिव, शिक्षा मंत्रालय के साथ भेंट करने की अनुमति देना**

3561. श्री **सी० जनार्दनन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वस्थता दल के कर्मचारियों ने शिक्षा मंत्रालय के सचिव से भेंट करने का अनुरोध किया था ताकि वे उन्हें अपनी अनेक शिकायतों को पेश कर सकें, तथा उनको दूर करवा सकें ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार की संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र इस प्रकार के भेंट की अनुमति देता है ; और

(ग) यदि हां, तो शिक्षा मंत्रालय के सचिव ने किन कारणों से कर्मचारी एसोसिएशन से भेंट नहीं की ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरबिन्द नेताम)** : (क) और (ग) अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कर्मचारी संघ के महा सचिव ने शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के सचिव को लिखे अपने पत्र सं० जी० 86(1)/7/75 सं० दिनांक 24-1-75 में यह इच्छा व्यक्त की थी कि दूसरी बैठक, जो कि दो एक दिनों में होनी निश्चित हुई थी के पूर्व वह कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं। चूंकि सचिव महोदय उस समय संसदीय समिति के सामने होने वाली गवाही से संबंधित कार्य में पहले से ही व्यस्त थे, इसलिये यह बैठक इतने अल्प नोटिस पर आयोजित न की जा सकी थी। तथापि संघ को यह सलाह दी गई है कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अनुदेशकों के प्रतिनिधि, शिक्षा सचिव से मार्च 26, 1975 को मिल सकते हैं।

(ख) यदि किसी कार्यालय के कर्मचारी किसी कार्यालय के प्रमुख से मिलकर अपनी शिकायतों पर विचार विमर्श करना चाहते हैं तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है।

**राज्यों में एकत्रित की गई खाद्यान्न लेवी**

3562. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में कितनी खाद्यान्न-लेवी एकत्रित की है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल)** : सरकार के पास 15 मार्च, 1975 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार चालू खरीफ और रबी मौसमों के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में की गई खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, जिसमें गेंहूं, चावल और मोटे अनाज शामिल हैं ; का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| | |
|---|---|
| महाराष्ट्र | 114 हजार मी० टन |
| गुजरात | 32 हजार मी० टन |
| राजस्थान | 143 हजार मी० टन |
| मध्यप्रदेश | 280 हजार मी० टन |

## उर्वरकों की उपलब्धता

3603. **श्री मधु लिमये** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 के खरीफ और रबी के मौसमों में सब प्रकार के उर्वरकों की उपलब्धता में विशुद्ध वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन दो मौसमों में वितरण व्यवस्था में रुकावटों और मुनाफाखोरी और मिलावट की बुराईयों में कमी आई है ; और

(घ) सरकार का इस संबंध में और क्या सुधार करने का विचार है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) और (ख) 1974-75 के खरीफ और रबी के मौसम में, पोषक तत्वों के रूप में 29.33 लाख मीटरी टन उर्वरक उपलब्ध हुए थे, जबकि 1973-74 के खरीफ और रबी के मौसम में पोषक तत्वों के रुप में 29.75 लाख मीटरी टन उर्वरक उपलब्ध हुए थे।

(ग) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को उर्वरकों की अलाटमेंट करती है। इसके बाद आन्तरिक वितरण की व्यवस्था राज्य सरकारें करती हैं। कुछ राज्य सरकारों ने उर्वरकों के वितरण के लिये कार्ड/परमिट प्रणाली प्रारम्भ की है। जब केन्द्र सरकार को पता लगा कि इस प्रणाली से उर्वरकों की खरीद में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उसने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि इस प्रणाली के विषय में पुनः विचार किया जाए। इसके परिणामस्वरूप बहुत सी राज्य सरकारों ने, जिन्होंने पहले कार्ड/परमिट प्रणाली शुरू की थी, या तो इस प्रणाली को समाप्त कर दिया अथवा उसमें काफीहद तक ढील दे दी है।

केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह बताना संभव नहीं है कि 1973 और 1974 के वर्षों के दौरान, उर्वरकों में कितनी कितनी मिलावट और मुनाफाखोरी हुई है।

(घ) भारत सरकार, राज्यों की वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिये अनेक कदम उठा चुकी है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उर्वरक वितरण की प्रणाली पर नजर रखे। उर्वरक

(नियंत्रण) आदेश, 1957 और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को, भ्रष्टाचारी व अपराधी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमे चलाने के लिये पर्याप्त अधिकार दे दिये गये हैं। राज्य सरकारों को यह भी अधिकार दिये गये हैं कि वे दोषी व्यक्तियों पर सरसरी मुकद्दमें चलाएं, ताकि अपराधी को आसानी से और शीघ्रता से सजा दी जा सके।

**Progress made in implementation of Sukta River Project in Madhya Pradesh**

*3564. **Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the progress made in regard to the implementation of the Sukta river project of Madhya Pradesh from May, 1974 to January, 1975 and the expenditure incurred during this period thereon ; and

(b) the expenditure incurred on this project upto the end of 1974 ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri K. N. Singh) :** (a) The scheme is under technical examination in the Central Water Commission and is yet to be approved by the Government of India.

The State Government have, however, started pre-construction works on the scheme and the expenditure likely to be incurred during 1974-75 is Rs. 31 lakhs.

(b) Rs. 13.63 lakhs upto end of year 1973-74.

**तीस्ता नदी पर नियंत्रण**

3565. **श्री कुमार माझी : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीस्ता नदी को नियंत्रण में करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) :** (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने तीस्ता नदी पर असम रेल लिंग पर सेवोके रेल पुल के 6 मील अनुप्रवाह में एक बराज बनाने का प्रस्ताव किया है।

(ख) स्कीम के पश्चिम बंगाल तथा बिहार राज्यों से संबंध अंतराज्यीय पहलुओं को सुलझाया जा रहा है ताकि उसे योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी जा सके।

**Price of levy wheat**

3566. **Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have fixed the price of levy wheat; and

(b) if so, the price thereof?

**The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) :** (a) and (b) For the Rabi Marketing Season 1974-75, the price of levy wheat was fixed at Rs. 105/- per quintal for all varieties uniformly throughout the country, and this price is still in force. The price and procurement policy for the coming rabi season 1975-76 is being formulated and is expected to be announced shortly.

**गुड़ तथा खांडसारी यूनिटों को गन्ना दिये जाने के कारण चीनी के उत्पादन में कमी और गन्ने की बकाया राशि**

**3567. श्री एम०एम० जोजफ :**
**श्री वरके जार्ज :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मौसम में गन्ने का उत्पादन काफी अच्छा हुआ है और यह गत दो वर्षों के उत्पादन से लगभग 10 प्रतिशत अधिक है ;

(ख) क्या गुड़ तथा खांडसारी युनिटों को अत्यधिक मात्रा में गन्ना दिये जाने के कारण चीनी के उत्पादन में काफी कमी हुई है ;

(ग) क्या गत 31 दिसम्बर, को उत्तर प्रदेश के कारखानों में गन्ने के भुगतान की कुल बकया राशि 14.54 करोड़ रुपये हो गई थी; और

(घ) चीनी उद्योग को इसकी वर्तमान गिरावट की प्रवृत्ति से बचाने के लिये गन्ना उत्पादकों को शीघ्र भुगतान करने हेतु सरकार की क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) :** (क) चालू वर्ष के दौरान गन्ने की कुल पैदावार पिछले वर्ष की पैदावार के स्तर तक होने की आशा है लेकिन 1972-73 के स्तर पर लगभग 10 प्रतिशत अधिक होगी।

(ख) जी नहीं। वस्तुतः 7 मार्च, 1975 तक चीनी के कुल उत्पादन में पिछले वर्ष की उसी अवधि के उत्पादन से 5.22 लाख मी० टन की बढ़ोतरी हुई है।

(ग) जी हां। इन बकायों में दिसम्बर, 1974 के अन्तिम पखवाड़े में की गई खरीदारी के लिये देय भी सम्मिलित है।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कानूनों में इस तरह संशोधन किया है जिससे मिलों की उत्पादित चीनी के बन्धक के आधार पर मिलने वाली बैंक पेशगियों से एक मात्र गन्ने के भुगतान के लिये अलग लेखे खोलने होंगे।

**बम्बई के चिड़ियाघर से जन्तुओं की खालों के चोरी हो जाने के बारे में जांच**

**3568. डा० कर्णी सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई के चिड़ियाघर से उन जन्तुओं के रहस्यमय रूप से गायब हो जाने के बारे में समाचार देखा है जिनकी खालों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने से ऊंची कीमत मिलती है;

(ख) क्या शेर के बच्चों की बिक्री में जालसाजी के मामले भी प्रकाश में ग्राए हैं; ग्रौर

(ग) क्या इन मामलों में कोई जांच की गई है ?

**कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

### दिल्ली में गंदी बस्तियों का सुधार

3569. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **निर्माण ग्रौर ग्रावास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के विभिन्न भागों में गन्दी बस्तियों, बस्तियों, ग्रौर झुग्गी झोंपड़ीयों के समूह को सुधारने के लिए 11 लाख रुपए निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; ग्रौर

(ग) उन्हें उस भूमि का स्वामित्व देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जहां वे इस समय रह रहे हैं ?

**निर्माण ग्रौर ग्रावास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) तथा (ख) दिल्ली की गन्दी बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार की योजना के ग्रन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाग्रों के निष्पादन के लिए दिल्ली प्रशासन के चालू वर्ष के बजट में 90 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

### सुवर्णरेखा नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में एक जलाशय का निर्माण

3570. **श्री ग्रर्जुन सेठी :** क्या **कृषि ग्रौर सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्धित बिहार, पश्चिम बंगाल ग्रौर उड़ीसा राज्य सरकारों ने बाढ़ पर नियंत्रण रखने ग्रौर इसकी सहायक नदी खरवाई से पानी निकालने हेतु सुवर्ण रेखा नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में एक जलाशय का निर्माण करने के प्रश्न पर ग्रपने मतभेदों को हल कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; ग्रौर

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए यदि कोई समय सारणी बनाई गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह ) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) ग्रौर (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

### कलकत्ता में साइलों संयंत्र का कार्यकरण

3572. **श्री समर गुह :** क्या **कृषि ग्रौर सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए जाने वाले ग्रपव्यय ग्रौर फिजूल खर्च को समाप्त करने हेतु ठोस कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1973-74 और 1974-75 के लिए खाद्यान्न ले जाने वाले सभी वैगनों, जिनका पता नहीं चल रहा है, का हिसाब रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ङ) क्या (एक) कलकत्ता बन्दरगाह में साइलो संयंत्र में पूरी क्षमता से कार्य हो रहा है (दो) गैर-सरकारी भण्डारण ऐजेंसी समाप्त कर दी गई है तीन गैर मानकीकृत बैगों का प्रयोग बन्द कर दिया गया है और (चार) मिल मालिकों और व्यापारियों को टाट की बोरियां निःशुल्क भेंट के रूप में देना बन्द कर दिया गया है;

(च) यदि हां, तो इन उद्देश्यों के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या क्या कारण हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने खर्चे में किफायत करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, उनमें से प्रमुख नीचे दिए गए हैं :—

(1) समयोपरि भत्ते और चिकित्सा सम्बन्धी दावों की प्रतिपूर्ति के भुगतान करने की कार्यविधि को सख्त कर दिया गया है ।

(2) निगम के वित्तीय प्रबन्ध में कई एक तरीके अपना कर सुधार किया गया है ताकि सभी सौदों में विलम्ब से बचा जा सके ।

(3) भण्डारण डिपों पर अचानक छापे मारे जाते हैं ताकि चोरी और अन्य कदाचारों का पता लगाया जा सके ।

(4) प्रत्यक्ष जांच दलों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है ताकि बही के स्टाक का मूल स्टाक से बराबर मिलान किया जा सके ।

(5) किराये पर लिए गए गोदामों की समीक्षा करने के परिणामस्वरूप, किराये पर लिए गए फालतू गोदामों को छोड़ने की दिशा में कार्यवाही की गई है ।

(6) संचलनों का इस प्रकार आयोजन किया गया है जिससे अनावश्यक संचलन और नौकान्तरण को कम किया जा सके ।

(7) जहां कहीं व्यावहार्य होता है वहां ब्लाक-लदान किया जाता है ।

(8) मशीनी लोडरस लगाकर लदान और उतरान प्रबन्धों में सुधार किया गया है ।

(ग) और (घ): गुमशुदा वैगनों को ढूंढ़ना जारी रहने वाली प्रक्रिया है । यह सूचित किया गया कि 1973-74 और 1974-75 के दौरान (जनवरी, 1975 तक) 41,119 वैगन नहीं मिले थे । गुमशुदा थे, उसी अवधि में 40,122 वैगनों को जोड़ा गया । तलाश कर लिया गया था ।

(ङ), (च) और (छ) कलकत्ता के साइलो संयंत्र का यथा सम्भव अधिकतम इस्तेमाल किया जा रहा है । राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर पश्चिमी बंगाल में निजी भण्डारण एजेंसी प्रणाली

को जारी रखा जा रहा है ताकि अचानक हड़ताल आदि होने की दशा में सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सके। यथा-सम्भव अधिकतम संख्या में मानकीकृत बोरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में बोरियों की लागत भी शामिल होती है। मिल मालिकों और व्यापारियों को बोरे उपहार रूप में नहीं दिए जाते हैं।

**दिल्ली दुग्ध योजना के डिप्टी मैनेजर (डिस्ट्रीब्यूशन) के कार्यभार में परिवर्तन**

3573. **श्री सरजू पांडे :** क्या **कृषि और सिचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना में डिप्टी मैनेजर (डिस्ट्रीब्यूशन) के दो पदों का सृजन कब किया गया था और इनके कार्यभार का नियतन किस प्रकार से किया गया था;

(ख) क्या इनके कार्यभार परस्पर परिवर्तनशील हैं और यदि हां, तो पिछला परिवर्तन कब किया गया था;

(ग) क्या इनमें से एक डिप्टी मैनेजर (डिस्ट्रीब्यूशन) अपने वर्तमान पद में अब तक केवल नई दिल्ली के क्षेत्रों का ही इन्चार्ज तथा मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन आफिसर रहा था; और

(घ) यदि हां, तो इन विशिष्ट अधिकारियों को न बदलने के क्या कारण हैं और दिल्ली दुग्ध योजना के सुचारू ढंग से कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिये इनके कार्यभार में आगामी परिवर्तन करने सम्बन्धी आदेश कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

**कृषि और सिचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) उप प्रबन्धक (वितरण) के दो पद 26-10-1973 से बनाये गये थे और ये पद 17-12-1973 को भरे गय थे। इन दोनों अधिकारियों को उन्हें अलाट किये गये क्षेत्रों में दूध के वितरण की व्यवस्थाओं के पर्यवेक्षण का काम सौंपा गया था। इसके अतिरिक्त इनमें से एक अधिकारी को केन्द्रीय डेरी से डिपुओं को दूध भेजने, डिपुओं के अनुसार कोटा नियत करने, दुग्ध बूथों के निर्माण और मरम्मत, दुग्ध उत्पादों के विपणन कानूनी तथा अन्य प्रशासनिक मामलों का काम सौंपा गया है, जबकि दूसरा अधिकारी दुग्ध टोकनों घरों पर दूध बांटने की व्यवस्थाओं, कार्यालय की स्थापना और जन-सम्पर्क का कार्य देखता है।

(ख) जी हां, किन्तु दोनों उप प्रबन्धकों (वितरण) के बीच काम का आवंटन 18-12-1973 से किया गया था और अभी तक उनमें कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं समझा गया।

(ग) तथा (घ) उपर्युक्त अधिकारियों के दुग्ध वितरण कार्य के पर्यवेक्षण का कार्य क्षेत्र नई दिल्ली और दिल्ली की क्षेत्रीय सीमाओं के अनुसार निर्धारित नहीं है, बल्कि उनके कार्य क्षेत्र, उनके पर्यवेक्षण के स्थानों के अनुसार निर्धारित हैं। इनमें से एक अधिकारी दुग्ध वितरण अधिकारी के तौर पर नई दिल्ली में स्थित क्षेत्रों के पर्यवेक्षण का काम करता था और पदोन्नति होने पर वह अंशतः नई दिल्ली में स्थित क्षेत्रों और अंशतः दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र के पर्यवेक्षण का काम करता रहा। इन अधिकारियों के कार्य क्षेत्रों में हेर-फेर आवश्यक होने पर की जा सकती है, लेकिन चूंकि क्षेत्रों का वर्तमान वितरण एक वर्ष से कुछ समय पहले ही किया गया था, इसलिये अभी कुछ समय के लिये उनके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

**दिल्ली विकास प्राधिकरण की नारायणा कालौनी में 'शेल्फों' के लिए मुआवजा**

3574. **श्री मान सिंह भौरा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारायणा में दिसम्बर, 1968 में निकाली गई पहली लाटरी में अलाट किए गए बी० और के० ब्लाकों के फ्लैटों के रसोईघरों में विशिष्ट विवरण के अनुसार 'मोजेक शेल्फ' नहीं बनाए गए हैं तथा अलाटियों द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शेल्फ लगाना स्वीकार कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ फ्लैटों में 'शैल्फ' लगाए गए हैं और अन्य फ्लैटों के मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण ठेकेदार को दिये गए दरों पर मुआवजा देने पर सहमत हो गया था;

(ग) यदि हां, तो मुआवजा कब दिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) रसोईघर में कुछ शेल्फ दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पहले ही उपलब्ध किये गये थे। तथापि, अतिरिक्त शेल्फों के लिये अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उनकी व्यवस्था करना मान लिया।

(ख), (ग) तथा (घ) 70 फ्लैटों में अतिरिक्त शेल्फ लगा दिये गये थे, शेष 46 फ्लैटों के बारे में अतिरिक्त शेल्फ नहीं लगाए जा सके क्योंकि आवंटियों ने शेल्फ या तो स्वयं पहले ही लगवा लिये थे या रसोईघर में कुछ ऐसे परिवर्तन किये जिसके कारण वहां अतिरिक्त शेल्फ लगाना सम्भव नहीं था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केवल शेल्फ लगाना ही माना था लेकिन 'मुआवजा' देना नहीं माना था। जहां कहीं भी व्यवहार्य था, वहां शेल्फ लगा दिए गए हैं। किसी प्रकार का 'मुआवजा' देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**अखिल भारतीय केडर के प्रशासनिक पदों के लिये विश्वविद्यालय की डिग्री की आवश्यकता को समाप्त करना**

3576. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि उच्च शासकीय पदों अथवा अखिल भारतीय कैडर के अन्य प्रतिष्ठापूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिये भविष्य में विश्वविद्यालय डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एम० नूरुल हसन) :** (क) और (ख) ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है। तथापि, डिग्रियों को रोज़गार से असम्बद्ध करने के सामान्य प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

**Special Financial Assistance for Madhya Pradesh in Fifth Plan**

3577. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether in view of the recent drought conditions in Madhya Pradesh the Central Government propose to provide special financial assistance during 1974-75 and in the remaining period of the Fifth Plan, for certain projects in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the extent thereof?

**The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel)** : (a) & (b) The Madhya Pradesh Government has been sanctioned advance plan assistance to the extent of Rs. 6.5 crores for carrying out certain works of a plan nature during 1974-75 with the object of meeting the situation created by the drought. The assistance will be adjusted against the amounts due to the State as Central plan assistance during the remaining years of the plan. The works which are to be taken up with this assistance are as follows :—

| | (Rs. in crores) |
|---|---|
| (i) Minor and medium irrigation projects and Mahanadi Canal excavation . . . . | 4.00 |
| (ii) Soil Conservation | 1.00 |
| (iii) Roads | 0.50 |
| (iv) Drinking water works | 1.00 |
| | 6.50 |

**मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिये केन्द्र खोलना**

3578. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) उन सभी व्यक्तियों को परामर्श देने तथा उनका पथ-प्रदर्शन करने के लिए, जिनको इसकी आवश्यकता हो, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या देश में मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों की सहायता के लिए केन्द्र और वर्कशाप खोलने का भी प्रस्ताव है और तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) यद्यपि विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो भी मानसिक रूप से अविकसित बालकों की अनुमानित संख्या लगभग 20 लाख है ।

(ख) मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के पुनर्वास की विभिन्न योजनाओं के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने के साथ-साथ पांचवीं योजना के दौरान नई दिल्ली में मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है । इस संस्थान के कार्यों में अध्यापकों का प्रशिक्षण तथा माता-पिता को परामर्श देने की विकासात्मक तकनीक भी शामिल होगी ।

(ग) समाज कल्याण विभाग ने एक योजना आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठनों को बाध्य व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों, जिनमें मन्द बुद्धि व्यक्ति भी शामिल हैं, को रोजगार देने के लिए आरक्षित कार्यशालाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा सकती है ।

**मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करना**

3579. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह संस्थान कहां पर स्थापित किया जायेगा और इसमें मानसिक रूप से अविकसित कितने व्यक्तियों के लिए भोजन और निवास की व्यवस्था होगी; और

(ग) इस संस्थान में कब तक काम होने लगेगा ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) पांचवीं योजना प्रारूप में मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का एक प्रस्ताव है ।

(ख) इसकी स्थापना दिल्ली में की जा सकती है और ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

(ग) इस संस्थान को 1975-76 में स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

**पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक**

3580. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक के संसाधन ऋण की मांग से कम है

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सहकारी बैंक ने इस प्रयोजनार्थ भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सहकारी बैंक के सामने वास्तव में संसाधन की कितनी कमी है; और

(घ) क्या उक्त बैंक की सहायता के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) :** (क) से (घ) आवश्यक सामग्री एकत्र की जा रही है और अपेक्षित सूचना यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवास योजनाओं से अर्जित लाभ**

3581. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी आवास योजना से गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितना लाभ अर्जित किया है और भविष्य में कितना लाभ होने का अनुमान है ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** मकानों/फ्लैटों के मूल्य का हिसाब लगाते समय लाभ का कोई ऐसा अंश शामिल नहीं किया जाता । तथापि, यदि कोई बचत हो तो, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निर्णय किया है कि इसे जनता तथा सामुदायिक सेवा कर्मचारी श्रेणियों के लिए बने मकानों/फ्लैटों के विभागीय प्रभारों में कमी करने अथवा इसमें छूट देने में उपयोग किया जाना चाहिए ।

**गन्ना उत्पादकों को गन्ना बेचने में कठिनाई**

3582. **श्री अरबिन्द एम० पटेल :**

**श्री बेकारिया :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना उत्पादकों को अपना गन्ना बेचने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) गन्ना उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिये सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई कठिनाई नहीं आयी है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

**रोजगार संबन्धी द्रुत कार्यक्रम**

3583. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गए कुछ कार्यों को स्थायी आस्तियों में बदल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की आस्तियां बनाई गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कार्यक्रम की असफलता के क्या कारण हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) :** (क) जी हां ।

(ख) व (ग) : वर्ष 1971-72 और 1972-73 में ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत शुरू किए गये विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के अन्तर्गत सृजित की गई परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाले विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9199/75] । वर्ष 1973-74 की सूचना राज्य सरकारों से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

**गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन के अन्तर्गत कार्यकारी इंजीनियर का रिक्त पद**

3584. **श्री आर० पी० दास : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन के अन्तर्गत कार्यकारी इंजीनियर का कोई पद बहुत लम्बे समय से रिक्त पड़ा है ;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस रिक्त पद को कब भरा जाएगा ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) :** (क) इस समय गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन में कार्यकारी अभियन्ता का एक पद खाली है ।

(ख) और (ग) इस संगठन का कोई भी अधिकारी कार्यकारी अभियन्ता के ग्रेड में पदोन्नति पाने का पात्र नहीं है । इसलिए कार्यकारी अभियन्ता के खाली पद को राज्य सरकार के किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरने का प्रस्ताव है । इस विषय में पश्चिम बंगाल सरकार से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है ।

**Ban Sagar Project, Madhya Pradesh**

3585. **Shri Martan Singh :**

**Shri Dhan Singh Pradhan :**

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether an assurance was given by the Central Government that the work on the Ban Sagar project (M.P.) would be completed at the earliest;

(b) if so, the progress made in this regard and the time by which it is likely to be completed;

(c) whether the Bihar Government have expressed their disagreement on water distribution again and the broad features thereof; and

(d) the efforts made so far and proposed to be made in future by Government to remove difficulties in this regard?

**The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Kedar Nath Singh) :** (a) & (b) Irrigation is a State subject and Irrigation Projects are executed by the State Governments within their own Developmental Plans. Ban Sagar is an Inter-State Project. An agreement on Ban Sagar Project was reached amongst the concerned States in September, 1973. The Project Report, modified in the light of the agreement, was received from the Government of Madhya Pradesh in September, 1974 and is under technical examination in Central Water Commission. In the meantime, the State Government has started some pre-construction works on the scheme.

(c) & (d) The Bihar Government had sought certain clarifications about the agreement of September, 1973 which were discussed in an inter-State meeting held on 20-7-1974. It was then decided that the States of Bihar and Madhya Pradesh would submit their plans

for utilisation of their share of Sone waters to Central Water Commission so that the schemes could be processed accordingly. These have been received and are under scrutiny.

With a view to expediting construction of the Ban Sagar Project, the three States agreed to set up an Inter-State Control Board under the Chairmanship of the Union Minister of Agriculture and Irrigation. The draft resolution indicating the composition and terms of reference of the proposed Board was sent to the Governments of Bihar, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Comments of Bihar and Madhya Pradesh have since been received and those of Uttar Pradesh are awaited.

**कलकत्ता विश्वविद्यालय के रेडियो फिजिक्स इलेक्ट्रानिक्स संस्थान द्वारा निर्मित उपकरणों का उपयोग**

3586. **श्री टुना उरांव : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता विश्वविद्यालय के रेडियो फिजिक्स और इलेक्ट्रानिक्स संस्थान द्वारा देश में निर्मित बहुमूल्य उपकरणों के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में इन उपकरणों का पूरा उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) क्या गैर-सरकारी औद्योगिक उपक्रम इन उपकरणों का उपयोग नहीं कर रहे हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन)** : (क) से (ग) कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, कलकत्ता विश्वविद्यालय के रेडियो भौतिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स संस्थान में कुछ महत्वपूर्ण स्वदेशी उपकरणों तथा घटकों को विकसित किया गया है। इनमें से कुछ के पेटेंटों से सम्बन्धित आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है। उनके प्रयोग तथा उत्पादन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक सरकारी अथवा गैर-सरकारी उपक्रमों से सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया है ।

**अगरतला में विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में प्रस्ताव**

3587. **श्री शंकर नारायण सिंह देव : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला में विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन)** : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, अगरतला में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में त्रिपुरा सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । त्रिपुरा सरकार ने, विद्यमान शैक्षिक सुविधाओं में बढ़ोतरी, त्रिपुरा की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, विशेषकर कलकत्ता विश्वविद्यालय से इसकी दूरी, जनसंख्या, संरचना तथा

लोगों के विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन आदि के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया है। आयोग प्रस्ताव को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था इसके स्थान पर, आयोग ने त्रिपुरा में कलकत्ता विश्वविद्यालय का एक स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का सुझाव दिया है। केन्द्र के विकासात्मक तथा वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए आयोग द्वारा एक निरीक्षक समिति नियुक्त करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।

**कोका की खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने की योजना**

3588. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोका की खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) जी हां।

(ख) कोका की खेती के अन्तर्गत के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार विगत में कोका का आयात करती रही है। इसके फलस्वरूप केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यों में लगभग 1,500 हैक्टार क्षेत्र तैयार किया गया है। अब इसकी खेती का अधिक विस्तार करने के लिए बीज देशी स्रोतों से उपलब्ध किये जाने की सम्भावना है। 3.11 लाख रुपये के अनुमानित परिव्यय से कोका बीज के दो उद्यान स्थापित करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शामिल की गई है।

**Audio-Visual Publicity Equipments for Animal Husbandry and Extention Programme**

3589. **Shri G.C. Dixit** : Will the **Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the audio-visual publicity material and equipments are scarce which is causing hurdles in the animal husbandry and protection extension programme; and

(b) if so, the measures being adopted by Government to make the material and equipments available on priority basis ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) :** (a) There is no information of any acute shortage in respect of these items with the Central Government.

(b) Software material needed for production of projected audio-aids are available in the country and therefore, there is no need to lay down any priority for their supply as the Central Information Unit has been regularly producing and widely distributing various audio-visual aids. The State Agricultural information unit and other agencies are also producing similar materials mostly under the guidance of the Central Information Unit. However in case of any difficulty experienced by the State Governments, if approached, the Ministry of Agriculture & Irrigation tries to help them out particularly in training up personnel in preparation, use and maintenance of audio-visual aids and equipments therefor.

**Protection of Foreign Cattle From Diseases**

3590. **Shri G.C. Dixit** : Will the **Minister of Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) the measures being taken by Government to protect the foreign breed and cross breed cattle from theileriasis and anaplasmosis diseases; and

(b) the action taken by Government to manufacture the Vaccine in the country required for protecting the cattle from the said diseases and the arrangements made to obtain this Vaccine till it is manufactured in the country ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel)** (a) & (b) The control measures being taken against theileriasis are at present limited largely to prevention of exposure of cattle to infective ticks which are the vectors, by regular use of acaricides.

Saving animals from stresses such as exposure to excessive heat and humidity, proper feeding, housing and management are also important, besides certain ameliorative therapeutic measures, which are found useful in practice.

Against anaplasmosis, vaccines are imported by the State agencies, according to need. Avoidance of stresses as in theileriasis is important as also Vector Control, besides certain theraputic measures usefully undertaken.

From past experience import of Vaccines against theileriasis is not encouraged. The vaccine is highly fragile. Also it affords protection against certain non-indigeneous strains of the parasite only.

Attempts are however being continued to develop a vaccine within the country against these blood parositic deseases in the selected centres like I.V.R.I. and Agricultural Universities.

## Central Cattle Breeding Farms in M.P.

3591. **Shri G.C. Dixit : Will the Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3669 dated the 9th December, 1974 regarding Central Foreign Cattle Breeding Farm in M.P. and state the final action taken to decide on the site offered by M.P. Government for exotic cattle breeding farm in M.P. ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel):** The Government of India has approved the site at Bhadheda Dairy Estate, Bhopal, for the establishment of exotic cattle breeding farm in M.P. and this fact has also been communicated to the Govt. of Madhya Pradesh on 1-3-75.

## सरकारी आवासों को सांस्कृतिक/सामाजिक/लोकोपकारी संस्थाओं को किराए पर दिया जाना

3592. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी निवास स्थानों/बंगलों को/सांस्कृतिक/सामाजिक/लोकोपकारी संस्थाओं अथवा एसोसिएशनों को सामान्य किराए पर दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनको किस आधार पर किराए पर दिया जाता है तथा उसकी कसौटी क्या है ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) जी, हां ।

(ख) ऐसे निकायों अथवा एसोसिएशनों को सामान्य लाइसेंस फीस का भुगतान करने पर सरकारी वास का आवंटन करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं । इन निकायों द्वारा समाज

को दिए जाने वाले शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य लाभों को दृष्टि में रखते हुए, प्रत्येक मामले पर उस के गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है ।

**उड़ीसा के भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का विवरण**

3593. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ख) उस राज्य में भूमिहीन व्यक्तियों में तथा विशेषकर हरिजनों और जनजातियों में कितनी एकड़ भूमि वितरित की गई और उनकी संख्या कितनी है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार उड़ीसा में कृषि श्रमिकों की संख्या 19,28,000 है ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना तथा चालू योजना के प्रथम वर्ष के दौरान 3,34,000 व्यक्तियों में 4,83,315 एकड़ भूमि वितरित की गई है । उनमें से 80,000 अनुसूचित जातियों तथा 1,69,000 जनजातियों के हैं ।

**रियायती मूल्यों पर कीटाणुनाशक औषधियों को सप्लाई**

3594. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक कीटाणुनाशक औषधियों को रियायती मूल्यों पर छोटे किसानों को सप्लाई करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस योजना के अन्तर्गत छोटे किसानों को कितनी मात्रा में आर्थिक राज सहायता दी जाएगी और इस योजना के अन्तर्गत कीटाणुनाशक औषधियों की सप्लाई करने में दी जाने वाली राज सहायता में केन्द्र तथा राज्य सरकारों का कितना भाग है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) और (ख) केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत साहाय्य दरों पर छोटे किसानों को कीटनाशी औषधियों की सप्लाई करने की कोई विशेष योजना नहीं है । कुछ राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारें किसानों को सप्लाई की जाने वाली कीटनाशी औषधियों के मूल्य पर 25% से 100% तक राज सहायता देती है । उन जिलों में जहां सीमान्त किसानों और श्रमिकों के विकास के लिये योजना क्रियान्विति की जा रही है, एक हैक्टार तक वारानी भूमि रखने वाले सीमान्त किसानों को बीजों, उर्वरकों और कीटनाशी औषधियों आदि के लिये राज सहायता दी जाती है । यह सहायता स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार एक वर्ष में दो मौसम के लिये और दो वर्षों में दो मौसम के लिये $33\frac{1}{3}\%$ की दर से दी जाती है और इसकी राशि प्रति व्यक्ति के हिसाब से अधिक से अधिक 100 रुपये होती है । यह राज सहायता सम्बन्धित सहकारी समितियों विपणन संगठनों, राज्य कृषि विभागों आदि संस्थागत एजेंसियों के माध्यम से केवल वस्तु के रूप में दी जाती है ।

**रिहायशी फ्लैटों के लिए पंजीकृत आवेदन**

3595. **श्रीमती मुकुल बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किये जाने वाले विभिन्न श्रेणी के रिहायशी फ्लैटों के लिए कुल कितने आवेदन 31 जनवरी, 1975 तक पंजीकृत थे;

(ख) ऐसे फ्लैटों की संख्या क्या है जो ग्रावंटन के लिए तैयार हैं; जिनका निर्माण पूरा होने वाला है ग्रौर जिन पर निर्माण कार्य हाल ही में शुरू हुग्रा है; ग्रौर

(ग) वर्तमान तकनीकी सम्भाव्यता ग्रौर ग्रपने चीफ इंजीनियर की राय को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण एक वर्ष में कितने फ्लैट दे सकता है ?

**निर्माण ग्रौर ग्रावास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** :(क) 31-1-75 की स्थिति के ग्रनुसार पंजीकृत ग्रावेदकों की संख्या निम्नलिखित है जिनको ग्रभी भी फ्लैट दिए जाने हैं:—

| वर्ग | ग्रावेदन पत्रों की संख्या |
|---|---|
| मध्यम ग्राय वर्ग . . | 5,748 |
| निम्न ग्राय वर्ग . | 4,810 |
| जनता . . . | 4,686 |
| जोड़ . . . . . . | 15,244 |

(ख) 3,090 फ्लैट ग्रावंटन के लिये तैयार हैं, ग्रन्य 3,980 फ्लैट पूर्ण होने को हैं तथा लगभग 6,322 फ्लैट निर्माण के ग्रारम्भिक चरण में हैं ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के ग्रनुसार उस द्वारा वर्ष के दौरान बनाए जाने वाले फ्लैटों की संख्या निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है: (i) भवन निर्माण सामग्री की उपलब्धता, (ii) निधियों की उपलब्धता तथा (iii) फ्लैटों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि उक्त कारणों को देखते हुए यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वर्ष में कितने फ्लैट दिए जा सकते हैं ।

## वर्तमान उद्योगों को स्थानान्तरित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई ग्रौद्योगिक बस्तियां

3596. **श्रीमति मुकुल बनर्जी** : क्या **निर्माण ग्रौर ग्रावास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्तमान उद्योगों को ग्रनुपयुक्त क्षेत्रों से स्थानान्तरित करने के उद्देश्य से दिल्ली की बृहत् योजना के ग्रधीन कितनी विभिन्न ग्रौद्योगिक बस्तियां बनाई हैं तथा वहां कितने-कितने प्लाट हैं ग्रौर वहां के लिए ग्रनुमोदित व्यापारों तथा निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है ?

(ख) इनमें पूरी तरह विकसित, ग्रर्ध-विकसित तथा ग्रविकसित ग्रौद्योगिक बस्तियां कौन-कौन सी हैं तथा वहां की भूमि के लिए ग्रारक्षित तथा वाणिज्यिक दरें क्या क्या हैं; ग्रौर

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ऐसे ग्रौद्योगिक प्लाटों को प्लाटों के ग्राकार, उद्योग के प्रकार तथा उसकी स्थापना की तारीख के सम्बन्ध में उद्योग निदेशालय द्वारा की गई सिफारिशों के ग्राधार पर ही ग्रनुमोदित एककों को ग्रावंटित करता है ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** :(क) औद्योगिक एस्टेटों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए प्लाटों की संख्या का एक विवरण संलग्न है । अनुमेय व्यापार तथा उत्पादन गतिविधियां बृहत् योजना की प्रथम जिल्द के पृष्ठ 76 से 82 में उद्योगों की अनसूची में दी गई हैं ।

(ख) संलग्न विवरण में उल्लिखित सभी औद्योगिक एस्टेट पूर्णरूपेण विकसित हैं । भूमि की रिज़र्व तथा कर्मशियल दरें संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) जिन उद्योगों को असम विन्यास क्षेत्रों से स्थानान्तरित करना अपेक्षित है उन्हें भूमि का आवंटन तब किया जाता है जब उद्योग निदेशालय द्वारा इनकी स्वीकृति दे दी जाती है तथा इसकी सिफारिशों पर दिल्ली प्रशासन की भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन करने से पहले, विचार कर लिया जाता है ।

**विवरण**

औद्योगिक एस्टेटों के नाम और विभिन्न औद्योगिक योजनाओं में प्लाटों की संख्या तथा पुनरीक्षित रिज़र्व और कर्मशियल दरों का विवरण

| क्रम सं० | औद्योगिक एस्टेट का नाम | प्लाटों की संख्या | पुनरीक्षित दरें (प्रति वर्ग गज) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | रिज़र्व रुपये | कर्मशियल रुपये |
| 1. | नारायणा . | 959 | 37 | 56 |
| 2. | लारेंस रोड . . | 312 | 37 | 56 |
| 3. | वजीरपुर . . . | 778 | 40 | 60 |
| 4. | जी०टी० करनाल रोड . . | 297 | 39 | 58 |
| 5. | शाहदरा (झिलमिल) . . | 166 | 31 | 47 |
| 6. | ओखला . . . | 1,680 | 37 | 56 |
| 7. | रेवाड़ी लाइन . | 1,739 | 36 | 54 |
| | कुल . . . . . . | 5,931 | | |

**दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थानान्तरण कार्यक्रम के अधीन औद्योगिक प्लाटों की नीलामी**

3597. **श्रीमती मुकुल बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी औद्योगिक बस्तियों में कुल कितने औद्योगिक प्लाट हैं तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी स्थानान्तरण कार्यक्रम के अधीन 31 जनवरी, 1975 तक की अवधि में उनमें से कितने प्लाटों की नीलामी की है तथा औद्योगिक एककों को अलाट किये हैं;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्थानान्तरण कार्यक्रम के अधीन औद्योगिक एककों को आवंटित किये गये प्लाटों को बाद में आम नीलामी द्वारा अन्य लोगों को बेच दिया गया था; और यदि हां, तो इस प्रकार के कितने मामले हुए;

(ग) क्या नियमों के अनुसार कुल प्लाटों का केवल एक तिहाई भाग ही आम नीलामी में बेचा जा सकता है; और

(घ) क्या ऐसे आवंटित प्लाट भी, जिन्हें दिल्ली प्राधिकरण ने बाद में रद्द कर दिया था, प्राधिकरण ने नीलाम कर दिये थे; और यदि हां, तो इस तरह के कितने मामले हुए ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** :(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 5,931 औद्योगिक प्लाटों का विकास किया है । इनमें से 3,464 प्लाट विभिन्न औद्योगिक एककों को आवंटित किए गए हैं जिनका स्थानान्तरण किया जाना अपेक्षित है । 1,371 प्लाटों को आम नीलामी द्वारा बेचा गया है ।

(ख) यह सूचित किया गया है कि केवल एक मामले में एक प्लाट जो पहले स्थानान्तरण श्रेणी में किसी उद्योग को आवंटित किया गया था, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनजाने में निलाम हो गया था ।

(ग) कोई निश्चित प्रतिशतता नहीं है, परन्तु उन सभी असम-विन्यास औद्योगिक एककों को, जिन्होंने स्थानान्तरण श्रेणी के अन्तर्गत आवंटन हेतु आवेदन दिये थे । वैकल्पिक भूमि आवंटित की जा रही है बशर्ते कि वे इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों ।

(घ) जी, हां, 39 मामलों में जहां आवंटी, आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण दोषी पाये गये थे आवंटित प्लाटों को आम नीलामी में बेच दिया गया है ।

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मीटर रीडरों के वेतनमान**

3598. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर ने विभाग के मीटर रीडरों के वेतनमानों के पुनरीक्षण का मामला उनके मंत्रालय को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस बीच इस मामले पर निर्णय ले लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले पर निर्णय कब लिया जायेगा ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) से (ग) : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मीटर रीडरों के वेतमान का पुनरीक्षण करने का प्रश्न केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी तथा अनिवार्य मध्यस्थता की योजना के अन्तर्गत स्थापित की गई निर्माण और आवास मंत्रालय की विभागीय परिषद् में कर्मचारी वर्ग की ओर से उठाया गया था तथा इस मामले को परिषद् की समिति के सुपुर्द किया गया था जिसमें कर्मचारी वर्ग तथा सरकार पक्ष के सदस्य थे । समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है तथा इस पर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है ।

**सुवर्णरेखा बेसिन में पाये गए 'स्ट्रेट कट' का आदर्श अध्ययन**

3599. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना में सुवर्ण रेखा बेसिन में भोगराई से समुद्र तक 'स्ट्रेट कट' का कोई आदर्श अध्ययन किया गया है यदि हां, तो 'स्ट्रेट कट' के लिए कौन-सा स्थान उपयुक्त पाया गया है; और

(ख) क्या नदी पर बांध के निर्माण के बावजूद भी 'स्ट्रेट कट' और अन्य जलमार्ग से बाढ़ का प्रकोप काफी सीमा तक कम हो जाएगा ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह)** :(क) चूंकि अभी तक उड़ीसा की राज्य सरकार से अध्ययन के लिए अपेक्षित आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पूना में 'स्ट्रेट कट' पर कोई माडल अध्ययन नहीं किए गए हैं ।

(ख) बाढ़ स्तरों पर 'स्ट्रेट कट' के प्रभाव, माडल अध्ययन के परिणाम उपलब्ध होने के बाद ही मालूम हो सकेंगे ।

**बालासौर और मयूरभंज के लिए सिंचाई बृहत योजना**

3600. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालासौर और मयूरभंज के लिये सिंचाई बृहत् योजना बनाई गई है; और

(ख) क्या इसको पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जायेगा ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह)** : (क) और (ख) उड़ीसा की पांचवीं योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बहरहाल, उड़ीसा के मयूरभंज और बालासौर जिलों को लाभ पहुंचाने वाली दो बड़ी (सालन्दी और आनन्दपुर बराज जारी स्कीमें) तथा चार मध्यम (कालो और खड़कोई जारी स्कीमें, सुनेई और नेसा नयी स्कीमें) राज्य की पांचवीं योजना के प्रस्तावों में अंतिम रूप से, शामिल कर ली गई हैं।

**भिखारी**

3601. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भिखारियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार उनका पुनर्वास करने हेतु व्यवस्था करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार भिखारियों और आवारा व्यक्तियों की कुल संख्या 7,44,500 है । राज्यवार आंकड़े, अलबत्ता 1961 की जनगणना के संबद्ध में ही उपलब्ध हैं और उन्हें विवरण-पत्र में दिया गया है (विविध पत्र 1)

(ख) तथा (ग) भिखारियों के पुनर्वास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वियन राज्य सरकारों के क्षेत्र के भीतर आता है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भिक्षा-निरोधक कार्यक्रमों को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है। (विवरण-पत्र-2) **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9200/75]**

भिखारियों की देखभाल और पुनर्वास के लिये स्थापित की गई संस्थाओं की राज्यवार संख्या तथा उनकी क्षमता भी दर्शाई गई है।

**विवरण**

**भिखारी और आवारा व्यक्ति**

जनगणना के आंकड़े—1961

| क्रम सं० | राज्य/संघ शासित प्रदेश | भिखारियों और अवारा व्यक्तियों की कुल संख्या |
|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 129450 |
| 2. | असम | 32928 |
| 3. | बिहार | 63921 |
| 4. | गुजरात | 38938 |
| 5. | महाराष्ट्र | 72220 |
| 6. | जम्मू और काश्मीर | 15573 |
| 7. | केरल | 41700 |
| 8. | मध्य प्रदेश | 78397 |
| 9. | मद्रास | 39770 |
| 10. | मैसूर | 56442 |
| 11. | उड़ीसा | 49964 |
| 12. | पंजाब | 63345 |
| 13. | राजस्थान | 50551 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 56822 |
| 15. | पश्चिम बंगाल | 160093 |
| | **संघ शासित क्षेत्र :** | |
| 16. | अंडमान और निकोबार द्वीप | 113 |
| 17. | दिल्ली | 3232 |
| 18. | गोआ | 729 |
| 19. | हिमाचल प्रदेश | 1933 |
| 20. | लक्का द्वीप मिनीकाय और अमीनदीवी द्वीप | 10 |
| 21. | मनीपुर | 524 |
| 22. | पांडिचेरी | 1059 |
| 23. | त्रिपुरा | 3826 |
| 24. | दादरा और नागर हवेली | 14 |
| 25. | नेफा | 3 |
| 26. | सिक्कम | 38 |
| 27. | नागालैण्ड | 188 |
| | | 961793 |

## भूतपूर्व होल्कर राज्य के रिकार्डों को नष्ट किया जाना

3602. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी भूतपूर्व होल्कर राज्य के अनेक बहुमूल्य रिकार्डों को नष्ट कर रहे हैं;

(ख) नष्ट किये गये रिकार्डों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रिकार्डों को सुरक्षित रखने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) मध्य प्रदेश सरकार ने यह सूचित किया है कि मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेखों को तथाकथित नष्ट करने की रिपोर्टें निराधार हैं।

(क) और (ग) : प्रशन नहीं उठता। इस विषय पर केन्द्रीय सरकार की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

### विवरण

राज्य सरकारों अथवा पृथक-पृथक व्यक्तियों के पास रखे रिकार्डों को उनके द्वारा रख-रखाव अथवा नष्ट करने से संबंधित निर्णय लेने के लिये केन्द्रीय सरकार के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है परन्तु भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने, जो कि सरकार को पुरालेख संबंधी नीति के मामलों में सलाह देने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित निकाय है, पुराने रिकार्डों को समुचित रूप से छंटाई के प्रश्न पर पहले अनेक सिफारिशें की थीं। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में लखनऊ में 28 जनवरी, 1975 को हुई भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की बैठक में इस मामले पर दोबारा विचार-विमर्श किया गया था और निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया था :—

"आयोग द्वारा (1925 की संकल्प संख्या II, 1942 की संकल्प संख्या VII, 1943 की संकल्प संख्या V, 1951 की संकल्प की संख्या VI में) बार-बार की गई सिफारिशों के बावजूद अनेक राज्यों में तथाकथित व्यापक पैमाने पर पुराने सार्वजनिक अभिलेखों के नष्ट किये जाने पर आयोग अत्यन्त चिन्तित है तथा यह संकल्प करता है कि इस बात की जांच करने के लिये आयोग के पांच सदस्यों की एक उप-समिति गठित की जाये, जो स्थायी समिति को छः मास के भीतर निम्नलिखित बातों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे :—

(क) उपरोक्त संकल्पों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान नष्ट किये गये अभिलेखों की अवधि और प्रकार।

(ग) पुराने अभिलेखों का मूल्यांकन करने के लिये नियुक्त स्टाफ की योग्यतायें तथा उपयुक्तता।

(घ) स्थायी महत्व के अभिलेखों के संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु तत्काल कौन से कदम उठाये जा सकते हैं।

आयोग राज्य सरकारों को इस बात की भी सिफारिश करता है कि जब तक उक्त समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती, तब तक वे 1947 से पूर्व के अभिलेखों को नष्ट न करें।

तदनुसार एक उपसमिति गठित कर दी गई है।

**विश्व स्वास्थ्य संगठन और फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा सी०एम०डी०ए० को सहायता**

3603. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन और फोर्ड फाउन्डेशन के विशेषज्ञों द्वारा अस्पतालों के लिये बनाई गई सी०एम०डी०ए० विकास परियोजनाओं को धनाभाव के कारण बीच में ही छोड़ दिया गया है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन परियोजनाओं के लिये धन राशि आवंटित करना बंद कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सी०एम०डी०ए० को विश्व स्वास्थ्य संगठन और फोर्ड फाउन्डेशन से कोई सहायता प्राप्त हो रही है और यदि हां, तो कितनी ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) अस्पतालों के लिये कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण की विकास योजनायें विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा फोर्ड फाउन्डेशन के विशेषज्ञों द्वारा नहीं बनाई गई थीं। तथापि, मुख्यतः साधनों पर दबाव के कारण, कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण इस वर्ष इन स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सहायता नहीं कर सका है जिनकी वित्त व्यवस्था अब राज्य सरकार द्वारा स्वयं की जानी है।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय सरकार, कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण को क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिये इस तरह सहायता नहीं देती है बल्कि कुल मिलाकर सभी कार्यक्रमों के लिये देती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी सहायता बन्द नहीं की गई है। कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण इन योजनाओं के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा फोर्ड फाउन्डेशन से कोई सहायता नहीं ले रहा है।

**Money to small farmers for Barren Land**

3604. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to give money to small farmers by banks with a view to making the barren land as cultivable land all over the country ;

(b) so, the total expenditure likely to be spent by Government;

(c) the terms and conditions on which this money will be given; and

(d) the time by which this work will be started?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan)** : (a) to (d) Credit is available to small farmers from financing institutions like commercial banks and cooperative credit institutions for the purpose of reclamation and development of land and for seasonal agricultural operations. Normally, term loans are given for the purpose of land reclamation and development on the basis of technical feasibility and economic viability of the proposals.

### ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करने के लिए योजना

3605. **श्री एन० के० सांघी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सहायता से ग्रामीण रोज़गार उत्पन्न करने के लिये विभिन्न राज्यों में वर्ष 1973 तथा 1974 के दौरान कुल कितनी योजनायें चल रही थीं;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्य की तुलना में प्रत्येक योजना के अन्तर्गत उत्पन्न किये गये रोज़गार के अवसरों के बारे में कोई पुनरीक्षण किया गया है; और

(ग) क्या सरकार उनके कार्यकरण से संतुष्ट है और यदि नहीं, तो इन योजनाओं के कार्य को सुव्यवस्थित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां)** : (क) दो योजनाओं, अर्थात् ग्राम रोज़गार की त्वरित योजना और पायलट गहन ग्राम रोज़गार परियोजना, में मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने की परिकल्पना की गई थी। ये योजनायें विभिन्न राज्यों में 1973 और 1974 में कार्यान्वित की जा रही थीं। इनके अलावा, सूखे को रोकने अथवा समन्वित कृषि विकास के लिये मुख्यतः तैयार की गई सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, छोटा किसान विकास एजेंसी और मार्जिनल किसान तथा खेतिहर मजदूर संबंधी योजनाओं से भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा हुए।

(ख) ग्राम रोज़गार की त्वरित योजना का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम-से-कम 1000 व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान करना था। 1972-73 में प्रत्येक जिले में औसतन लगभग 2,500 व्यक्तियों को 150 दिनों के लिये रोज़गार प्रदान किया गया। वर्ष 1973-74 में प्रत्येक जिले में 1,800 व्यक्तियों को औसतन 150 दिन के लिये रोज़गार दिया गया।

पायलट गहन ग्राम रोजगार परियोजना में देश के 15 चुने खण्डों में इसके कार्यान्वयन के पहले वर्ष में 1/3 बेरोज़गारों, दूसरे वर्ष में 2/3 बेरोज़गारों और तीसरे वर्ष में सभी बेरोज़गारों को रोज़गार देने की परिकल्पना की गई थी। पहले वर्ष (1972-73) में 33.70 लाख श्रम दिनों और दूसरे वर्ष (1973-74) में 49.29 लाख श्रम दिनों तक रोज़गार पैदा किया गया। यह परियोजना अपने कार्यान्वयन का अंतिम वर्ष अक्तूबर, 1975 में पूरा करेगी।

(ग) जी हां। इन योजनाओं का कार्य काफी संतोषजनक रहा है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के समय-समय पर समीक्षा की गई और इनके कार्यान्वयन को सुप्रवाही बनाने के लिये उपाय किये गये।

### पांचवीं योजना में भूमिगत जल-निस्सारण सुविधाएं

3607. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रमुख शहरों में भूमिगत जल-निस्सारण सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये पांचवीं योजना के दौरान कुल कितनी राशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) वर्ष 1974-75 में (अद्यतन), इस पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से मांगी गई है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**Agreement with Guyana on Culture**

3608. **Shri Janeshwar Misra :**

**Shri Virbhadra Singh :**

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the progress so far made in implementation of cultural agreement with Guyana signed on the 30th December, 1974; and

(b) the time by which this agreement is likely to be fully implemented?

**The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam)** : (a) The Agreement has not yet Come into force, as the exchange of diplomatic notes on the approval by the Contracting parties is yet to take place in accordance with the provisions of the Agreement.

(b) The articles of the Agreement are expressions of objectives and goodwill. Implementation will begin only after a biennale or annual Cultural Exchange Programm is drawn up jointly following the coming into force of the Agreement.

**Scheme for Supplying Sugar from Mills to Farmers on Supply of Sugarcane**

3609. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a scheme for providing sugar from the milles to the farmers on the supply of sugarcane; and

(b) if so, the outlines of the scheme ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan)** : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**Incentive to Sugarcane Growers**

3610. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the incentive proposed to be given to farmers for growing more sugarcane as well as to mills for producing more sugar; and

(b) if so, main features therefor ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel)** : (a) and (b) A Centrally Sponsored Scheme on sugarcane development has been proposed to be launched in each existing sugar factory area during Fifth Plan to provide

incentive to cane growers for producing more sugarcane per unit area. The Sugarcane Development Scheme envisages provision of the following in 2,000 hectares area around each sugar factory in the Northern States and 1,000 hectares in the Southern States :

(i) Production and distribution of healthy seed cane for commercial cultivation;

(ii) Demonstrations of improved practices for plant and ratoon cane;

(iii) Training of cane development workers at State level;

(iv) Provision of plant protection equipment for taking timely control measures;

(v) Construction of link roads around sugar factories; and

(vi) Provision of technical staff for successful implementation of the scheme.

To safeguard the interests of the cane growers the Government of India fix minimum cane price under the Sugarcane (Control) order, 1966, an Order issued under the Essential Commodities Act, 1955. However, under the Policy of partial control of sugar in vogue for some years now, the producers of sugar are expected to pay for the cane, prices higher than the minimum notified prices from out of higher receipts from their free sugar entitlements. The level of actual cane prices paid is settled between the cane-growers as sellers of cane and the sugar mills as purchasers. In many of the major sugar-producing States, the State Governments use their good offices in helping the growers and the sugar factories to come to a reasonable settlement in this regard.

Moreover, consequent upon acceptance of the recommendation of the Sugar Industry Enquiry Commission, the Government have made a statutory provision from the sugar year commencing from 1st October, 1974, that the extra realisations from the sale of free sugar entitlements should be shared by the factories on a 50 : 50 basis with the sugarcane growers. The amount that will become payable to the growers under this scheme will be in addition to the basic minimum sugarcane price fixed from time to time and it is expected to provide an incentive to the cane growers.

The Government on year to year basis generally allow excise duty rebate to provide incentive to the sugar factories to maximise sugar production by extending the crushing period by commencing early crushing and continuing late in summar months, when the recovery of sugar is comparatively low due to immature cane being crushed in the early parts and driage in hot months in the later part respectively.

**अजन्ता गुफाओं को देखने जाने वाले यात्री**

3611. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार दर्शकों को अजंता की 1-2-16-17 गुफाओं को देखने के लिये प्रतिदिन निर्धारित समयों पर जब परिरक्षण कार्य नहीं चल रहा हो, अनुमति देने का है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन)** : (क) से (ग) इस विषय में यथाशीघ्र आर्द्रता, तापक्रम और सीलन के आंकड़े एकत्र होने पर तथा संरक्षण कार्य पूरा हो जाने पर विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

**दक्षिण कनारा के जिले में छात्रों की पाठ्यक्रमेत्तर गतिविधियों के लिये सहायता**

3612. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कनारा जिला शिक्षा का एक बड़ा केन्द्र है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 (अद्यतन) में इस जिले में छात्रों की पाठ्यक्रमेत्तर गतिविधियों के लिये किस प्रकार की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) :** (क) जी हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**प्रत्येक राज्य में चावल का उत्पादन, उसकी आवश्यकता और उसका वितरण**

3613. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में चावल की कुल कितनी मात्रा की आवश्यकता है;

(ख) वर्ष 1974-75 में प्रत्येक राज्य में चावल का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) देश के सभी चावल खाने वाले क्षेत्रों में यथासंभव समान दर पर चावल का समान वितरण करने के लिये क्या उपाय किये गये ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) चावल अथवा किसी अन्य खाद्यान्नों की आवश्यकतायें, खाद्यान्नों तथा अन्य वैकल्पिक खाद्य पदार्थों की मंडी में उपलब्धता उनके तुलनात्मक मूल्यों, आय स्तर, जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण की रफ्तार आदि पर निर्भर करते हुए समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती हैं। इस स्थिति में चावल की आवश्यकताओं को ठीक-ठीक मात्रात्मक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ख) 1974-75 के लिये अखिल भारती और विभिन्न राज्यों के लिये चावल के अंतिम अनुमान चालू कृषि वर्ष के अन्त के बाद अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1975 में किसी समय उपलब्ध हो पायेंगे; मौजूदा संकेतों के अनुसार, ऐसी आशंका है कि 1973-74 की तुलना में 1974-75 में देश में चावल के कुल उत्पादन में कमी होगी।

(ग) सभी चावल उत्पादक राज्यों में चावल की अधिप्राप्ति में वृद्धि करने के लिये सभी प्रयत्न किये जाते हैं। फालतू चावल पैदा करने वाले राज्यों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि अपनी आन्तरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद वे केन्द्रीय पूल को अधिकतम मात्रा में चावल दें। प्रत्येक राज्य की सापेक्ष आवश्यकताओं, स्थानीय उत्पादन, मंडी में उपलब्धता, मूल्य और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय पूल से सरकार द्वारा निर्धारित किये गये निर्गम मूल्यों पर चावल आवंटित किया जाता है ताकि उसे सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से दिया जा सके।

**6-11 और 11-14 वर्ष आयु समूहों में स्कूल जाने वाले बच्चे**

3614. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 6-11 और 11-14 आयु समूहों में स्कूल जाने वाले बच्चों की इस समय राज्यवार तथा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रवार संख्या कितनी-कितनी है; और

(ख) उपरोक्त वर्गों में ऐसे बच्चों की संख्या क्या है जो किसी स्कूल में नहीं जा रहे हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) और (ख) : कक्षा I–V तथा VI–VIII में दाखिले की संख्या तथा स्कूलों में दाखिल न किये गये बच्चों की संख्या दर्शाने वाले दो विवरण संलग्न हैं। (जो मोटे तौर पर क्रमशः 6-11 आयु वर्ग और 11-14 के आयु वर्ग के तदनुरूप हैं) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-9201/75]

**सरकारी आवासन पर कब्जा रखने वाले भूतपूर्व मंत्री एवं संसद सदस्य**

3915. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** :
**श्री मुख्तियार सिंह मलिक** :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भूतपूर्व मंत्री एवं संसद सदस्य उन्हें नई दिल्ली में संसद सदस्य के रूप में आवंटित सरकारी आवास पर अभी भी कब्जा किये हुए हैं;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो अभी भी सरकारी आवास पर कब्जा किये हुए हैं; और

(ग) सरकारी आवास खाली करवाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) से (ग) स्थिति का एक विवरण-पत्र संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9202/75]

**दालों की फसल के उत्पादन के जीवविज्ञान के बारे में तकनीकी सलाहकार समिति की रिपोर्ट**

3616. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'दालों की फसल के उत्पादन के जीवविज्ञान' के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के परामर्शदाता दल की तकनीकी सलाहकार समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) क्या समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) से (ग) 'दलहनी फसलों की उपज से संबंधित जीवविज्ञान' पर कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सर जांन क्राफोर्ड की अध्यक्षता में नियुक्त तकनीकी सलाहकार समिति के विचाराधीन है। जुलाई, 1975 में तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक होगी। समिति की विशिष्ट सिफारिशों के मुताबिक अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सलाहकार दल द्वारा आगे कार्यवाही की जायेगी। भारत सरकार ने कार्यकारी दल की बैठक के लिये केवल मेजवान के रूप में काम किया और जब तक सलाहकार दल द्वारा कोई विशेष प्रकार की सिफारिश हमारे पास नहीं आती, तब तक इस दिशा में हमें कोई कार्यवाही नहीं करनी है।

**Export of Basmati Rice**

3618. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the quantity of Basmati rice exported by India during the current year; and

(b) the price of rice in the country at present as well as in the international market and the price being paid by the rice importing countries ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) :** (a) During the current year about forty thousand tonnes of superior basmati rice has been exported.

(b) Price of rice in the country as well as international market varies according to its variety and quality, and other factors. Currently market prices in the country and international market are ranging between Rs. 175 to Rs. 367 per quintal, and $300 to $450 per metric ton, FOB respectively.

**केरल में ग्रामीण रोजगार संबंधी द्रुत कार्यक्रम**

3619. **श्रीमती भार्गव तनकप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में ग्रामीण रोजगार द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समय कितनी योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्या उक्त प्रकार की कोई योजना राज्य के क्विलोन तथा त्रिवेन्द्रम जिलों में कार्यान्वित की जा रही है और यदि हां, तो अब तक इसमें क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इन जिलों में इन योजनाओं पर कितना अनुमानित व्यय हुआ है और कितना व्यय होने का अनुमान हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में भुखमरी के कारण एक युवती द्वारा कथित आत्महत्या**

3620. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में दक्षिणी मिर्जापुर के जोगेल प्रदेश में एक 16 वर्षीय युवती ने खाने के लिये भोजन के अभाव में कई दिन तक वृक्षों के पत्ते एवं घास खाने के बाद एक वृक्ष में फंदा डाल कर आत्म-हत्या कर ली थी;

(ख) क्या मृत शरीर पोस्ट-मार्टम के समय अंतड़ियों में पत्ते एवं घास पाई गई थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने भुखमरी से होने वाली उक्त प्रकार की मौतों के लिये कोई नया शब्द अथवा नाम दिया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे ):** (क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मोके पर की गई विस्तृत जांच से पता चला है कि मिर्जापुर जिले के जोगेल गांव में 13 वर्ष की एक लड़की ने पेड़ से लटक कर आत्म हत्या कर ली थी किन्तु उसने घरेलू झगड़े के कारण आत्महत्या की थी न कि भोजन की कमी के कारण। 9 सदस्यों के परिवार में वह भी एक थी जिनमें से सभी ने साग अर्थात् चना और बथुवा से मोटे अनाज 'सावन' की बनी रोटी खाई थी।

(ख) शव-परीक्षा के समय उसकी अंतड़ियों में हरे पत्ते की सब्जी 'चना और बथुआ' साग पाये गये थे न कि पत्तियां और घास।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**दिल्ली में स्कूल के भवनों की कमी**

3621. **श्री शिव शंकर प्रसाद यादव**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ऐसे समय पर जब कि स्कूल भवनों की अत्यधिक कमी है कई मिडल स्कूलों को चला रहा है जहां कि विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्कूलों में से कितने स्कूलों में 200 से कम बच्चे पढ़ते हैं ; और

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन का विचार 200 से कम संख्या वाले स्कूलों को स्थानीय/पास के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के साथ मिलाने का है ताकि वर्तमान स्कूल भवनों का उचित और बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) से (ग) दिल्ली में मिडिल स्कूल पहले दिल्ली नगर निगम के अधीन थे और जुलाई, 1970 से ये स्कूल दिल्ली प्रशासन द्वारा अपने अधिकार में ले लिये गये हैं। अगस्त, 1974 तक 180 ऐसे मिडिल स्कूल थे जिनमें 200 से कम बच्चे पढ़ते थे। यद्यपि, अधिकांश मामलों में कम भर्ती का कारण, स्थान की अपर्याप्तता है, तथापि कम विद्यार्थियों वाले ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ स्कूलों को उन क्षेत्रों में बच्चों को शैक्षिक सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्यों से चलाया जा रहा है।

दिल्ली प्रशासन ऐसे मिडिल स्कूलों को, यथासंभव, निकटतम उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के साथ मिला रहा है और कुछ मामलों में उनका दर्जा बढ़ाकर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के बराबर किया जा रहा है। आज तक ऐसे 109 स्कूलों को या तो मिला दिया गया है अथवा उनका दर्जा बढ़ा दिया गया है।

**छात्राओं द्वारा ग्रामीण नारियों को शिक्षित किया जाना**

3623. **श्री राजदेव सिंह**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने तालकटोरा इन्डोर स्टेडियम में महिला दिवस के संबंध में एक रंगारंग समारोह में भाग लेते हुए छात्राओं से अनुरोध किया था कि वे इस अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान ग्रामीण नारियों को उनके अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के बारे में शिक्षित करें; और

(ख) यदि हां, तो उन छात्राओं को इनकी छुट्टियों के दौरान समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने के लिये उनके शिक्षा संस्थानों द्वारा राज्य सरकारों के तथा केन्द्र सरकार के शिक्षा विभागों की सलाह से क्या व्यवस्था की जा रही है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार की राष्ट्रीय सेवा योजना के अधीन, छुट्टियां के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष शिविरों का आयोजन किया जाता है। कालेजों के छात्र (लड़के और लड़कियों) इन शिविरों में भाग लेते हैं और ग्रामीण समुदायों को लाभ पहुंचाने वाले विभिन्न कल्याण संबंधी कार्य जैसे कि प्रौढ़ शिक्षा, सफाई अभियान, सार्वजनिक प्रतिरक्षण, बच्चों की स्वास्थ्य जांच, स्कूल के बच्चों के लिये कोचिंग क्लास आदि करते हैं।

इस मामले पर स्त्रियों की शिक्षा से सम्बन्ध राष्ट्रीय परिषद् द्वारा भी विचार किया जायेगा।

### उर्दू संवर्धन संबंधी समिति

3624. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा तीन वर्ष पूर्व नियुक्त की गई उर्दू संवर्धन समिति इतनी अवधि से बिना कोई प्रतिवेदन पेश किये ही चली जा रही है जबकि इस बीच इसके 17 में से तीन सदस्यों की तो मृत्यु भी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति को परिसमाप्त करने तथा एक निश्चित अवधि के भीतर प्रतिवेदन देने हेतु एक नई छोटी-सी समिति बनाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस समिति को सक्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) से (ग) उर्दू की उन्नति के लिये समिति मई, 1972 में नियुक्त की गई थी। इसकी 25 बैठकें हो चुकी हैं तथा उसने अपनी उप-समितियों सहित 350 साक्षियों की जांच कर ली है तथा व्यक्तियों, संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, समाचारपत्रों और राज्य सरकारों से व्यापक सूचना और विचारों को इकट्ठा कर लिया है। क्योंकि समिति की रिपोर्ट को शीघ्र ही अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है, अतः इसे सक्रिय बनाने अथवा परिसमाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह उल्लेखनीय है कि दो सदस्यों का स्वर्गवास हो गया है।

### स्कूल तथा कालेज शिक्षा के नए ढांचे को अपनाना

3625. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल तथा कालेज शिक्षा के नये ढांचे के अपनाये जाने का शिक्षक समुदाय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या 10+2+3 वर्षों की प्रस्तावित पद्धति विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों के लिये एक समान अनुकूल होने के साथ स्कूल कालेज शिक्षा के स्तर की भी सुधारता है; और

(ग) क्या 10+2+3 वर्ष की पद्धति को सम्बद्ध अध्यापकों, विद्यार्थियों तथा अभिभावकों के बीच पूरी तरह विज्ञापित किया गया है और उन्हें समझाया गया है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) से (ग) कोठारी आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वीकार की थी। संसद् के दोनों सदनों में इस नीति पर बहस हुई थी तथा उसे पारित किया था। राष्ट्रीय नीति में प्रस्तावित एक मुख्य सुधार, देश में एक सामान्यतः एक समान शैक्षिक पद्धति थी जिसका मूल उद्देश्य 10+2+3 पद्धति को अपनाना है। स्कूल शिक्षा में एक और वर्ष की वृद्धि के फलस्वरूप स्वभावतः स्कूल स्तर पर, विशेषतः उच्चतर स्तरों पर, अध्यापकों के पदों की संख्या में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों को योग्यता की दृष्टि से बेहतर छात्र उपलब्ध होंगे।

स्कूल स्तर पर, विज्ञान शिक्षा अब कक्षा X तक सभी छात्रों को पढ़ाई जायेगी। कार्य अनुभव भी स्कूल शिक्षा का एक अनिवार्य अंग होगा। छात्रों को, जब तक वे कक्षा X पास न करलें, अर्थात् लगभग 16 वर्ष की आयु तक, अपने भावी जीवन के बारे में निर्णय लेने के लिए नहीं कहा जायेगा। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण एक ऐसा महत्वपूर्ण सुधार है जिसके फलस्वरूप आशा है कि स्कूल छोड़ने वालों में से कम से कम 50 प्रतिशत को रोजगार तुरन्त मिल जायेगा। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर काफी संख्या में रोजगार के लिये तैयार करने के विषय में तथा विश्वविद्यालय के लिए तैयार करने हेतु पाठ्क्रम उपलब्ध होंगे। दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों के बीच क्रेडिटों को परस्पर हस्तान्तरित किया जा सकेगा। परीक्षण प्रणाली का भी पुनर्गठन किया जायेगा ताकि स्टेट की विद्या और अंतिम पब्लिक परीक्षा के लिये ही कार्य करने पर दिये जाने वाले वर्तमान बल को दूर किया जा सके। व्यवहारिक कार्य, शारीरिक शिक्षा कार्य अनुभव इत्यादि को अधिक महत्व दिया जायेगा और छात्रों के मूल्यांकन में उसे सम्मिलित किया जायेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नये तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों की स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होगी, तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में उच्च स्तर की आशा की जा सकती है।

इस तरह आशा है कि शिक्षा की नयी पद्धति से छात्रों तथा अभिभावकों की आवश्यकता पूरी होगी और साथ ही साथ स्कूली तथा कालेज शिक्षा के स्तरों में भी वृद्धि होगी।

1966 में ही जब से यह प्रस्ताव प्रारम्भ किया गया था, इस नयी पद्धति पर के०शि०स० बोर्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य शिक्षा बोर्ड जैसे अनेक मंचों पर चर्चा की गई है। राज्य सरकारों ने उचित समय पर इस नयी पद्धति का प्रचार किया है।

**खाद्यान्नों के वर्तमान मूल्यों के बारे में यथा पूर्व-स्थिति बनाये रखने के लिए की गई कार्यवाही**

3626. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा खाद्यान्नों के भाड़े में वृद्धि किये जाने के कारण खाद्यान्नों के मूल्यों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने खाद्यान्नों के वर्तमान मूल्यों के बारे में यथा पूर्व-स्थिति बनाये रखने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल):** (क) और (ख) खाद्यान्नों के मूल्यों पर भाड़े में अनुमानतः लगभग 2.50 रु० प्रति क्विंटल की औसतन वृद्धि हुई है। तथापि, इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य में वृद्धि करने के प्रश्न पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है।

**महाराष्ट्र राज्य में सूखा-उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम में सिंचाई परियोजनाएं**

3627. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में सूखा-उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम में सिंचाई परियोजनाओं के लिये क्षेत्रों का चयन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या ये क्षेत्र भी वही हैं जिनका चुनाव सुखथंकर समिति द्वारा किया गया था ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) :** (क) से (ग) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य के छः सूखाग्रस्त जिले अर्थात् पूना, सतारा, सांगली, नासिक, अहमद नगर और शोलापुर आते हैं। अहमदनगर और शोलापुर के लिए परियोजना रिपोर्टें तैयार कर ली गई हैं और सिंचाई परियोजनाओं का पता लगा लिया गया है। दूसरे 4 जिलों के बारे में इसी प्रकार की रिपोर्टों की प्रतीक्षा है।

सूखांकर नाम की राज्य तथ्यान्वेषण समिति ने सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान 6 कार्यक्रम जिलों के अलावा, औरंगाबाद, भीर, उस्मानाबाद, जल गांव, धुलिया और बुलधाना जिलों के नये इलाकों को शामिल करने की सिफारिश की थी। तथापि, सीमित संसाधनों के कारण नये इलाकों को इसमें शामिल करना संभव नहीं हुआ है।

**सूखा उन्मुख क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं में धन लगाने के लिए विदेशी एजेन्सी**

3628. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विदेशी एजेंसियों ने सूखा-उन्मुख क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं में धन लगाने की पेशकश की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें आपात आधार पर हाथ में लिये जाने की संभावना है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) :** (क) से (ग) विश्व बैंक ने सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत छः परियोजनाओं अर्थात् महाराष्ट्र में अहमदनगर तथा शोलापुर, राजस्थान में जोधपुर तथा नागौर, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर और कर्नाटक में बीजापुर के लिए धन देना स्वीकार कर लिया है। यह सहायता कुल 350 लाख रुपये की होगी जो पांच वर्षों की अवधि में दी जायेगी। इनकी विभिन्न गतिबिधियों में लघु सिंचाई, जल विभाजक प्रबन्ध, शुष्क भूमि खेति में सुधार करना, पशु धन विकास आदि शामिल हैं।

## गेहूं तथा गेहूं उत्पाद विकास परिषद्

3629. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में गेहूं तथा गेहूं उत्पाद विकास परिषद् की कितनी बैठकें हुई;

(ख) इस परिषद् की स्थापना कब की गई थी और तब से इस परिषद् पर कितना धन व्यय किया गया है;

(ग) इस परिषद् को अब तक क्या सफलता प्राप्त हुई है; और

(घ) क्या इस परिषद् को समाप्त करने का विचार है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) से (घ) परिषद् की स्थापना 30 मार्च, 1972 को की गई थी और उस पर नवम्बर, 1974 तक लगभग 57,958.00 रु० खर्च किए गए हैं। परिषद् की अभी तक कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है। तथापि, महत्वपूर्ण गेहूं निर्यातक देशों में क्षेत्र, उत्पादन, खपत के तौर-तरीके और गेहूं की किस्म के बारे में आंकड़े एकत्रित करने और संकलित करने जैसा काफी प्रारंभिक कार्य किया गया है। 'मानव की प्रगति में गेहूं की भूमिका' पर फरवरी, 1974 में एक गोष्ठी आयोजित की गई थी और देश में गेहूं के पदार्थों की किस्म में सुधार करने के लिए तौर-तरीके निकालने के लिए कलकत्ता में भी एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। वर्तमान खाद्य स्थिति और अन्य संगत तथ्यों के संदर्भ में इसको जारी रखने अथवा न रखने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

## धान के उत्पादन तथा चावल में प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि के लिये नये तरीके

3630. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
**श्री श्रीकिशन मोदी :**
**श्री डी० डी० देसाई :**
**श्री पी० गंगादेव :**

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान के उत्पादन में तथा चावल में प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि करने के लिये कलकत्ता विश्वविद्यालय के कृषि कालेज ने किसी नये तरीके का विकास किया है;

(ख) क्या इस तकनीकी के संबंध में व्यापक प्रयोग किये गये थे; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) :** (क) से (ग) इन प्रश्नों के उत्तर से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है और सूचना प्राप्त होते ही उसे सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

**व्यास तथा रावी नदियों के जल के वितरण के बारे में वार्ता**

3631. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जनवरी, 1975 में दिल्ली में पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बैठक में व्यास तथा रावी नदियों के लिए जल के वितरण के संबंध में कोई बातचीत हुई थीं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह)** : (क) पंजाब और हरियाणा के मुख्य-मंत्रियों के साथ एक बैठक 23 जनवरी, 1975 को होनी थी। बहरहाल, चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर मौसम खराब हो जाने के कारण पंजाब के मुख्यमंत्री बैठक के लिए न आ सके और यह बैठक न हो सकी ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**पंजाब में फसल बीमा योजना**

3632. **श्री रघुनन्दल लाल भाटिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने हाल ही में फसल बीमा योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना को प्रयोग के आधार पर 1,000 एकड़ कपास की फसल पर लागू किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां)** : (क) से (ग) सामान्य बीमा निगम ने पंजाब के फाजिल्का सब डिवीजन के अबोहर इलाके में अमेरिकन कपास के लिए एक पाइलट फसल बीमा योजना आरंभ करने का सिद्धान्त रूप में निर्णय किया है। इस योजना के अन्तर्गत 1000 एकड़ भूमि लाये जाने की संभावना है। इस योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और उसे शीघ्र ही अंतिम रुप दे दिया जाएगा।

**आवास और नगरीय विकास निगम द्वारा स्वीकृत आवास हेतु ऋण की नयी योजनाएं**

3633. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

**श्री श्रीकिशन मोदी :**

**श्री डी० डी० देसाई :**

**श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

**श्री पी० गंगादेव :**

**श्री गजाधर माझी :**

**श्री अर्जुन सेठी :**

**श्री वीरभद्र सिंह :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और नगरीय विकास निगम ने आवास हेतु ऋण की कुछ नयी योजनायें मंजूर की हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल राशि कितनी है; और

(ग) क्या स्वीकृत नयी योजनायें देश के विभिन्न भागों में हैं ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) से (ग) आवास तथा नगर विकास निगम ने दिसम्बर, 1974 में 42 योजनाएं स्वीकृत कीं जिनकी ऋण की वचनबद्धता 20.95 करोड़ रुपये हैं। ये योजनाएं 12 राज्यों से संबंधित हैं। दिसम्बर, 1974 के बाद कोई नई योजना स्वीकृत नहीं की गई है।

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुझाये गये नये वेतनमान विश्वविद्यालय शिक्षकों को अस्वीकार्य

3634. **श्री श्री किशन मोदी :**

**श्री डी० डी० देसाई :**

**श्री नारायण चन्द पराशर :**

**श्रीमती सावित्री श्याम :**

**श्री अनादि चरण दास :**

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुझाये गये नए वेतनमान विश्वविद्यालय के शिक्षकों को स्वीकार्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या नए वेतनमानों से जुड़ी विश्वविद्यालय आयोग की शर्तें विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर कुठाराघात करती है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) :** (क) परिशोधित वेतनमानों का अध्यापकों ने आमतौर पर स्वागत किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**रुई विकास सम्बन्धी प्रगति**

3635. **श्री श्री किशन मोदी :**

**श्री डी० डी० देसाई :**

**श्री अनादि चरण दास :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई के विकास के संबंध में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या रुई की किसी रोग रोधक किस्म का विकास किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) और (ख) जी, हां। 1965-66 में कपास का उत्पादन 45.82 लाख गांठें था। वह 1973-74 में बढ़कर 58.19 लाख गांठें हो गया है। 1971-72 के दौरान 65.64 लाख गांठों का रिकार्ड उत्पादन हुआ था। यद्यपि, 1974-75 की अवधि के कपास के उत्पादन के सरकारी अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी अनुमान है कि 60 लाख गांठों का उत्पादन होगा। कपास का उत्पादन बढ़ाने हेतु, राज्य सरकार के प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिये, भारत सरकार समस्त कपास उगाने वाले प्रमुख राज्यों में सघन कपास जिला कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजना की क्रियान्विति कर रही है। भारत सरकार इस योजना के अन्तर्गत स्टाफ की नियुक्ति करने और आनुषंगिक व्यय के लिये पूरी वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत, बीजों, वनस्पति रक्षण उपस्करों की खरीद व प्रदर्शनों आदि के लिये भी राजसहायता दी जाती है।

(ग) अभी तक कपास की किसी पूर्ण रोग रोधक किस्म का विकास नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**गहरे समुद्र में मछली पकड़ना**

3636. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का कार्य आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अग्रिम कार्यवाई की गई है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभूदास पटेल)** : (क) जी हां। पांचवीं योजनावधि के दौरान गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के 200 जलयानों को काम में लाने का प्रस्ताव है।

(ख) सरकार ने इच्छुक पार्टियों द्वारा सीमित मात्रा में ट्रालर आयात करने की एक योजना को जून 1973 में अधिसूचित किया था। इस योजना के अनुसार प्रत्येक ऐसी पार्टी को, जिसे मछली पकड़ने वाले जलयान आयात करने की अनुमति दी जाती है, किसी देशीय शिपयार्ड में उतनी ही संख्या

में जलयान तैयार करने होंगे जितने जलयानों के आयात की उन्हें अनुमति दी जाती है। अधिसूचना के अनुसार इटली तथा मैक्सिको से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले 50 जलयान आयात करने के विषय में प्रबंध किए गए हैं। सरकार ने चुने हुए मैक्सीकन तथा इटालियन शिपयार्डों के साथ करार किया है जिसके अनुसार वे शिपयार्ड जिस किस्म के जलयान सप्लाई करेंगे उस किस्म के डिज़ायन तथा शाप फ्लोर ड्राईंग मुफ्त सप्लाई करेंगे। डिजाइन तथा शाप फ्लोर ड्राईंग प्राप्त होने से मछली पकड़ने वाले जलयानों के देशी निर्माण में सुविधा रहेगी। यह केवल ट्रालरों के आयात के लिये योजना के भाग के रूप में ही नहीं होगी बल्कि इससे पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बकाया लक्ष्य को भी पूरा किया जा सकेगा।

### कृषि विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतनमानों को लागू करना

3637. **श्री पी० जी० मावलंकर**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षकों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान देश के कृषि विश्वविद्यालय में लागू किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में तथ्य क्या हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खान)**: (क) से (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किये गये नये संशोधित वेतनमानों को कृषि विश्वविद्यालयों में भी लागू करने की बात सिद्धान्तः स्वीकार कर ली है। इन वेतनमानों को लागू करने पर होने वाले व्यय संबंधी अनुमान और इसके लिए अपेक्षित क्रियाविधि तैयार करने के लिए राज्य सरकारों के कृषि विश्वविद्यालयों को लिखा जा रहा है।

### गुजरात में उच्च शिक्षा सम्बन्धी जॉन समिति

3638. **श्री पी० जी० मावलंकर**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले दस वर्षों के दौरान गुजरात में उच्च शिक्षा के संबंध में वी०वी० जॉन समिति की रिपोर्ट पर गुजरात सरकार ने अब विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त रिपोर्ट कब तक जनता को उपलब्ध की जायेगी; और

(घ) अब तक इसे प्रकाशित न करने के क्या कारण है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरूल हसन)**: (क) से (घ) गुजरात सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, समिति की रिपोर्ट अभी उनके विचाराधीन है तथा यह अभी तक जनता के लिये उपलब्ध नहीं की गई है।

**गुजरात में सरकारी कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु ऋण**

3639. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1972-1973 और 1974 के दौरान रिहायशी मकानों का निर्माण करने के लिए गुजरात में अहमदाबाद और अन्य स्थानों में काम कर रहे और रह रहे केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को सरकार ने कोई ऋण मंजूर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने 1972-73 तथा 1973-74 में राज्य सरकार के कर्मचारियों को जिनमें अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी शामिल हैं, 195.69 लाख रुपये के ऋण दिये हैं। राज्य सरकार ने 1974-75 में ऋण देने हेतु 74.46 लाख रुपये की व्यवस्था की है।

1972-1973 तथा 1974 के दौरान भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों सहित) तथा भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आये राज्य अधिकारियों को 27.52 लाख रुपये के ऋणों की स्वीकृति दी है।

**राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों की नीलामी**

3640. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के दौरान भारत के राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा कुल कितनी राशि के विभिन्न किस्मों के बीज नीलामी द्वारा बेचे गये;

(ख) क्या ये सभी बीज किसानों को बहुत कम माला में सप्लाई किए गए;

(ग) क्या उपर्युक्त बीज मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं थे; और

(घ) सार्वजनिक नीलामी द्वारा बीजों को बेचने के क्या विशिष्ट कारण थे और इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) राष्ट्रीय बीज निगम नीलामी करके बीज नहीं बेचता। राष्ट्रीय बीज निगम के बीज व्यापारियों या क्षेत्रीय कार्यालयों या राज्य सरकारों के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से बेचे जाते हैं। परन्तु ज्यादा पुराने होने के कारण जिन बीजों की उर्वरता कम हो जाती है या जो निगम द्वारा निर्धारित स्टेन्डर्डों के अनुसार पूरे नहीं उतरते उन्हें नाकारा घोषित कर दिया जाता है। ऐसे खराब बीज उनकी माला तथा क्वालिटी के अनुसार कुटेशन, टेन्डरों तथा नीलामी द्वारा बेचे जाते हैं। 1973-74 के दौरान 7.91 लाख रु० के खराब बीज बेचे गए।

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम केवल स्टेन्डर्ड क्वालिटी के बीज बेचता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि बीजों की क्वालिटी गिर जाती है तो उन्हें किसानों को सप्लाई नहीं किया जाता। अतः चाहे बीजों की सप्लाई में कितनी ही कमी क्यों न हो राष्ट्रीय बीज निगम घटिया किसम के बीज किसानों

को सप्लाई नहीं करेगा। यह उल्लेखनीय है कि 1973-74 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम ने बढ़िया बीजों की लगभग सभी माँगों को पूरा कर दिया था।

(ग) खराब घोषित होने वाले बीज मानव खपत के योग्य नहीं होते क्योंकि उनका दवाओं से उपचार किया होता है।

(घ) खराब बीज बुवाई काम के लिए नहीं बेचे जाते। सामान्यतः उन्हें स्टार्च या कुक्कुटों का चारा बनाने वालों को बेच दिया जाता है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं होता।

**वर्ष 1974-75 के दौरान सरकार को धोखा देने के कथित प्रयास में गिरफ्तार किए गए भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी**

3641. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के साथ धोखाधड़ी करने के कथित प्रयास के लिए वर्ष 1974-75 के दौरान 28 फरवरी, 1975 तक विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के कुल कितने कर्मचारी गिरफ्तार किए गए; और

(ख) उन कर्मचारियों का नाम आदि क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) :** (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

**Memorandum by F.C.I. Workers Union**

3642. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the Food Corporation of India Workers Union had submitted on 10th December, 1974 an eleven point momorandum to the Chairman of the Food Corporation of India;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel) :** (a) to (c) In the Memorandum the Food Corporation of India Workers' Union raised a number of demands regarding their service conditions etc. but their main demand pertained to the reinstatement of 887 workers retrenched as a consequence of the de-hiring of surplus storage capacity by the Food Corporation of India in the Calcutta complex. All the demands were discussed at a series of meetings held with the Food Corporation of India Workers' Union, some of which were at the level of Dr. Gopal Dass Nag, Minister of State for Labour, West Bengal. On consideration of the relevant issues, in the last offer made in February, 1975, the Food Corporation of India proposed to take back 325 to 350 retrenched workers subject to verification of antecedents, medical examination and an undertaking being given for the maintenance of discipline and industrial peace.

**चीनी के मूल्य में वृद्धि**

3643. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक बार फिर चीनी के मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है, जिसके फलस्वरूप चीनी के भाव 320 रुपये से बढ़कर 350 रु० प्रति क्विन्टल हो जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**प्रत्येक विश्वविद्यालय में केन्द्रीय उपकरण (इंस्ट्रूमेंटेशन) प्रयोगशाला**

3644. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में केन्द्रीय उपकरण (इंस्ट्रूमेंटेशन) प्रयोगशाला स्थापित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके प्रयोजन क्या हैं; और

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसी प्रयोगशालाओं को बड़े पैमाने पर सहायता देगा ?

**शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) :** (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, विभिन्न क्षेत्रों में कुछ विश्वविद्यालयों में उपकरण (इंस्ट्रूमेंटेशन) केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है। प्रस्ताव के ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं।

**Protection of Animals from Cruelty**

3645. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the scheme of Government for the protection of animals from cruelty;

(b) the number of places in the country where the scheme has been introduced; and

(c) the main features thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel) :** (a) The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960) was enacted to prevent infliction of unnecessary pain and suffering on animals and towards this objective the then existing law for prevention of cruelty was amended.

(b) The Act is applicable to the whole of the country except the state of Jammu and Kashmir.

(c) The Animal Welfare Board and the Committee for Control and Supervision of Experiments on Animals have been established and entrusted with the responsibilities envisaged in the Act. Cruelty to animals is defined in the Act above and is a punishable offence.

**Tax dues etc. outstanding against Lord Krishna Sugar Mills, Saharanpur**

3646. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the amount of tax dues payable to Government by Lord Krishna Sugar Mills, Saharanpur during 1971-72, 1972-73 and 1973-74;

(b) the amount of arrears payable to Ganna Vikas Samiti;

(c) the action being taken by Government to recover this amount; and

(d) whether Government propose to nationalise the said mill ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) :** (a) Nil, as ascertained from the Government of Uttar Pradesh.

(b) : (Figures in lakh rupees)

| | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 |
|---|---|---|---|
| (i) Cane price arrears | 8.04 | 29.38 | Nil |
| (ii) Society Commission | .. | 2.25 | 1.11 |

(c) & (d) There is, at present, no proposal to nationalise the mill. However, since January 74, the management of the mill has been taken over by the State Government under the Defence of India Rules and entrusted to the U.P. State Sugar Corporation who will take action to clear the arrears to the extent possible during the current season.

**भारतीय खाद्य निगम में पूंजी में निवेश, 'टर्न-ओवर' और उसको लाभ/घाटा**

3647. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1974 के अन्त की अवधि में भारत सरकार के एक उपक्रम, भारतीय खाद्य निगम में कुल कितनी पूंजी लगी हुई थी;

(ख) कुल पूंजी-निवेश में केन्द्रीय सरकार का कितना अंश था;

(ग) वर्ष 1972 से 1974 के दौरान उसमें, वर्षवार कुल कितना 'टर्न ओवर' हुआ;

(घ) वर्ष 1972 से 1974 के दौरान हुए लाभ अथवा हानि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1972 से 1974 के दौरान कुल पूंजी निवेश पर लाभ की दर और कुल बिक्री का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** (क) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय सरकार का एक प्रतिष्ठान है जिसमें 83.71 करोड़ रुपए की सारी ईक्विटी पूंजी भारत सरकार द्वारा लगाई गई है। निगम का 1971-72, 1972-73 और 1973-74 (अस्थायी) के दौरान कुल कारोबार क्रमश: 1693, 2035 और 2799 करोड़ रुपये का हुआ था। सरकार निगम को भारत सरकार की ओर हुए कारोबार उसकी वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति करती है। लाभ या हानि निगम के केवल वाणिज्यिक कार्यों पर होती है। वाणिज्यिक कार्य उसके सारे कारोबार का थोड़ा सा

अनुपात होता है। इसलिए कुल पूंजी निवेश या कुल कारोबार पर लाभ की दर का ठीक-ठीक हिसाब लगाना मुश्किल होता है। तथापि, 1971-72; 1972-73 और 1973-74 (अस्थायी) के दौरान कर-पूर्व लाभ क्रमशः 1.01, 0.71 और 1.24 करोड़ रुपये हुआ था। ईक्विटी पूंजी पर लाभ की प्रतिशतता क्रमशः 1.3, 0.9 और 1.5 बैठती है। सारे कारोबार पर लाभ की प्रतिशतता प्रत्येक वर्ष के लिए 0.05 के आसपास निकलती है।

**आवास योजना के लिये राज्य-वार केन्द्रीय आवंटन, धन वितरण और खर्च**

3648. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 से 1973-74 की अवधि के दौरान (एक) राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना, (दो) निम्न तथा मध्य आय समूह योजना, (तीन) ग्रामीण आवास योजना और (चार) बागान श्रमिक आवास योजना के लिये राज्यवार केन्द्रीय आवंटन, वितरण एवं वास्तविक व्यय क्या था;

(ख) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक योजना के अधीन प्रत्येक राज्य में कितने मकान बनाने की योजना थी, और कितने मकान वास्तव में बनाये गये;

(ग) क्या कुछ आवास योजनाओं में मकान बनाने तथा धन के नियतन की दृष्टि से प्रगति बहुत धीमी है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) 1969-70 से 1973-74 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित दो आवास योजनाओं के अलावा, समस्त सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में थी :—

(i) बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना; तथा

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना।

उपर्युक्त (i) में उल्लिखित योजना वर्ष 1970-71 से राज्य क्षेत्र से केन्द्रीय क्षेत्र में हस्तांतरित कर दी गई थी। उपर्युक्त (ii) में उल्लिखित योजना अक्तूबर, 1971 में एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में आरम्भ की गई थी तथा इसके कार्यान्वियन के लिए निधियों की व्यवस्था 1972-73 से की गई थी। इन दो केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति के दो विवरणों के अनुलग्नक I तथा II संलग्न हैं। **[ग्रंथालय में रखे गये—देखिए संख्या एल०टी०-9203/75]**।

अन्य समस्त सामाजिक आवास योजनाओं, जो राज्य क्षेत्र में है, के लिए राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता समस्त राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए कुल मिलाकर 'समेकित ऋणों' तथा 'समेकित अनुदानों' के रूप में दी जाती थी जिसमें सामाजिक आवास योजनाएं शामिल हैं तथा यह सहायता किसी योजना विशेष, परियोजना अथवा विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं की जाती। राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं तथा परियोजनाओं पर उन द्वारा निर्धारित की गई आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार, समेकित सहायता के नियतन तथा उपयोग करने में स्वतंत्र थीं। अतः राज्य क्षेत्र की प्रत्येक सामाजिक आवास योजना के लिए इस अवधि के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता के नियतन का प्रश्न नहीं उठा।

(ख) विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत 1969-70 से 1973-74 तक की अवधि के दौरान हुई वास्तविक प्रगति के दो विवरण अनुलग्नक III तथा IV संलग्न हैं। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-9203/75]।**

(ग) तथा (घ) विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत प्रगति धीमी रही है। समस्त संसाधनों की कमी तथा अन्य अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उच्चतर प्राथमिकता देने के कारण देश की आवास समस्या के पर्याप्त समाधान के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाया है।

## कलकत्ता विश्वविद्यालय के व्यावहारिक गणित विभाग का शोध अध्ययन केन्द्र के रूप में चयन

3649. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री कलकत्ता विश्वविद्यालय के एप्लाइड मैथिमैटिक्स विभाग का शोध अध्ययन केन्द्र के रूप में चयन के बारे में 11 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 191 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रो० रामनाथन तथा प्रो० अत्रेय ने इस केन्द्र हेतु अध्ययन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में स्वीकृत कोई पत्र अथवा पुस्तक प्रकाशित की है या इन क्षेत्रों में अध्यापन अथवा मार्गदर्शन देने का कार्य किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या व्यावहारिक गणित में शोध अध्ययन के केन्द्र के मूल्यांकन के लिये इन दोनों विशेषज्ञों की नियुक्ति से यह पता नहीं चलता है कि इस केन्द्र के लिये स्वीकृत विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त व्यावहारिक गणितिज्ञों की वास्तविक कमी है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है, तो इस प्रकार उन्हीं को चुनने के क्या कारण हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) :** (क) और (ख) प्रोफेसर रामनाथन और प्रोफेसर अत्रेय विख्यात गणितज्ञ हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचार में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रयुक्त गणित के उच्च अध्ययन केन्द्र के कार्य का मूल्यांकन करने में सक्षम हैं। एक ख्याति प्राप्त विद्वान, यदि सम्बन्धित विषय में उसकी सम्पूर्ण क्षमता स्वीकार कर ली गई हो, तो जिस क्षेत्र में उसने अनुसंधान किया हो, उसके अलावा भी वह किसी भी केन्द्र के विकास तथा कार्यों का संपूर्ण निरीक्षण कर सकता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रो० रामनाथन तथा प्रो० अत्रेय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्र के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त समझे गए थे।

**राज्यों द्वारा आवास हेतु उपयोग की गई केन्द्रीय राशि**

3650. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या निर्माण और आवास मंत्री** आवास हेतु राज्यों द्वारा उपयोग की गई केन्द्रीय राशि के बारे में 16 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4676 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षाकृत जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में ब्यौरा क्या है ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) तथा (ख) सूचना अभी भी एकत्र की जा रही है तथा शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**दिल्ली में पर्यवेक्षी कर्मचारियों की नियुक्ति को जारी रखना**

3651. **श्री मूल चन्द डागा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्वस्थता दल के पर्यवेक्षी कर्मचारियों को खपाने की मांग अस्वीकार कर दी थी;

(ख) क्या बिना किसी भी प्रकार के काम के दिल्ली के पर्यवेक्षी कर्मचारियों की नियुक्ति को जारी रखने के बारे में केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार के लेखा परीक्षा दल ने गंभीर लेखा-परीक्षा सम्बन्धी आपत्तियां की हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त लेखा-परीक्षा सम्बन्धी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए उक्त कर्मचारियों के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) इन कर्मचारियों के बारे में उठाई गई लेखा परीक्षा आपत्तियों का ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) और (ग) दिल्ली प्रशासन राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के स्टाफ को खपाने के लिए अब सहमत हो गया है और उसने उनको खपाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ख) और (घ) महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व के लेखा परीक्षा दल ने स्थानीय निरीक्षण के दौरान इस बात का उल्लेख किया है कि पर्यवेक्षी स्टाफ ने जिस कार्य के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया था, उसके अलावा उन्हें अन्य कार्य पर नियुक्त किया गया है। अतः उन्हें लाभप्रद ढंग से नियुक्त नहीं समझा जा सकता। उन्होंने यह सुझाव दिया कि इन व्यक्तियों को लाभप्रद ढंग से नियुक्त करने की संभावना का शीघ्र ही पता लगाया जाए।

**Central Social Welfare Board**

3652. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the name of the members of Central Social Welfare Board;

(b) the functions thereof and its annual administrative expenditure; and

(c) whether the function of Central Social Welfare Board is only to give financial assistance to the well established institutions and if so, State-wise names of the institutions which were given financial assistance in 1973-74 indicating the amount given to each one of them ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam)** : (a) to (c) A Statement giving the requisite information is enclosed. [**Placed in the Library. See No. LT-9204/75**].

**Work of Exploratory Wells in States**

3653. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) when the exploratory work of wells was started in the country and the scope of this programme;

(b) the States where this work has been completed and the total expenditure incurred thereon;

(c) whether the exploratory work of wells has been entrusted to the States; if so, when; and

(d) the extent of this work accomplished by each State; and the extent of this work completed so far or in progress in Rajasthan ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan)** : (a) Ground water exploration through deep exploratory wells in the country was initially taken up by the Exploratory Tubewells Organisation (now Central Ground Water Board) in 1954. This work comprised test drilling including electric logging of the boreholes and yield tests in sedimentary areas considered worthy for large scale groundwater development through deep tubewells.

(b) So far Central Ground Water Board has completed the exploratory work in parts of Assam, Andhra Pradesh, Bihar, Delhi, Gujarat, Chandigarh, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Uttar Pradesh, Orissa, Tamil Nadu, Rajasthan, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra and West Bengal.

The total expenditure incurred upto 31st March, 1974 by the Central Ground Water Board on groundwater exploration has been 1524.75 lakhs.

(c) Yes, Sir. 'Water' being a State subject, the responsibility for day to day planning of the programme and for micro level data collection relating to exploratory work from all sources including the on-going production programmes which throw a lot of valuable data, for filling up the gaps in the available information in collaboration with the Central Ground Water Board, for local analysis and correlation of the data collected; and for continuous study of the ground water in this regard through observation of water levels/pressure and

testing chemical quality of water on established grids of observations wells rests with the State Governments. The State Governments were provided Central assistance for building up adequate ground water organisations to perform these functions during 1966-67 and the two subsequent years.

(d) The work of data collection and planning of ground water schemes is a sort of continuous process in which the quality of data collection gets and/or has to be gradually improved and refined as the programme advances. As far as Rajasthan is concerned, the work relating to ground water investigations is in a fairly advance stage.

**एम० ए० (हिन्दी) को शैक्षिक योग्यता वाले टी० जी० टी० अध्यापकों को पदोन्नति के अवसर न देना**

3654. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाषा-अध्यापकों के अलावा अन्य एम०ए० (हिन्दी) की योग्यता वाले और शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन में पन्द्रह वर्षों से अधिक समय से सेवा कर रहे टी०जी०टी० अध्यापकों को पी०जी०टी० के लिए पदोन्नति के अवसर नहीं दिये गये हैं और न सेलेक्शन ग्रेड ही दिया गया है तथा भाषा अध्यापक (एम०ए० हिन्दी) के रूप में काम कर रहे और सेवा में कनिष्ठ व्यक्तियों की तुलना में उनकी उपेक्षा की गई है ;

(ख) अक्तूबर, 1959 से काम कर रहे, भाषा-अध्यापकों के अलावा अन्य टी०जी०टी० (एम०ए० हिन्दी) अध्यापकों की पी०जी०टी० वेतनमान में पदोन्नति और सेलेक्शन ग्रेड देने का क्या मानदन्ड है; और

(ग) ऐसे टी०जी०टी० अध्यापकों की संख्या कितनी है जिन्हें पी०जी०टी० वेतनमान या सेलेक्शन ग्रेड या दोनों से कोई भी नहीं दिया गया है, इसके क्या कारण हैं और अनुमानतः कब तक उनकी स्थिति में सुधार होगा या वे केवल टी०जी०टी० अध्यापकों के रूप में ही सेवा निवृत्त होंगे ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन, भाषा पढ़ाने वाले टी०जी० अध्यापकों का, जिन्हें भाषा अध्यापक समझा जाता है, तथा अन्य विषय पढ़ाने वाले टी०जी० अध्यापकों का, जिन्हें टी०जी० अध्यापक (भाषा के अलावा अन्य) समझा जाता है, अलग-अलग काडर रखता है। पी०जी० अध्यापकों के पदों पर पदोन्नति उनके अपने-अपने काडरों में से की जाती है, जो पात्रता की शर्तें पूरा करने पर निर्भर करती है, अर्थात् संबंधित विषय में उत्तर-स्नातक अर्हता तथा पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव। इन आवश्यकताओं के अनुसार, कोई टी०जी० अध्यापक, जो भाषा अध्यापकों के कारड में शामिल नहीं है, पी०जी० अध्यापक (भाषा) के पद पर पदोन्नति पाने के लिए हकदार नहीं होता है। चाहे उसके पास हिन्दी में एम० ए० की डिग्री हो।

जहां तक प्रवरण ग्रेडों का सम्बन्ध है, वर्तमान आदेशों के अनुसार, प्रत्येक वर्ग में स्थायी पदों के 15 प्रतिशत पद प्रवरण ग्रेड के होते हैं। केवल सहायता प्राप्त स्कूलों के मामले में, जहां एक वर्ग में दो अथवा अधिक पद स्थायी हों, 15 प्रतिशत की सीमा में रियायत देते हुए एक पद को प्रवरण ग्रेड में परिवर्तित कर दिया जाएगा। प्रवरण ग्रेडों में नियुक्तियां वरीयता के आधार पर की जाती हैं बशर्ते कि उम्मीदवार उपयुक्त हो। संबंधित काडरों में प्रवण ग्रेड के पदों को भरने के लिए पी० जी० अध्यापकों के काडर में पदोन्नति के लिए जिस सिद्धांत का ऊपर उल्लेख किया गया है, उन्हीं का पालन किया जाता है।

(ग) सरकारी स्कूलों में ऐसे टी०जी० अध्यापकों की संख्या, जो कि न ही पी०जी०टी० के वेतन-मानों में हैं और न ही टी०जी०टी० के प्रवरण ग्रेड में हैं; 7230 है। टी०जी० अध्यापकों की पी०जी० अध्यापकों के पद पर पदोन्नति, समय-समय पर रिक्त स्थानों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसी तरह से, प्रवरण ग्रेड का दिया जाना भी स्थायी पदों के 15 प्रतिशत पदों के बराबर प्रवरण ग्रेड के पदों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

**आस्ट्रेलिया से गेहूं को सप्लाई**

3656. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

**क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया हमारे देश में सीमित मात्रा में गेहूं की सप्लाई करने के लिए सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा के बारे में सहमति हुई है ; और

(ग) उक्त सप्लाई की शर्तें क्या हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) से (ग) 1974-75 के दौरान अब तक आस्ट्रेलिया से नकद भुगतान कर वाणिज्यिक आधार पर 2 लाख मी० टन गेहूं की खरीदारी की गई है। आस्ट्रेलिया सरकार ने 40.00 हजार मी० टन गेहूं उपहार रूप में भी दिया है जिसमें से 20.00 हजार मी० टन गेहूं अब तक भारत द्वारा आयात किया जा चुका है। उपहार वाले गेहूं के लिए भाड़ा देने का दायित्व भारत सरकार का है।

**डी० ए० पी० उर्वरक की क्वालिटी**

3657. **चौधरी दलीप सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०ए०पी० उर्वरक की घटिया किस्म के बारे में सरकार को किसानों से इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि 150 रुपये प्रति क्विंटल की ऊंची कीमत पर उपलब्ध होने के बावजूद यह उर्वरक वर्तमान फसल के लिये अनुपयोगी सिद्ध हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उर्वरक को अधिक उपयोगी बनाने के लिये उसकी किस्म में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**खेल संगठनों का बाहुल्य**

3658. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेल संगठनों के बाहुल्य से आपसी मनमुटाव पैदा हो रहा है जिससे देश में खेलों की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;



18LSS/75—8

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे संगठनों की संख्या को कम से कम करने और केन्द्रीय तथा राज्य एककों के बीच उचित तालमेल रखने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो देश में खेलों के वर्तमान स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इस बारे में किस प्रकार की कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) से (ग) सरकार को कुछ राष्ट्रीय खेल संघों/संगठनों में विद्यमान उस गुटबन्दी की जानकारी है जिससे इन निकायों के सामान्य कार्य संचालन में रुकावट हो रही है । क्योंकि ये राष्ट्रीय खेल संघ/संगठन स्वायत्त संगठन हैं इसलिये सरकार इनमें हस्तक्षेप करना ठीक नहीं समझती है ।

### पांचवी योजना में गंदी बस्ती हटाने तथा नगरीय आवास के लिये नियतन

3659. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में गन्दी बस्ती हटाने तथा केन्द्रीय क्षेत्रों में नगरीय आवास के लिये विभिन्न राज्यों को कितना नियतन किया गया है ; और

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि में, राज्यवार, कितना-कितना नियतन किया गया है ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) गन्दी बस्ती उन्मूलन तथा अन्य नगरीय आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं । निधियां समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती हैं । राज्य इस प्रकार दी गई निधियों का उपयोग अपनी प्राथमिकताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार करने में स्वतंत्र है ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी गन्दी बस्ती उन्मूलन योजनाएं तथा अन्य नगरीय आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं तथा राज्य सरकारों को निधियां समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है ।

### भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रति एकड़ चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिये की गई प्रगति

3660. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री **यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रति एकड़ चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप खाद्य समस्या कहां तक सुलझ जायेगी ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) :** (क) 1. 1966-67 को आधार वर्ष मानें तो (जब अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रचलन शुरू हुआ था) उस समय जो अखिल भारतीय औसत प्रति हैक्टर उपज 863 किलो थी, बाद के वर्षों में बढ़ कर वह प्रति हैक्टर 1032 से 1151 किलो तक पहुंच गयी । इस अवधि में एक साल से दूसरे साल की औसत उपज में भिन्नता का संभावित कारण अधिकतर जलवायु की स्थितियों में परिवर्तन होना है ।

2. कुछ राज्यों की प्रति हैक्टर उपज में काफी अधिक वृद्धि हुई है, जैसा नीचे दिखाया गया है :

| राज्य | उपज किलो/है० (1966–67) | उपज किलो/है० (1970–73) |
|---|---|---|
| पंजाब | 1186 | 2289 |
| हरियाणा | 1162 | 1849 |
| तमिलनाडु | 1557 | 2035 |
| कर्नाटक | 1456 | 1812 |
| आंध्र प्रदेश | 1460 | 1643 |
| जम्मू व कश्मीर | 1148 | 1947 |

3. उपज में यह वृद्धि अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रचलन, इन किस्मों को उगाने के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में अनुसंधान करने से उपलब्ध सुधरी फार्म प्रौद्योगिकी के प्रयोग तथा सिंचाई की उपलब्धता के कारण संभव हो सकी है।

(ख) परीक्षण केन्द्रों और राष्ट्रीय प्रदर्शनों में किये गये परीक्षणों से प्रति हैक्टर 2.5 से 3 मीट्रिक टन तक औसत राष्ट्रीय उपज प्राप्त करने की संभावना का पता चला है। पर यह बड़े पैमाने पर किसानों के खेतों तक कृषि प्रौद्योगिकी को पहुंचाने और प्रस्तुत प्रौद्योगिकी को विस्तृत रूप से उन तक पहुंचाने में आगे आने वाली वर्तमान सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने पर निर्भर करेगा। प्रति हैक्टर 2.5 से 3 मीट्रिक टन के आस-पास राष्ट्रीय औसत उपज स्थिर हो जाये तो खाद्य समस्या के समाधान में बहुत मदद मिलेगी।

**दिल्ली के अध्यापकों द्वारा उच्चतर माध्यमिक परिक्षाओं का बहिष्कार करने की धमकी**

**3661. श्री राम सहाय पाण्डे :**
**श्री हरी सिंह :**

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के स्कूल अध्यापकों ने आगामी उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं का बहिष्कार करने की धमकी दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अध्यापकों की मांगे क्या हैं और उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविंद नेताम)**

(क) जी, हां।

(ख) अध्यापकों की मुख्य मांगे निम्नलिखित हैं :—

(1) अध्यापकों के प्रत्येक वर्ग के लिए संशोधित वेतनमान साथ में ऐसी अनुपातिक वृद्धि, जो प्रधानाचार्यों के मामले में दी गयी है।

(2) वेतनवृद्धियों की वर्तमान दर के लिए अनुमति देना तथा वेतनमानों में विस्तार।

(3) वेतन निर्धारण के उचित लाभों को देते हुए वरिष्ठ तथा कनिष्ठ (अध्यापकों के) वेतन में अनियमितताएं दूर करना ।

(4) उन सभी अध्यापकों को प्रवरण ग्रेड देना, जिन्होंने छः वर्षों की सेवा पूरी कर ली है ।

सरकार द्वारा इन मांगों की, जो पहले अध्यापक संघों के प्रतिनिधियों द्वारा भी की गई थीं, जांच पड़ताल कर ली गई है, । परन्तु सरकार के लिए तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों से हटना संभव नहीं है । तथापि, सरकार, अध्यापकों द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्नों की जांच तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के ढांचे के अन्दर कर रही है ।

**बम्बई तथा पूना में गन्दी बस्ती उन्मूलन योजनाएं**

3662. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 से बम्बई तथा पूना में गन्दी बस्तियों के उन्मूलन के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की योजनाओं को कितनी सहायता दी है ; और

(ख) इन शहरों में ऐसे कार्यों के लिये राज्य सरकार द्वारा और कितनी सहायता की मांग की गई है ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलवीर सिंह)** : (क) तथा (ख) गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना 1 अप्रैल, 1969 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई थी । उसके पश्चात्, केन्द्रीय सहायता समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है। राज्य सरकारें राज्य प्लान योजनाओं के लिये ऐसी दी गई निधियों का उपयोग अपनी प्राथमिकताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार करने में स्वतंत्र हैं ।

**गोखले कालेज, कोल्हापुर को वित्तीय सहायता**

3663. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य के गोखले कालेज, कोल्हापुर को वर्ष 1972 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितनी वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) क्या और अधिक वित्तीय सहायता देने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन)** : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1972-73 से 1974-75 के दौरान (13 मार्च, 1975 तक) जी०के० गोखले कालेज, कोल्हापुर को, कुल 83.250 रुपये का अनुदान दिया है ।

(ख) और (ग) 1974-75 के लिये, छात्र सहायता कोष के लिए अनुदान हेतु कालेज का प्रस्ताव आयोग के विचाराधीन है । मामला निलम्बित है क्योंकि मांगी गई कुछ सूचना की अभी प्रतीक्षा है ।

**महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में कालेजों को वित्तीय सहायता**

3664. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य के कोलाबा जिले में माहद, अलीबाग और पनवेल स्थित तीन कालेजों को वर्ष 1972 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितनी वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) क्या इन कालेजों को और अधिक वित्तीय सहायता देने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस नुरल हसन) :** (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोलाबा जिले में स्थित तीन कालेजों को 1972-73 से 1974-75 (मार्च, 13, 1975) के दौरान निम्नलिखित अनुदान दिए थे :—

| | | रुपये |
|---|---|---|
| (1) | डा० बाबा साहब अम्बेडकर कला, विज्ञान तथा वाणिज्य कालेज, माहद . . | 75,750 |
| (2) | जे०एस०एम० कालेज, अलीबाग . . . . | 1,33,100 |
| (3) | राजकीय शिक्षा कालेज, पनवल . . . . . | 1,500 |

(ख) और (ग) आयोग के पास अतिरिक्त जानकारी के अभाव में निम्नलिखित प्रस्ताव विचाराधीन हैं :—

| | | रुपये |
|---|---|---|
| (1) | डा० बाबा साहब अम्बेडकर कला, विज्ञान तथा वाणिज्य कालेज, महद . . | 40,000 |
| (2) | जे०एस०एम० कालेज, अलीबाग . . . . . | 34,250 |
| (3) | राजकीय शिक्षा कालेज, पनवल . . . . . | अभी तक निर्धारित नहीं हुआ। |

**वर्ष 1975-76 के लिये आपात खाद्य उत्पादन कार्यक्रम**

3665. **श्री एन० आर० बेकारिया :**

**श्री डी० पी० जदेजा :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975-76 के दौरान खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए आपात खाद्य योजना शुरू करने का कोई कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभूदास पटेल) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर संस्थान**

3666. **श्री समर गुह**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम से चलने वाले कौन से शिक्षण, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकूद अथवा अन्य ऐसी ही संस्थाओं व संगठनों को सरकार द्वारा स्थापित किया गया है अथवा उन्हें आर्थिक सहायता दी गई है;

(ख) उक्त संस्थाओं को गत तीन वर्षों में क्रमशः कितनी वार्षिक सहायता दी गई; और

(ग) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर चलने वाली संस्थाओं के साथ-साथ अत्यधिक भेदभाव किये जाने के क्या कारण हैं ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)**:

(क) से (ग) संस्थाओं को अनुदान उनके कार्यक्रमों, कार्यकलापों और स्वीकृत पद्धतियों के आधार पर दिये जाते हैं। क्योंकि अनुदान की राशि तथा उन महान नेताओं के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है जिनके नामों पर संस्थाओं के नाम होते हैं इसलिये, किसी भी प्रकार के भेदभाव का प्रश्न नहीं उठता। संस्थानों अथवा संगठनों के वार्षिक व्यय से संबधित अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**बाघ गुफा (जिला धार, म० प्र०) संबंधो विशेषज्ञ समिति**

3667. **श्री पीलू मोदी**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के जिला धार की बाध गुफाओं की खराब स्थिति की जांच करने के लिये भारत सरकार ने मई, 1970 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी और क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और कितना प्रतिशत काम पूरा हुआ है; और

(ग) समिति द्वारा जिन कार्यों की सिफारिश की गई है, उन्हें पूरा करने में अभी कितना समय और लगेगा ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन)**: (क) जी हां।

(ख) और (ग) गुफाओं की सुरक्षा और रख-रखाव पर जनवरी, 1975 तक 1,39,049 रुपये खर्च हो चुके हैं, संस्वीकृत स्टाफ के स्थान पर नियुक्त होते ही समिति ने जिन मदों के लिय सिफारिश की है उन पर अमल करने के लिये 1975-76 से काम शुरू कर दिया जायेगा।

**कर्नाटक में सिंचित भूमि**

3668. **श्री के० लकप्पा**: क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में सिंचित भूमि कितने प्रतिशत है; और

(ख) पांचवीं योजना में कर्नाटक में भूमि की सिंचाई के लिये कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) 1971-72 की भूमि उपयोग सम्बन्धी आंकड़ों के अनुसार अन्तिम वर्ष जिसके लिये आंकड़े उपलब्ध हैं, कर्नाटक में कुल बोये गये फसल के क्षेत्र की तुलना में सकल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता 14.5 थी।

(ख) पांचवीं योजना के दौरान कर्नाटक में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं से 2.90 लाख हैक्टार और लघु सिंचाई योजनाओं से 3 लाख हैक्टार को मिलाकर कुल 5.90 लाख हैक्टार अतिरिक्त सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

**कर्नाटक को प्रदान की गई सिंचाई सुविधाएं**

3669. **श्री के० लकप्पा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के पहले तथा दूसरे वर्ष में कर्नाटक को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह)** : (क) और (ख) बृहत, मध्यम और लघु सिंचाई कार्यों से पांचवीं योजना के पहले वर्ष (1974-75) में 1.37 लाख हैक्टेयर तथा पांचवीं योजना के दूसरे वर्ष (1975-76) में 0.97 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई शक्यता परिकल्पित है।

**उड़ीसा में वर्ष 1975-76 के लिये आपात रबी-कार्यक्रम**

3670. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में वर्ष 1975-76 में कोई आपात रवि-कार्यक्रम आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक फसल के लिये कितना अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) इस कार्यक्रम के लिये उड़ीसा को कितनी अतिरिक्त धनराशि आबंटित की गई है?

**कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**उड़ीसा में सिंचाई कार्यक्रम**

3671. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 के लिये उड़ीसा योजना परिव्यय में कोई कृषि कार्यक्रम सम्मिलित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रम के लिये कितना परिव्यय मंजूर किया गया तथा किन-किन योजनाओं के लिये; और

(ग) वर्ष 1974-75 में इस शीर्ष पर कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ?

**कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह)** : (क) से (ग) इस वर्ष के लिये उड़ीसा योजना में जारी तथा नई स्कीमों के नाम, प्रस्तावित परिव्यय तथा 1974-75 के अन्त तक प्रत्याशित खर्च का विवरण संलग्न है।

**विवरण**

1974-75 के लिये उड़ीसा योजना में जारी और नई स्कीमों के नाम, प्रस्तावित परिव्यय तथा वर्ष में प्रत्याशित खर्च।

(करोड़ रुपये)

| परियोजना का नाम | प्रस्तावित परिव्यय | प्रत्याशित खर्च |
|---|---|---|
| **क. जारी स्कीमें** | | |
| **एक बृहत परियोजनाएं** | | |
| 1. महानदी डेल्टा | 3.50 | 3.00 |
| 2. सालंदी . | 0.70 | 0.43 |
| 3. आनन्दपुर बराज | 1.00 | 0.75 |
| **दो—मध्यम स्कीमें** (16) . . . . | 6.09 | 5.15 |
| **ख. नयी स्कीमें** | | |
| एक—मध्यम स्कीमें (6) | 0.21 | 0.37 |
| **ग. अन्वेषण आदि** | 0.50 | 0.50 |
| घ. लघु सिंचाई स्कीमें . . | 3.00 | 6.05 |
| | 15.00 | 16.25 |

**देश में मकानों की कमी**

3672. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम अनुमान के अनुसार देश में राज्यवार, कितने मकानों की कमी है;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितनी कमी थी; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) तथा (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में आवास की कमी का अनुमान 156 लाख आवासीय एकक था। आवास की कमी के राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) साधनों पर दबाव तथा सिंचाई विद्युत्, कृषि आदि जैसे अन्य क्षेत्रों की मुकाबले की मांगों के कारण आवास के लिये पर्याप्त निधियां सदा नहीं मिलती रही हैं। उपलब्ध सीमित निधियों से सरकार

के प्रयास समस्त देश में चल रही निम्नलिखित सामाजिक आवास योजनाओं के जरिये निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के लोगों की आवास सम्बन्धी स्थिति सुधारने पर ही मुख्यतया लगे रहे हैं :—

1. औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना।

2. निम्न आय वर्ग आवास योजना।

3. बागान कर्मचारियों के लिये सहायता प्राप्त आवास योजना।

4. गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना।

5. ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम।

6. मध्यम आय वर्ग आवास योजना।

7. राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये किराया आवास योजना।

8. भूमि अर्जन तथा विकास योजना।

9. ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना।

इसके अतिरिक्त, देश में आवास कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिये, राज्य सरकारें तथा उनके सांविधिक अभिकरणों की आवास परियोजनाओं का, वित्त प्रबन्ध करने हेतु आवास तथा नगर विकास के नाम से एक केन्द्रीय सरकार के उपक्रम की स्थापना की गई है।

## राजधानी कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी, नई दिल्ली

3674. **श्री० सी० जनार्दनन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, नई दिल्ली के कार्यकरण के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं;

(ख) क्या बहुत से संसद सदस्यों ने सोसायटी के बारे में शिकायतें की हैं; और

(ग) यदि हां, तो सोसायटी के कार्यों को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) सोसाइटी के कार्य के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) दो संसद-सदस्यों ने सोसाइटी के बारे में शिकायत की है।

(ग) सोसाइटी के कार्यों का सांविधिक निरीक्षण करने के आदेश दिये गये थे तथा निरीक्षण अधिकारी के जांच-परिणामों पर दिल्ली प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

## केरल में कीड़ों के आक्रमण को रोकने के लिये योजनायें

3675. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कीड़ों के आक्रमण को रोकने के लिये कृषि क्षेत्र में दो योजनायें बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन योजनाओं के लिये कोई सहायता मांगी गई है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग)** केरल सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिये वनस्पति रक्षण के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र में सात योजनायें शामिल की हैं। इन राज्य प्लान योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता, प्रत्येक वर्ष हुये व्यय के आधार पर एक मुश्त ऋण और अनुदानों के रूप में दी जायेगी।

**डालडा बनाने के लिये खाद्य तेलों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध**

3676. **श्री मधु लिमये** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है कि डालडा बनाने के लिये खाद्य तेलों का प्रयोग वनस्पति निर्माताओं के लिये पूर्णतया निषिद्ध किया जाये;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि तुरन्त पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता तो क्या सरकार तीन वर्ष में पूरी तरह खाद्य तेलों के स्थान पर अखाद्य तेलों से डालडा बनाने की योजना बनायेगी?

**कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) क्योंकि वनस्पति मानव उपयोग के लिये है इसलिये इसका निर्माण आवश्यक रूप से केवल खाद्य तेलों से करना होगा। तथापि, जिन खाद्य तेलों की प्रत्यक्ष मांग है उनके प्रयोग की या तो पूर्णतया मनाही है (जैसा कि सरसों का तेल और नारियल का तेल) या उन के प्रयोग की अधिकतम सीमा निर्धारित है (जैसा कि मूंगफली का तेल 25 प्रतिशत)।

उद्योग को गैर-परम्परागत खाद्य तेलों का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिये अंशतः ऐसे तेलों (जैसा कि बिनौले का तेल 30 प्रतिशत) की न्यूनतम सीमा के प्रयोग की सीमा निर्धारित की जाती है और अशतः वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं (जैसा कि चावल की भूसी के तेल और बिनौले के तेल के 30 प्रतिशत से अधिक स्तर पर प्रयोग करने पर प्रोत्साहन दिया जाता है)।

(ग) वैकल्पिक तेलों की उपलब्धता जिससे उनका मूंगफली के तेल के स्थान पर प्रयोग किया जा सके, को ध्यान में रखकर मूंगफली के तेल के प्रयोग की अधिकतम सीमा में और कमी करने और अन्ततः इसके प्रयोग को पूर्णतया बन्द करने की सम्भावना की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

**शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध**

3678. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय सेवक संघ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि लोकतांत्रिक वर्गों में ऐसा कदम उठाने की विचारधारा जोर पकड़ती जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या क़दम उठाने का है?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग)** राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ जैसे संगठनों की गतिविधियों की समय-समय पर जांच की जाती है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या अवैध कार्यलाय (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों को इस प्रकार के संगठनों पर लागू किया जा सकता है। सरकार की यह नीति है कि ऐसी किसी भी संस्था को सहायता नहीं दी जानी चाहिए जिसका संबंध साम्प्रदायिक कार्यकलापों में भाग लेने वाले किसी संगठन से हो। सरकार, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और शैक्षिक समुदाय से किसी प्रकार के संकीर्ण अथवा साम्प्रदायिक विचारों को समाप्त करने के लिए भी कदम उठाती रही है।

### मध्यप्रदेश में सोयाबीन की सघन खेती

3979. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के कुछ जिलों में सोयाबीन की सघन खेती के लिए कोई योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार को यह कब प्राप्त हुई;

(ग) योजना को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) जी हाँ।

(ख) जून, 1970 में।

(ग) इसकी मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है।

### दिल्ली में औद्योगिक श्रमिकों के लिये आवास की व्यवस्था

3680. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास की व्यवस्था करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या योजनायें बनाई गयी हैं?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख)** औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक कर्मचारियों के लिये मकानों के निर्माण की व्यवस्था है, का कार्यान्वियन राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में किया जाता है। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इस योजना के अन्तर्गत उनका वर्ष 1975-76 में 1392 मकानों के निर्माण का एक कार्यक्रम है। (लारेन्स रोड पर 696 मकान तथा बुडेला-नजफगढ़ रोड पर 696 मकान)।

**दिल्ली के नगरीकृत गांवों के लिये विकास योजना**

3681. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली के नगरीकृत गांवों के लिए विकास योजना गत वर्ष से विचराधीन पड़ी है और उसको कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की आशा है?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार के क्षेत्रों में 46 ग्राम हैं। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने 14 ग्रामों के विकास प्लान अनुमोदित किए हैं। जहां तक शेष ग्रामों का प्रश्न है दिल्ली नगर निगम द्वारा सर्वेक्षण आदि किए जा रहे हैं तथा विकास प्लानों को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में 60 ग्राम हैं तथा वे दिल्ली विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र घोषित किए गए हैं। उन 60 ग्रामों में से, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने विकास क्षेत्रों में आने वाले 36 नगरीय ग्रामों के संबंध में विकास प्लानों को अतिन्म रूप दिया है तथा अनुमोदित किया है। शेष 24 ग्रामों के संबंध में विकास प्लान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए जा रहे हैं तथा इनको 1975 के अन्त तक अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है।

**विद्युत प्रकाश से अजंता के भिति चित्रों को क्षति**

3682. **श्री राजाराम दादा साहेब निम्बालकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंजता की गुफाओं के कुछ भितिचित्र 'पोर्टेबल' (सचल) विद्युत् प्रकाश व्यवस्था से क्षतिग्रस्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षति हुई है; और

(ग) क्या इन चित्रों की मरम्मत की जा सकती है और क्या मरम्मत की जा रही है?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन)** : **(क) से (ग)** कुछ चित्रों में जरण और ह्रास देखा गया था। यह कहना कठिन है कि किन कारणों से ऐसा हुआ। अतः सरकार इन भिति चित्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है ताकि उनके ह्रास को रोका जाये।

**सूरज मुखी की खेती**

3683. **श्री वसन्त साठे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश भर में सूरजमुखी की खेती, विशेष रूप से शुष्क भूमि क्षेत्रों में असफल रही है;

(ख) क्या देश में सूरजमुखी की फसल की असफलता के बारे में इसके कारण देते हुए, और देश में शुष्क भूमि क्षेत्रों में इस फसल को योजनाबद्ध तरीके से उगाने के लिये उपचारात्मक उपायों का सुझाव देते हुए सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इन क्षेत्रों में सूरजमुखी की फसल के आयोजन के बारे में सरकार ने क्या नीति बनाई है?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल)** : (क) देश में सूरज मुखी की वाणिज्यिक खेती पहली बार 1972-73 के दौरान शुरू की गई थी और तीन वर्षों की अवधि में इसकी बुवाई का क्षेत्र बढ़कर 3 लाख हैक्टार हो गया है। अल्पावधि में पकने के कारण यह देश के विभिन्न भागों में विभिन्न फसल प्रतिमानों के अनुरूप सिद्ध हुई है। सूरजमुखी एक सूखा रंग रोधी फसल है, अतः बारानी परिस्थितियों में इसकी बुवाई करने की सिफारिश की गई है। इसकी उपज भी अच्छी रही है। परन्तु सूखे की परिस्थितियां गम्भीर होने और पानी की भारी कमी होने पर इसकी उपज कम होती है।

(ख) तथा (ग) ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को लिखे पत्र में श्री वी० सिवरामन. सदस्य योजना आयोग ने एक आम विचार व्यक्त किया है कि सूरजमुखी कुछ हालतों में मूंगफली या जाफरान से बेहतर नहीं है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि जब तक मुख्य बीजों के कार्यक्रम को प्रोत्साहन न दिया जाए तब तक सूरजमुखी की पूरी उपज प्राप्त नहीं हो सकती। फसल आयोजना के सम्बंध में उन्होंने वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसल नीति की जरूरत पर जोर दिया है और सुझाव दिया कि विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों पर शुष्क भूमि में खेती करने की निश्चित पद्धतियों को विस्तार पद्धतियों के माध्यम से सूखा ग्रस्त क्षेत्र में लागू किया जा सकता है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में बीजों की विभिन्न किस्मों के उत्पादन के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किए जा रहे हैं ताकि इस फसल को अधिकाधिक क्षेत्र में उगाने के लिए बढ़िया किस्म के बीजों की सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सके। इस सम्बन्ध में सूरजमुखी विकास के लिए बीज उत्पादन कार्यक्रम को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया है और उसे 10.60 लाख हेक्टार क्षेत्र के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पांचवीं योजना में जारी रखा जा रहा है। सुपर इलाइत और इलाइत बीज का उत्पादन करने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 5 अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये हैं और इन केन्द्रों ने अन्य कार्यों के साथ ही साथ बीजों का उत्पादन शुरू कर दिया है।

फसल आयोजना स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। इसलिये कृषि जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों का विस्तृत रूप से विश्लेषण करने की आवश्यकता है ताकि कृषक सिफारिश की गई फसल प्रणालियों और पैकेज की विधियों को अपना सकें। उपयुक्त फसल प्रणाली को विकसित करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ताकि विस्तार सम्बन्धी उपायों को सुदृढ़ करके फसल विकास के लिए पैकेज प्रणाली को को अपनाया जा सके।

**ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वयन के लिये परियोजनायें और सिंचाई तथा जल प्रबन्ध पर उपकर को एकत्र करना**

3684. **श्री अर्जन सेठी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वयन के लिये कुछ परियोजनायें अलाट करने और सिंचाई तथा जल प्रबंध पर उपकर को एकत्र करने के बारे में निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) ऐसे परिवर्तन कब तक करने का विचार है?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) :** (क) से (ग) जी नहीं। पंचायती राज राज्य का विषय है और ग्राम पंचायतों को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिये और उपकर आदि एकत्र करने के लिए योजनाएं आवंटित करना राज्य सरकारों के सामर्थ्य और अधिकार क्षेत्र में आता है।

### भीमकुण्ड कृषि परियोजना, उड़ीसा का परियोजना प्रतिवेदन

3685. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा, के परियोजना प्रतिवेदन पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा तकनीकी दृष्टि से विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किस विशिष्ट समय तक विचार कर लिया जाएगा ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) :** (क) और (ख) भीमकुंड परियोजना के चरण-एक की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हो चुकी है और उसकी विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है। इस रिपोर्ट में केवल बाढ़ नियंत्रण तथा विद्युत् उत्पादन के लाभ ही शामिल हैं। अभी तक राज्य सरकार से सिंचाई संबंधी पहलुओं पर रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

### राज्यों में गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना

3687. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) किस-किस राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने की योजना में रुचि दिखाई है;

(ख) अन्य राज्य सरकारों के इस ओर रुचि प्रदर्शित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) से (ग) निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने गोबर गैस संयंत्र लगाने के लिए रुचि दिखाई है और कार्यक्रम शुरू किया है :—

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर तथा नगर हवेली, दिल्ली तथा गोआ, दमन तथा दीव।

त्रिपुरा, चंडीगढ़ तथा पांडिचेरी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में यह कार्यक्रम आगामी वर्ष (1975-76) के दौरान शुरू किए जाने की सम्भावना है।

अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि-मौसम संबंधीं परिस्थितियां गोबर गैस संयंत्र सफलता से चलाने के लिए सर्वथा अनुकूल नहीं हैं।

### प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

3688. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के लिये स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो 1972–74 के वर्षों में कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) इन संगठनों के नाम, राज्यवार, क्या हैं और इस प्रयोजन के लिये इन संगठनों को कितनी राशि दी गई है; और

(घ) वर्ष 1972-73 में प्रौढ़ शिक्षा के राज्यवार, क्या परिणाम रहे ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान क्रमश: 10,28,473 रुपये तथा 7,46,683 रुपये खर्च किए गए थे।

(ग) विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-9205/75**]।

(घ) देश में प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम चार मुख्य अभिकरणों, केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग; राज्यों के मंत्रालय और विभाग; विश्वविद्यालय और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे हैं, जिनमें से कुछ केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं और बहुत-से अपने स्वतंत्र स्त्रोतों से साधन जुटाते हैं। इस मंत्रालय से सहायता प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक संगठन, प्रौढ़ शिक्षा के कुल प्रयत्नों के केवल एक छोटे-से भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलू निरक्षरता उन्मूलन, कार्यात्मक साक्षरता, विभिन्न प्रकार की अनौपचारिक शिक्षा, कामगारों की शिक्षा और सतत सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा सम्मिलित है।

### 'एडवान्स्ड स्टडी सेन्टर ऑफ कलकटा युनिवर्सिटी डीरेकग्नाइज्ड' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

3689. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता, से प्रकाशित होने वाले 21 फरवरी, 1975 के "हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड" के पृष्ठ 5 पर, 'एडवान्स्ड स्टडी सेन्टर ऑफ कलकटा यूनिवर्सिटी-डी-रेकाग्नाइज्ड' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दो संसद् सदस्यों और व्यावहारिक गणित के उच्च अध्ययन केन्द्र के एक प्रवक्ता ने इस बारे में केन्द्रीय मंत्री को एक अभ्यावेदन दिया था;

(घ) यदि हां, तो उस बारे में तथ्य क्या हैं;

(ङ) इस अध्ययन केन्द्र के बारे में सरकार की क्या नीति है; और

(च) क्या सरकार का विचार इस बारे में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है ?

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन)** : (क) जी, हाँ।

(ख) विश्वविद्यालयों के कुछ विभागों को उच्च अध्ययन केन्द्रों के रूप में विकसित करने से सम्बन्धित निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिया गया था। आयोग द्वारा दस वर्ष की अवधि के पश्चात् उनके कार्य का पुनरीक्षण किया जाना था। तद्नुसार, कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रयुक्त गणित में उच्च अध्ययन केन्द्र द्वारा किए गए कार्य के मूल्यांकन के आधार पर आयोग ने केन्द्र की मान्यता समाप्त करने का निर्णय किया। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट के बारे में किसी प्रकार की कार्रवाही करना जरूरी नहीं समझा।

(ग) और (घ) चार संसद् सदस्यों और कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रयुक्त गणित के विभागाध्यक्ष के प्रत्यावेदनों सहित कुछ प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन प्रत्यावेदनों में निम्नलिखित प्रमुख बातें उठाई गयी हैं।

(i) इस केन्द्र में नियुक्त अध्यापक तथा अनुसन्धान-अध्येता सफलतापूर्वक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे, जिसकी एक उच्च अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र से आशा की जाती है।

(ii) विश्वविद्यालय को मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट को देखने तथा इसकी टिप्पणियों पर अपना मत काष्ट करने का एक अवसर दिया जाना चाहिए था।

(iii) मूल्यांकन समिति के सदस्यों के विशिष्टीकरण के विषय केन्द्र में अनुसन्धान और प्रशिक्षण के विषय से सम्बन्धित नहीं थे। केन्द्र की मान्यता से समाप्त करना अनुचित था और यह भारत में प्रयुक्त गणित के हितों के विरुद्ध था।

(ङ) और (च) इस मामले पर पुनः विचार करना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर निर्भर करता है।

### भारतीय प्रबन्ध संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट) में कुप्रबन्ध का आरोप लगाने सम्बन्धी समाचार

3690. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 फरवरी, 1975 के 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें भारतीय प्रबन्ध संस्थान (इन्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट) में कुप्रबन्ध का आरोप लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन आरोपों की कोई जांच कराई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद विधिवत गठित शासी मंडल द्वारा संचालित है। उक्त संस्थान ने आरोपों के बारे में स्पष्ट रूप से इनकार किया है।

**गन्ने के भुगतान की बकाया राशि में वृद्धि होने के बारे में इण्डियन शूगर मिल्ज एसोसिएशन के विचार**

3691. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन शुगर मिल्ज एसोसियेशन ने धमकी दी है यदि सरकार इस उद्योग की आर्थिक लाभप्रदता को सुधारने के लिए शीघ्र कुछ कदम नहीं उठायेगी तो गन्ने की पेराई के चालू मौसम में गन्ने के भुगतान को बकाया राशि में काफी वृद्धि हो जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख) भारतीय चीनी मिल एसोसियेशन ने रिजर्व बैंक और भारत सरकार से अनुरोध किया है कि इस वर्ष चीनी के पूर्वानुमानित रिकार्ड उत्पादन की ज़रूरतों के अनुरूप फैक्ट्रियों को पूरा उधार दें अन्यथा ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिससे फैक्ट्रियां गन्ने का भुगतान और अन्य विभिन्न दायित्वों को पूरा करने की स्थिति में नहीं होंगी। इस मामले की ओर ध्यान दिया जा रहा है।

**दिल्ली दुग्ध योजना में सहायक दुग्ध-वितरण अधिकारियों के पद**

3692. **श्री सरजू पांडे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना में सहायक दुग्ध-वितरण अधिकारियों के, स्थायी और अस्थायी दोनों मिलाकर कुल कितने पद हैं और इस संवर्ग में मंज़ूर किये गये छुट्टी रिज़र्व पदों की संख्या कितनी है,

(ख) एक वर्ष में सहायक दिल्ली दुग्ध-वितरण अधिकारी को आकस्मिक छुट्टी, अर्जित छुट्टी, मेडिकल प्रमाणपत्र के आधार पर कितनी-कितनी छुट्टियां ग्राह्य हैं;

(ग) फील्ड स्टाफ के इस वर्ग को छुट्टी देने के मामले में यदि कोई मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये गये हैं, तो वे क्या हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) क्या सहायक दुग्ध-वितरण अधिकारियों को सामान्यतया जरूरत के समय छुट्टी नहीं दी जाती है और इसके परिणामस्वरूप इन्हें पर्याप्त परेशानी और असुविधा का सामना करना पड़ता है और यदि हां, तो इन मामलों को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) सहायक दुग्ध-वितरण अधिकारियों के 31 स्वीकृत पद हैं जिसमें 10% का अवकाश आरक्षण भी शामिल है। इनमें से 25 पद स्थायी और 6 पद अस्थायी हैं।

(ख) प्रत्येक सहायक दुग्ध वितरण अधिकारी एक वर्ष में नीचे दी गई छुट्टी पाने का हकदार होता है।

आकस्मिक छुट्टी 12 दिन।

प्रतिबंधित छुट्टी 2 दिन



18 LSS/75—9

अर्जित छुट्टी ड्यूटी की अवधि का ग्यारहवां भाग
अर्ध वेतन छुट्टी वर्ष में 20 दिन

(ग) इस प्रयोजन के लिए कोई विशेष मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित नहीं किए गए हैं। इस विषय पर सामान्य नियम और आदेश जो कि अन्य श्रेणियों के स्टाफ पर लागू होते हैं, सहायक दुग्ध-वितरण अधिकारियों पर भी लागू होते हैं।

(घ) जी नहीं। सहायक दुग्ध-वितरण अधिकारियों को काम की अपेक्षाओं और अलग-अलग मामलों के गुण-दोष के आधार पर छुट्टी मंजूर की जाती है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**पुनःक्रमांकण के लिये पेश न किये गये दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध टोकनों को जब्त करना**

3693. **श्री सरजू पांडे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनः क्रमांकण के लिये पेश न किये गये दुग्ध टोकनों को जब्त करने के बारे में सरकार अथवा दिल्ली दुग्ध योजना ने आदेश जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका विचार इस आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखने का है;

(ग) क्या इस बारे में कोई सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था; यदि हां, तो किस-किस समाचार पत्र में और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उन्हें पता है कि डिप्टी मैनेजर (डिस्ट्रीब्यूशन) द्वारा सही मामलों में भी इन सभी दुग्ध टोकनों को जब्त करने की मनमानी कार्यवाही से टोकनहोल्डरों को जो किसी एक कारण अथवा किसी अन्य कारणों से निर्धारित दिवस पर इन टोकनों को पेश नहीं कर सके हैं पर्याप्त कठिनाई हो रही है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) दूध के अनधिकृत टोकन समाप्त करने के लिए टोकनों की समय-समय पर राशन कार्डों और अन्य प्रामाणिक कागज पत्रों के साथ मिलान करके जांच की जाती है। अनधिकृत टोकन जब्त करके मुख्य कार्यालय लाए जाते हैं; टोकन-धारियों को उनके कागज-पत्र वापस करने के लिए वैध दस्तावेजों के साथ कार्यालय पहुंचने के लिए उचित समय देने के बाद ऐसे जब्त किए गए टोकन रद्द करके नष्ट कर दिए जाते हैं। इस लेन-देन के पूरे रिकार्ड इस कार्यालय में रखे जाते हैं। यथार्थ मामलों में निर्धारित समय के बाद आवेदन करने के बाद भी आवेदनकर्त्ताओं को नए टोकन जारी किए जाते हैं।

(ख) इस विषय पर जारी किए गए स्थायी आदेशों की एक प्रति संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-9206/75]

(ग) जब किसी डिपो पर दूध के टोकनों की जांच शुरू की जाती है तो उस डिपो के टोकन-धारियों को बाकायदा सूचना दी जाती है। टोकनों की जांच तीन दिन की अवधि में की जाती है ताकि यथार्थ टोकनधारियों को अपने टोकन की जांच कराने के लिए पर्याप्त समय मिल जाये। जब फील्ड

स्टाफ जांच करने के लिए उनके टोकन लेता है तो उन्हें रसीदें दी जाती हैं जिनके आधार पर उन्हें जांच की अवधि के दौरान वे दूध की सामान्य सप्लाई लेते रहते हैं। इस प्रकार जांच किए जाने वाले प्रत्येक डिपो के टोकनधारियों को जांच के लिए अपने टोकन प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त सूचना और समय दिया जाता है। इन परिस्थितियों में इस विषय पर कोई प्रेस अधिसूचना जारी करने की विशेष आवश्यकता नहीं है।

(घ) जैसा कि पहले बताया जा चुका है यथार्थ मामलों में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है और किसी अधिकारी द्वारा मनमानी कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारियों को कारों का आबंटन**

3694. **श्री सरजू पांडे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1975 को समाप्त होने वाले गत एक वर्ष के दौरान, सरकारी कोटे से दिल्ली दुग्ध योजना के जिन अधिकारियों को कारें आवंटित की गई हैं, उनके नाम तथा पदनाम क्या हैं;

(ख) उन अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं जो अपने सरकारी कार्य के लिये वस्तुतः इन कारों को रख रहे हैं और उनका उपयोग कर रहे हैं;

(ग) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि इनमें से कुछ अधिकारियों ने सरकारी कोटे से उन्हें आवंटित की गई कारों की बेनामी बिक्री की है और यदि नही, तो क्या उनका विचार कारों की अवैध बिक्री के बारे में जांच करने और उसका परिणाम बताने का है; और

(घ) लोकहित में सरकारी कोटे से आवंटित कारों के उपयोग को विनियमित करने वाले नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने के लिए ऐसे अधिकारी अथवा अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :** (क) 31 जनवरी, 1975 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना के किसी अधिकारी को सरकारी कोटे से कार आवंटित नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**डी० डी० ए० को नारायण बिहार कालोनी में सर्विस कनेक्शन तारों का ढकना**

3695. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या प्रेसीडेंट डी० डी० ए० (मध्य आय वर्ग) वेल्फेयर एजेंसी, नारायण बिहार (ब्लाक ए, बी० डी० और ई०) द्वारा बार-बार किये गये अनुरोध और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये आश्वासनों के बावजूद सर्विस कनेक्शन तारों को ढकने संबंधी कार्य में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कार्य कब तक हो जायेगा ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) सर्विस कनेक्शन तारों के कार्यनिष्पादन दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा 1967-68 में किया गया था। सर्विस कनेक्शन तारों को ढकने के प्रश्न पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विचार किया था तथा अन्त में यह निर्णय किया गया था कि उक्त तारों को ढकना आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसा करना तकनीकी दृष्टि से आवश्यक नहीं पाया गया था।

(ख) तथा (ग) यह सूचित किया गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सर्विस तारों को ढकने के लिये कोई आश्वासन नहीं दिया था।

**नारायण बिहार में स्थानीय खरीददारी केन्द्र**

3696. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री नारायण बिहार में स्थानीय खरीददारी केन्द्र के बारे में 9 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3768 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिग्रहीत किये जाने वाले क्षेत्र को इस बीच अधिग्रहीत कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार स्थानीय खरीददारी केन्द्र के निर्माण को शुरू करने और शीघ्र पूरा करने का है जिससे कि वहां के निवासियों को पड़ौस में खरीददारी करने के लिय रिंग रोड के यातायात खतरे का सामना न करना पड़े; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) तथा (ग) समस्त क्षेत्र के बारे में अर्जन की कार्रवाई पूर्ण होते ही दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

**आल इंडिया फूडग्रेन डीलर्ज एसोसिएशन की मांगें**

3697. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आल इंडिया फूडग्रेन डीलर्ज एसोसियेशन के फेडरेशन ने हाल में अपनी मांगों के समर्थन में केन्द्र को एक ज्ञापन पेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : (क) और (ख) सरकार ने अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी एसोसियेशन संघ द्वारा जारी की गई प्रैस विज्ञप्तियां देखी हैं जिनमें उन्होंने सरकार से यह अनुरोध किया है कि आगामी रबी फसल के लिए गेहूं की नीति के बारे में शीघ्र घोषणा की जाए और उन्होंने लेवी युक्त गेहूं के देश भर में मुक्त संचलन की वकालत की है।

आगामी रबी फसल के लिए गेहूं की नीति तैयार की जा रही है और सभी संगत तथ्यों पर विचार करने के बाद उसकी शीघ्र घोषणा कर दी जाएगी।

**दिल्ली दुग्ध योजना में कार्य कर रहे कर्मचारी**

3698. **श्री के० लकप्पा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली दुग्ध योजना में कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और इन कर्मचारियों के वर्गवार वेतनमान क्या हैं; और

(ख) 1 मार्च, 1974 को दिल्ली दुग्ध योजना में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे थे ?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) 2658 (दो हज़ार छ: सौ अठावन) वर्गवार वेतनमान का ब्यौरा संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-9207/75]

(ख) 2497 (दो हज़ार चार सौ सतानवें)

**Supply of Foodgrains and other Essential Commodities to Ration Shopkeepers on Commission Basis**

3699. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the supply of foodgrains and other essential commodities to the ration shopkeepers of the various States from the Government godowns is made on commission basis;

(b) if so, the amount of commission being given in each of these States; and

(c) the reasons for the difference in the rate of commission being given to the various States and whether Government propose to fix a uniform rate of commission throughout the country ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel) :** (a) to (c) The required information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the Sabha, as soon as it is received.

**राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई पाठ्यपुस्तकें**

3700. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् सभी भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें तैयार करता है और कुछ पाठ्यपुस्तकें पूरे देश में पढ़ाई जाती हैं।

(ख) क्या संयोजक, आल इंडिया उर्दू प्रेस कारेस्पाडेंट्स एसोसियेशन, आनन्द बाजार, दीनापुर छावनी, जिला पटना, बिहार ने 4 सितम्बर, 1974 को राष्ट्रभारती भाग 1 में अब्बार रबी द्वारा लिखित पाठ "ईद" में निहित कुछ आपत्तिजनक सामग्री के बारे में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के सचिव तथा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन भेजा है;

(ग) क्या बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने भी वर्ष 1973-74 में इसी विषय पर भारत सरकार को लिखा था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् हिन्दी, तथा अंग्रेजी में माडल पाठ्यपुस्तकें तैयार करती है और तरक्की-ए-उर्द बोर्ड के सहयोग से, परिषद् में, उर्दू में पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित करने का कार्य हाल ही में शुरू किया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई पुस्तकों को अपनाने में राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधीन सारे देश के विद्यालय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) मामले को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के पास भेज दिया गया है। परिषद् लेखकों के परामर्श के मामले की जांच कर रही है।

### Take over of South Bihar Sugar Mill, Bihta

3701. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have taken over South Bihar Sugar Mill at Bihta in District Patna, Bihar and put it into commission from January, 1975;

(b) if so, whether Government have drawn up any scheme for bringing about certain improvements therein;

(c) if so, the broad outlines thereof;

(d) whether the said Mill owes a huge amount of money to the sugarcane growers; and

(e) if so, the scheme formulated by Government for the payment of the said amount ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shah Nawaj Khan) :** (a) to (c) The South Bihar Sugar Mill has been taken over by the Bihar State Financial Corporation under Section 29 of the Financial Corporations Act and leased to the State Government. The factory has been overhauled, machinery repaired and crushing operations started on the 27th December, 1974. Cane Development Schemes have also been taken up. The plant and machinery have been surveyed by experts for further improvement and their report is awaited.

(d) & (e) Yes, Sir. A sum of Rs. 28.44 lakhs due from the ex-management of the factory as Cane price arrears. The State Government has already filed claims for recovery of this amount in the High Court, because this factory is under liquidation.

### मध्य प्रदेश स्थित ताबा जल ग्रहण क्षेत्र (केचमेंट एरिया) में भूमि विकास कार्य

3702. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें अनुरोध किया गया है कि मध्य प्रदेश स्थित तांबा जल ग्रहण क्षेत्र में भूमि विकास कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में उसी प्रकार किया जाये जैसा हीराकुंड, चम्बल तथा माताटीला परियोजनाओं के मामले में किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है।

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां। ताबा स्रवण-क्षेत्र को नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण-क्षेत्र में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत शामिल करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) तथा (ग) यह प्रस्ताव अगस्त, 1974 में प्राप्त हुआ था और इस मंत्रालय ने अन्य राज्यों से प्राप्त हुए ऐसे प्रस्तावों के साथ इस प्रस्ताव पर भी विचार किया था। परन्तु, इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना में केवल वे स्रवण क्षेत्र ही शामिल किये गये, जिनमें भूक्षरण होकर अधिक गाद-मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। राज्य सरकार ने तांबा स्रवण-क्षेत्र सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में पर्याप्त आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये थे। अतः उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इस सम्बन्ध में अधिक मूल आंकड़े प्रस्तुत करे ताकि इस विषय में निर्णय लिया जा सके। इस सम्बन्ध में अभी राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

### उड़ीसा के विभिन्न केन्द्रों में चावल का फुटकर मूल्य

3703. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में कटक, भुवनेश्वर, बालासोर, बरहामपुर, जेयपुर तथा साम्भलपुर में बिक रहे मोटे चावल, मध्यम चावल तथा बहुत बढ़िया किस्म के चावल का प्रति किलो फुटकर मूल्य क्या है; और

(ख) इन केन्द्रों में जो वर्तमान मूल्य है वह गत वर्ष के इसी अवधि के मूल्य की तुलना में कैसा है?

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

| केन्द्र | 21-2-75 और 22-2-74 को खुदरा मूल्य (रु० प्रति कि०) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | वर्ष | मोटो/मध्यम | बढ़िया | बहुत बढ़िया |
| 1. कटक . . . . | 1975 | 2.20 | 2.30 | 2.90 |
| | 1974 | 1.35 | 1.50 | 1.80 |
| 2. भुवनेश्वर . . . . | 1975 | 2.20 | 2.25 | 2.35 |
| | 1974 | 1.30 | 1.40 | 1.45 |
| 3. बालासोर . . . . | 1975 | 1.60 | 1.70 | 1.80 |
| | 1974 | 1.45 | 1.55 | 1.70 |
| 4. बेरहामपुर | 1975 | सू०न० | 2.45 | 2.80 |
| | 1974 | सू०न० | 1.25 | 1.40 |
| 5. जेयपुर . . | 1975 | 2.20 | शून्य | 2.30 |
| | 1974 | 1.40 | 1.45 | 1.50 |
| 6. सम्बलपुर . . . | 1975 | 2.20 | 2.25 | सू०न० |
| | 1974 | 1.45 | 1.50 | 1.70 |

**24 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न सं० 913 के उत्तर में अनुबन्ध-2 में शुद्धि करने के लिए लोक सभा में 17 मार्च, 1975 को रखा जाने वाला विवरण**

लोक सभा में 24 फरवरी, 1975 को अतारांकित प्रश्न संख्या 913 के उत्तर के भाग (ग) के विवरण (अनुबन्ध-2) में विपणन मौसम 1974-75 (21-2-1975 तक प्राप्त सूचना के आधार पर) के दौरान गेहूं, चावल और मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति का ब्यौरा दिया गया था। इसमें "वास्तव में अधिप्राप्त मात्रा" के अन्तर्गत चावल के आंकड़े केवल चावल की मात्रा के बारे में हैं और उसमें उस तारीख तक अधिप्राप्त धान (चावल के हिसाब से) शामिल नहीं हैं। एक संशोधित विवरण संलग्न है जिसमें 21-2-1975 तक प्राप्त सूचना के अनुसार चावल के हिसाब से धान समेत चावल की अधिप्राप्त मात्रा का ब्यौरा दिया गया है। गेहूं और मोटे अनाजों के बारे में पहले बताई गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हैं।

**विवरण**

विपणन मौसम 1974-75 (21-2-1975 तक की प्राप्त सूचना के आधार पर) के दौरान गेहूं चावल और मोटे अनाजों को बताने वाला विवरण

(हजार मी० टन में)

| राज्य | लक्ष्य | वास्तव में अधिप्राप्त मात्रा | | |
|---|---|---|---|---|
| | चावल | गेहूं | चावल (चावल के हिसाब से धानसहित) | मोटे अनाज |
| आन्ध्र प्रदेश | 900 | — | 444 | — |
| असम | 125 | — | 82 | — |
| बिहार | 50 | 2 | 41 | — |
| गुजरात | 15 | 21 | 9 | नग० |
| हरियाणा | 250 | 249 | 204 | नग० |
| हिमाचल प्रदेश | — | — | — | — |
| जम्मू काश्मीर | 25 | 7 | 24 | — |
| कर्नाटक | 175 | — | 73 | 3 |
| केरल | 50 | — | 13 | — |
| मध्य प्रदेश | 150 | 124 | 112 | 98 |
| महाराष्ट्र | 100 | 20 | 50 | 57 |
| उड़ीसा | 150 | — | 28 | — |
| पंजाब | 950 | 1036 | 801 | 15 |
| राजस्थान | 15 | 127 | 8 | 8 |
| तमिलनाडु | 300 | — | 241 | — |
| उत्तर प्रदेश | 325 | 309* | 216 | 16 |
| पश्चिम बंगाल | 500 | — | 133 | — |
| अन्य | 20 | 2 | 12 | — |
| जोड़ | 4100 | 1897 | 2491 | 197 |

नगण्य—500 मी० टन से कम।

*इसमें जमा स्टाक को बाहर निकलवाने की योजना के अधीन पकड़ा गया लगभग 42,000 मी० टन गेहूं शामिल है।

### दिल्ली में अध्यापकों की हड़ताल के बारे में

### Re : Teachers' Strike in Delhi

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपुर) : दिल्ली में परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इसके फलस्वरूप 80,000 छात्रों को नुकसान होगा। अध्यापकों ने अब आंदोलन चालू कर दिया है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने पहले ही इस मामले पर कल ध्यान आकर्षण प्रस्ताव गृहीत कर लिया है।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Gwalior) : You have done a very good thing regarding Delhi. Delhi teachers are on strike. Kashi Vishwa Vidyalaya issue is a central one. A statement should also be made on this.

**अध्यक्ष महोदय :** आज नहीं। मैंने पहले ही एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव गृहीत किया हुआ है।

---

## यू० एन० आई० द्वारा क्षमायाचना

## APOLOGY BY U.N.I.

**अध्यक्ष महोदय :** यू०एन०आई० के सम्पादक ने आज प्रातः मुझे निम्नलिखित पत्र भेजा है।

"यह पत्र माननीय अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव से सम्बन्धित गत सप्ताह की लोक सभा की कार्यवाही के सन्दर्भ में है। प्रस्ताव की सूचना में दिये गये अविश्वास प्रस्ताव के व्यौरे के समय से पूर्व प्रचार से चर्चा आरम्भ हुई। मैं व्यौरे को छापने के लिए बिना हिचक क्षमा याचना करता हूं जिस पर आपत्ति की गई थी। ऐसा गलती के कारण हुआ। इस क्षमा याचना को ध्यान में रखते हुए मैं आशा करता हूं कि आप कृपया मामले को समाप्त समझें। हम भविष्य में और सावधान रहेंगे।"

अतः जहां तक यू०एन०आई० का सम्बन्ध है, विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

### गुजरात के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात पंचायत अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) :** मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) (क) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात पंचायत

अधिनियम, 1961 की धारा 323 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) केरा जिला स्थानीय बोर्ड पेंशन निधि (संशोधन) नियम, 1974 जो दिनांक 10 मई, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के०पी०-125/(74)/जी०आर०आर०/डी०एल०बी०/(के०)-3156-टी०एच० में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) गुजरात पंचायत सेवा (वर्गीकरण और भर्ती) (पहला संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 28 जनवरी, 1975 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के०पी०/21/(75)/पी०बी०एन०/307411/238/टी०एच० में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(2) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये एल० टी० संख्या-9191/75]**

**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम के अन्तर्गत अधिसूचना**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 142 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 6 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

**[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये एल० टी० संख्या 9192/75]**

**वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं**

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)** : मैं वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पाण्डिचेरी वन्य प्राणी (पशुधन घोषणा) नियम, 1975 जो दिनांक 1 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 63(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) पाण्डिचेरी वन्य प्राणी (संव्यवहार तथा चर्मप्रसाधन) नियम, 1975 जो दिनांक 1 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 64(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

**[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये एल० टी० संख्या-9193/75]**

**गुजरात नगरीय क्षेत्रों में खाली भूमि (अन्य संक्रमण प्रतिषेध) अधिनियम आदि और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियम के अन्तर्गत गुजरात सरकार के आदेश**

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलवीर सिंह)** : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(क) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 9 फरवरी, 1974, की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात नगरीय क्षेत्रों में खाली भूमि (अन्य संक्रामण प्रतिषेध) अधिनियम, 1972 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत गुजरात सरकार के निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(1) अहमदाबाद के सेठ सराभाई मगनभाई ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती इंदुमति चमनलाल सेठ के मामले में दिनांक 6-12-74 का आदेश संख्या वी०सी०टी०-1474/57062-पांच।

(2) अहमदाबाद की उदयरतन कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी (प्रस्तावित) के मामले में दिनांक 7-12-74 का आदेश संख्या वी०सी०टी०-1474/25096-पांच।

(3) अहमदाबाद जिले के धोलका ताल्लुक, ग्राम धोलका के श्री जयन्तीलाल भीखुभाई के मामले में दिनांक 9-12-74 का आदेश संख्या वी०सी०टी०-1474/95188-पांच।

(4) अहमदाबाद जिले के दसकरोई ताल्लुक, ततबा ग्राम की वेटिकन पार्क कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के मामले में दिनांक 10-12-74 का आदेश संख्या वी०सी०टी०-1473/89046-पांच।

(5) बड़ौदा जिले के बड़ौदा ताल्लुक, खतम्बा ग्राम के श्री दलसीख भाई नाना भाई थाकर्दा के मामले में दिनांक 10-12-74 का आदेश संख्या वी०सी०टी०-1774/115404/-पांच।

(6) अहमदाबाद के श्रीमती इन्दुमति चिमनलाल सेठ के मामले में दिनांक 19-12-74 का आदेश संख्या वी०सी०टी०-1474/57059-पांच।

(7) अहमदाबाद के वसुमती चैरिटी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती इन्दुमति चिमनलाल सेठ के मामले में दिनांक 20-12-74 का आदेश संख्या वी०सी०टी०-1474/57061-पांच।

(8) घंटाकरण कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 20-12-74 का आदेश संख्या वी०सी०टी० 1474/78724-पांच।

(9) जिला अहमदाबाद के धोलका ताल्लुक के धोलका ग्राम के श्री दाजीभाई विसाभाई रवारी के मामले में दिनांक 23-12-74 का आदेश संख्या वी०सी०टी०-1474/113312-पांच।

(10) श्री गणेश नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, बड़ौदा के मामले में दिनांक 27-12-74 का आदेश संख्या वी०सी०टी०-1774/39004-पांच।

(11) सूरत जिला के पालसाना ताल्लुक के हरिपुर ग्राम के श्री भीखूभाई बल्लभभाई देसाई के मामले में दिनांक 27-12-74 का आदेश संख्या वी०सी०टी०-3073/103898-पांच।

(12) सेंट जेवियर्स एजूकेशन सोसायटी, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 12-1-75 का आदेश संख्या वी०सी०टी०-1473/733-पांच।

(13) जिला राजकोट के जेतपुर ताल्लुक, जेतपुर के श्री लूबा पटेल केलावानी मन्डल के मामले में दिनांक 20-1-75 का आदेश संख्या वी०सी०टी०-2874/71309-पांच।

(14) श्री गीता नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, सूरत के मामले में दिनांक 22-1-75 का आदेश संख्या वी०सी०टी०-3073/87485-पांच।

(15) जिला सूरत के ओलपाड़ ताल्लुक के ओलपाड़ ग्राम के श्री अब्दुल सत्तार पीरभाई के मामले में दिनांक 29-1-75 का आदेश संख्या वी०सी०टी०-3074/105366-पांच।

(16) ओरिंट क्लब, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 6-2-75 का आदेश संख्या वी०सी०टी०-1474/57060-पांच।

(17) दरियापुर गुजरी वसाहत कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी (प्रस्तावित) अहमदाबाद के मामले में दिनांक 7-2-75 का आदेश संख्या वी०सी०टी०-1474/129673-पांच।

(18) जिला कैरा के नाडियाड ताल्लुक, नाडियाड की सहारा कोआपरेटिब हाउसिंग सोसायटी (प्रस्तावित) के मामले में दिनांक 7/8-2-75 का आदेश संख्या सी०सी०टी०-2474/117646-पांच।

(19) जिला सावरकन्ठा में गायत्री कोअपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, पालनपुर के मामले में दिनांक 8-2-75 का आदेश संख्या वी० सी० टी०-1674/103510-पांच।

(20) जिला राजकोट के राजकोट तालुक के क्वाडा के श्री बली अली गणेही के मामले में दिनांक 8-2-75 का आदेश संख्या वी० सी० टी०-2874/129923-पांच।

(21) जिल अहमदाबाद में अहमदावाद डिस्ट्रीक्ट कोअपरेटिव बैंक स्टाफ क्लास iv एम्पलाईज कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, चन्दलोदिया ताल्लुक सिटी के मामले में दिनांक 10-2-75 का आदेश संख्या वी० सी० टी०-1474/87236-पांच।

(22) सोनल कोआपरेटिव हाउसिग सोसायटी लिमिटेड, महसाना के मामले में दिनांक 12-2-75 का आदेश संख्या वी० सी० टी०-2674/13806-पांच।

(23) राजस्व क्लब लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 13-2-75 का आदेश संख्या वी० सी० टी०-1474/59872-पांच।

(24) अहमदाबाद जिले के सिटी तालुक के अचैर ग्राम के श्री प्रमुख लाल एम० पटेल के मामले में दिनांक 17-2-75 का आदेश संख्या वी० सी० टी०-1474/23370-पांच।

(25) जिला अहमदाबाद के दसकराई ताल्लुक के बतवा ग्राम की श्रीमती अनन्दी बेन भोगीलाल गज्जर और रामा बेन भोगी लाल गज्जर के मामले में दिनांक 19-2-75 का आदेश संख्या वी० सी० टी०-1474/125213-पांच।

(26) अमरेली के श्री हरिभाई माधोभाई पटेल के मामले में दिनांक 19-2-75 का आदेश संख्या वी० सी० टी०-1574/709806-पांच।

(27) जिला सूरत के ओलपाड़ ताल्लुक, ओलपाड़ के श्री लल्ल भाई केवल भाई के मामले में दिनांक 21-2-75 का आदेश संख्या वी० सी० टी०-3074/141461-पांच।

(28) आनन्द मंगल टेक्सटाइल, सूरत के मामले में दिनांक 12-12-74 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/आर० जी०/159/74।

(29) लोक प्रकाशन लिमिटेड, सूरत के मामले में दिनांक 18-1-75 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/आर०/जी०/19/74।

(30) गणेश टेक्सटाइल, सूरत के मामले में दिनांक 31-1-75 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/एस० आर०/78/74।

(31) आदर्श मिनरल्स एंड केमिकल्स इन्टरप्राइज लिमिटेड, सूरत के मामले में दिनांक 1-2-75 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/एस० आर०/717/74।

(32) जिला सूरत के ओलपाड़ तालुक सयन के सयन विभाग सहकारी खांड उद्योग मंडली लिमिटेड, के आवेदन के मामले में दिनांक 7-2-75 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/एस० आर०/82/74।

(33) सार्वजनिक एजुकेशन सोसायटी, सूरत के मामले में दिनांक 11-2-75 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/18/74।

(34) जिला सूरत के चोरयासी ताल्लुक के खतोद्रा के श्री विनोद चन्द्र रमेश चन्द्र के आवेदन के मामले में दिनांक 14-2-75 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/एस० आर०/77/74।

(35) बड़ौदा रेयन कारपोरेशन लिमिटेड, सूरत के मामले में दिनांक 20-2-75 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/एस० आर०/385।

(36) नामरता इंडस्ट्रीयल कोआपरेटिव सोसायटी, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 6-12-74 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/एस० आर०/189/7(3)।

(37) अहमदाबाद के (1) मैसर्स एच० के० पटेल एंड कम्पनी (2) राजेश बीलायफ प्राड० (3) मैसर्स अम्वेश इंजीनियरिंग (4) मैसर्स माधव लाल एंड कम्पनी के मामलों में दिनांक 12-12-74 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/एस० आर०/183-184-185-186/7(3)।

(38) सरेवास शोपिंग सेन्टर ओनर्स एसोसियेशन, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 12-12-74 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/एस० आर०/178-7(3)।

(39) जिला अहमदाबाद, दसकरोई ताल्लुक के बिजोल के श्री वी० बी० पटेल के आवेदन के मामले में दिनांक 12-12-74 का आदेश संख्या वी० सी० टी० एस० आर०/182/7(3)।

(40) अनन्त कोआपारेटिव इंडस्ट्रीज एस्टेट लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 13-12-74 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/एस० आर०/135/7(3)।

(41) अहमदाबाद के श्री अरविंद कुमार सी० पटेल के आवेदन के मामले में दिनांक 24-1-75 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/एस आर०/197/7(3)।

(42) जिला राजकोट में मानेजा खांडसारी फैक्टरी, उपलेटा के मामले में दिनांक 13-12-74 का आदेश संख्या खाली भूमि मामला संख्या 38।

(43) मैसर्स रामकिरन इंडस्ट्री, राजकोट के मामले में दिनांक 17-12-74 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/लैंड/केस/संख्या 79।

(44) जिला राजकोट में मैसर्स सौराष्ट्र फूड एंड प्रोटीन्स लिमिटेड, घोराजी के मामले में दिनांक 17-12-74 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/लैंड/केस/संख्या 28।

(45) मैसर्स राजेश खंडसारी फैक्टरी, उपलेटा, जिला राजकोट के मामले में दिनांक 18-12-74 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/लैंड/केस/संख्या 39।

(46) श्री रामकृष्णवाला इंडस्ट्रीज, लिम्बडी, जिला सुरेन्द्रनगर के मामले में दिनांक 18-12-74 का आदेश संख्या एल० एन०. डी०/वी० सी० टी०/74।

(48) श्री परमहंस सेरामिक इंडस्ट्रीज, लिम्बडी के मामले में दिनांक 18-12-74 का आदेश संख्या एल० एन० डी०/वी० सी० टी०/3-74।

(49) श्री भारत इंजीनियरिंग वर्क्स, सुरेन्द्रनगर के मामले में दिनांक 20-2-75 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/डब्ल्यू० एस०/4600।

(50) बड़ौदा तालुक, भयाली के श्री के० पी० पटेल के आवेदन के मामले में दिनांक 13-12-74 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/एस० आर०/26/74।

(51) ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री प्रा० लिमिटेड, बड़ौदा के मामले में दिनांक 19-12-74 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/एस० आर०/37/73।

(52) जिला वडौरा, पादरा, के श्री एम० एम० अमीन के आवेदन के मामले में दिनांक 31-12-74 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/एस० आर०/28/74।

(53) डा० सी० जे० शाह के मामले में दिनांक 4-1-75 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/एस० आर०/1/74।

(54) श्री बड़ौदा के श्री जे० पी० शाह के आवेदन के मामले में दिनांक 4-1-75 का आदेश संख्या वी० सी०/टी०/एस० आर०/67/74।

(55) एक्सेल इंडस्ट्रीज लि०, भावनगर के मामले में दिनांक 18-12-74 का आदेश संख्या एल० एन० डी०/1/वी० सी० टी०/3873/74।

(56) रूपचन्द छबीलदास चैरिटेबल ट्रस्ट के मामले में दिनांक 4-1-75 का आदेश संख्या जे० एम० एन०/वी० सी० टी०/रेज०/19/74।

(57) लोक निकेतन, रतनपुर जिला बनासकंठा के मामले में दिनांक 14-2-75 का आदेश संख्या ए०/जामिन/वी० सी० टी०।

(58) गुजरात मशीनरी मैन्युफैक्चर्स लिमिटेड, कर्मसाद, जिला कैरा के मामले में दिनांक 20-12-74 का आदेश संख्या टी० एन० सी०/वी० सी० टी०/एम० आर०/2341 ।

(59) जिला कैरा के तालुक आनन्द सोगारी के श्री रहमनशा दाउदशा के आवेदन के मामले में 23-12-74 का आदेश संख्या वी० सी० टी०/एस० आर० ।

(60) जिला कैरा, कापड़वंज के श्री छगनभाई लालुभाई के आवेदन के मामले में दिनांक 13-2-75 का आदेश संख्या टी० एन० सी०/वी० सी० टी०/एम० आर०/287 ।

(61) जिला कैरा, तालुक आनन्द, ग्रोडे के श्री नरेन्द्र छोटालाल के आवेदन के मामले में दिनांक 13-2-75 का आदेश संख्या टी० एन० सी०/वी० सी० टी०/एस० आर०/55 ।

(62) श्री चुनीलाल मणिलाल प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 13-2-75 का आदेश संख्या टी० एन० सी०/वी० सी० टी०/एस० आर०/183 ।

(63) जिला कैरा, कापड़वंज के श्री रणछोड़ भाई पुनमभाई तथा अन्य के आवेदन के मामले में दिनांक 13-2-75 का आदेश संख्या टी० एन० सी०/वी०सी० टी०/एस० आर०/294।

(64) जिला कैरा, तालुक आनन्द ग्रोडे के श्री भाईलाल भाई नत्थाभाई पटेल के आवेदन के मामले में दिनांक 13-2-75 का आदेश संख्या टी० एन० सी०/वी० सी० टी०/एस० आर० 43।

(65) कैरा जिला तालुक आनन्द ग्रोडे के श्री भाईलाल भाई नत्थाभाई के आवेदन के मामले में दिनांक 13-2-75 का आदेश संख्या टी० एन० सी०/वी० सी० टी०/एस० आर०/44।

(66) सरदार पटेल एजुकेशन ट्रस्ट, आनन्द के मामले में दिनांक 7-2-75 का आदेश संख्या टी० एन० सी०/वी० सी० टी०/एस० आर०/49।

(67) कैरा जिला के आनन्द तालुक के मैसर्स ग्रोमवाल मशीनरी एंड इक्विपमेंट कम्पनी, बल्लभ विद्यानगर के मामले में दिनांक 17-2-75 का आदेश संख्या टी० एन० सी०/वी० सी० टी०/एस० आर०/295 ।

(68) कैरा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, आनन्द के मामले में दिनांक 17-2-75 का आदेश संख्या टी० एन० सी०/वी० सी० टी०/एस० आर०/50।

(69) आनन्द के श्री चन्द्रसिंह हरि सिंह सोलंकी के मामले में दिनांक 17-2-75 का आदेश संख्या टी० एन० सी०/वी० सी० टी०/एस० आर०/47।

(70) जिला कैरा उमरेठ के मैसर्स शाह गोबिन्दलाल चुनीलाल के मामले में दिनांक 17-2-75 का आदेश संख्या टी० एन० सी०/वी० सी० टी०/एस० आर०/270।

(71) मैसर्स एच० आर० कालीदास एंड कम्पनी, गोधरा जिला पंचमहल के मामले में दिनांक 18-1-75 का आदेश संख्या लैंड/डब्ल्यू० एस०/262।

(72) जिला पंचमहल गोधरा के मैसर्स इंडियन फार्मा कैप्स एंड कैमिकल्स प्रा० लि० के मामले में दिनांक 1-2-75 का आदेश संख्या लैंड/डब्ल्यू०एस०/790, 791।

(73) एगरो कैमिकल्स प्रा० लि०, जूनागढ़ के मामले में दिनांक 4-2-75 का आदेश संख्या लैंड/(2)(सी०)/3026।

(74) इंडियन रेयन कारपोरेशन, वरावल, जिला जूनागढ़ के मामले में दिनांक 3-1-75 का आदेश संख्या लैंड/(2) (सी)/4865।

(75) बुलसर तालुक, डुगरी ग्राम के श्री मगनभाई दाजीभाई पटेल के आवेदन के मामले में दिनांक 21-12-74 का आदेश संख्या सी० एच०/वी०सी०टी०/आर० जी०/7/74।

(76) बुलसर तालुक, अवरामा ग्राम के श्री सेवन्तीलाल पोपटलाल बखारिया तथा अन्य के मामले में दिनांक 9-1-75 का आदेश संख्या सी० एच०/वी०सी० टी०/आर० जी०/42/74।

(77) अतुल प्रोडक्टस लि०, अतुल तालुक बुलसर के मामले में दिनांक 31-1-75 का आदेश संख्या सी० एच०/वी० सी० टी०/आर० जी०/33/74।

(78) प्रिसाइज इंजीनियरिंग वर्क्स, बुलसर के मामले में दिनांक 10-2-75 का आदेश संख्या सी० एच०/वी० सी० टी०/आर० जी०/21/1974।

(79) बुलसार के श्री अमृतलाल खंडूभाई देसाई के आवेदन के मामले में दिनांक 10-2-75 का आदेश संख्या सी० एच०/ वी० सी० टी०/आर० जी०/41/74।

(80) बुलसार के श्री अमृतलाल खंडुभाई देसाई के आवेदन के मामले में दिनांक 10-2-75 का आदेश संख्या सी० एच०/वी० सी० टी०/आर० जी०/19/1974।

(81) मानव कल्याण ट्रस्ट बिजलपुर, तालुक नवसारी, जिला बुलसर के मामले में दिनांक 13-2-75 का आदेश संख्या सी० एच०/वी० सी० टी०/आर० जी०/20/74।

(82) जिला बडौच, तालुक अंकलेश्वर, मादकोदरा के श्री रायजी भाई जी भाई के मामले में दिनांक 24-12-74 का आदेश संख्या एल० एन० डी०/वी० सी० टी०/ डब्ल्यू० एस०/6663।

(83) जिला बडौच, अंकलेश्वर की श्रीमती तारागौरी नगीनलाल दाधलवाला के आवेदन के मामले में 31-12-74 का आदेश संख्या एल० एन० डी०/वी० सी० टी०/डब्ल्यू०/एस०।

(84) तालुक बडौंच, कोठीग्राम के श्री इसमायल वली मोहम्मद काला के आवेदन के मामले में दनांक 8-1-75 का आदेश संख्या एल० एन० डी०/वी०सी० टी०/डब्ल्यू०एस०/6945।

(85) जिला बडौच, अंकलेश्वर के श्री गिरधरभाई मुरारभाई के मामले में दिनांक 8-1-75 का आदेश संख्या एल० एन० डी०/वी० सी० टी०/डब्ल्यू० एस०/7169।

(86) बडौच जिला, अंकलेश्वर के श्री अब्बासाली हुसेनआली के आवेदन के मामले में दिनांक 13-1-75 का आदेश संख्या एल० एन० डी०/वी० सी० टी०/डब्ल्यू० एस०/3191।

(87) बडौच जिला, अंकलेश्वर के मैसर्स गुलाम मुहम्मद हाजी गुलाम रसूल के आवेदन के मामले में दिनांक 13-1-75 का आदेश संख्या एल० एन० डी०/वी० सी० टी०/डब्ल्यू० एस०/3461।

(88) जिला बडौच, अंकलेश्वर के मैसर्स पृथ्वी एनटरप्राइसस के मामले में दिनांक 24-1-75 का आदेश संख्या एल एन/डी वी सी टी /डब्ल्यू एस 7282

(89) तालुक बडौच, वेजालपुर ग्राम की श्रीमती हीराबेन मनीलाल वासवा के आवेदन के मामले में दिनांक 24-1-75 का आदेश संख्या एल एन डी/सी वी टी/373-ए

(90) मैसर्स महाबीर कैमिकल्स इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 21-2-75 का आदेश संख्या एल एन डी /वी सी टी/डब्ल्यू एस/1101 एस आर 58

(91) जगदीश इंडस्ट्रीज, बडौच के मामले में दिनांक 21-2-75 का आदेश संख्या एल एन डी/ वी सी टी/डब्ल्यू एस 5264/डब्ल्यू एस 1102

(ख) (एक) उपर्युक्त आदेशों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा

(दो) उनके हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये एल० टी० संख्या -9114/75]**

(v) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 63 की उपधारा (3) अन्तर्गत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 27 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 58 (ङ) प्रकाशित हुए थे ।

**[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये एल० टी० संख्या-9195/75]**

**वर्ष 1973-74 के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन ।**

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** श्री डी० पी० यादव की ओर से मैं राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

**(ग्रन्थालय में रखा गया देखिये एल० टी० संख्या-9196/75)**

---

# अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

### हिमाचल प्रदेश में भूकम्प से हुई जन धन की हानि

**श्री वीरभद्र सिंह (मंडी) :** मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर कृषि और सिंचाई मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"हिमाचल प्रदेश के किनौर और लाहोल स्पिती जिलों में भूकम्पों से हुई जनधन की भारी हानि का समाचार और पीडितों को राहत पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को सहायता देने की तत्काल आवश्यकता ।"



18 LSS/75—10.

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे)** : 19 जनवरी, 1975 को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहोल-स्पीती जिलों में एक असामान्य रूप से तेज भूकम्प आया । इस भूकम्प का असर मुख्य रूप से 23 गांवों पर पड़ा । इस में 42 व्यक्तियों की जानें गयीं और 40 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए । इस भूकम्प से 278 घर पूर्णतः नष्ट हो गए, जबकि भूकम्प-ग्रस्त क्षेत्र में लगभग सभी शेष मकानों को आंशिक रूप से क्षति पहुंची । बड़ी संख्या में सरकारी इमारतों, पेय जल और सिंचाई की नालियों और सड़कों को भी क्षति पहुंची या ये नष्ट हो गयीं । इस क्षेत्र में मवेशियों तथा भेड़ों की भी जानें गयीं । जिन गांवों पर भूकम्प का असर पड़ा, उनकी कुल आबादी 4000 से कम है ।

2. भूकम्प-पीड़ित लोगों को आपात सहायता देने संबंधी विस्तृत योजना 21 जनवरी, 1975 को स्थल सेनाध्यक्ष द्वारा बुलाई गई एक बैठक में तैयार की गई थी । इस बैठक में स्थल सेना, वायु सेना और नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे । इन योजनाओं को कार्य-रूप दिया जा चुका है और पर्याप्त संख्या में तरपाल-तम्बू और कम्बल तथा आवश्यक खाद्य सामग्री तथा औषधियां आदि भूकम्प पीड़ित लोगों को उपलब्ध की गई हैं । इस संबंध में वायु सेना के हेलीकाप्टरों ने ऐसे स्थानों पर पहुंच कर जो सड़क से कट गये थे, अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में घायल व्यक्तियों को बचाने का जो काम किया, वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है ।

3. राज्य सरकार इस समय भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास की योजनायें तैयार करने के काम में लगी हुई हैं । इन में इमारतों के लिये नये डिजाइन अपनाना भी शामिल है ताकि भविष्य में मकानों को भूकम्प से क्षति की कम संभावना रहे । सड़कों की मरम्मत और उन्हें दोबारा बनाने, पेय जल और सिंचाई नालियां बनाने की योजनायें भी बनाई जा रही हैं । उस से यह कहा गया है कि वे अपने विस्तृत प्रस्ताव यथा शीघ्र भारत सरकार के पास भेजें ताकि इस संबंध में केन्द्रीय अधिकारियों का एक दल उनसे विचार-विमर्श कर सके और इनके कार्यान्वयन के लिये राज्य को दी जा सकने वाली सहायता के संबंध में निर्णय लिया जा सके । इस सिलसिले में यहां यह उल्लेखनीय है कि गर्मी का मौसम शुरू होने और टूटी हुई सड़कें दोबारा बनाये जाने के बाद ही पुनर्निर्माण का अधिकतर कार्य संभव हो सकेगा ।

4. केन्द्रीय सरकार भूकम्प से पैदा हुई स्थिति से पूरी तरह सजग है और इससे प्रभावित आबादी के पुनर्वास, भूकम्प के परिणामस्वरूप नष्ट या क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक सुविधाओं को बहाल करने और सितम्बर/अक्टूबर में काटी जाने वाली अगली फसल तक भूकम्प से प्रभावित आबादी के लिये आवश्यक अतिरिक्त खाद्य सामग्री आदि की सप्लाई करके राज्य सरकार की हर संभव सहायता करेगी । इस संबंध में राज्य के मुख्य मंत्री को पहले ही आश्वासन दे दिया गया है ।

**Shri Virbhadra Singh :** The hon. Minister has admitted that heavy loss of life and property was caused due to earthquake in Kinnaur-Lahaul-Sipiti area of Himachal Pradesh. Intensity of the earthquake was not less than the earthquake that hit Pakistan in December, last. About three hundred houses were completely destroyed and almost all houses of the area have received cracks and have become unsuitable for living. Further, a large number of livestock have died. These houses are required to be re-built.

This entire region is situated at a height of 8 thousand to 15 thousand feet and as such it was difficult to provide relief measures to the people. The Army personnel especially the Air Force personnel have played a commendable role in carrying out relief operations.

Will the government send a central team to assess the loss incurred ? Has the Himachal Pradesh Government asked for 3 crore rupees for relief operations ? Would that amount be made available to the State government for carrying on relief and rehabilitation operations. Would a team be sent to study the losses incurred to monasteries and also how these can be repaired.

**श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे** : यह सच है कि पाकिस्तान में आये भूकम्प से यहां आया भूकम्प अधिक तीव्र था लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार और सेना मुख्यालय ने बचाव कार्य तुरन्त हाथ में लिये। जनता को चिकित्सा सहायता पहुंचाने की आवश्यकता थी क्योंकि यह क्षेत्र हिमाच्छादित था ।

मोनेस्ट्रीज को हुई क्षति का उल्लेख किया गया है । आर्कओलोजिकल सर्वे आफ इंडिया मरम्मत कार्यो का भार वहन करेगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक हैं ।

हम प्रदेश सरकार से परामर्श कर रहें हैं । उनके प्रस्तावों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा ।

जहां तक संचार व्यवस्था का प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 जो तिब्बत की सीमा पर है, इस क्षेत्र में है । वहां पर संचार व्यवस्था बहाल करने के लिये सारा खर्च भारत सरकार उठायेगी । लेकिन इस समय यह क्षेत्र बर्फ से ढ़का हुआ है । इन सभी कार्यों के लिये कुछ समय तक रुकना पड़ेगा।

**डा० हेनरी आस्टिन (एरनाकुलम)** : 6 मार्च, को समदोह क्षेत्र में तीन झटके लगे जिनमें से एक बहुत तेज था । 7 मार्च को 6 झटके लगे जिनमें से दो तेज थे । 13 मार्च को किन्नौर जिले की सांगला घाटी के 12 गांवों में भंयकर भूकम्प आया । 15 घंटों के भीतर 29 झटके लगे । समाचार पत्रों से पता चलता है कि भूकम्प 3 जनवरी से आने शुरू हुए । इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि यह क्षेत्र भारी हिमपात का आदी है । विकसित देशों की भांति ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहिएं ।

हम सेना द्वारा चलाये गये राहत कार्यों की प्रशंसा करते हैं ।

इस दुर्घटना में 40 व्यक्तियों की जानें गई तथा 40 व्यक्तियों को गंभीर चोटे लगीं । 3 मार्च से 13 मार्च के बीच आये झटकों से 12 गांवों पर प्रभाव पड़ा । इस बारे में समूचित प्रबंध किये जाने चाहिएं ।

मुख्य मंत्री श्री परमार के सभापतित्व में पुनर्वास परामर्श समिति ने भूकम्प एवं शीत से अप्रभावित रहने वाले मकानों का निर्माण करने एवं पानी की सप्लाई के लिये नहरों आदि का निर्माण किये जाने की सिफारिश की है । इन परिस्थितियों का सामना करने के लिये केन्द्रीय सरकार को उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिए।

स्वयं सेवी संगठनों को वहां जाकर सहायता करने के लिये प्रेरित करना चाहिए। यह सही है कि रेड क्रास एवं भारत सेवक समाज जैसी संस्थाओं ने वहां पर कार्य किया है।

मैं अध्यक्ष महोदय से बिल्लौर मैडिकल कालेज की हड़ताल का मामला लिये जाने का अनुरोध करता हूं।

**श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे** : मैं माननीय सदस्य के अनुभव से लाभ उठाने के लिये उपयुक्त सुझावों की मांग करता हूं। भयंकर भूकम्प के पश्चात छोटे मोटे झटके आना स्वाभाविक हैं। जहां तक भूकम्प एवं शीत से अप्रभावित रहने वाले मकानों के निर्माण का प्रश्न है हम विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा करेंगें। हमने प्रदेश सरकार से जीवन बीमा निगम से पर्याप्त सहायता प्राप्त करने की चेष्टा करने को कहा है।

**Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior)** : The carthquake in Himachal Pradesh took place on 19th January. I think that Shri Virbhadra Singh has done a commendable job by bringing this issue here.

I want to know whether the incidents of earthquake in Kinnaur, Lauhal and Sipiti are isolated ones or are they connected with other incidents of earthquake. Is there any likelyhood of expansion of earthquake incidents. Are the plains also likely to be effected.

Is there any department in the central government which can give some prior indication of such earthquakes.

Is it a fact that after the earthquake of 3rd February, a chinese Aeroplane flew over that territory and took photographs. The Hon. Minister may throw light on it.

What is the assistance sought for by the State Government and what is the amount provided.

The Hon. Minister stated that the Government is fully alert on the situation and that it shall give every possible help to the state Government.

A sum of Rs. 2 lakhs has been given from Prime Minister's relief fund. This amount is insufficient. Certain states have given more aid than that.

**श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे** : इस क्षेत्र में, पाकिस्तान में; एवं तिब्बत में भूकम्प आये हैं इन भूकम्पों का वास्तविक केन्द्र कहां पर है, यह कहना अभी मेरे लिये कठिन है। कार्य आवंटन सूची के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं एवं उनसे पीडित क्षेत्रों में सहायता कार्य कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अधीन आते हैं। इसलिए इस मंत्रालय ने यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है।

वायू सीमा का उल्लंघन किये जाने का मामला मैंने रक्षा मंत्री को भेज दिया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 करोड़ रुपए की सहायता मांगी थी। राज्य को काफी सहायता दी जा चुकी है। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 22 है जोकि तिब्बत की सीमा को भारत के मैदानों एवं पर्वतों से मिलाता है। अधिकांश व्यय उसी राजपथ पर किया जाता है। हमने राज्य सरकार से प्रस्तावित सहायता कार्यों का ब्यौरा मांगा है। भारत सरकार उसके अध्ययन के पश्चात् सहायता देगी।

**Shri H. K. L. Bhagat (East Delhi)** : Like Shri Vajpayee, I too was surprised to see that reply on that earthquake issue has come from the Agriculture Ministry. In any case a coordinated information was necessary wherein specialist in the field have been consulted.

It has been stated that 42 persons were killed and 40 injured. But the details of losses to buildings and roads have not been stated.

We wish that the demand of Himachal Pradesh be met urgently and sympathetically. Can it be possible for our experts to make forecasts in regard to earthquakes in the next few years.

What are the earthquake prone areas ? Does Delhi also come under that belt. Can some earthquake precaution be used in new building construction ?

**श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे** : भूकम्प की गिरफ्त में आने वाले क्षेत्रों में पिछले 4–5 वर्ष नये क्षेत्र सम्मिलित होते जा रहे हैं । विशेषज्ञ लोग पूर्व संकेत किये जाने की संभावना व्यय करते हैं परन्तु मुझे यह कार्य कठिन लगता है ।

माननीय सदस्य ने मकानों के निर्माण में भूकम्पों के बचाव के बारे में सजगता बरतने का सुझाव दिया है । हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बारे में विशेषज्ञ समिति नियुक्त करके उत्तम कार्य किया है ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : (डायमंड हार्बर) : मैं एक मामला उठाना चाहता हूं । में आपका ध्यान श्री सी० सुब्रह्मण्यम के वक्तव्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु को अब केन्द्र से सूखा राहत के लिए और सहायता नहीं दी जायेगी ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मैं इसे नियम 377 के अन्तर्गत उठाना चाहता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इसकी अनुमति नही दी है । जिन सूचनाओं को स्वीकृत किया जाता है केवल उन्हें ही उठाया जाता है ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मुझे बताया गया है कि मेरी सूचना स्वीकृत कर ली गई है, इसलिए में इसे उठा रहा हूं

**अध्यक्ष महोदय** : सभा का सारा समय आप ही को नहीं दिया जा सकता । नियमों के अनुसार चलना चाहिए ।

पश्चिम बंगाल में लघु किसान विकास एजेन्सी तथा सीमान्तक किसान एवं कृषि श्रमिक योजना के अन्तर्गत उठाये गये कदमों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 187 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य।

Statement correcting answer to a supplementary question on S. Q. No. 187 re : steps taken under S.F.D.A. and M.F.D.A.L. Scheme in West Bengal.

**कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) :** श्री बी० वी० नायक द्वारा 3-3-1975 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 187 के बारे में पूछे गए पूरक प्रश्न का उत्तर देते समय मैंने कहा था ।

"ये सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत जिला स्तर पर स्थापित प्रशासनिक एजेंसियां हैं और इसलिए ये एजेंसियां जो, कार्यान्वयन एजेंसियां और सहयोग एजेंसियां हैं, सलाहकार बोर्ड हैं, जिनमें छोटे तथा सीमान्त किसानों को शामिल कराया जा सकता है । मैं इस विशेष पहलू की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा ।

पूरक प्रश्न का सही उत्तर यह होगा :—

"य सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत जिला स्तर पर स्थापित एजेंसिया हैं । ये एजेंसिया समन्वय और कार्यान्वयन करने वाली संस्थायें हैं और इनके शासी निकाय में छोटे तथा सीमान्त किसानो के दो प्रतिनिधि हैं, जों स्वयं लाभ-भोगी हैं । ये राज्य सरकारों द्वारा नामित किए जाते हैं । इसके अलावा, इन एजेंसियों के शासी निकाय में अनुसूचित जाति के छोटे तथा सीमान्त किसानों का एक प्रतिनिधि भी विशेष आमंत्रित के रूप में लिया जाता है । यह प्रतिमान देश में सभी परियोजनाओं के लिए अपनाया जा रहा है ।"

---

## अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1974-75

## SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1974-75

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :** मैं 1974-75 के बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दिखाने वाला एक विवरण पेश करता हूं ।

**न्यास विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1975 और न्यास विधि (संशोधन) विधेयक—के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प—जारी**

## STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF THE TRUST LAWS (AMENDMENT ORDINANCE, 1975 AND TRUST LAWS (AMENDMENT) BILL—CONTD.

**Dr. Laxmi Narain Pandeya (Mandsaur) :** Due to the faulty economic policies of the Government there has been inflation in the market and prices have gone up. The Government may claim that for some time the prices have come down but the fact remains that there has again been a spurt in prices.

When a restriction on dividend has been imposed at that time we had warned the Government that it will aggravate the economic crisis. All though the Government had not then accepted our contention, it has come out to be true. The situation of the Unit Trust has further deteriorated as a result of the method adopted by the Government to restrict dividend and the banks have also been adversely affected.

Through the ordinance the Government has given concessions in regard to income tax. But the sale of Units has not been going on well. If the Government claim that the sales has gone up then we will like to know as to what is the percentage of increase since January.

Similarly the claim made by the Government in the explanatory memorandum that the restriction on dividend has brought about stability in the share market, is wrong. There has been no improvement in the situation what so-ever and it is not going to improve so long as the Government do not change their wrong policies.

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी** : ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करते हुए कहा: यूनियन ट्रस्ट आफ इंडिया की यूनिटों के विक्रय के माध्यम से सरकार बचत बढ़ाने के उद्देश्य से 5 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक पूंजी से 1964 में स्थापना की गई थी। बाद में यूनिट धारियों ने यूनिटों को निस्क्रय बना दिया और निवेशकों ने यूनिटों में और राशि निवेश करने से हिचकिचाहट दिखाई। इनके मुख्यत: दो कारण है। बैंक दर में बृद्धि होने से बैंकों में जमाराशियों पर ब्याज दर में भी तदनुसार वृद्धि हो गई तथा कम्पनियां भी जमा राशियों पर ऊंची दरों पर ब्याज देने लगी। कम्पनियों द्वारा दिए जाने वाले लाभांश के रूप में मुनाफों के वितरण पर लगाए गए प्रतिबन्धों: के फलस्वरूप यूनिट ट्रस्ट आफ इंडीया द्वारा साम्य शेयरों में लगाई गई पूंजी से कम लाभ होने की शंका पैदा हो गई जिससे यूनिटधारियों के मन में यह अस्थिरता पैदा हो गई कि यूनिट ट्रस्ट निर्धारित दर पर लाभांश नहीं देने पायेगा।

यदि यूनिटों को निस्क्रिय बनाने की प्रवृती पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता तो इससे यूनिट ट्रस्ट की द्रवता पर गम्भीर प्रभाव पड़ता और यह अपने यूनिटधारियों को भुगतान करने के लिए और बिगड़ जाता। यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की द्रवता में सुधार करने और यूनिटधारियों द्वारा यूनिटों में राशि निवेश न करने की प्रवृत्ति को दूर करने तथा यूनिटों में और राशि निवेश करने को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न-लिखित दीर्घकालिक उपचारात्मक उपाय आवश्यक समझे गए जो 7 जनवरी, 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश में दिए गए हैं : (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80(6) के अन्तर्गत यूनिटों से होने वाली आय पर वर्तमान 3000 रुपये की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त 2000 रुपये पर भी आयकर में छूट दी गई है। (ख) सम्पति कर अधिनियम, 1957 की धारा 5 के अन्तर्गत सम्पत्ति कर पर छूट की वर्तमान सीमा से अधिक और 25,000 रुपये तक सम्पति कर की छूट दी गई है। (ग) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अन्तर्गत यूनिटों को ट्रस्टी की जमानत घोषित किया गया है। (घ) यूनिट धारियों को उनके यूनिटों के आधार पर नामांकन करने की अनुमति दी गई है और यह व्यवस्था करने की अनुमति दी गई है कि यह राशि नामजद व्यक्ति में निहित होगी तथा उसी को देय होगी।

अध्यादेश की आरम्भिक प्रतिक्रिया अनुकूल रही है। यूनिटों का ताजा विक्रय काफी बढ़ा है अर्थात् जनवरी, 1975 में 52 लाख रुपये का विक्रय हुआ और फरवरी, 1975 में 69 लाख रुपये का जबकि अगस्त से दिसम्बर, 1974 की अवधि में 22 लाख रुपये प्रति माह औसत विक्रय हुआ था। इससे यूनिट धारियों द्वारा की जाने वाली पुन: बिक्री पर भी कुछ प्रतिबन्ध लगा है जो अगस्त से दिसम्बर, 1974 की अवधि में 300 लाख रुपये मासिक औसत विक्रय से घटकर जनवरी, 1975 में 170 लाख रुपये और फरवरी, 1975 में 100 लाख रुपये रह गया है। अध्यादेश से यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की द्रवता में भी सुधार हुआ है।

वर्तमान विधेयक, संसद के एक अधिनियम द्वारा जनवरी, 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश को बदलने के लिए लाया गया है और इसमें अनुवर्ती या प्रतिक्रियात्मक अथवा स्पष्टीकरण कुछ संशोधन किए गए हैं ।

**डा० रानेन सेन (बारसाट)** : हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि देश के औद्योगिक विकास के लिए भारत सरकार द्वारा उठाये गए कदमों से भारत की जनता को कोई लाभ नहीं होगा । दूसरी ओर इससे एकाधिकारवादियों के एक वर्ग को ही, जो स्वतंत्रता प्राप्ति से ही पनपता आ रहा है, दृढ़ता मिली है । जब तक सरकार एकाधिकारवादियों और उनकी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को समाप्त नहीं करेंगी तब तक देश में औद्योगिक विकास नहीं हो सकता ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Dy. Speaker in the Chair.]

विधेयक में जिन संशोधनों का सुझाव दिया गया है, उनसे यूनिटों से होने वाली आय पर आयकर में पहले दी गई 3000 रुपये की छूट के अतिरिक्त 2000 रुपये के आय कर में और छूट दी गई है । इसी प्रकार यूनिटों में निवेश पर 25000 रुपये तक धन कर की छूट दी गई है । यह नीति तो पहले से ही अपनाई जा रही है । मेरी सूचना के अनुसार अधिकांश यूनिट मध्यमवर्ग के लोगों द्वारा ही खरीदे गए हैं और वे इन्हें इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि बैंक साधारण नागरिक को जमा राशि पर यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा घोषित लाभांश से अधिक ब्याज देता है ।

इस संशोधन से कोई लाभ नहीं होगा। छः महीने के बाद मंत्री जी को यह कहना होगा कि बड़े व्यापारियों को और अधिक प्रोत्साहन देना होगा ताकि वे इन यूनिटों पर अधिक राशि निवेश कर सकें। अतः यह संशोधन लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार को इस सम्पूर्ण स्थिति पर फिर से विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि अन्य स्थानों पर भी छोटी बचत बढ़ाने के लिए वास्तविक प्रयास किये जायें। सरकार को इस मामले की गहराई में जाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा घोषित लाभांश से अधिक ब्याज देता है।

**श्री नुरुल हुडा** (कछार) : विधेयक के कारण और उद्देश्य संबंधी वक्तव्य में यह कहा गया है कि यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी किए गए बहुत से यूनिट निष्क्रिय हो गए थे जिससे यूनिट ट्रस्ट के परिसमापन का खतरा पैदा हो गया था। इस प्रकार के रुख पर रोक लगाने और यूनिट ट्रस्ट में अधिक रुपया लगाने को प्रोत्साहित करने के लिए 7 जनवरी, 1975 को राष्ट्रपति ने यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया अधिनियम, 1963 और इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 1882 में संशोधन करने वाला एक अध्यादेश जारी किया।

इस संशोधन से उन लोगों को लाभ होगा जिनका यूनिट ट्रस्ट में अपेक्षतया अधिक रुपया जमा और मध्यम आय वर्ग को जिनके लिए सिद्धांत यूनिट ट्रस्ट स्थापित किया गया था, कोई लाभ नहीं होगा। इस संशोधन से उन लोगों को कोई लाभ नहीं होगा तथा जिस उद्देश्य से यह संशोधन लाया गया है, उसमें सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि सरकार की नीतियां पूंजीपतियों के ही हितों की रक्षा करती है। सरकार इस पर विचार करे जिससे निगमित क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके और मध्यम आय वर्ग के जमाकर्ताओं को लाभकारी दर मिल सके।

**श्री बी० वी० नायक** (कनारा) : भारतीय यूनिट ट्रस्ट; 1964 में शुरू किया गया था तथा 1973–74 में इसे पूरे दस वर्ष हो गए हैं। 30 जून, 1974 की रिपोर्ट से पता चलता है कि औद्योगिक निवेश में वर्ष के दौरान कोई सुधार नहीं हुआ है। 1973 में जारी किए गए लाइसेंसों और आशय पत्रों से पता चलता है कि औद्योगिक क्षेत्र में गैर-सरकारी निवेशों में कमी हुई है। इसलिए वित्त मंत्री अध्यादेश के द्वारा यूनिट ट्रस्ट को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय या रिजर्व बैंक यह बतायेगा कि यूनिटों की ऐसी स्थिति क्यों आई है। इसका कारण यह है कि ट्रस्ट बहुत कम व्याज देता है। फिर कोई कम दर पर यूनिट में रुपया क्यों लगाये जबकि गैर-सरकारी कम्पनियां अधिक व्याज देती हैं।

क्योंकि यह अध्यादेश आपात कालीन स्थिति के लिए प्रख्यापित किया गया है इसलिए यथा स्थिति होने पर यह विधेयक स्वतः ही समाप्त हो जायेगा और उसके साथ इसमें दी गई रियायतें भी। मैंने इस संबंध में एक संशोधन दिया है और आशा है कि मंत्री महोदय उसे स्वीकार करेंगे

**श्री प्रणब कुमार मुखर्जी :** इस विधेयक का क्षेत्र और अधिकार बहुत व्यापक नहीं है। जुलाई, 1974 से यूनिटों को पुनः खरीदे जाने की प्रक्रिया बहुत चल रही थी और इस कारण उत्पन्न निष्क्रियता के कारण सरकार को बाध्य होकर यह कदम उठाने का निर्णय लेना पड़ा।

जुलाई 1974 में 865 लाख रुपये की बिक्री हुई। क्योंकि पुनः खरीदने की अनुमति नहीं दी गई। कुल आय 865.19 लाख रुपये हुई। अगस्त में यह 865 लाख रुपये से घटकर 23.77 लाख रुपये रह गई और दिसम्बर में 19.62 लाख रुपये। जुलाई में दोबारा खरीद नहीं हुई। अगस्त में यह 401.18 लाख रुपये हुई और दिसम्बर में 300.70 रुपये। ट्रस्ट से बाहर गई राशि अगस्त में 377.46 लाख रुपये, सितम्बर में 312.22 लाख रुपये, अक्टूबर में 276.29 लाख रुपये, नवम्बर में 272.25 लाख रुपये और दिसम्बर में 281.08 लाख रुपये थी। जनवरी में यह आंकड़े 118.48 लाख रुपये थी। इस स्थिति में सरकार ने सोचा कि यदि इस संबंध में तुरन्त कुछ कार्यवाही न की गई तो पुनः खरीद को नहीं रोका जा सकेगा और लोगों में विश्वास पैदा नहीं किया जा सकेगा। डा० सेन ने कहा है कि इन प्रस्तावों से अधिक लाभ नहीं होगा क्योंकि अधिकतर यूनिट धारी मध्यम आय वर्ग के लोग हैं। परन्तु लाभांश की दर में जून 1974 में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 6.10 प्रतिशत से बढ़कर यह 8.50 प्रतिशत हो गया है। अतः पूरे दशक भर में लाभांशों में लगातार वृद्धि हुई है। जुलाई मास से, जब अस्थायी लाभांश रोक अधिनियम लागू किया गया था अचानक पुनः खरीद और निष्क्रियता बड़ी मात्रा में शुरू हो गई थी। इसे रोकने के लिये कुछ प्रोत्साहन देना आवश्यक समझा गया।

अध्यादेश को रद्द करने की दलील देते हुए डा० पाण्डेय अध्यादेश का प्रभाव जानना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि सही दिशा में प्रगति होने लगी है, यूनिटों की नई बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

कुछ सदस्यों का कहना है कि सम्पत्ति कर और आय कर में दी गई रियायत का लाभ केवल बडी आय वर्ग के लोग ही उठा सकेंगे क्योंकि व लोग ही इतना निवेश कर सकते हैं; परन्तु यूनिट ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य संसाधनों से लाभ उठाना है। इन संसाधनों का उपयोग प्राथमिकता क्षेत्र में निवेश करने के लिए यूनिटों की बिक्री करके ही हो सकता है। इस अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में 148 करोड़ रुपये का निवेश किया गया।

यह कहना सर्वथा गलत है कि पूरा निवेश एकाधिकार गृहों के अधिकार वाले क्षेत्र में ही हुआ है। 520 कम्पनियों में से जिनमें यूनिट ट्रस्ट का रुपया लगा है, केवल 270 कम्पनियां एकाधिकार गृहों से संबंधित थीं तथा 250 का उनसे कोई संबंध नही था।

लाभांशों पर लगी अस्थायी रोक पूर्णतः अस्थायी है और वह चालू नही रहेगी। इस लिए अस्थायी अधिनियम के साथ स्थायी रूप दिया जाने वाला उपबन्ध नहीं जोड़ा जा सकता। वित्त मंत्रालय शीघ्र ही लाभांश संबंधी एक विधान पेश करने वाला है। उनमें श्री नायक की बात का समावेश हो जायेगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय वह यहां पर नहीं हैं। प्रश्न यह है :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी, 1975 को प्रख्यापित न्याय विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 1) का निरनुमोदन करती है।"

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।**

THE MOTION WAS NEGATIVED.

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं मंत्री महोदय द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न यह है :

"कि भारतीय न्याय अधिनियम, 1882 और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

THE MOTION WAS ADOPTED.

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करते हैं। खण्ड 2 से 9 पर किसी संशोधन की सूचना नहीं दी गई है। मैं उन्हें सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 9 विधेयक का अंश बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

THE MOTION WAS ADOPTED.

**खण्ड 2 से 9 विधेयक में जोड़ दिये गये।**

CLAUSES 2 TO 9 WERE ADDED TO THE BILL.

**खण्ड 1**

**Clause 1**

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री बी० वी० नायक, क्या आप अपना संशोधन पेश करना चाहते हैं ?

**श्री] बी० वी० नायक** : जी हां। मैं प्रस्ताव करता हूं !

पृष्ठ 1, लाइन 8,—

अन्त में यह **जोड़ा जाये**—

"इस शर्त के अध्याधीन कि उपर्युक्त सभी धाराएं उस तिथि से लागू नहीं समझी जायेंगी जिस तिथि को कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1974 या तो संशोधित किया जायेगा या निरसित किया जायेगा या समाप्त किया जायेगा।"

मंत्री महोदय ने कहा है कि यनिट ट्रस्ट उत्पादन क्षेत्र में निवेश के प्रयोजनार्थ चालू किया गया था। 30 जून, 1973 और 30 जून, 1974 को उद्योगवार निवेश दर्शाने वाले विवरणों से पता चलता है कि टेक्सटाइल उद्योग में निवेश 17.14% है। क्या यह कोर क्षेत्र है ? इंजीनियरी गुड्स में निवेश 14.55% है। क्या यह कोर क्षेत्र है। कृपया इसे जिन लोगों ने पूंजी लगाई है उनके हित में लगाया जाये। इस सुझाव के साथ मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वह सभा की अनुमति से इसे वापस ले सकते हैं। मैं इसे सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।**

THE AMENDMENT WAS PUT AND NEGATIVED.

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

THE MOTION WAS ADOPTED.

**खण्ड 1 विधेयक में जोड़ा गया।**

CLAUSE 1 WAS ADDED TO THE BILL.

**अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़े गये।**

THE ENACTING FORMULA AND THE LONG TITLE WERE ADDED TO THE BILL.

**श्री प्रणब कुमार मुखर्जी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

THE MOTION WAS ADOPTED.

---

# अनुदानों की मांगें—रेलवे, 1975–76

## DEMANDS FOR GRANTS—RAILWAYS, 1975-76

**उपाध्यक्ष महोदय**: अब हम वर्ष 1975–76 के रेलवे बजट के संबंध में निम्नलिखित अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ करते हैं। इसके लिए 7 घन्टे नियत किये गये हैं। सदस्यों ने बहुत से कटौती प्रस्तावों की सूचना दी है। जो सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं वे कृपया कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या लिखकर स्लिपें भेजें और वे पेश किये गये समझे जायेंगे।

रेल मंत्रालय की वर्ष 1975-76 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

| मांग संख्या | मांग का नाम | मांग की राशि जो सभा में मतदान के लिये रखी जायेगी |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | रुपये |
| 1 | रेलवे बोर्ड | 2,26,90,000 |
| 2 | विविध व्यय | 10,11,63,000 |
| 3 | चालित और दूसरी लाइनों को भुगतान | 19,44,000 |
| 4 | संचालन व्यय—प्रशासन . | 137,86,69,000 |
| 5 | संचालन-व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण | 513,83,41,000 |
| 6 | संचालन-व्यय—परिचालन कर्मचारी | 292,34,01,000 |
| 7 | संचालन-व्यय—परिचालन (ईंधन) . | 247,15,26,000 |
| 8 | संचालन-व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर) | 78,55,31,000 |
| 9 | संचालन-व्यय—विविध व्यय | 51,72,59,000 |
| 10 | संचालन-व्यय—कर्मचारी कल्याण . | 46,94,72,000 |
| 11क | संचालन-व्यय—मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग | 115,00,00,000 |
| 11 | संचालन-व्यय—पेंशन निधि में विनियोग | 17.00,00,000 |
| 12 | सामान्य राजस्व को लाभांश और यात्री किराया कर के बदले राज्यों को अनुदान के लिये अंशदान . | 197,88,49,000 |
| 13 | चालू लाइन निर्माण (राजस्व) . . . | 7,50,29,000 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 14 | नई लाइनों का निर्माण—पूंजी और मूल्यह्रास आरक्षित निधि | 47,10,55,000 |
| 15 | चालू लाइन निर्माण—पूंजी मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि | 869,65,54,000 |
| 16 | पेंशन प्रभार—पेंशन निधि | 18,07,29,000 |
| 17 | सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण और उसके ब्याज की अदायगी—विकास निधि | 6,77,02,000 |
| 18 | विकास निधि में विनियोग . | 18,00,00,000 |
| 19 | राजस्व आरक्षित निधि में विनियोग . | 5,02,79,000 |
| 20 | अतिपूंजीकरण के परिशोधन के लिये भगतान—सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण और उसके ब्याज की अदायगी—राजस्व आरक्षित निधि | 109,23,77,000 |
| 21 | दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि में विनियोग . | 7,53,20,000 |
| 22 | दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि | 2,11,62,000 |

रेल मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

| मांग सख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1. | श्री था किरुत्तिनन | रेलवे बोर्ड को समाप्त करने तथा वहां प्रशासन में उच्चाधिकारियों की संख्या को कम करने में असफलता । | राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए । |
| | 2. | | रेलवे में स्वायतशासी क्षेत्रीय निगमों की स्थापना करने में असफलता । | ,, |
| | 3. | | क्षेत्रीय रेलवे के महा प्रबन्धकों को अधिक शक्तियां प्रदान करने, जिससे कि वे शीघ्रता से निर्णय ले सकें, में असफलता । | ,, |
| | 4. | | रेलवे बोर्ड की संचित शक्तियों को कम करने में असफलता जिससे कि रेल प्रशासन में सुधार हो । | ,, |
| | 5. | | सभी उत्पीड़ित रेल कर्मचारियों की, जिन्होंने हाल ही में हुई रेल हड़ताल में भाग लिया, बहाली करने में असफलता । | ,, |
| | 6. | | हाल की हड़ताल के सम्बन्ध में रेल कर्मचारियों के विरुद्ध सभी आपराधिक मामलों को वापस लेने में असफलता । | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 7. | | हाल ही में हुई रेल हड़ताल के कारण छटनी किए गए नैमितिक श्रमिकों को वापस लेने में असफलता । | राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए । |
| | 8. | | रेल कर्मचारियों द्वारा पेश की गई मांगों को स्वीकार करने में असफलता । | ,, |
| | 9. | | लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने में असफलता । | ,, |
| | 10. | | दक्षिण रेलवे में रद्द की गई यात्री गाड़ियों को पुनः चलाने और यात्री परिवहन में सामान्य स्थिति कायम करने में असफलता । | ,, |
| | 11. | | दक्षिण रेलवे को कोयला पर्याप्त मात्रा में देने में असफलता, जिसके फलस्वरूप वहां अधिकतम संख्या में गाड़ियां रद्द हुई हैं । | ,, |
| | 12. | | कोयला खानों से कोयले के लदान के लिए पर्याप्त संख्या में माल डिब्बें उपलब्ध करने में असफलता । | ,, |
| | 13. | | कोयला खनन अधिकरण के साथ एक समन्वित नीति बनाने में असफलता । | ,, |
| | 14. | | रेल राजस्व को बढ़ाने के लिए अधिक रेल लाइनों के निर्माण करने तथा अधिक माल और यात्री गाड़ियों को चलाने में असफलता । | ,, |
| | 15. | | रेल-सड़क-अन्तर्देशीय जल मार्ग तथा तटीय परिवहन समन्वय की नीति तैयार करने में असफलता । | ,, |
| | 16. | | बेरोजगार नवयुवकों को रेलवे में अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक नीति लागू करने में असफलता । | ,, |
| | 17 | | रेल कर्मचारियों के लड़कों तथा लड़कियों को रोजगार प्रदान करने में असफलता । | ,, |
| | 18. | | रेल कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार करने में असफलता, जिसके कारण रेलवे में कर्मचारियों तथा नियोजकों के सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न हुआ है । | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 19. | | रेलवे में सभी नियोजित तथा पंजीकृत संघों को मान्यता देने में असफलता । | राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए |
| | 20. | | रेलवे में आई० सी० एफ० तथा गोल्डन रांक वर्कशाप जैसे उत्पादन एककों का विस्तार करने में असफलता । | ,, |
| | 21. | | रेल कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधि-नियम और बोनस संदाय अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता। | ,, |
| | 22. | | रेल कर्मचारियों के लिए बोनस योजना की घोषणा करने में असफलता । | ,, |
| | 23. | | क्वार्टरों के पुनर्निर्माण तथा पटरियों, माल डिब्बों, सवारी डिब्बों, इंजनों तथा अन्य वस्तुओं को बदलने के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि को प्रयोग में लाने में असफलता । | ,, ,, |
| | 24. | | रेलवे में तीव्र परिवहन प्रणाली की ओर पूरा ध्यान देने में असफलता । | ,, |
| | 25. | | मियाबांय आयोग की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित करने में असफलता । | ,, |
| | 26. | | रेल कर्मचारियों के सम्बन्ध में रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में असफलता । | ,, |
| | 27. | | रेलवे में एक सप्ताह में 40 घंटे कार्य करने के सुझाव को, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने स्वीकार किया है, लागू करने में असफलता । | ,, |
| | 28. | | रेलवे में ऐशोआराम के सवारी डिब्बों तथा सैलूनों को समाप्त करने में असफलता । | ,, |
| | 29. | | तमिलनाडु में नये निर्माण कार्यों में से किसी का भी सर्वेक्षण करने में असफलता । | राशि में 100 रु० कम किये जायें |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 30. | | सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नये निर्माण कार्यो में से किसी को भी आरम्भ करने की आवश्यकता जिससे कि लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सके । | राशि में 100 रु कम किये जायें। |
| | 31. | | दक्षिण रेलवे में इलायांगुडी होकर अरथांकी से थोड़ी और मनमदुराई तक रेलवे लाइन के निर्माण के लिये सर्वेक्षण करने की आवश्यकता । | ,, |
| | 32. | | दक्षिण रेलवे के रामनाथपुरम होकर अरथांकी से थोंडी और तूतीकोरिन तक रेलवे लाइन के निर्माण के लिये सर्वेक्षण करने की आवश्यकता । | ,, |
| | 33. | | दक्षिण रेलवे में कामुथी होकर मनमदुराई से तूतीकोरिन तक रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता । | ,, |
| | 34. | | दक्षिण रेलवे में तिरुप्पाथुर होकर डिडीगुल से कराईकुडी तक रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता । | ,, |
| | 35. | | दक्षिण रेलवे के पोदानपुर में पैदल पुल की व्यवस्था करने की आवश्यकता । | ,, |
| | 36. | | दक्षिण रेलवे के त्रिची में रेलवे कोलोनी तथा जंकशन क्षेत्र को मिलाने के लिए पैदल पुल की व्यवस्था करने की आवश्यकता । | ,, |
| | 37. | | दक्षिण रेलवे के विरुधुनगर मार्शलिंग यार्ड में अधिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता । | ,, |
| | 38. | | दक्षिण रेलवे में सभी रेलवे जंकशनों तथा स्टेशनों पर बी० टी० मार्गों की व्यवस्था करने की आवश्यकता । | ,, |
| | 39. | | दक्षिण रेलवे में रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म शेडों की व्यवस्था करने की आवश्यकता । | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 40. | | इटारसी और नागपुर के बीच तथा नागपुर से मद्रास तक लाइन को दोहरी बनाने के लिए शीघ्र इंजीनियरी सर्वेक्षण कराने में असफलता । | राशि में 100 रु० कम किये जायें । |
| | 41. | | दक्षिण रेलवे में मदुराई से एर्नाकुलम तक रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता । | ,, |
| | 42. | | दक्षिण रेलवे में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 49 पर नवनिर्मित बाहरी सड़क के लिए मनमदुराई के निकट एक ऊपरी पुल का निर्माण करने में असफलता । | ,, |
| | 43. | | दक्षिण रेलवे में बेसिन पुल यार्ड में एक विश्राम गृह तथा जलपान शेड का निर्माण करने की आवश्यकता । | ,, |
| | 44. | | दक्षिण रेलवे में बेसिन पुल यार्ड में स्वच्छ जल सप्लाई की व्यवस्था करने की आवश्यकता । | ,, |
| | 45. | | दक्षिण रेलवे के त्रिची जंकशन में बेसिन पुल यार्ड तथा टी० आर० विभाग में स्वच्छतायुक्त धावन गढ़ी की व्यवस्था करने की आवश्यकता । | ,, |
| | 46. | | दक्षिण रेलवे में पोदानपुर रेल कालोनी और रेलवे जंकशन में पीने के पानी की सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकना । | ,, |
| | 47. | | खाद्यान्नों पर लगाई गई भाड़े की दर वापस लेने की आवश्यकता । | राशि को घटाकर 1 रु० किया जाये |
| | 48. | | रेलवे के लिये एक सुदृढ़ वित्तीय नीति के निर्माण में असफलता । | ,, |
| | 49. | | दक्षिण रेलवे में करुल-डिंडीगुल-मदुराई-मनीयाची-तूतिकोरीन और तिरुनेलवेली के बीच रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने में असफलता । | राशि में 100 रु० कम किये जायें । |



18LSS/75—11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 50. | | दक्षिण रेलवे में मद्रास और डिंडीगुल के बीच छोटी रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के कार्य को आरम्भ करने में असफलता । | राशि में 100 रु० कम किये जायें । |
| | 51. | | दक्षिण रेलवे में मद्रास और मदुराई तथा तुतीकोरीन और तिरुनेलवेली के बीच दुहरी लाइन के निर्माण में असफलता । | ,, |
| | 52. | | दक्षिण रेलवे में विल्लुपुरम तथा मदुराई के बीच विद्युतीकरण कार्य आरम्भ करने में असफलता । | ,, |
| | 53. | | दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलवे में मद्रास–गुडुर और गुडुर विजयवाड़ा विद्युतीकरण कार्य में तीव्रता लाने में असफलता । | ,, |
| | 54. | | दक्षिण रेलवे में मद्रास–अरकोनम विद्युतीकरण कार्य आरंभ करने में असफलता । | ,, |
| | 55. | | मद्रास-तिरुवैलुर लाइन के विद्युतीकरण कार्य को तेजी से करने और उसे पूरा करने में असफलता । यद्यपि इस कार्य का उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बहुत समय पूर्व किया था । | ,, |
| | 56. | | दक्षिण रेलवे में चिन्ना सेलम और चिंगलपूट के बीच एक नई लाइन के निर्माण में असफलता । यद्यपि इस उद्देश्य के लिये भूमि बहुत पहले अर्जित कर ली गई थी । | ,, |
| | 57. | | दक्षिण रेलवे में तजांबूर और पटटुकोटाई के बीच एक नई रेल लाइन के निर्माण में असफलता । यद्यपि इस उद्देश्य के लिये भूमि बहुत समय पहले अर्जित कर ली गई थी । | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 555. | | सफदरजंग फाटक (5–ए) को बन्द किया जाना, जिसके कारण हजारों स्कूल जाने वाले बच्चों, पैदल चलने वालों, साइकल, स्कूटर, और कार वालों को अनगिनत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, पेट्रोल का अनावश्यक खर्च हो रहा है और विभिन्न स्थानों पर रेलवे लाइनें को अवैध रूप से पार करना पड़ता है । | राशि को घटाकर 1 रु० किया जाये । |
| | 558. | | सफदरजंग फाटक (5–ए) को बन्द किया जाना, जिसके कारण हजारों स्कूल जाने वाले बच्चों, पैदल चलने वालों, साइकल स्कूटर और कार वालों को अनगिनत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, पेट्रोल का अनावश्यक खर्च हो रहा है और विभिन्न स्थानों पर रेलवे लाइनों को अवैध रूप से पार करना पड़ता है । | राशि में 100 रु० कम किये जायें । |
| | 559. | | दक्षिण रेलवे में सुब्रामनिया पुरम् मदुरै फाटक, एन० एच० 7 को बन्द करना, जिसके कारण स्कूल जाने वाले बच्चों, पैदल चलने वालों, साइकल और स्कूटर वालों को परेशानी उठानी पड़ रही है । | ,, |
| | 560. | | दक्षिण रेलवे में बन्द पड़े सुब्रामनिया पुरम् फाटक, एन० एच० 7 पर कम से कम पैदल चलने वालों के लिये एक द्वार की व्यवस्था करने की आवश्यकता ताकि उस क्षेत्र के हजारों निवासियों की परेशानियों को कम किया जा सके । | ,, |
| 1 | 58. | श्री सी०के० चन्द्रपन्न | रेलवे बोर्ड को समाप्त करने में असफलता । | राशि को घटाकर 1 रु० किया जाये । |
| | 59. | | रेलवे बोर्ड को समानान्तर शक्ति केन्द्र के रूप में बनाए रखने की नीति को जारी रखना, प्रायः मंत्रालय के प्राधिकार का भी उल्लंघन करता है । | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 60. | | रेलवे बोर्ड को अफसरशाही तथा नौकरशाही ढांचे के रूप में बनाए रखने की नीति । | राशि को घटाकर 1 रू० किया जाये |
| | 61. | | रेलवे बोर्ड को संसद् के प्रति बिना जिम्मेदार बनाए कार्य करने की अनुमति देने की नीति । | ,, |
| | 62. | | रेलवे बोर्ड की श्रमिक विरोधी नीति । | ,, |
| | 63. | | रेलवे बोर्ड द्वारा अपनाई गई निति जिसके कारण बड़े पैमाने पर श्रमिकों का उत्पीड़न किया गया है । | ,, |
| | 64. | | रेलवे विकास के मामलों में पिछड़े क्षेत्रों के प्रति रेलवे बोर्ड का दृष्टिकोण । | ,, |
| | 65. | | भाड़ा प्रभारों के मामले में बड़े-बड़े व्यापार गृहों को अधिक रियायत दिया जाना । | ,, |
| | 66. | | गाड़ियों तथा स्टेशन पर यात्रियों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने में असफलता । | राशि में 100 रु० कम किये जायें । |
| | 67. | | विभागीय खानपान प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा प्रदान करने में असफलता । | ,, |
| | 68. | | रेलगाड़ियों को समय पर चलाना सुनिश्चित करने में असफलता । | ,, |
| | 69. | | रेल सम्पत्ति की रक्षा करने में असफलता । | ,, |
| | 70. | | बिना टिकट यात्रा करने को रोकने में असफलता । | ,, |
| | 71. | | यात्रियों की चोरी और डकैती से सुरक्षा करने में असफलता । | ,, |
| | 72. | | रेलवे में अच्छे श्रम संबंधों को बनाने में असफलता । | ,, |
| | 73. | | हाल की हड़ताल में भाग लेने वाले श्रमिकों के विरुद्ध मामले वापस लेने में असफलता । | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 74. | | हाल की रेल हड़ताल में जिन कर्मचारियों ने भाग लिया और जिन्हें निलम्बित किया गया उन सब को वापस लेने में असफलता। | राशि में 100 रु० कम किये जायें। |
| | 75. | | रेलवे विकास को नियोजित करते समय पिछड़े क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखने में असफलता । | ,, |
| | 76. | | दूसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए बेहतर सुविधायें प्रदान करने में असफलता । | ,, |
| | 77. | | रेलवे स्टेशनों पर दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये विश्राम तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त सुविधायें प्रदान करने में असफलता । | ,, |
| | 78. | | रेल कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के लिये पर्याप्त चिकित्सा, शिक्षा तथा मनोरंजन सुविधाएं प्रदान करने में असफलता । | ,, |
| | 79. | | भिखारियों द्वारा यात्रियों का तंग किया जाना, रोकने में असफलता । | ,, |
| | 80. | | मालडिब्बों को तोड़ने और वहां से वस्तुओं की चोरी रोकने में असफलता । | ,, |
| | 81. | | रेलवे द्वारा बुक की गई वस्तुओं की चोरी रोकने में असफलता । | ,, |
| | 82. | | अधिक संख्या में एक्सप्रेस तथा मेल गाड़ियों की गति बढ़ाने में असफलता । | ,, |
| | 83. | | तथाकथित माल डिब्बों की कमी को हल करने में असफलता । | ,, |
| | 84. | | व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के साथ, जो रेल के माल डिब्बों को सस्ते गोदामों के रूप में प्रयोग कर रहे हों रेलवे द्वारा निपटने में असफलता । | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 85. | | बड़े-बड़े उद्योगों तथा इस्पात मिलों को कोयला पहुंचाने के लिये पर्याप्त माल डिब्बे प्रदान करने में असफलता । | राशि में 100 रु० कम किये जायें । |
| | 86. | | कोयले की कमी के नाम पर स्थानीय गाड़ियों को बड़ी संख्या में रद्द किया जाना । | ,, |
| | 87. | | केरल में कयामकुलम और पुनालुर के बीच प्रस्तावित रेल लाइन का सर्वेक्षण करने में असफलता । | ,, |
| | 88. | | सहरीमलाई, (केरल में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान) कोट्टायम तथा मंदुराई को मिलाने वाली एक नई रेल लाइन का सर्वेक्षण करने में असफलता । | ,, |
| | 89. | | नई रेल लाइन के निर्माण की आर्थिक व्यवहार्यता से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में राष्ट्र की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार एक नया दृष्टिकोण अपनाने में असफलता । | ,, |
| 1 | 102. | श्री एस० ए० मुरुगनत्तम | ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उत्पीड़ित रेल कर्मचारियों को बहाल करने में असफलता । | राशि को घटाकर 1 रु० किया जाये । |
| | 103. | | देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिये रेलवे वैगन निर्माण कारखानों का विस्तार करने और वैगन निर्माण के लिये नये कारखाने खोलने में असफलता । | ,, |
| | 104. | | स्थापना संहिता और अन्य सभी संहिताओं को सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने की आवश्यकता । | ,, |
| | 105. | | एन० एस० आई० आर० की धारा 3 और रेल संहिता की धारा 148 के अन्तर्गत नौकरी से निकाले गये कर्मचारियों के मामलों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता । | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 106. | | दक्षिण रेलवे में तिरुवरुर जंकशन ग्रौर तिरु-नेलवेल्लि जंकशन पर ग्रार० एम० एस० के लिये स्थान उपलब्ध कराने में विलम्ब। | राशि को घटाकर 1 रु० किया जाये। |
| | 107. | | तमिलनाडु में विशेषकर रामनद जिले जैसे पिछड़े क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये योजना बनाने में ग्रस-फलता । | ,, |
| | 108. | | वैगन ग्रलाट करने में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार को रोकने हेतु कार्यवाही करने में ग्रसफलता । | ,, |
| | 109. | | हड़ताल तोड़ने के लिए रेलवे में प्रादेशिक सेना की सेवाग्रों का उपयोग रोकने में ग्रसफलता । | ,, |
| | 110. | | दक्षिण रेलवे में वेदारान्यम ग्रौर तूतीकोरिन ग्रौर ग्ररुमुगनेरी से नमक की ढुलाई के लिये नियमित रूप से तथा पर्याप्त वैगन कोटा ग्रलाट करने तथा उपलब्ध कराने में ग्रसफलता । | ,, |
| | 111. | | 1954 से पूर्व सेवानिवृत्ति रेल कर्मचारियों को, जिन्होंने पेन्शन के लिए विकल्प नहीं दिया था ग्रनुग्रहपूर्वक पेन्शन का भुगतान करने संबंधी प्रश्न पर विचार करने में ग्रसफलता । | ,, |
| | 112. | | कर्मचारियों को पेन्शन योजना के लिये ग्रपना विकल्प देने के लिए एक ग्रौर ग्रवसर प्रदान करने की ग्रावश्यकता । | ,, |
| 2 | 126. | | मुदुकलाथुर तथा विलाथीकुलम होकर मनमदु-राई ग्रौर तूतीकोरिन के बीच एक नई रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण करने की ग्रावश्यकता । | राशि में 100 रु० कम किये जायें । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 127. | - | दक्षिण रेलवे में पलायाकैल, मुक्कमी तथा ग्राथुर होकर स्पिक नगर से ग्ररमुगनेरी तक एक नई रेल लाइन के निर्माण तथा विस्तार के लिए सर्वेक्षण करने की ग्रावश्यकता । | राशि में 100 रु० कम किये जायें । |
| | 128. | | दक्षिण रेलवे में कराइकुड्डी तथा डिंडीगुल के बीच एक नई रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण करने की ग्रावश्यकता । | ,, |
| | 129. | | दक्षिण रेलवे में थांडी तथा रामनाथपुरम होकर ग्रारनतंगी से तूतीकोरिन के बीच एक नई रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण करने में ग्रसफलता । | ,, |
| 8 | 130. | | दक्षिण रेलवे में हावड़ा हारबर प्रोजेक्ट होकर तूतीकोरिन ग्रौर स्पिक नगर के बीच यात्री गाड़ियों को चलाने की ग्रावश्यकता । | ,, |
| | 131. | | कोयले की कमी के बहाने तमिलनाडु में शाखा लाइनों में गाड़ियों को रद्द करने के कारण जनता को हुई ग्रसुविधा । | ,, |
| | 132. | | मयूरम जंक्शन तथा तानकुबेर, पेरालम तथा करैकल, मयुरम जंकशन तथा करैकुड्डी, तिरुथुराईपुंडी जंक्शन तथा प्वाईब कैलिमियर, तंजाबूर तथा नागौर के बीच सभी यात्री गाड़ियों को पुनः चलाने की ग्रावश्यकता । | ,, |
| 14 | 133. | | दक्षिण रेलवे में तंजाबूर जंक्शन ग्रौर पट्टुकोटाई के बीच एक नई रेल लाइन के निर्माण को ग्रारंभ करने की ग्रावश्यकता । | ,, |
| | 134. | | दक्षिण रेलवे में सेलम, डिंडीगुल ग्रौर करुर तथा नमाक्कल होकर तूतीकोरिन से एक नई बड़ी रेल लाइन के निर्माण में ग्रसफलता | ,, |
| | 135. | | दक्षिण रेलवे में त्रिचनापल्ली से तूतीकोरिन तक एक नई बड़ी रेल लाइन के निर्माण की ग्रावश्यकता । | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 136. | | दक्षिण रेलवे में मनारगुड्डी और तिरुथुरैपुंडी को जोड़ने वाली एक नई रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता । | राशी में 100 रुपये कम किये जाएं । |
| 15 | 137. | | दक्षिण रेलवे में मयूरम-तंजावूर सैक्शन में बरदावर स्टेशन के निकट प्रस्तावित सड़क ऊपरी पुल के कार्य को आरंभ करने में विलंब न करने की आवश्यकता । | ,, |
| | 138. | | माल यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिये दक्षिण रेलवे में मनारगुड्डी तथा निदामंगलम जक्शन के बीच 60 पौंड की पटरी बिछाकर रेलपथ को मजबूत करने के कार्य को आरंभ करने में विलंब । | ,, |
| | 139. | | दक्षिण रेलवे में निदामंगलम, कोराडाचेरी और तिरुवरूर जंक्शन (नागापट्टीनम, कोयम्बटूर-कुडालौर स्टेट हाइवेज रोड) के निकट प्रस्तावित सड़क ऊपरी पुलों के कार्य को आरंभ करने में विलंब । | ,, |
| | 140. | | गावों की सड़कों को मुख्य सड़कों से मिलाने के लिये विशेषरूप से तंजावूर जिले में दक्षिण रेलवे में आवश्यक फाटक खोलने की आवश्यकता । | ,, |
| | 141. | | मद्रास और विजयवाड़ा के बीच विद्युतीकरण योजना में विलम्ब । | ,, |
| | 142. | | दक्षिण रेलवे में मद्रास और तिरुवलूर के बीच विद्युत रेल मार्ग के निर्माण की आवश्यकता । | ,, |
| | 143. | | दक्षिण रेलवे में कोर्ड और मुख्य लाइनों से होकर विलूरम जंक्शन से त्रिचनापल्ली जंक्शन तक विद्युतीकरण करने की आवश्यकता । | ,, |
| | 144. | | दक्षिण रेलवे में मद्रास एगमोर से त्रिचनापल्ली जंक्शन तक रेल मार्ग को दौहरा करने की आवश्यकता । | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 165. | श्री रामावतार | रेलवे बोर्ड के उत्पादन में असफलता। | राशि को घटाकर 1 रु० किया जाये। |
| | 166. | शास्त्री | रेलवे बार्ड की अकार्यकुशलता और श्रमिक विरोधी नीति को देखते हुए उसके तुरन्त उत्पादन की आवश्यकता। | ,, |
| | 167. | | रेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार, चोरियों और अकार्यकुशलता को रोकने में असफलता। | ,, |
| | 168. | | रेलों में होने वाली हानि को रोकने में असफलता। | ,, |
| | 169. | | आल इंडिया रेलवे एम्प्लाइज फैडरेशन को मान्यता देने में असफलता। | ,, |
| | 170. | | रेल कर्मचारियों का आवश्यकतानुसार वेतन निर्धारित करने में असफलता। | ,, |
| | 171. | | रेल कर्मचारियों की छः सूत्री मांगें स्वीकार कर उन्हें कार्यान्वित करने में असफलता। | ,, |
| | 172. | | जिन रेल कर्मचारियों को दण्डित किया गया था उनकी बहाली में पक्षपात की नीति ; | ,, |
| | 173. | | रेल कर्मचारियों का एक ही संघ बनाने में असफलता। | ,, |
| | 174. | | रेलवे वर्कर्ज फैडरेशन को मान्यता देने में असफलता। | ,, |
| | 175. | | फतूहा-इस्लामपुर और आरा-सहसराम लाइट रेलवें का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता। | ,, |
| | 176. | | पटना के रास्ते गंगा नदी पर रेलवे लाइन का निर्माण तुरन्त करने में असफलता। | ,, |
| | 177. | | मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने में असफलता। | ,, |
| | 178. | | देश की आवश्यकतानुसार रेल लाइनें बिछाने में असफलता। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 179. | | रेल मंत्री श्री ललितनारायण मिश्र का जीवन बचाने में रेलवे बोर्ड की असफलता । | राशि को घटा कर 1 रु० किया जाये |
| | 180. | | पिछली मई की रेल हड़ताल के सम्बन्ध में दण्डित किये गये रेल कर्मचारियों को बहाल करने और उनके विरुद्ध मामलों को वापस लेने में रेलवे बोर्ड की आवश्यकता । | ,, |
| 1 | 181 | | रेलवे टिकटों के कालाबाजार को रोकने में असफलता । | ,, |
| | 182. | | रेलवे विभागों में प्रपत्र और लेखन सामग्री की कमी । | ,, |
| | 183. | / | रेल गाड़ियों के समय पर चलने को सुनिश्चित करने में असफलता । | ,, |
| | 184. | | यात्रा करने वाली जनता की कठिनाइयों का समाधान करने में असफलता । | ,, |
| | 185. | | रेल गाड़ियों में अत्यधिक भीड़भाड़ को रोकने में असफलता । | ,, |
| | 186. | | सरकार की श्रमिक विरोधी नीति । | ,, |
| | 187. | | रेलों में प्रथम और वातानुकूलित दर्जों को समाप्त करने और केवल एक ही दर्जा अर्थात दूसरा दर्जा रखने की आवश्यकता । | ,, |
| | 188. | | रेल गाड़ियों में भोजन-कक्ष लगाने की प्रणाली को जारी रखने और जिन रेल गाड़ियों में यह सुविधा नहीं है उनमें भी इसे प्रदान करने की आवश्यकता । | ,, |
| | 189. | | मैसर्स मार्टिन बर्न लिमिटेड द्वारा चलाई जाने वाली रेल गाड़ी को अपने अधिकार में लेने में असफलता । | ,, |
| | 190. | | दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिए सुविधाओं की कमी । | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 191. | | फालतू व्यय को रोकने में असफलता। | राशि को घटाकर |
| | 192. | | रेल गाड़ियों में सफाई, बिजली और पेय जल की कमी। | 1 रु० किया जाये |
| | 193. | | विभागीय रेल कैंटीनों को चलाने में असफलता। | ,, |
| | 194. | | रेलवे बोर्ड में नौकरशाही ढांचे को समाप्त करने में असफलता। | ,, |
| | 205. | | इण्डियन रेलवे लोको मैकेनिकल स्टाफ एसोसिएशन को मान्यता देने में असफलता। | ,, |
| | 206. | | आल इण्डिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन को मान्यता देने में असफलता। | ,, |
| | 207. | | आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन को मान्यता देने में असफलता। | ,, |
| | 208. | | आल इण्डिया कर्मशियल क्लर्कस एसोसिएशन को मान्यता देने में असफलता। | ,, |
| | 209. | | इण्डियन रेलवे टिकट चैकिंग स्टाफ एसोसिएशन को मान्यता देने में असफलता। | ,, |
| | 210. | | आल इण्डिया रेलवे मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन को मान्यता देने में असफलता। | ,, |
| | 211. | | रेल कर्मचारियों को औद्योगिक कर्मचारी मानने में और उन्हें औद्योगिक कर्मचारियों को उपलब्ध सुविधाएं देने में असफलता। | ,, |
| | 212. | | उत्तर रेलवे वर्कर्स यूनियन को रेल कर्मचारियों का प्रतिनिधि निकाय स्वीकार करने में असफलता। | ,, |
| | 213. | | दक्षिण रेलवे वर्कर्स यूनियन को मान्यता देने में असफलता। | ,, |
| | 214. | | पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन को मान्यता देने में असफलता। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 215. | | पूर्व रेलवे वर्कर्स यूनियन को मान्यता देने में असफलता । | राशि को घटाकर 1 रु० किया जाये। |
| | 216. | | पूर्वोत्तर रेलवे वर्कर्स यूनियन को मान्यता देने में असफलता । | ,, |
| | 217. | | इण्डियन रेलवे सिगनल एण्ड टेली कम्यूनिकेशन स्टाफ एसोसिएशन को मान्यता देने में असफलता । | ,, |
| | 218. | | आल इण्डिया गार्ड कौंसिल को मान्यता देने में असफलता । | ,, |
| | 219. | | आल इण्डिया ट्रेन्स क्लर्कस एसोसिएशन को मान्यता देने में असफलता । | ,, |
| | 220. | | आल इण्डिया रेलवे एकाउन्टस एम्प्लाइज एसोसिएशन को मान्यता देने में असफलता । | ,, |
| | 221. | | आल इण्डिया कैरिज एण्ड वैगन स्टाफ कौंसिल को मान्यता देने में असफलता । | ,, |
| | 222. | | आल इण्डिया रेलवे क्लर्कस स्टाफ एसोसिएशन को मान्यता देने में असफलता । | ,, |
| | 223. | | आल इण्डिया ट्रेन कन्ट्रोलर्स एसोसिएशन को मान्यता देने में असफलता । | ,, |
| | 224 | | आल इण्डिया रेलव स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन को मान्यता देने में असफलता । | ,, |
| | 225. | | आल इण्डिया रेलवे ड्राइंग स्टाफ एसोसिएशन को मान्यता देने में असफलता । | ,, |
| | 226. | | रेल कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने के लिए गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ बातचीत करने में असफलता । | ,, |
| | 227. | | अन्य सरकारी उद्योगों की तरह रेलवे को एक निगम के अंतर्गत चलाने में असफलता । | ,, |
| | 228. | | बिहार में एक जोनल रेलवे मुख्यालय स्थापित करने में असफलता । | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 519. | | रेल कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने के सिद्धांत को स्वीकार करने से इन्कार। | राशि में 100 रु० कम किये जायें |
| | 520. | | सभी रेल कर्मचारियों को वर्दी देने की नीति चालू करने की आवश्यकता। | ,, |
| | 521. | | गडहरा-बरोनी के रेल कर्मचारियों की 1971 में हुई हड़ताल में भाग लेने के कारण 33 दिनों की अवधि के लिए वेतन वृद्धि एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने में विफलता। | ,, |
| | 522. | | गडहरा और बरौनी के उन रेल कर्मचारियों को जो 1971 में 33 दिनों की हड़ताल के सिलसिले में निलम्बित हुये थे उनकी निलंबन अवधि के वेतन के अन्दर का भुगतान करने में असफलता। | ,, |
| | 523. | | गडहरा और बरौनी के उन रेल कर्मचारियों पर चलने वाले मुकद्दमों को जिन्होंने 1971 में 33 दिन की हड़ताल में भाग लिया था वापस लेने में असफलता। | ,, |
| | 524. | | टिकट चैकिंग स्टाफ के लोगों की ड्यूटी के दौरान जीवन-रक्षा की व्यवस्था करने में असफलता। | |
| | 525. | | भारतीय रेलों के सभी कैरेज, सिगनल, यार्ड और क्रेन कर्मचारियों को गर्म और सर्द वर्दियां देने की आवश्यकता। | ,, |
| | 526. | | ट्रेड टैस्ट के योग्य होने के लिए खलासी की ड्यूटी के लिए समय सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता। | ,, |
| | 527. | | भारतीय रेलों में संगचल कर्मचारियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी निर्धारित करने में विफलता। | ,, |
| | 528. | | भारतीय रेलों में चौकीदारों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी लागू करने में विफलता। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 529. | | भारतीय रेलों में काम करने वाले नैमित्तिक कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने में असफलता । | राशि में 100 रु० कम किए जाएं |
| | 530. | | रेलों में लगातार कई वर्षों तक काम करने के बाद भी वैकल्पिक (सब्सटीच्यूट) कर्मचारियों को नियमित करने में विफलता । | " |
| | 531. | | भ्रष्ट रेल अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही और उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की आवश्यकता । | " |
| | 532. | | रेल कर्मचारियों को उनके अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के बारे में जागरूक बनाने के लिए प्रभावी व्यवस्था करने की आवश्यकता । | " |
| | 533. | | सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि करने की आवश्यकता । | " |
| | 534. | | सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारियों की पेंशनों के भुगतान में अनियमितताएं तथा अनावश्यक विलम्ब । | " |
| | 535. | | उन रेल कर्मचारियों को, जो कई वर्षों से ठेकेदारों के अधीन कोयला लादने-उतारने का काम कर रहे हैं, स्थायी बनाने में असफलता । | " |
| | 536. | | नैमित्तिक तथा एवजी रेल कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं देने में असफलता। | " |
| | 537. | | रेल कर्मचारियों की भर्त्ती में घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला । | " |
| | 538. | | रेल कर्मचारियों की वर्दियों में चीनी हमले के बाद की गयी कटौती को समाप्त करने में विफलता । | " |
| | 539. | | पटना या दानापुर में रेलवे सर्विस कमीशन की स्थापना करने में विफलता । | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 540. | | रेलवे में खानपान की पूर्ण विभागीय प्रथा लागू करने में असफलता । | राशि में 100 रु० कम किए जाएं । |
| | 541. | | रेल कर्मचारियों को पर्याप्त आवासीय सुविधा देने में विफलता । | ,, |
| | 542. | | भारतीय रेलों में चल टिकट परीक्षकों को रनिंग रूम की सुविधा देने में विफलता। | ,, |
| | 543. | | रेल कर्मचारियों के लिए वेतनमान निर्धारित करने तथा उनका स्थानान्तरण करने की दोषपूर्ण पद्धति । | ,, |
| | 544. | | गर मान्यता प्राप्त यूनियनों, एसोसिएशनों से ज्ञापन प्राप्त करने तथा उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए भारतीय रेलों के जनरल मैनेजरों एवं अन्य अधिकारियों को आदेश देने में असफलता । | ,, |
| | 545. | | दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिए अधिक जगहें उपलब्ध कराने के लिए रेलवे में वातानुकूलित तथा प्रथम दर्जे को समाप्त करने की आवश्यकता । | ,, |
| | 546. | | माल तथा पार्सल लादने और उतारने की वर्तमान ठेका प्रणाली को समाप्त करने और इस कार्य के लिए नियमित रोज़गार की व्यवस्था करने की आवश्यकता । | ,, |
| | 547. | | रेलवे में कार्य की ठेका प्रणाली को समाप्त कर मरम्मत और निर्माण कार्य को विभागीय आधार पर करने की आवश्यकता । | ,, |
| | 548. | | चतुर्थ श्रेणी के रेल कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए उचित एवं निष्पक्ष प्रक्रियाएं अपनाने की आवश्यकता ताकि गलत भर्तियों को रोका जा सके। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 599. | | रेलवे बोर्ड को समाप्त करके तथा नए ढांचे में रेल मंत्री को अध्यक्ष नियुक्त करके रेलवे में दोहरे शासन को समाप्त करने की आवश्यकता । | राशि को घटाकर 1 रु० किया जाये |
| | 600. | | यात्री यातायात से रेलवे की आय बढ़ाने के लिए रेल किराये को कम करने की आवश्यकता । | ,, |
| 14 | 609. | | यात्रियों की भीड़भाड़ की समस्या को हल करने के लिए पटना में मीठापुर में एक ऊपरी सड़क पुल बनाने की आवश्यकता । | राशि में 100 रु० कम किए जाएं |
| | 610. | | पटना में राजेन्द्र सागर में एक ऊपरी सड़क पुल बनाने की आवश्यकता । | |
| | 611. | | पूर्व रेलवे के बिहटा स्टेशन पर एक नया ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता । | ,, |
| | 612. | | पूर्वी रेलवे के सादिसोपुर नियौरा, गुलजार-बाग और बैंकघाट, स्टेशनों पर शेड बनाने की आवश्यकता । | ,, |
| | 613. | | बिहटा से औरंगाबाद और डाल्टगंज तक बरास्ता विक्रम—पालीगंज—अरवल में एक नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता। | ,, |
| | 614. | | पूर्व रेलवे की मुख्य लाइनों पर बैंकघाट, फुलवाड़ी शरीफ, नियौरा, सादिसोपुर स्टेशनों पर प्लेटफार्म बनाने की आवश्यकता । | ,, |
| | 615. | | पूर्व रेलवे में बिहटा में एक नया माल शेड बनाने की आवश्यकता । | ,, |
| | 616. | | पूर्व रेलवे में बिहटा स्टेशन पर एक विश्राम-गृह बनाने की आवश्यकता । | ,, |
| | 617. | | दानापुर स्टेशन पर, जो कि डिविजनल मुख्यालय है, एक विश्राम-गृह बनाने की आवश्यकता । | ,, |



18 LSS/75—12.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 618. | | यात्रियों तथा अन्य व्यक्तियों की भीड़भाड़ को रोकने के लिए दानापुर स्टेशन पर ऊपरी पैदल-पार पथ को चौड़ा करने में विफलता । | राशि में 100 रु० कम किए जाएं |
| 10 | 632. | | तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रेल कर्मचारियों को पर्याप्त तथा कीमती औषधियां तथा अन्य चिकित्सा सुविधाएं देने में असफलता । | " |
| | 633. | | रेल कर्मचारियों के लिए कैन्टीनों का असन्तोषजनक प्रबन्ध । | " |
| | 642. | | उज्जैन-इंदौर (ब्राड-गेज) लाइन को महू तक बढ़ाने में विलम्ब । | " |
| | 643. | | इंदौर-स्टेशन पर खान पान का ठेका देने मे पक्षपात । | " |
| 10. | 644. | | रेल अस्पतालों में दवाइयों की कमी । | " |
| | 645. | | रेल अस्पतालों में भ्रष्टाचार । | |
| | 646. | | रेलवे अस्पताल, धनबाद में भ्रष्टाचार और धांधली को रोकने में असफलता । | " |
| | 647. | | रेल अस्पतालों में दवाइयों की चोरी रोकने में असफलता । | " |
| | 648. | | रेल कर्मचारियों के इलाज का असन्तोषजनक प्रबन्ध । | " |
| | 649. | | रेल कर्मचारियों के परिवारों के सभी सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता । | " |
| 14 | 650. | | पश्चिम रेलवे में पटना जंकशन स्टेशन के विस्तार संबंधी कार्यान्वयन कार्यक्रम में तेजी लाने की आवश्यकता । | " |
| | 651. | | पटना जंकशन स्टेशन का नाम बदलकर पाटलीपुत्र स्टेशन करने की आवश्यकता । | " |
| | 652. | | यात्रियों की भारी भीड़ को कम करने और यातायात की कठिनाई दूर करने के लिए पटना-गया लाइन को दोहरा करने में असफलता । | " |
| | 653. | | पूर्व रेलवे के पटना-गया लाइन पर परसा बाजार, नादवान, पोथाही, नादौल स्टेशनों पर शेड बनाने में असफलता । | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 654. | | पटना सिटी में नरुफगंज पर स्थित पटना ट्रांसशिपमैंट घाट को व्यापारियों और वहां पर काम करने वाले हजारों मजदूरों के हित में समाप्त करने के विचार को त्यागने की आवश्यकता। | राशि में 100 रु० कम किए जाएं |
| | 655. | | सरकार की आय को बढ़ाने के लिए मरुफगंज पर पटना घाट का विस्तार करने की आवश्यकता । | ,, |
| | 656. | | पूर्व रेलवे पर पटना सिटी स्टेशन के नाम को बदलकर पटना साहेब स्टेशन करने के सरकार के निर्णय का कार्यान्वित करने में असफलता । | ,, |
| | 657. | | रेलवे प्रतीक्षागृहों का किराया कम करने में असफलता । | ,, |
| | 725. | | रेलों के विभिन्न जोनों को नियम के अनुकूल कोयला देने में असफलता । | ,, |
| | 726. | | रेलों पर कोयले की चोरी एवं बर्बादी को रोकने में असफलता । | ,, |
| | 727. | | पटना दक्षिण क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन के दक्षिण में टिकट घर खोलने की आवश्यकता। | ,, |
| | 728. | | अखिल भारतीय अध्यापक संघ, सांस्कृतिक एवं मैत्री संगठनों जैसे अखिल भारतीय जन नाट्य संघ, और इसके सदस्यों को यात्रा सम्बन्धी रियायतें देने की आवश्यकता । | ,, |
| | 729. | | पटना से रांची और रांची से पटना दिन में भी एक गाड़ी चलाने की आवश्यकता । | ,, |
| | 730. | | पटना से टाटा नगर और टाटा नगर से पटना दिन में भी एक गाड़ी चलाने की आवश्यकता । | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 731. | | भारतीय रेलों में टिकट चैकिंग स्टाफ को रनिंग स्टाफ घोषित करने में असफलता। | राशि में 100 रु० मे कम किए जाए |
| | 732. | | भारतीय रेलों में तृतीय क्षेत्री के कर्मचारियों की भर्ती पर लगाया गया प्रतिबंध हटाने में असफलता । | " |
| | 733. | | भारतीय रेलों की कर्मशालाओं में कर्मचारियों की भर्ती पर लगे प्रतिबंध उठाने में विफलता । | " |
| | 734. | | पूर्वोत्तर रेलवे में नरकटियागंज, आइजत नगर, समस्तीपुर, सोनपुर और वाराणसी में रेलवे हाई स्कूल खोलने की आवश्यकता । | " |
| | 735. | | पूर्व रेलवे के दानापुर स्थित रेलवे हाई स्कूल को कालेज में बदलने की आवश्यकता । | " |
| | 736. | | पूर्व रेलवे द्वारा खगोल नगरपालिका को दी जाने वाली राशि को बढ़ाने की आवश्यकता । | " |
| | 737. | | देश में रेलों के समुचित विकास के लिए एक योजना तैयार करने में विफलता। | " |
| | 738. | | बरौनी से मुगलसराय और मुगलसराय से बरौनी तक एक सीधी यात्री अथवा शटल गाड़ी चलाने की आवश्यकता। | " |
| | 739. | | गया से पटना तक एक ऐसी रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता जो रास्ते में सभी स्टेशनों पर खड़ी हो और छः बजे सवेरे पटना पहुंचे । | " |
| | 740. | | हाटिया एक्सप्रेस को जो रांची से पटना के बीच चलता है तारगेना स्टेशन पर रोकने की आवश्यकता। | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 741. | | बचन दिये जाने के बावजूद जमालपुर में मंडल मुख्यालय स्थापित करने में असफलता । | राशि में 100 रु० कम किए जाएं |
| | 742. | | पूर्व रेलवे में पटना से गया तक दोहरी लाइन बिछाने की आवश्यकता । | ,, |
| | 743. | | कियूल से फरक्का होते हुए कलकत्ता तक दोहरी लाइन बिछाने की आवश्यकता । | ,, |
| | 744. | | पूर्व रेलवे में मुगलसराय से पटना होते हुए आसनसोल तक बिजली से रेल चलाने की आवश्यकता । | ,, |
| | 745. | | पूर्व रेलवे के दानापुर (खगोल) में काम करने वाले और रहने वाले रेल कर्मचारियों को मकान किराया-भत्ता देने में असफलता । | ,, |
| | 746. | | रेलों में सभी रिक्त पदों को भरने तथा उन पदों पर अस्थायी एवं स्थानापन्न कर्मचारियों को स्थायी बनाने में असफलता । | |
| | 757. | | टाटा से समस्तीपुर और समस्तीपुर से टाटा तक एक गाड़ी चलाने की आवश्यकता । | ,, |
| | 758. | | पटना जंक्शन स्टेशन पर एक ऐसे ऊपरी पैदल पुल बनाने की आवश्यकता जिससे स्टेशन के उत्तर और दक्षिण की जनता एवं यात्री आ जा सकें । | ,, |
| | 759. | | रेल दुर्घटनाओं के शिकार हुए रेल कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों को कानून के अनुसार मुआवजा देने में असफलता । | ,, |
| | 760. | | जमालपुर रेलवे वर्कशाप से पीतल के तथा अन्य मूल्यवान सामानों की चोरी को रोकने में विफलता । | ,, |
| | 761. | | जमालपुर रेलवे वर्कशाप में होने वाली चोरियों में रेलवे अधिकारियों की सांठगांठ | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 762. | | गुप्त मतदान के आधार पर कर्मचारियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को रेल प्रबन्ध तथा प्रशासन व्यवस्था में शामिल करके उसे लोकतंत्री रूप देने में विफलता । | राशि में 100 रु० कम किए जाएं |
| | 763. | | रेल सुरक्षा सिपाहियों की माल डिब्बे तोड़ने वालों के साथ सांठ-गांठ । | ,, |
| | 764. | | रेल सम्पत्ति की चोरी और माल डिब्बों की तोड़ फोड़ में अधिकारियों की मिली-भगत । | ,, |
| | 765. | | पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर में नया डिवीजनल कार्यालय खोलने की आवश्यकता। | ,, |
| | 766. | | रेल अधिकारियों द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से अपने निवास स्थानों पर घरेलू काम करवाने और इस प्रकार उनकी सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता । | ,, |
| | 767. | | रेल विश्राम गृहों का किराया कम करने की आवश्यकता | ,, |
| | 768. | | रेलों में भ्रष्टाचार और फिजूल खर्ची को रोकने में रेल कर्मचारी समन्वय समिति, धनबाद के साथ सहयोग करने में विफलता । | ,, |
| | 769. | | मुगलसराय, गया, धनबाद, जमालपुर, पटना, गोमो, कोडरमा, बरौनी, गडहरा, कटिहार, सिलीगुड़ी, गोरखपुर, सोनपुर, समस्तीपुर, छपरा, वाराणसी, झाझा में दिन दहाड़े माल-डिब्बों की तोड़-फोड़ को रोकने में असफलता । | ,, |
| | 770 | | रेल के माल डिब्बों के आवंटन में भ्रष्टाचार का बोलबाला । | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 808. | | पूर्व रेलवे के नेउरा स्टेशन पर लकड़ी का ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता । | राशि में 100 रु० कम किए जाएं |
| | 809. | | पूर्व रेलवे के नेउरा स्टेशन पर पार्सल आफिस बनाने की आवश्यकता । | ,, |
| | 810. | | पूर्व रेलवे के नेउरा स्टेशन पर माल डिब्बों को तोड़कर माल चुराने तथा अन्य प्रकार की चोरियों को रोकने में असफलता । | ,, |
| | 811 | | पूर्व रेलवे की पटना-गया लाइन पर बिना टिकट यात्रा को रोकने में असफलता। | ,, |
| | 812. | | लोको शेडों में पुराने औजारों एवं संयंत्रों के स्थान पर आधुनिक औज़ार और संयंत्र लाने में असफलता। | ,, |
| | 813. | | राज्याध्यक्ष पंचाट की सिफारिशों के अनुसार रेल कर्मचारियों को काम के निर्धारित घंटों के बाद ओवरटाइम भत्ता देने में असफलता । | ,, |
| | 814. | | रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों की क्रियान्विति में विफलता । | ,, |
| | 815. | | लोको शेडों में मैकेनिकल कर्मचारियों की पदोन्नति के बारे में शंकर शरण पंचाट की सिफारिशों को लागू करने में विफलता। | ,, |
| | 816. | | चतुर्थ श्रेणी पदोन्नति समिति की सिफारिशों के अनुसार भारतीय रेलों में पांच वर्ष से अधिक सेवा वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में पदोन्नति करने में असफलता । | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 817. | | लोको शेडों में फैक्टरी कानून लागू करने में असफलता । | राशि में 100 रु० कम किये जाएं |
| | 818. | | भूमिहीन और खेतिहर मजदूरों में रेल की जमीन बांटने में असफलता। | ,, |
| | 819 | | लोको मैकेनिकल कर्मचारियों को वर्दियां देने में असफलता । | ,, |
| | 820. | | पूर्व रेल पर दानापुर डिवीजन के एवजी रेल कर्मचारियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने में असफलता। | ,, |
| | 821. | | पटना रेल डाक सेवा कार्यालय के सामने स्टेशन पर शेड बनाने की आवश्यकता । | ,, |
| | 822. | | पटना जंक्शन स्टेशन के उन प्लेट फार्मों पर जहां से रेल गाड़ियां गया और रांची के के लिए चलती हैं शेड बनाने की आवश्यकता । | ,, |
| | 823. | | पटना जंकशन स्टेशन पर गंदगी की भरमार तथा उसे दूर करने में विफलता। | ,, |
| | 824. | | पटना से गया होते हुए धनबाद तक एक सीधी गाड़ी चलाने की आवश्यकता। | ,, |
| | 825. | | पाटलीपुत्र एक्सप्रेस को पटना सिटी स्टेशन पर ठहराने की आवश्यकता। | ,, |
| | 826. | | जयंती जता एक्सप्रेस को आसाम मेल का चलना बन्द कर रोजाना चलाने की आवश्यकता । | ,, |
| | 827. | | अधिक से अधिक जयंती जनता गाड़ियां चलाने की आवश्यकता। | ,, |
| | 828. | | पूर्व रेल पर राजगीर से जहानाबाद तक बरास्ता एकंगरसराय, एक नई रेल लाइन बनाने की आवश्यकता। | ,, |
| | 829. | | फतुहा-इस्लामपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलकर उसे गया तक बढ़ाने क आवश्यकता। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 830. | | 11 मार्च को शिवरात्रि मेला के अवसर पर 383 अप गाड़ी को पूर्व रेल के खुसरून-पुर स्टेशन पर अधिक देर तक (अन्य वर्षों की तरह) न रोक कर तुरन्त खोल देने से एक यात्री की रेल से कट कर मृत्यु । | राशी में 100 रु० कम किए जायें |
| | 831. | | राजगीर से गया तक एक नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता । | ,, |
| | 832. | | पूर्व रेल के दानापुर स्टेशन के डिहरी-आन-सोन तक नहर के साथ-साथ एक नई रेल लाइन बनाने की आवश्यकता । | ,, |
| | 833 | | स्टीम शेडों के धुंआ वाले और गंदे वातावरण में काम करने वाले कर्मचारियों को विशेष भत्ता देने की आवश्यकता । | ,, |
| | 834. | | इंजिनों की मरम्मत के लिए औजार और सामग्री देने में असफलता । | ,, |
| | 835. | | प्रत्येक लोको शेड में टूल रूम की व्यवस्था करने में विफलता । | ,, |
| | 836. | | रेलों में गेंगमैनों, की मैनों तथा मिस्त्रियों के कार्यभार घटाने में विफलता । | ,, |
| | 837. | | पूर्व रेलवे में पटना-गया लाइन पर चलने वाली सभी गाड़ियों में पानी, रोशनी और सफाई का अभाव । | ,, |
| | 838. | | गर्मी के दिनों में सभी स्टेशनों पर पर्याप्त मात्रा में शीतल पेय जल का प्रबंध करने की आवश्यकता । | ,, |
| | 839. | | रेल स्टेशनों के गेटों पर कर्मचारियों की लगातार 14 दिन तक 24 घंटे की ड्यूटी की समाप्ति करने में विफलता । | ,, |
| | 840. | | रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बिना किराये के क्वार्टर आवंटित करने की आवश्यकता । | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 841. | | मध्य प्रदेश में रींवा जिले को रेल लाइनों से जोड़ने की आवश्यकता। | राशी में 100 रु० कम किए जाएं |
| | 842. | | पटना से धनबाद जाने वाली तथा धनबाद से पटना वापस आने वाली पाटलीपुत्र एक्सप्रेस में गिरीडीह के लिए एक सवारी डिब्बा जोड़ने की आवश्यकता। | ,, |
| | 843. | | न्यायाधिकरण के पंचाट के अनुसार रेलवे वर्कशाप के मिस्त्रियों को आकस्मिक छुट्टी की सुविधाएं प्रदान करने में असफलता। | ,, |
| | 844. | | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित के जनजातियों उम्मीदवारों को उनके लिए उनिर्धारित कोटे के अनुसार नौकरियां देने में असफलता। | ,, |
| | 845 | | पूर्व रेलवे पर बिहटा में यातायात के जमाव को समाप्त करने के लिए एक पक्का ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता। | ,, |
| | 846 | | पटना जंकशन स्टेशन पर गर्मी के दिनों में पीने के शीतल जल की असंतोषजनक व्यवस्था। | ,, |
| | 847. | | समस्तीपुर कालेज को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता, क्योंकि रेल कर्मचारियों के बच्चे बहुत अधिक संख्या में वहां पढ़ते हैं। | ,, |
| | 848. | | पूर्व रेलवे में पटना-गया लाइन पर नदौल हाल्ट स्टेशन का दर्जा बढ़ाकर उसे पूर्ण स्टेशन बनाने की आवश्यकता। | ,, |
| | 849. | | न्यायालयों में केसों की संख्या घटाने के लिए पर्याप्त मुआवजा देने में असफलता। | ,, |
| | 850. | | रात्रि गश्ती ड्यूटी के लिए एक गेंगमैन के स्थान पर दो गेंगमैनों को नियुत करने की आवश्यकता। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 851. | | रेल बस्तियों में और अधिक औषधालय खोलने में विफलता। | राशि में 100 रु० कम किए जाएं |
| | 852. | | पूर्व रेलवे के पटना-गया लाइन के पुनपुन-घाट स्टेशन पर प्रत्येक गाड़ी का एक मिनट ठहराव देने की आवश्यकता। | ,, |
| | 853. | | पूर्व रेलवे के पटना-गया लाइन पर नदौल स्टेशन के प्लेटफार्म पर रोशनी की व्यवस्था करने की आवश्यकता। | ,, |
| | 854. | | तारेगना (पटना-गया लाइन) स्टेशन पर पीने के पानी की असंतोषजनक व्यवस्था। | ,, |
| | 855. | | पटना-गया लाइन के तारेगना-स्टेशन पर बोरिंग और केबल का काम हो जाने के बावजूद गत तीन वर्षों से मोटर और टंकी की कमी के कारण पानी की व्यवस्था न होना। | ,, |
| | 856. | | आर०पी०एफ० की बहाली में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन कर पक्षपातपूर्ण नीति का अपनाया जाना। | ,, |
| | 857. | | पूर्व रेलवे पर पटना-गया लाइन में 2 पी०जी-, 4 पी०जी०, 5 पी०जी० एवं 7 पी०जी० गाड़ियों को नियमित समय पर चलाने में विफलता। | ,, |
| | 858. | | पूर्व रेलवे के पटना-गया लाइन में नदौर और तारेगना स्टेशनों पर तत्काल अतिरिक्त लाइन बिछाने की आवश्यकता ताकि गाड़ियों के चलने में विलम्ब न हो। | ,, |
| | 859. | | पूर्व रेलवे के पटना-गया लाइन पर चलने वाली प्रत्येक गाड़ी में एक मिल्कवान की व्यवस्था करने की आवश्यकता। | ,, |
| | 860. | | पूर्व रेलवे के बिहटा स्टेशन से ग्रैण्डकार्ड लाइन के बास्न स्टेशन तक बरास्ता विक्रम, अलीगंज, पालीगंज, अरवल, दाऊद-नगर और औरंगाबाद एक नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 861 | | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कटिहार रेलवे स्टेशन पर विभागीय खान-पान की व्यवस्था करने के संबंध में मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 4-4-74 के अर्ध-सरकारी पत्र टी०जी० III 640/56 में दिये गये आश्वासन को पूरा करने में असफलता। | राशि में 100 रु० कम किये जाएं |
| | 862 | | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कटिहार, न्यू बोंगाईगांव तथा तिनखुसिया और सभी भोजन यानों में ठेकेदारों को तुरन्त बदलने की आवश्यकता। | ,, |
| | 863. | | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की गोहाटी मेल, कामरूप एक्सप्रेस और ए० टी० मेल गाड़ियों में विभागीय भोजन यानों की तुरन्त व्यवस्था करने की आवश्यकता। | ,, |
| | 864. | | अन्य रेलों की भांति पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में भी विभागीय संस्थान के अधीन 'हाट ट्रोली' तथा खान-पान की आधुनिक व्यवस्था का तुरन्त प्रबंध करने की आवश्यकता। | ,, |
| | 865. | | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में कुशल सेवा के लिए खान-पान व्यवस्था के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की तुरन्त व्यवस्था करने की आवश्यकता। | ,, |
| | 866. | | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में विभागीय खान-पान व्यवस्था में की जा रही कमी को तुरन्त रोकने की आवश्यकता। | ,, |
| | 867 | | जैसा कि संसद सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया है, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में बेहतर वाणिज्यिक/खान-पान व्यवस्था के लिए एक अनुभवी अधिकारी को एस०सी०ओ०/जनरल और ए०सी०ओ०/जनरल के रूप में तुरन्त नियुक्त करने की आवश्यकता। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 868. | | रेल मंत्री द्वारा आश्वासन दिये जाने पर भी हटाये गये रेल कर्मचारियों, विशेषकर पूर्वोत्तर सीमा रेलवे कर्मचारियों, को पुनः नौकरी पर लेने में असफलता। | राशि में 100 रु० कम किए जाएं |
| | 869. | | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में कटिहार रेलवे यार्ड और लोको शेड में रेलवे के सामान और कोयले की उठाईगीरी को रोकने में असफलता। | ,, |
| | 870. | | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में कटिहार और मालीगांव स्टेशनों पर बसन्त मेले के अवसर पर रेलवे के सामान और जन-शक्ति के दुरुपयोग को रोकने में असफलता। | ,, |
| | 871. | | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में कटिहार स्टेशन पर दार्जिलिंग मेल में कलकत्ता के लिए एक तीन टायर कोच के अतिरिक्त दूसरे दर्जे का एक सामान्य कोच जोड़ने की तुरन्त व्यवस्था करने की आवश्यकता। | ,, |
| | 872. | | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में कटिहार और मनिहारी घाट के बीच पूर्व समयानुसार अधिक गाड़ियां तुरन्त चलाने की आवश्यकता। | ,, |
| | | | श्री रानेन सैन : | |
| | 195. | | पूर्व रेलवे के स्यालदह डिवीजन में डमडम जंक्शन के बनगांव के बीच एक दोहरी लाइन का निर्माण करने में असफलता। | राशि को घटाकर 1 रु० किया जाये। |
| | 196. | | पूर्व रेलवे में स्यालदह डिवीजन के बनगांव सेक्शन में गाड़ियों की संख्या बढ़ाने में असफलता। | |
| | 197. | | पूर्व रेलवे के स्यालदह डिवीजन के हसनाबाद और बारासत के बीच यात्रा करने वाले तस्करों तथा अन्य समाज-विरोधी तत्वों से यात्रियों की सुरक्षा करने में असफलता। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 198. | | पूर्व रेलवे के स्यालदह डिवीजन में बनगांव और चांदपाड़ा स्टेशनों के बीच स्थित कालोपुर पर एक हाल्ट स्टेशन का निर्माण करने में असफलता। | राशि को घटाकर 1 रु० किया जाये। |
| | 199. | | पूर्व रेलवे के स्यालदह डिवीजन की गाड़ियों में डकैती की घटनाओं को रोकने में असफलता। | ,, |
| | 200. | | पूर्व रेलवे के स्यालदह डिवीजन में परिहार्य कारणों से रेलवे संचालन का बराबर ठप्प होना। | ,, |
| | 201. | | पूर्व रेलवे के स्यालदह डिवीजन में बनगांव सेक्शन पर गाड़ियों के रनिंग टाइम को कम करने की आवश्यकता। | राशि में 100 रुपये कम किये जायें। |
| | 202. | | पूर्व रेलवे के स्यालदह डिवीजन के बनगांव सेक्शन में गाड़ियों के डिब्बों और कोचों और डिब्बो में पंखों और रोशनी का समुचित रखरखाव करने की आवश्यकता। | ,, |
| | 203. | | पूर्व रेलवे के स्यालदह डिविजन की हसनाबाद लाइन पर काजीपाड़ा, बारासत रेल लाइनों पर मिलने वाली निरशाह मार्ग बारासत नगरपालिका मार्ग पर एक रेल फाटक का निर्माण करने की आवश्यकता। | ,, |
| | 204. | | पूर्व रेलवे के स्यालदह डिवीजन पर हसनाबाद से स्यालदह तक और स्यालदह से हसनाबाद तक सीधी गाड़ियां चलाने की आवश्यकता। | ,, |
| | | | **श्री जगदीश भट्टाचार्य :** | |
| | 229. | | रेलवे बोर्ड को समाप्त करने में असफलता। | राशि को घटाकर 1 रु० किया जाये। |
| | 230. | | गत रेलवे हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के प्रति बोर्ड के अधिकारियों की बदले की भावना को रोकने में असफलता। | ,, |
| | 231. | | रेल किराया कम करके द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को राहत देने में असफलता। | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 232. | | गत हड़ताल में भाग लेने वाले सभी बर्खास्तशुदा कर्मचारियों को वापस लेने में असफलता। | |
| 2 | 241. | | रेलवे में चोरी को रोकने में असफलता। | राशि को घटाकर 1 रु० किया जाये |
| | 242. | | बढ़ती हुई रेल दुर्घटनाओं को रोकने में असफलता। | ,, |
| | 243. | | अगरतला को रेल द्वारा जोड़ने में असफलता। | |
| | 244. | | दक्षिण पूर्व रेलवे में खड़गपुर से आदरा रेल लाइन का विद्युतीकरण करने में असफलता। | ,, |
| 3 | 245. | | सिलीगुड़ी-दार्जिलिंग लाइन पर भारी घाटे को रोकने में असफलता। | ,, |
| | 246. | | दक्षिण मध्य रेलवे की सिकन्दराबाद-मनमाद शाखा लाइन पर ठीक ढंग से गाड़ियां चलाने में असफलता। | ,, |
| 4 | 247. | | बेहतर सेवाओं के लिये रेल सुरक्षा बल का सुधार करने में असफलता। | ,, |
| | 248. | | चलती गाड़ियों और यार्डों में बड़े पैमाने पर चोरियों को रोकने में असफलता। | ,, |
| | 249. | | पूर्व रेलवे के स्यालदह सेक्शन पर यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने में असफलता। | ,, |
| | 250. | | द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में यात्रियों की भीड़भाड़ को रोकने में असफलता। | ,, |
| | 251. | | दक्षिण पूर्व रेलवे में आदरा डिवीजन के कार्यकरण में सुधार करने में असफलता। | राशि में 100 रुपये कम किये जायें। |
| | 252. | | हड़ताल में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों के विरुद्ध मामले बनाकर उनको तंग किया जाना। | ,, |
| 5 | 253. | | दिल्ली और हावड़ा के बीच चलने वाली वातानुकूलित एक्सप्रैस गाड़ियों में प्रथम श्रेणी के साधारण यात्रियों को उचित सुविधायें देने में असफलता। | राशि को घटाकर 1 रु० किया जाये। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 254. | | गाड़ियों में बिजली तथा पानी की उचित व्यवस्था करने में असफलता। | राशि को घटा कर 1 रु० किया जाये। |
| | 255. | | रेल डिब्बों को उचित व्यवस्था में रखने में असफलता। | राशि में 100 रु० कम किये जायें। |
| | 256. | | रेल सामग्री की बरबादी के प्रति रेल अधि-कारियों की लापरवाही। | |
| 6 | 257. | | आर० ई० स्टाफ की सेवाओं को नियमित करने में असफलता। | राशि को घटाकर 1 रु० किया जाये। |
| | 258. | | सभी लोको तथा अन्य स्टेशन कर्मचारियों के लिये काम के 8 घंटे लागू करने में असफलता। | |
| 10 | 259. | | रेलवे में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को क्वार्टर देने में असफलता। | राशि में 100 रु० कम किए जायें। |
| | 260. | | रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिये पर्याप्त संख्या में स्कूल खोलने में असफलता। | |
| | 261. | | गत हड़ताल में अन्तर्ग्रस्त नैमित्तिक श्रमिकों को वापस लेने में असफलता। | |
| | 262. | | रेल कर्मचारियों को सस्ती दर पर राशन उप-लब्ध कराने में असफलता। | |
| 14 | 263. | | हावड़ा-अमता लाइन का निर्माण कार्य शीघ्र करने में असफलता। | राशि को घटाकर 1 रु० किया जाये। |
| | 264. | | घटल और आरामबाग को रेल लाइनों द्वारा जोड़ने में असफलता। | ,, |
| 14 | 272. | | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की सिलीगुड़ी-दार्जिलिंग लाइन के पुनर्नवीकरण करने की आवश्य-कता। | राशि में 100 रु० कम किये जायें। |
| | 273. | | दिल्ली-अहमदाबाद लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में असफलता। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | श्री पी० जी० मावलंकर : | |
| 1 | 233. | | रेलवे बोर्ड में पूर्णरुपेण परिवर्तन करने की आवश्यकता । | राशि को घटाकर 1 रु० किया जाये । |
| | 235. | | पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को बम्बई से अहमदाबाद ले जाने की आवश्यकता । | राशि में 100 रु० कम किये जायें । |
| | 236. | | लम्बी दूरी एवं रात भर की यात्रा करने वाले द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को बिस्तरे उपलब्ध करने की आवश्यकता । | ,, |
| | 237. | | सौराष्ट्र, गुजरात में विभिन्न स्टेशनों पर चाय तथा जलपान स्टाल खोलने की आवश्यकता | ,, |
| 14 | 265. | | महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में आवश्यक लाइन का निर्माण करने में असफलता । | राशि को कम करके 1 रु० किया जाये । |
| | 266. | | भावनगर-तारापुर लाइन का निर्माण तुरन्त आरम्भ करने में विफलता । | ,, |
| | 267. | | गुजरात में कपदधानज-मोदासा लाइन को खोलने में असफलता । | ,, |
| | 268. | | दिल्ली-अहमदाबाद छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में असफलता । | ,, |
| | 269. | | बड़ौदा-छोटा उदयपुर-सिकरी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में असफलता । | ,, |
| | 270. | | नई लाइनों के निर्माण हेतु सुस्पष्ट नीति एवं योजना का न बनाया जाना । | ,, |
| | 271. | | देश के पिछड़े क्षेत्रों में नई लाइनें बनाने की आवश्यकता । | ,, |
| 1 | 556. | | रेलवे में श्रमिक सम्बन्ध सुधारने और श्रमिकों का मनोबल ऊंचा करने की दृष्टि से बहतर औद्योगिक संबंध कायम करना । | राशि को कम कर के 1 रु० किया जाये । |
| | 557. | | महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों का शीघ्र विद्युतीकरण । | ,, |
| | 561. | | अहमदाबाद और सिकन्दराबाद के बीच सीधी आरक्षण बुकिंग सुविधा की आवश्यकता । | राशि में 100 रु० कम किये जाये । |



18 LSS/75—13.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 562. | | अहमदाबाद और बंगलौर के बीच सीधी आरक्षण बुकिंग सुविधा की आवश्यकता। | राशि में 100 रु० कम किये जायें। |
| | 563. | | देश भर में अनेक छोट तथा बड़े रेलवे स्टेशनों पर दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिये प्रतीक्षालय की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता। | |
| | 564. | | सौराष्ट्र में रेलवे स्टेशनों पर अप्रयुक्त रेलवे कक्षों और स्थान को यात्रियों के लिये प्रतीक्षालयों के रूप में बदलने की आवश्यकता। | |
| | 565. | | नमक के उत्पादन क्षेत्रों से विपणन केन्द्रों को नियमित रूप से और शीघ्र सप्लाई किये जाने के लिये नमक को उच्च प्राथमिकता देने में असफलता। | |
| | 566. | | अहमदाबाद और गुजरात में बिजली घरों कपड़ा मिलों और औद्योगिक एककों को नियमित रूप से और शीघ्र कोयला सप्लाई करने के लिये वैगनों के उचित कोटे की व्यवस्था करने में असफलता। | |
| | 567. | | गुजरात के विभिन्न भागों में लगभग एक वर्ष से रद्द की गई कई दर्जन रेलगाड़ियों को पुनः चलाने में असफलता। | |
| | 568. | | अत्यावश्यक सामान और वस्तुओं के कुशलतापूर्वक परिवहन के लिये सु-समायोजित ढंग से पर्याप्त संख्या में वैगन सप्लाई करने में असफलता। | |
| | 569. | | अहमदाबाद शहर में और उसके समीपवर्ती बाहरी क्षेत्र में रेल लाइनों पर और उसके आसपास जमा हुई मिट्टी और गंदगी को हटाने की आवश्यकता। | |
| | 570. | | देश में सभी रेल लाइनों पर बिना चौकीदार वाले लेवल क्रासिंगों के 'गेटों' की संख्या कम करने की आवश्यकता। | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 571. | | रेलवे कर्मचारी प्रशिक्षण कालेजों में प्रशिक्षण, अध्यापन और अनुसंधान कार्य को सुधारने और उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता । | |
| | 572. | | पश्चिम रेलवे के नवसारी (बड़ी लाइनों) स्टेशन पर एक ऊपरी पुल या निचला पुल बनाने की आवश्यकता ताकि मोटर-गाड़ी यातायात प्रतिदिन घंटों तक न रुका रहे जिससे बहुत लोगों को बड़ी असुविधा होती है और उनके समय की बर्बादी होती है । | |
| | 573. | | पोर्टर शुल्क की वर्तमान दरों को बढ़ाने की आवश्यकता । | |
| | 574. | | वीरमगाम-ओरवा-पोरबन्दर मीटर गेज सैक्शन को पटरी और पटरी लगाने के सामान के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था करके बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता । | |
| | 575. | | अहमदाबाद-वीरमगाम सैक्शन को दोहरा करने की आवश्यकता ताकि उस सेक्शन पर बढ़े हुए यात्री तथा माल यातायात को संभाला जा सके । | |
| | 576. | | पश्चिम रेलवे में बड़ौदा और छोटा उदय-पुर के बीच वर्तमान नेरो गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने की आवश्यकता । | |
| | 577. | | पश्चिम रेलवे मौजूदा नदियाद-कपडवानाज नैरो गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने की आवश्यकता । | |
| | 578. | | पश्चिम रेलवे में वर्तमान नदियाद-पेतलान्द-भद्रन-प्रताप नगर नेरो गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने की आव-श्यकता । | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 579. | | पश्चिम रेलवे में वर्तमान बिलकीभूर-वाघाई नैरो गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने की आवश्यकता । | |
| | 580. | | सौराष्ट्र मेल, सौराष्ट्र जनता एक्सप्रैस, कीर्ति एक्सप्रैस, सोमनाथ मेल, भावनगर मेल और मेहसाना-वीराबल पैसेंजर गाड़ियों के लिये तुरन्त डीजल इन्जन सप्लाई करने की आवश्यकता । | |
| | 581. | | पश्चिम रेलवे के राजकोट और भावनगर डिविजनों में कोयला और पानी की कमी के कारण एक वर्ष से भी अधिक समय से रद्द हुई 75 से अधिक रेल-गाड़ियों को पुनः चलाने में असफलता । | |
| | 582. | | वीरमगाम और हावड़ा के बीच एक सीधी रेलगाड़ी, यदि दैनिक नहीं, तो सप्ताह में दो बार चलाने की आवश्यकता । | |
| | 583. | | अहमदाबाद भोपाल, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता । | |
| | 584. | | पश्चिम रेलवे की समयसारिणी गुजराती भाषा में भी प्रकाशित करने की आवश्यकता । | |
| | 585. | | रेल प्रशासन और संचालन में विभिन्न स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने की आवश्यकता । | |
| | 586. | | देश भर में बिना टिकट यात्रा को प्रभावकारी ढंग से रोकने की आवश्यकता । | |
| | 587. | | रेलवे स्टेशनों पर सप्लाई बनाये रखने की आवश्यकता । | |
| | 588. | | दूसरे दर्जे के करोड़ों यात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान करने की आवश्यकता । | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 589. | | मितव्ययिता प्राप्त करने और संचालनों के युक्तियुक्त बनाने की संभावना का पूरी तरह विदोहन करने की आवश्यकता। | |
| | 590. | | माल परिवहन को वाणिज्यिक दृष्टि से देखना ताकि यथासंभव अधिकाधिक आय प्राप्त की जा सके। | |
| | 591. | | बम्बई के निकट वैतरणा में एक सुरक्षित और मजबूत पुल बनाने की आवश्यकता जिसके कारण हाल में अहमदाबाद और बम्बई के बीच लगभग पन्द्रह दिनों तक रेल-यातायात अस्तव्यस्त रहा। | |
| | 592. | | बड़े रेल स्टेशनों पर रेलवे पोर्टरों के विश्राम के लिये बड़े गुड्स शेड बनाने की आवश्यकता। | |
| | 593. | | पश्चिम रेलवे में सूरत, उदना, नवसारी, बुल्सर और वापी में रेल स्टेशनों और गुड्स यार्डों पर सुधार करने और उन्हें बेहतर बनाने की आवश्यकता। | |
| | 594. | | सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को परिवार पेंशन और चिकित्सा सुविधा जैसे समुचित लाभ प्रदान करने की आवश्यकता। | |
| | 595. | | दोहद (पंचमहल) से झालोद होते हुए झमर कोटा (रास्जथान) तक एक ब्राड गेज लाइन बनाने के लिये इंजीनियरिंग-एवं-यातायात सर्वेक्षण प्राथमिकता आधार पर करने की आवश्यकता। | |
| | 596. | | पोरबंदर डाक रेलवे स्टेशन पर वर्तमान बुकिंग सुविधाओं को जारी रखने की आवश्यकता। | |
| | 597. | | पश्चिम रेलवे के नसवारी रेल स्टेशन के पूर्वी और गुड्स यार्ड की तरफ जाने वाली एक अच्छी सड़क बनाने और उसका रख-रखाव करने की आवश्यकता। | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 598. | | महत्वपूर्ण पैसेंजर और मेल गाड़ियों के साथ अधिक डिब्बे लगाने की आवश्यकता ताकि सवारियों की भीड़ भाड़ को किसी हद तक पूरा किया जा सके। | |
| | 601. | | अहमदाबाद तथा बड़ौदा के बीच बढ़ते हुए यात्री तथा माल के यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिये उस सैक्शन में चौहरी लाइनें बिछाने की आवश्यकता। | राशि में 100 रुपये कम किये जायें। |
| | 602. | | पश्चिम रेलवे के मीटरगेज सैक्शन पर अधिक संख्या में शयनकक्ष-उपलब्ध कराने की आवश्यकता। | ,, |
| | 603. | | सब रेलवे स्टेशनों पर खोमचे वालों को रात्रि के समय (10 म० प० से 6 म० पू० तक) चिल्लाने तथा चाय, काफी और अल्पाहार बेचने से मना करके निस्तब्धता बनाये रखने की आवश्यकता। | ,, |
| | 604. | | अहमदाबाद, साबरमती से गुजरात की राजधानी गांधीनगर तक लाइन के विद्युतीकरण की आवश्यकता। | ,, |
| | 605. | | देश भर में रेलवे में जलपान सेवा सुधार करने के लिये तुरन्त कदम उठाने की आवश्यकता। | ,, |
| | 606. | | गाड़ियों का समय पर चलना सुनिश्चित करने की आवश्यकता। | |
| | 607. | | जोनल और गैर-जोनल नमक की कुशलतापूर्वक ढुलाई के लिये निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार 'बारी' और 'प्राथमिकता क्रम' का कड़ाई और उचित रूप से पालन करके वैगनों की नियमित्त रूप से सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 608. | | उत्तर गुजरात में 113 अप 114 डाउन पाटन लोकल ट्रेन को, जो कि पूरे एक वर्ष से बन्द है, तुरन्त आरम्भ करने की आवश्यकता। | राशि में 100 रुपये कम किये जाएं । |
| 1 | 274. | | **श्री नूरुल हुडा :** अधिकारी बोझिल और नौकरशाही व्यवस्था जिसके कारण भारी व्यय तथा परिहार्य अपव्यय हो रहा है। | राशि को घटाकर एक रु० किया जाये। |
| 2 | 297. | | रेलों में अनुसंधान, अभिकल्प और विकास के बारे में ठोस नीति निर्देशों का अभाव। | ,, |
| 3 | 298. | | शाखा लाइनों का रख-रखाव करने और उन्हें कारगर ढंग से चलाने में असफलता जिसके कारण भारी संख्या में यात्रियों को असुविधा होती है। | ,, |
| 4 | 299. | | कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते और अन्य बकाया राशियों का नियमित रूप से भुगतान न करना और दृढ़ कर्मकार नीति का अभाव। | ,, |
| 5 | 300. | | रेल पथ, इंजनों, विद्युत, सिगनल और दूर-संचार सेवाओं की समुचित मरम्मत और रखरखाव का अभाव जिसके कारण बार-बार दुर्घटनायें होती हैं और सेवाएं अस्तव्यस्त होती हैं। | ,, |
| 8 | 302. | | मार्ग में खोये अथवा क्षतिग्रस्त सामान के लिये भारी राशियों का भुगतान। | ,, |
| 14 | 303. | | भारत के पिछड़े और अविकसित राज्यों और जिलों में नई लाइनों का निर्माण करने में असफलता। | ,, |
| | 317. | | धन तथा सामग्री के भारी दुरुपयोग को रोकने की दृष्टि से रेलवे-प्रशासन में सुधार लाने में रेलवे बोर्ड की असफलता। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 318. | | मई 1974 की हड़ताल में भाग लेने के कारण दण्डित हज़ारों कर्मचारियों को बहाल करने में रेलवे बोर्ड की असफलता । | |
| 2 | 319. | | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में सर्वेक्षण शीघ्र आरम्भ कराने तथा समय पर पूरा करने में असफलता । | राशि में 100 रु० कम किये जायें । |
| | 320. | | अनुसंधान, डिज़ाइन तथा मानक संगठन में अति-बोझिल और नौकरशाही नियंत्रण होने के कारण प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने में विफलता । | ,, |
| 3 | 321. | | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में कटखल-लालबजार रेलवे लाइन पर ठीक ढंग से गाड़ियां चलाने में असफलता जिसके कारण कछार जिले के हैलखाड़ी सब-डिवीज़न में यात्रियों को भारी असुविधा होती है । | ,, |
| 4 | 322. | | गत मई-जून, 1974 के दौरान पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में बोंगाईगांव, न्यू बोंगाईगांव, मालीगांव, लुमडिंग तथा अन्य स्थानों पर हड़ताली रेल कर्मचारियों तथा उनके परिवारों पर ज्यादतियां करने के लिए आसाम बटेलियन पुलिस का अनुचित प्रयोग । | ,, |
| | 323. | | 1974 की रेल हड़ताल के दौरान मज़दूरों तथा कर्मचारियों के वेतन रोक लेना तथा उन्हें भुगतान न करना । | ,, |
| | 324. | | रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों के भारी संख्या में तैनात कर दिये जाने के बावजूद मूल्यवान उपकरणों, मशीनों तथा अन्य सामग्री की बड़े पैमाने पर चोरी तथा उठाईगिरी को रोकने में विफलता । | ,, |
| 5 | 325. | | नौकरी के घन्टों के विनियमन के बारे में मियाभाई पंचाट का क्रियान्वित न किया जाना । | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 326. | | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के समूचे ज़ोन में रेल पटरियों तथा लोको इंजनों के ठीक ढंग से रख-रखाव में विफलता जिसके कारण सेवायें बार-बार अस्त-व्यस्त हुईं तथा दुर्घटनायें और अन्य परिहार्य विलम्ब हुए । | |
| | 327. | | लुमडिंग-बदरपुर हिल सेक्शन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) की मरम्मत एवं समुचित रख-रखाव में विफलता जिससे बार-बार भूस्खलन हुए तथा सेवायें अस्त-व्यस्त हुईं । | |
| | 328. | | कछार जिले में रेल पटरियों तथा लोको इन्जनों की ठीक ढंग से मरम्मत न करना और उनके उचित रख-रखाव में विफलता जिससे उस ज़ोन में गाड़ियों की गति बहुत धीमी रही । | |
| | 329. | | 1974 की रेल हड़ताल के दौरान और उसके तुरन्त बाद लुमडिंग-बदरपुर हिल सेक्शन और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अन्य डिविज़नों में बड़े पैमाने पर नैमित्तिक मजदूरों को रोज़गार न देना । | |
| | 330. | | रेलवे बोर्ड द्वारा उन नैमित्तिक मजदूरों को भी जिन्होंने पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में पांच से दस वर्ष तक की सेवा की है, पुनः नियुक्त करने से बराबर इन्कार करना । | |
| 6 | 331. | | मई 1974 की हड़ताल में भाग लेने के कारण पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के नौकरी से हटाये गये अनेक संचालन कर्मचारियों को बहाल करने में विफलता । | |
| | 332. | | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लोको तथा संगचल कर्मचारियों के लिए 10 घन्टे की ड्यूटी की सारिणी की उदासीन क्रियान्विति । | |
| 7 | 333. | | कोयले की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने में विफलता जिसके कारण गाड़ियां रद्द करनी पड़ीं । | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 334. | | रेलवे सुरक्षा दल के भारी संख्या में तैनात किये जाने के बावजूद गुम हुए अथवा क्षतिग्रस्त सामान के लिए मुआवजा दावों की भुगतान की राशि में कमी करने में विफलता । | |
| 9 | 337. | | अनेक शिकायतों के बावजूद विभागीय जलपान व्यवस्था में सुधार करने में रेलवे प्रशासन की विफलता । | " |
| | 338. | | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में विभागीय जलपान व्यवस्था में सुधार लाने में असफलता । | " |
| 10 | 339. | | मजदूरों तथा कर्मचारियों और उनके परिवारों को उचित चिकित्सा सुविधायें एवं स्वास्थ्य और कल्याण सेवायें तथा शैक्षिक सहायता प्रदान करने में विफलता । | " |
| | 342. | | न्यू बोंगाइगांव से गोहाटी तक शीघ्र बड़ी लाइन बनाने में विफलता । | |
| | 343. | | पूर्वोत्तर रेलवे में उस क्षेत्र की, विशेषतः नागालैण्ड और मेघालय की, बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई लाइनें बिछाने की आवश्यकता । | |
| | 466. | | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में लुमडिंग, गोहाटी, न्यू बंगईगांव तथा अन्य महत्वपूर्ण जंक्शनों पर दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिये उनके विश्राम की तथा अन्य सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में जुटाने में असफलता । | |
| | 467. | | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में हड़तालों को असफल बनाने के लिये प्रादेशिक सेना का अनुचित उपयोग । | |
| | 468. | | मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने वाले रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार करने तथा बन्दी बनाने के लिये 'मीसा' और भारत रक्षा नियमों का प्रयोग । | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 469. | | 'आंसूका' के अधीन बन्दी बनाये गये सभी रेल कर्मचारियों को मुक्त करने में असफलता । | |
| | 470. | | राष्ट्रीय रेल कर्मचारी संघर्ष समन्वय समिति (एन० सी० सी० आर० एस०) को मान्यता देने और रेल कर्मचारियों की महत्वपूर्ण बकाया मांगों के सम्बन्ध में उसके साथ बातचीत करने में असफलता । | |
| | 471. | | सभी रेलवे ज़ोनों में यात्रियों की बढ़ रही संख्या के अनुरूप यात्री गाड़ियों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करने में बुरी तरह असफलता । | |
| | 472. | | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में हाफलांग, गोहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू बंगईगांव, अजीमगंज और अन्य स्टेशनों पर खान-पान सेवा में सुधार करने में असफलता । | |
| | 473. | | बदरपुर-लुमडिंग हिल सेक्शन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) में लगभग 500 स्थायी और नैमित्तिक कर्मचारियों को मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने के आरोप के कारण सेवा में वापस न लेने में असफलता । | |
| | 474. | | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के पूरे ज़ोन में दूसरे दर्जे के डिब्बों में पानी, प्रकाश और पंखों की व्यवस्था करने में असफलता । | |
| 4 | 475. | | मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने के आरोप में स्थायी कर्मचारियों को सुदूर स्थानों पर स्थानान्तरित करके दण्ड देने की जान-बूझ कर अपनाई गयी नीति । | |
| | 476. | | मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने वाले रेल कर्मचारियों के विरुद्ध दण्ड स्वरूप चलाये गये मुकदमें वापस लेने में असफलता । | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 477. | | रेल कर्मचारियों को उनके विरुद्ध झूठे और निराधार मुकदमें चलाकर परेशान किया जाना । | |
| 10 | 478. | | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे तथा अन्य रेलवे में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने में विफलता । | |
| | 479. | | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के बदरपुर, लुमडिंग, न्यू गोहाटी, मालीगांव, न्यूबांगाईगांव तथा अन्य ज़ोनों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को रिहायशी क्वार्टर देने में असफलता । | |
| 1 | 277. | श्री मोहम्मद इस्माइल | सुरक्षापूर्ण कार्यचालन सम्बन्धी सामान्य, सहायक और गाड़ी सिग्नल नियमों का उल्लंघन करके गाड़ियां चलाने तथा परिचालन ड्यूटी करने के लिये आदेश जारी करना और गाड़ियों और यात्रियों की सुरक्षा के तरीकों पर अमल न करना तथा ऐसे अवैध आदेशों का पालन करने से इन्कार करने वाले कर्मचारियों को दण्डित करना । | राशि में 100 रु० कम किये जायें । |
| | 278. | | प्रौद्योगिकीय नवीन प्रक्रियाओं के अनुरूप मानव-शक्ति कार्यक्रम के लिये नयी योजना स्वीकार करना और इस प्रकार रेल कर्मचारियों की वर्तमान संख्या को कम करना और भारतीय रेलवे को विश्व बैंक की सहायता के बदले में विश्व बैंक के कहने पर रेल उद्योग में रोज़गार क्षमता को कम करना । | ,, |
| | 279. | | खड़गपुर-बालूचाक सेक्शन में डिवीज़नल सुपरिन्टेन्डेन्ट, दक्षिण-पूर्व रेलवे, खड़गपुर के अन्तर्गत 200 सी० पी० सी०, श्रमिकों की अवैध छंटनी का उद्देश्य आधुनिक तरीके अपनाकर मानव-शक्ति को कम करना है और इस प्रकार रेलों में रोज़गार-क्षमता को समाप्त करना है । | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 280. | | ग्राम बैठकों, द्वार-बैठकों और सम्मेलनों, सामान्य और लोकतन्त्री कार्मिक संघों के समारोहों और रेल कर्मचारियों के अधिकारों पर पाबन्दी । | राशि में 100 रु० कम किये जायें । |
| | 281. | | पेंशन को कम करने के उद्देश्य से नियम 2534 (सी० एस० आर० 470) आर-दो का संशोधन करना और इस प्रकार पेंशन भोगियों की सामाजिक सुरक्षा को खतरे में डालना । | " |
| | 282. | | दक्षिण-पूर्व तथा पूर्व रेलवे में निर्धारित माप-दण्डों का उल्लंघन करके मई, 1974 हड़ताल में तथाकथित वफादार कर्मचारी के बच्चों को अवैध रूप से नियुक्त करके रेलवे के लिये कर्मचारियों की भर्ती करने में भ्रष्ट तरीके अपनाना । | " |
| | 283. | | गत रेलवे हड़ताल के दौरान तथा बाद में स्थायी, अस्थायी तथा नैमित्तिक कर्मचारियों की बहाली के बारे में उच्च न्यायालयों के निर्णयों को कार्यान्वित करने में असफलता । | " |
| | 284. | | हाल की रेलवे हड़ताल की अवधि के दौरान तथा बाद में विभिन्न जोनों में रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध दायर किये गये झूठे पुलिस मामले वापस लेने की आवश्यकता । | " |
| 1 | 307. | श्री भागीरथ भंवर | रेल यात्रियों को और सुविधायें देने में विफलता । | " |
| | 308. | | वैगनों की कमी और उनके मिलने में भ्रष्टाचार; रास्ते में माल की चोरी, क्षतिपूर्ति मिलने में अनावश्यक विलम्ब दूर करने में असफलता । | |
| | 309. | | प्लेटफार्मों और रेल गाड़ियों में खाने पीने के प्रबन्ध में सुधार करने में असफलता । | " |

| 1 | | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 310. | | आरक्षण व्यवस्था और भीड़ की समस्याओं को हल करने में असफलता । | राशि में 100 रु० कम किये जायें। |
| | 311. | | रेलवे प्रशासन और कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने में असफलता । | |
| | 312. | | नई रेलवे लाइनें बिछाने में पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान देने में विफलता । | ,, |
| | 313. | | सब ग्रेडों में रेल कर्मचारियों की भर्ती में हरिजनों और आदिवासियों का कोटा पूरा करने में असफलता । | ,, |
| | 314. | | रेल यात्रा को सुरक्षित, भीड़-भाड़ रहित और सुख-सुविधापूर्ण बनाने में असफलता । | ,, |
| | 315. | | रेलों में बढ़ रही डकैतियों, लूट-पाट घटनाओं को रोककर यात्रा को सुरक्षित बनाने में असफलता । | ,, |
| | 316. | | मध्य प्रदेश के प्रधानतः आदिवासी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में रेलवे लाइनें बिछाने में असफलता । | ,, |
| 1 | 335. | श्री दीनेन भट्टाचार्य | अखिल भारतीय रेल हड़ताल के बाद रेलवे कर्मचारियों के सब निलम्बन, बर्खास्तगी तथा सेवा में व्यवधान सम्बन्धी आदेशों को वापस लेने में विफलता । | राशि को घटाकर 1 रु० किया जाये। |
| | 336. | | बोनस का भुगतान न करने तथा मूल्य वृद्धि के आधार पर बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता न देने के बारे में रेल मंत्रालय का असहयोगपूर्ण रवैया । | ,, |
| 14 | 340. | | हावड़ा-अमता तथा हावड़ा-शीखला लाइनों के स्थान पर, जिन्हें बन्द कर दिया गया था, नई बड़ी लाइन का तुरन्त निर्माण करने की आवश्यकता । | राशि में 100 रु० कम किये जायें। |
| | 341. | | पूर्व रेलवे में शियोवराफुली और तारकेश्वर के बीच एक और दोहरी लाइन बिछाने की आवश्यकता । | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 687. | | खड़गपुर-बालूचाक सेक्शन में डिवीज़नल सुपरिटेन्डेन्ट, दक्षिण-पूर्व रेलवे, खड़गपुर के अन्तर्गत 200 सी० पी० सी०, श्रमिकों की अवैध छंटनी का उद्देश्य आधुनिक तरीके अपनाकर मानव-शक्ति को कम करना है और इस प्रकार रेलों में रोज़गार क्षमता को समाप्त करना है । | राशि में 100 रु० कम किये जायें । |
| | 688. | | आम बैठकों, द्वारा बैठकों और सम्मेलनों, सामान्य और लोकतन्त्री कार्मिक संघों के समारोहों और रेल कर्मचारियों के अधिकारों पर पाबन्दी । | ,, |
| | 689. | | विभिन्न कार्मिक संघों अर्थात् ईस्टर्न रेलवेमैन्स यूनियन और साउथ-ईस्टर्न रेलवे लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन द्वारा आयोजित किये गये विशाल प्रदर्शनों के बाद दिये जाने वाले मांगी पत्रों को साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न रेलवे के महाप्रबन्धकों द्वारा स्वीकार करने से इन्कार करना । | ,, |
| | 690. | | साउथ-ईस्टर्न और ईस्टर्न रेलवे के महा-प्रबन्धकों द्वारा अपने मुख्यालयों, गार्डन रीच और फेअरली प्लेस, कलकत्ता में सीविल अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करते मीटिंगों के आयोजन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू किया जाना । | ,, |
| 1 | 787. | | रेलवे लाइनों पर ऊपरी पुलों के निर्माण सम्बन्धी पूर्ण व्यय वहन करने में असफलता । | राशि को घटाकर 1 रु० किया जाये |
| | 788. | | सभी राष्ट्रीय राजपथों पर सभी फाटकों पर ऊपरी पुलों का निर्माण करने में असफलता । | ,, |
| | 794. | | जी० टी० रोड (राजपथ नं० 2) पर सेरमपुर स्टेशन के दक्षिण में रेलवे लाइन पर ऊपरी पुल का निर्माण करने में असफलता । | राशि में 100 रु० कम किये जायें । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 795. | | कोननगर रेलवे स्टेशन (पूर्व रेलवे के उत्तर की ओर सबवे को चौड़ा करने की आवश्यकता)। | राशि में 100 रु० कम किये जायें। |
| | 796. | | गाड़ियों के रवाना होने और विलम्ब से चलने के सम्बन्ध में घोषणा की व्यवस्था। | ,, |
| | 797. | | बिहार में (मार्टिन बर्न एण्ड कम्पनी के अधीन) आरा-सासाराम लाइट रेलवे को अपने नियंत्रण में लेने की आवश्यकता। | ,, |
| 1 | 365. | डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय | कलकत्ता तथा दिल्ली जैसे महानगरों में ट्यूब रेलवे की योजना प्रारम्भ करने में विलम्ब। | ,, |
| | 366. | | रेल मंत्री के आश्वासन के बाद भी हड़ताल में भाग लेने वाले तथा उस समय निलम्बित या बर्खास्त किये गये कर्मचारियों को काम पर लेने में विलम्ब। | ,, |
| | 367. | | विभिन्न एक्सप्रेस व मेल गाड़ियों की गति बढ़ाने के कार्य में विलम्ब। | ,, |
| | 368. | | यात्रियों को सुविधाएं देने तथा उनकी यात्रा आरामदेह बनाने में उपेक्षा। | ,, |
| | 369. | | रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन की आवश्यकता। | ,, |
| | 370. | | रेलवे के क्षेत्रीय मण्डलों का विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता। | ,, |
| | 371. | | विभिन्न रेल के सलाहकार समितियों को प्रभावी बनाने की आवश्यकता। | ,, |
| | 372. | | रेलवे में हिन्दी के प्रयोग को व्यापक बनाना। | ,, |
| | 373. | | भारतीय रेलों में क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने की आवश्यकता। | ,, |
| | 374. | | रेलवे के विभागों में अनुसूचित जातियों के लोगों की नियुक्ति करने की उपेक्षा। | ,, |
| | 375. | | रेलवे कर्मचारियों की न्यायपूर्ण मांगों को पूरा करने में उपेक्षा। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 376. | | रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की व परिवार की सुरक्षा में उदासीनता । | राशि में 100 रु० कम किये जायें । |
| 2 | 377. | | जावरा, रतलाम तथा नीमच रेलवे स्टेशनों के समीप ओवर ब्रिज बनाने में विलम्ब । | ,, |
| | 378. | | बाँसवाड़ा-रतलाम रेल लाइन के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने में असफलता । | ,, |
| | 379. | | अजमेर-खण्डवा मीटर गेज़ रेल लाइन को ब्रोडगेज़ में बदलने में असफलता । | ,, |
| | 380. | | बड़ी सदड़ी को नीमच तक रेल लाइन से जोड़ने में असफलता । | ,, |
| 4 | 381. | | 4 लाख नैमित्तिक कर्मचारियों की सेवाओं को स्थायी करने में विलम्ब । | ,, |
| | 382. | | गुना मक्सी लाइन को पूरा करने में विलम्ब । | ,, |
| | 383. | | सीतामऊ व मनासा आउट एजेंसीज़ (वैस्टर्न रेलवे; रतलाम डिवीज़न) के भारी घोटाले के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करना । | ,, |
| | 384. | | रतलाम डिवीज़न में समालस के लिए उपयुक्त वैगनों का अभाव । | ,, |
| | 385. | | कोटा डिवीज़न के शामगढ़ स्टेशन प्लेटफार्म पर जनता द्वारा शेड की निरन्तरण मांग करने पर भी लगाने में विलम्ब । | ,, |
| | 386. | | कोटा डिवीज़न के गरीठ स्टेशन पर बिजली की व्यवस्था में विलम्ब । | ,, |
| | 387. | | जावरा और मन्दसौर स्टेशन प्लेटफार्म पर शेड्स बढ़ाये जाने में उपेक्षा । | ,, |
| | 388. | | जनता की सुविधा हेतु पश्चिम रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर उपयुक्त विश्रामगृहों को सुसज्जित करने में विलम्ब । | ,, |



18 LSS/75—14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 389. | | श्यामगढ़ (कोटा डिवीज़न) में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की व्यवस्था करने में विलम्ब । | राशि में 100 रु० कम किये जायें । |
| | 390. | | नागदा (पश्चिम रेलवे) पर होने वाले माल डिब्बों के भारी जमाव को रोकने में असफलता । | ,, |
| | 391. | | रतलाम और कोटा के मध्य बिजलीकरण की सम्भावनाओं पर विचार करने में असफलता । | ,, |
| 7 | 392. | | दोहद-खण्डवा लाइन (आदिवासी क्षेत्र) के सर्वेक्षण करने में असफलता । | ,, |
| | 393. | | रतलाम (रतलाम डिवीज़न) के डीज़ल शेड के विस्तार में विलम्ब । | ,, |
| | 394. | | नीमच (रतलाम डिवीज़न) के लोको शेड के विस्तार में विलम्ब । | ,, |
| | 395. | | डीज़ल इंजनों के रख-रखाव ठीक न होने से उनको हुई हानि । | ,, |
| | 396. | | स्टीम लोकोमोटिव तथा डीज़ल इंजनों का उत्पादन बढ़ाने में विलम्ब । | ,, |
| 9 | 397. | | रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पुनर्गठन की आवश्यकता । | ,, |
| 10 | 398. | | विभिन्न रेलवे ज़ोनों में कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करने में विलम्ब । | ,, |
| 14 | 399. | | आदिवासी क्षेत्रों में विशेषकर मध्य प्रदेश के झबुआ और बस्तर क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाने की उपेक्षा । | ,, |
| | 400. | | पश्चिम रेलवे के नागदा-कोटा सेक्शन पर दोहरी लाइन बिछाने में विलम्ब । | ,, |
| 1 | 625. | | कोटा-चित्तौड़ रेल लाइन का सर्वे करने में विलम्ब । | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 626. | | पश्चिम रेलवे के रतलाम डिविजन के रतलाम डिविजनल मुख्यालय पर रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को समुचित शिक्षा देने का अभाव। | राशि में 100 रु० कम किये जायें। |
| | 627. | | देहरादून एक्सप्रेस (पश्चिम रेलवे) में रतलाम दिल्ली कोच लगाने में, जो पहले लगाया जाता था, विलम्ब। | ,, |
| | 628. | | रेलवे बुक स्टालों के ठेके का निर्धारित अवधि से पहले नवीकरण करने की आवश्यकता। | ,, |
| | 629. | | अजमेर-खण्डवा के बीच मेलगाड़ी चलाने में विफलता। | ,, |
| | 630. | | रेलवे के दूर संचार विभाग के कर्मचारियों की कठिनाइयों को हल करने में विलम्ब। | ,, |
| 4 | 631. | | रेलवे कैंटीनों की दशा में सुधार करने में विलम्ब। | ,, |
| 1 | 634. | | रतलाम और चित्तौड़ होते हुए हैदराबाद और दिल्ली के बीच प्रस्तावित मीनाक्षी एक्सप्रेस गाड़ी चलाने में विलम्ब। | ,, |
| | 635. | | मीयांभाई आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में विलम्ब। | ,, |
| | 636. | | आरक्षण-पद्धति में हो रही अनियमितताओं और अव्यवस्था रोकने में असफलता। | ,, |
| 4 | 637. | | गार्डों की सुरक्षा की दृष्टि से ब्रेकवैनों में उपयुक्त परिवर्तन करने में उपेक्षा। | ,, |
| | 638. | | उन टी०टी०ई० और सहायक स्टेशन मास्टरों के परिवारों के लिए जिन्हें अपनी नियुक्ति के स्टेशनों से दूर रहना पड़ता है और जो नगर से दूरवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, शिक्षा और चिकित्सा की उपयुक्त व्यवस्था करने में विलम्ब। | ,, |
| | 639. | | नैमित्तिक मजदूरों को स्थायी बनाने में उपेक्षा। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 640. | | पश्चिम रेलवे में नागदा स्टेशन पर यात्रियों के लिये खान-पान की समुचित व्यवस्था करने में असफलता। | राशि में 100 रु० कम किय जायें। |
| | 641. | | जनता द्वारा बार-बार मांग किये जाने के बावजूद भी कोटा डिवीजन में शामगढ़ स्टेशन पर 25-डाउन और 26-अप गाड़ियों का हाल्ट पुनः बनाने में असफलता। | " |
| | 642. | | उज्जैन-इन्दौर (ब्राड-गेज) लाइन को महू तक बढ़ाने में विलम्ब। | " |
| | 643. | | इन्दौर-स्टेशन पर खान-पान का ठेका देने में पक्षपात। | " |
| 1 | 407. | श्रीमती पार्वती कृष्णन : | इण्डियन रेलवे वर्क्स फेडरेशन को मान्यता प्रदान करने में असफलता। | राशि को घटाकर 1 रु० किया जाए। |
| | 408. | | नार्थ-इस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन को, जिसे ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार द्वारा मान्यता प्राप्त है, मान्यता देने में असफलता और उस यूनियन को मान्यता प्रदान करना जो पंजीकृत नहीं है और जिसका कोई वैध अस्तित्व नहीं है। | " |
| | 409. | | रेलवे श्रमिक को औद्योगिक श्रमिक के रूप में मान्यता देने में असफलता और देश में प्रचलित औद्योगिक वेतन, विशेषकर सरकारी क्षेत्र में, के अनुसार उनके वेतन-ढांचे में पर्याप्त परिवर्तन करने में असफलता। | " |
| | 410 | | 28 मई, 1974 को आम हड़ताल को समाप्त करने के बाद रेल कर्मचारी संघर्ष संबंधी राष्ट्रीय समन्वय समिति के नेताओं के साथ समझौता वार्ता पुनः आरंभ करने में असफलता। | " |
| | 411. | | रेलवे बोर्ड को समाप्त करने और रेल मंत्री की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय का पुनर्गठन करने में असफलता। | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 412. | | मई, 1974 की आम हड़ताल के बाद सभी दण्डात्मक कार्यवाहियां समाप्त करने और स्वर्गीय मंत्री, श्री ललित नारायण मिश्र, के आश्वासनों के अनुसार रेल कर्मचारियों के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमें वापस लेने में असफलता। | राशि को घटाकर 1 रु० किया जाए। |
| | 418. | | बम्बई उच्च न्यायालय के 1968 के निर्णय को क्रियान्वित करके सभी गैंगमैनों को उसके अनुरूप वेतन देने में असफलता। | राशि में 100 रु० कम किये जायें। |
| | 419. | | मई, 1974 की आम हड़ताल के दौरान दक्षिण-पश्चिम बड़ी लाइन सेक्शन पर स्थगित की गयी गाड़ियों को पुनः आरंभ करने में असफलता। | ,, |
| | 420. | | सभी रेलवे उद्योगों में स्वीकृत प्रक्रियाओं और त्रिपक्षीय करारों पर आधारित औद्योगिक संबंध नीति बनाने में असफलता। | ,, |
| | 421. | | कर्मचारियों की सेवा में वापस लिये जाने की अपीलें प्राप्त होने पर उन्हें पुनः सेवा में लेने संबंधी आदेश जारी करने में असफलता। | ,, |
| | 422. | | रेलवे बोर्ड की, उन कर्मचारियों की पुनरीक्षण-याचिका प्राप्त होने पर भी सेवा में वापस लेने के आदेश जारी करने में असफलता जिनकी अपीलें महाप्रबन्धकों द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। | ,, |
| | 423. | | महाप्रबन्धकों द्वारा कर्मचारियों से पुनरीक्षण याचिकायें प्राप्त होने पर भी बहाली के आदेश जारी करने में असफलता जिनकी अपीलें विभागाध्यक्षकों द्वारा रद्द की जा चुकी हैं। | ,, |
| | 424. | | विशाखापत्तनम रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों को दक्षिण-पूर्व रेलवे प्रशासन द्वारा वापस लेने में असफलता। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 425. | | मई, 1974 की ग्राम रेलवे हड़ताल से पूर्व सरकार द्वारा मान ली गयी मांगों के संबंध में दिये गये आश्वासनों को पूरा न करने में असफलता । | राशि में 100 रु० कम किए जाएं। |
| | 426. | | उन सभी क्षेत्रों में जहां 300 से अधिक रेल कर्मचारी रहते हैं उचित मूल्य की दुकानें खोलने में असफलता । | ,, |
| | 427. | | मियांभाई व्यायाधिकरण के निर्णय को कार्यान्वित करने में असफलता । | ,, |
| | 428. | | संवर्ग समीक्षा तथा स्थायीकरण के कार्य को पूरा करने में असफलता । | ,, |
| | 429. | | 1-1-1973 से पहले सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि करने में असफलता । | ,, |
| | 430. | | मैकेनिकल विभाग के कैरेज और वैगन शाखा के वरिष्ठ अधीनस्थ कर्मचारियों के ग्रेडों और वेतनमानों में संशोधन करने में असफलता । | ,, |
| | 431. | | छोटी लाइन पर सलेम से बंगलौर तक गाड़ियां चलाने में असफलता । | ,, |
| | 432. | | ओथकुली और इरुगुर के बीच दक्षिण रेलवे के दक्षिण-पश्चिम बड़ी लाइन सेक्शन पर रेलवे लाइन को दोहरा करने के काम में लगे ई०एल०आर० कर्मचारियों की छंटनी करने के आदेश । | ,, |
| | 433. | | इन्टीगरल कोच फैक्टरी, पैरम्बूर में प्रोग्रेसमैनों में वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप उत्पन्न विषमताओं को दूर करने में असफलता । | ,, |
| | 434. | | अपील संख्या 1937 और 1938 में 30-1-1974 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप दक्षिण रेलवे के एक्स-ग्रेन शाप कर्मचारियों की वरिष्ठता और पदोन्नति दिलाने में असफलता । | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 435. | | दक्षिण रेलवे की मद्रास-विजयवाड़ा लाइन में बिजली लगाने में असफलता। | राशि में 100 रु० कम किये जायें। |
| | 436. | | हड़ताल में भाग लेने के कारण कर्मचारियों के पदों का दर्जा कम करने संबंधी आदेशों को वापिस लेने में असफलता। | ,, |
| | 437. | | मई 1974 की हड़ताल के दौरान अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के स्थानान्तरण के आदेशों को रद्द करने में असफलता। | ,, |
| | 438. | | मई 1974 की हड़ताल के दौरान अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों की पदावनति के आदेशों को रद्द करने में असफलता। | ,, |
| | 439. | | मई 1974 की हड़ताल के दौरान अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को अनिवार्यतः सेवा-निवृत्त करने के सभी आदेशों को रद्द करने में असफलता। | ,, |
| | 440. | | मई 1974 की हड़ताल के दौरान अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति रोकने के लिये जारी किये गये सभी आदेशों को वापिस लेने में असफलता। | ,, |
| | 441. | | मई 1974 की हड़ताल के दौरान अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्त किये गये बहुत से कर्मचारियों को बहाल करने में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की असफलता। | ,, |
| | 442. | | मई 1974 की हड़ताल के दौरान अनुपस्थित रहने के कारण नौकरी से हटाये गये 900 से अधिक गैंगमैनों को, जो लुमडिंग डिवीजन में गश्ती ड्यूटी पर थे, बहाल करने में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की असफलता। | ,, |
| | 443. | | सेवानिवृत्त कर्मचारियों का उनकी सेवानिवृत्ति के काफी समय बाद तक हिसाब किताब चुकता करने में असफलता। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 444. | | मई 1974 की हड़ताल के दौरान अनुपस्थित होने के कारण बर्खास्त किये गये कुरला कार शेड के लगभग 40 कर्मचारियों को बहाल करने में मध्य रेलवे प्रशासन की असफलता। | राशि में 100 रु० कम किये जायें। |
| | 445. | | जयपुर डिवीजन में जे० ओ० डब्ल्यू० के अन्तर्गत लगभग 73 कर्मचारियों को बहाल करने में पश्चिम रेलवे प्रशासन की असफलता, यद्यपि उन कर्मचारियों ने डिवीजन के परीरक्षण कार्यों में 3 से 10 वर्ष से अधिक सेवा की है। | ,, |
| 4 | 450. | | कर्मचारियों के पदों का दर्जा कम करने, निचले ग्रेड में पदावनत करने, देय वेतन वृद्धि रोकने, सुदूर स्थानों पर स्थानांतरण करने, पदोन्नति रोकने, अनिवार्यतः सेवा-निवृत्त करने तथा बर्खास्त करने जैसे दण्डात्मक आदेशों को रद्द करने में असफलता। | ,, |
| | 451. | | गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार सभी बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने में रेलवे बोर्ड की असफलता। | ,, |
| | 452. | | केरल और आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार सभी नैमित्तिक मजदूरों को बहाल करने में रेलवे बोर्ड की असफलता। | ,, |
| | 453. | | मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने के कारण कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में निलम्बित सभी मामलों को वापस लेने के लिये आदेश जारी करने में असफलता। | ,, |
| | 454. | | मई, 1974 की हड़ताल के दौरान अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्त किये गये बहुत से कर्मचारियों को बहाल करने में दक्षिण पूर्व रेलवे की असफलता। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 458. | | कोयले की कमी के झूठे बहाने से कई गाड़ियां विशेषकर दक्षिण रेलवे की कई गाड़ियों का रद्द किया जाना। | राशि को घटाकर 1 रु० किया जाये। |
| | 459. | | ई०एल०आर० तथा नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी नौकरियों पर लगाना। | ,, |
| | 460. | | तिरुप्पापुलीयूर-बंगलौर यात्री गाड़ी को पुनः चलाने में असफलता जिसके कारण दक्षिण अरकाट सेलम और कोयम्बतूर जिलों के यात्रियों को कठिनाईयां हो रही है। | राशि में 100 रु० कम किये जायें। |
| | 461. | | शोरानूर और कोचीन के बीच रद्द की गई यात्री गाड़ी को पुनः चलाने में असफलता। | ,, |
| | 462. | | स्कूल और कालेज के छात्रों की आवश्यकता पूरी करने के लिये कोयम्बतूर-मेवा भेटु-पलेम सेक्शन पर यात्री गाड़ियों को वीरा-पाड़ी पर रोकने से बार बार इंकार। | ,, |
| | 463. | | मंगलौर एक्सप्रेस और केरल एक्सप्रेस को तिरुपुर पर रोकने में असफलता। | ,, |
| | 464. | | सभी रेल श्रमिकों पर बिना किसी अपवाद के सभी श्रमिक विधियों को लागू करने में असफलता। | ,, |
| | 465. | | कार्मिक संघों को मान्यता देने की नीति में आमूलचूल संशोधन करने में असफलता। | ,, |
| 14 | 480. | | तिरुपुर से धर्मपुरम हो कर पलारी तक रेलवे लाईन बिछाने में विफलता। | ,, |
| | 481. | | कोयम्बटूर को सत्यमंगलम तथा चामराज-नगर के रास्ते मैसूर से रेल द्वारा मिलाने में विफलता। | ,, |
| 1 | 708. | | माल परिवहन के लिये रेलों और सड़क के बीच समुचित समन्वय स्थापित करने में असफलता। | राशि को घटाकर 1 रु० किया जाए। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 709. | | कोयले के शीघ्रतापूर्वक लाने ले जाने के उपाय ढूंढ़ निकालने के लिये रेलवे और कोयला खान प्राधिकरण तथा बी०सी०सी० लिमिटेड में प्रबन्ध और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक आयोजित करने में असफलता। | राशि को घटा कर 1 रु० किया जाये। |
| | 710. | | आल इंडिया रनिंग स्टाफ एसोसियेशन के साथ सभी मांगें तय करने और उत्पीड़ित कर्मचारियों को बहाल करने में असफलता और शिकायत समिति में अपनाये गये विलम्बकारी तरीके। | राशि में 100 रु० कम किए जाए। |
| | 711. | | दक्षिण रेलवे के तिरुपुर स्टेशन पर यात्रियों के लिये सुविधायें बढ़ाने की आवश्यकता। | ,, |
| | 712. | | मुहानों पर जमा कोयले के स्टाक को उठाने में निरन्तर असफलता क्योंकि यदि कोयले के स्टाक को शीघ्र नहीं उठाया गया तो वहां पर आग लगने की संभावना है। | ,, |
| | 713. | | पायापलायम के निकट के फाटक को 400 फुट दूर ले जाने की आवश्यकता, जैसा कि मन्नारई (तिरुपुर यूनियन) तामिलनाडु की स्थानीय पंचायत के संकल्प से अनुरोध किया गया है। | ,, |
| 4 | 714. | | दिल्ली सराय रोहला स्टेशन पर कोयला पानान्तरण प्लेटफार्म की समुचित व्यवस्था करने में असफलता जिसके कारण कोयले की भारी हानि होती है और कार्यकरण में कठिनाई होती है। | ,, |
| | 715. | | दिल्ली सराय रोहला यार्ड पर मालगाड़ियों के लिये गाड़ी जांच की समुचित सुविधायें उपलब्ध करने में असफलता जिसके फलस्वरुप कर्मचारियों को असुविधा होती है और कार्यकुशलता और संरक्षा में बाधा उपस्थित होती है। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 716. | | उत्तर रेलवे पर वाष्प इंजन की मरम्मत के लिये सभी आवश्यक सामग्री की पर्याप्त और समय पर सप्लाई सुनिश्चित करने में असफलता। | राशि में 100 रु० कम किये जायें। |
| | 717. | | भारतीय रेलों पर नैमित्तिक मजदूरों को स्थायी बनाने में असफलता। | ,, |
| 10 | 718. | | दिल्ली सराय रोहेला स्टेशन पर कर्मचारियों के पुराने क्वाटरों में सुधार करने में असफलता। | ,, |
| 1 | 699. | श्री शिब्बन लाल सक्सेना : | देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र में गोरखपुर से महाराजगंज-निक्लोल-पूंटी बड़ी भैंसजाटन तक पूर्वोत्तर रेलवे पर ब्रांच रेलवे लाइन के निर्माण की स्वीकृति देने में असफलता। | ,, |
| | 700. | | लाल बहादुर शास्त्री नगर डिग्री कालेज, आनन्दनगर के सामने जिला गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे के आनन्दनगर रेलवे स्टेशन के 24 किलोमीटर दक्षिण में लाल बहादुर शास्त्री नगर में हाल्ट स्टेशन खोलने में असफलता। | ,, |
| | 701. | | गोरखपुर जिले में पूर्वोत्तर रेलवे के सिसवा बाजार रेलवे स्टेशन के उत्तर में गुरली के निकट एक हाल्ट स्टेशन का निर्माण करने में असफलता। | ,, |
| 1 | 771. | श्री भोगेन्द्र झा : | रेलवे बोर्ड को भंग करने में असफलता। | राशि को घटा कर 1 रु० किया जाये। |
| | 772. | | प्रत्येक जोन में रेल कर्मचारियों की केवल एक यूनियन बनाने में असफलता। | ,, |
| 1 | 783. | | रेलों से मालों और सामानों की चोरी रोकने में असफलता। | ,, |
| | 784. | | पूर्वोत्तर रेल मजदूर यूनियन (पंजीकृत) को मान्यता न देकर अपंजीकृत यूनियन को मान्यता देना। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 785. | | रेलवे के प्रबन्ध में मजदूरों को शामिल किये जाने की आवश्यकता। | राशि को घटा कर 1 रु० किया जायें |
| | 786. | | वातानुकूलित के अलावा रेलगाड़ियों में सिर्फ एक दर्जा रखना और प्रथम दर्जे को समाप्त करने की आवश्यकता। | ,, |
| 2 | 798. | | पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में सीतामडी-जयनगर-लोकहाबाजार के बीच लाइन बिछाने की आवश्यकता। | राशि में 100 रु० कम किये जायें। |
| | 799. | | पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में निर्मली-थरभिट्टा स्टेशनों को रेल लाइन द्वारा जोड़ने की आवश्यकता। | ,, |
| | 800. | | पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर-दरभंगा लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य में विलम्ब। | ,, |
| | 801. | | पूर्वोत्तर रेलवे के दरभंगा-रकसोल रेल लाइन को बड़ी लाइन बनाने का निर्णय लेने में विलम्ब। | ,, |
| | 802. | | पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के झंझारपुर-लोकहा रेल लाइन को चालू करने में विलम्ब। | ,, |
| | 803. | | पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में सकरी-हसनपुर लाइन को स्वीकृति देने में विलम्ब। | ,, |
| | 804. | | पूर्वोत्तर रेलवे में मुजफ्फरपुर-बाराबंकी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में विलंब। | ,, |
| | 805. | | समस्तीपुर-नई दिल्ली जयन्ती जनता को दैनिक ट्रेन बनाने की आवश्यकता। | ,, |
| | 806. | | हावड़ा से समस्तीपुर के बीच एक नयी डाक गाड़ी चलाने की आवश्यकता। | ,, |
| | 807. | | रांची और समस्तीपुर के बीच एक सीधा शायिका डिब्बा लगाने की आवश्यकता। | ,, |

***श्री अजीत कुमार साहा** (विष्णुपुर) : रेल मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि हम अंधेरे से रोशनी की ओर जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यदि रेल कर्मचारियों के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया जाये तो रेल की आय में काफी वृद्धि हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि रेलवे में बहुत भ्रष्टाचार है। रेल कर्मचारियों के सहयोग से होने वाली चोरियों से देश को बहुत नुकसान होता है। कुछ उद्योगों को भाड़े संबंधी रियायतें भी दी गयी हैं। इससे भी प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपये की हानि होती है। धनबाद तथा आसनसोल डिवीजनों में सब से अधिक चोरियां होती हैं।

**Shri Darbara Singh** (होशियारपुर) : Discussion on railways is going on but no member of the Railway Board is present.

**उपाध्यक्ष महोदय** : दुःख की बात है माननीय सदस्य मेरी बात नहीं सुन रहे। मुझे खेद है कि श्री दरबारा सिंह ने यह प्रश्न उठाया है कि रेलवे बोर्ड का कोई भी सदस्य यहां उपस्थित नहीं है। हर बात के लिये मंत्री उत्तरदायी तथा ज़िम्मेदार है। अतः इस प्रश्न को पुनः नहीं उठाया जाना चाहिये।

**श्री अजीत कुमार साहा** : रेल की चोरियों से प्रति वर्ष 22 करोड़ रुपये की हानि हो रही है। रेल अधिकारियों को निशुल्क सेलूनें उपलब्ध करने से भी बहुत हानि हो रही है।

20 प्रतिशत रेलवे वैगन बेकार पड़े रहते हैं। जिसके फलस्वरूप देश को प्रतिवर्ष 130 करोड़ रुपये की हानि होती है। लगभग सभी स्तरों पर 5 प्रतिशत लोग कोई काम नहीं कर रहे। इससे भी प्रतिवर्ष 39 करोड़ रुपये की हानि हो रही है।

सरकार का कहना है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबों के हित में बहुत काम किये जायेंगे। लेकिन सरकार दावे कुछ करती है और करती कुछ और है। लेकिन वास्तविकता यह है कि 35,000 नैमितिक कर्मचारियों की छटनी की गयी है। कुछ कर्मचारी रेलवे में काम तो करते हैं लेकिन उन्हें रेल कर्मचारियों के रूप में मान्यता नहीं दी जाती। ऐसे सब कर्मचारियों को रेल कर्मचारियों के समान समझा जाना चाहिये।

खानपान तथा किताबों की दुकानों के ठेकों आदि के आवंटन के मामले में भी काफी भ्रष्टाचार होता है। ठेके लेने वालों को काफी रिश्वत देनी पड़ती है। रेल मंत्री ने आश्वासन दिया है कि ऐसे सभी रेल कर्मचारियों को जिन्होंने हड़ताल में भाग तो लिया लेकिन उनके प्रति कोई हिंसा अथवा तोड़-फोड़ की कार्यवाही के आरोप नहीं हैं; काम पर वापिस लिया जाएगा लेकिन इस आश्वासान के बावजूद भी काफी संख्या में रेल कर्मचारियों को काम पर वापिस नहीं लिया गया। रेल विभाग लाखों निर्धन कर्मचारियों के जरिए चल रहा है। उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार किया जाना चाहिये।

**Shri Bibhuti Mishra (Motihari)** : I support the demands presented by the Railway Minister. Minister said that special attention will be paid towards economically backward areas while taking decision in regard to laying down new railway line. He also said that scheduled castes and scheduled tribes people will be given special incentives in the matter of appointments and promotions. These assurances should be implemented.

---

*** बंगला में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद को संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर**

**Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.**

An assurance reg. diversion of Gorakhpur-Muzaffarpur line *via* Betiah and Motihari, should be implemented. A new line from Muzaffarpur to Motihari should be started. Commitments given by the former Railway Minister should be fulfilled by the present Railway Minister.

Freight charges on foodgrains have been increased. It will bad to increase in the prices. Commodities of cultivator's use should be transported on concessional rates.

Bridge at Chitauni should be constructed and completed at the earliest. Government should see that this railway line is started as early as possible.

North Bihar should be linked with South Bihar by railway line which will fulfil the demand of the population of 5 crores.

The cases of those employees who were terminated from service on charges other than those violence or sabotage, should be looked into. Many employees participated in the strike under the influence of other striking employees. They should be reinstated after taking necessary undertaking in writing. Most of them belong to Samastipur Division.

Claims against Railways have been increasing considerably. Causes for thefts should be identified.

The town of my constituency is divided by a railway station and there is neither an underground nor overbridge which is very essential. Financial assistance should be given to Bihar Government as a special case for this purpose.

Himachal Pradesh is a backward state and the late Railway Minister's assurnace in regard to laying down railway lines there, should be fulfilled.

The book stalls on railway stations should be allotted to unemployed graduates.

It is a matter of satisfaction that an office of the Railway Service Commission has been opened at Muzaffarpur. The Railway Service Commission should be re-organised and it should include only just and impartial persons who could serve the Railways with efficiency and integrity.

The Assam Mail should be extended to touch Muzaffarpur. Sincere attention should be paid to the petty grievances of the public and if there are some difficulties, they must openly tell the public.

It is pointed out that allocation made for south has been diverted to North. The condition of North Bihar and Eastern U. P. is very bad in the matter of railway lines. Broad-gauge line should be laid there so that people could take journey to cities like Bombay, Calcutta and Madras. A broad gauge line from Muzaffarpur to Gorakhpur via Motihari and Raxaul and one other line from Muzaffarpur to Gorakhpur *via* Motihari and Betiah must be laid down.

**Shri Ramavatar Shashtri (Patna) :** I hope necessary action will be taken about the welfare of workers and development of workers and develpment of railways for which I gave a cut motion.

Members of all parties have been demanding the winding up of the Railway Board for no action has so far been taken in this direction. The Railway Board has been following anti-labour policies. People do not know anything about the murder of late Shri Mishra at Samastipur. People are suspecting the complicity of Railway Board in that conspiracy to murder Shri Mishra. The Railway Board must be wound up and if not, at least, the Railway Minister should take up the charge of chairmanship of the Railway Board.

It is clear from the figures of the Government that there are still 2024 permanent labourers and 9165 casual labourers who have not been re-instated so far but All India Railway Employees Confederation has intimated that about 2900 permanent labourers and 12529 casual labourers are still out of service.

The Railway workers had been on strike for the last 55 days in Arrah-Sahasram Branch line. They want enforcement of Third Pay Commission recommendations. All the branch lines should be taken over by the Government.

Some employees belonging to the Railway workers union of N. F. Railway are yet to be taken into service. Similarly 56 persons of Eastern Railway have not been taken back. All such cases should be looked into.

Confederation want that dismissed employees should be taken back immediately all oppressive orders should be withdrawn and six point demands of the railway workers should be accepted.

Pilferage of goods is going on, on a large scale. This is going on with the connivance of RPF. Complaints are made but no action is taken.

The railway administration should give recognition to the All India Railway Employees Confederation and Indian Railway Workers Federation. Now coming to the catering system in Railway I fail to understand as to why Railway Department feel shy in introducing departmental catering. It is self contradictory that on the one hand the ruling party is talking about socialism while on the other hand the majority of hon. Member belonging to the ruling party are advocating for private contractors. I am stating from my personal knowlege that in Katihar 20 Canteens are still being run in the name of a contractor, who had died 20 years ago. The railways should look into the matter. Catering in railways should be taken over by the department. The contractor system should be done away with. This would ensure better food and service to the passengers.

I had been to Bikaner in the recent past. I addressed a meeting there of the workshop workers. I was surprised to note that there was no arrangment for drinking water in the quarters of the railway employees. They are in great difficulty. The matter should be looked into and necessary arrangement for drinking water should be made.

Jaipur is the capital of Rajasthan and Bikaner is also an important city of that State. But there is no direct train service between Jaipur and Bikaner. There should be a direct train from Jaipur to Bikaner, because Bikaner is an important city and it must be linked by the State Capital.

My next submission is that casual labourers should be made regular. Some of them are being given all the facitlities of regular employees, then what is the difficulty in the way of making them regular.

My hon. friend Shri Mishra has rightly said that the bridge on Ganga at Patna should be constructed as early as possible. The bridge is absolutely necessary for the development of Bihar. As the survey in this regard has already been completed, so it should be constructed without any further delay.

So far as Patna Station is concerned it was stated by late Shri L. N. Mishra that an amount of Rs. 2 crores has been sanctioned for the expansion thereof. But work has not started so far. Though it was decided that "Patna City Station" be renamed as "Patna Sahib", but this has not so far been done. My submission is that Patna Junction should be renamed as Pataliputra and I hope the hon. Railway Minister would agree to my proposal.

There is no zonal office of railway in Bihar. It was assured by the late Shri L. N. Mishra that a zonal office would be set up in Bihar. So a zonal office should be set up in Bihar, either in Darbhanga, Danapur, South Bihar or at any other place. This is a long standing demand of the people of Bihar.

The problems of the daily passengers are countrywide. Something must be done to tackle their problems who had always to travel in over crowded trains. This is particularly so in the Patna-Gaya Section. There should be double lines as also more trains to meet the heavy rush of passengers.

**Shri Darbara Singh** (Hoshiarpur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, our railway system is second in the world. It comes next only to U.S.S.R. But our railway system needs certain changes to meet the present situation. The railway Act was enacted in 1905 and since then many changes have taken place and it is high time that this Act is amended to suit the present needs and requirements of the country. The railway system should not be allowed to remain static.

The railways have been spending 70% of their budget on establishment and 20% on fuel and thereby only 10% is left for undertaking development. Is it possible to undertake development works in this paltry amount. After all we need many for laying new railway lines and introducting new railway trains. How this amount can be adequate for the development of railways in all directions and how the railways can be run on commercial lines under these circumstances ? Something must be done in this regard.

I want to know whether any policy has been finalised regarding rationalisation of new railway lines. There are numerous missing links in the railway line and that adversely affects the financial position of the railways. If all the missing links are constructed, then unremunerative lines would also become remunerative and they would give us some return. This matter needs consideration.

This is a matter of great satisfaction that an amount of about Rs. 50 crores has been spent on the education, health, sanitation, canteens and other welfare plans of the railway employees. I am not against these welfare activities and I appreciate this goodwill gesture on the part of the railway administration, but at the same time I appeal that all those railway employees who are not charged with the activities of violence and sabotage should be taken back in service. These cases should be settled departmentally without dealay. If these are allowed to linger on, the department alone would suffer.

It is no more any secret about the railways that any body can get a berth without any previous reservation, provided he is ready to pay Rs. 5 more. This is a very sorry state of affairs. Railway employees who indulge in corrupt practices should be severely dealt with. Thousands of persons travel without tickets with the help of their friends and relatives in the Railways. This should be checked.

My hon. friend Shri Ramavatar Shastri has also drawn the attention of the hon. Railway Minister about wide-spread corruption in Railways. The incidents of thefts are going up despite the fact that an amount of Rs. 27 crores and 62 lakhs is spent on railways. I fail to understand why this is so. This clearly indicates that the R. P. F. personnel are involved in these cases and they are in league with the thieves. Some thing must be done in this regard.

So far as the Railway wagons are concerned, I want to point out that it was decided that during the fifth five year plan one lakh wagons would be manufactured But this year the Government had given orders for 4,000 wagons only. In this way during the five years only 20,000 wagons would be manufactured which is very small number taking into consideration the load that has to be carried. Railways has to transport coal, food, cement, fertilizers and so on and if the number of wagons is not increased, it would create difficulties and the railways would also be running in loss. I am of the opinion that instead of contributing 4% to the general revenues, the railwas should spend that amount on things like wagon building and maintenance.

There are seventeen lakh railway employees but there is utter lack of supervision on the work of these employees. The staff take things easy and do not attend their duty properly. The Ministers should themselves see these things by making surprise visits.

It is not understood as to why the office of Public Service Commission for Northern Railway has been located too far away. Delhi, Rajasthan, Jammu & Kashmir, Rajasthan, Haryana and Punjab are covered by the Northern Railway, but the office of the Public Service Commission has been located at Allahabad. This should have been at Delhi, Chandigarh or at Jullundur or at some other central place.

It is most regrettable that some areas continue to be neglected in the matter of providing new railway lines. During the last 27 years new railway lines have not been provided in those areas though railway lines are badly needed there. We hear people putting forward demands for extension of railway lines from this place to that place and conversion of this gauge into that and so on, but the railway administration never seems to be bothered about those areas which have no railway lines. To quote a example while performing an inaugural ceremoney on 22nd December an assurance was given by late Shri L. N. Mishra that Talwara-Nangal railway line would be completed within four years. But nobody knows as to what is being done about it. It should not be put off on the excuse of lack of finances. The assurances of the Ministers must be fulfilled.

The Bhatinda-Delhi line was laid in the old days of the British rule. There had been no addition or alteration in that. In that railway line Kirtarpur is a station which is of great importance both for Himachal Pradesh and Punjab. At this station the train halts only for a minute. This causes a lot of inconvenience to the travelling public. The halting time should be increased.

Nagal is an important station. There the goods lie uncovered. A shed should be provided at Nagal Station so that the goods lying there are not damaged.

The railway link to Hoshiarpur has been left at the same place, where it was in 1947. Hoshiarpur is an important station. It should be given proper railway connection. At present its only link is with Jullundur. The people of this area are known for their services in the military and police and they have made sacrifices for the country. It would be fair and just if their demand for providing the missing link between Hoshiarpur and Gorahshankar is conceded.

**श्री था किरूतिनन** (शिवगंज): मैं आशा करता था कि माननीय मंत्री रेलवे की समस्याओं के समाधान के लिये कुछ न कुछ अवश्य करें, परन्तु उन के भाषण से मुझे बड़ी निराशा हुई है ।

मंत्री महोदय ने कल कहा था कि यदि हम रेलवे बोर्ड को समाप्त कर देते हैं तो उसके लिये स्थान पर विकल्प अवश्य होना चाहिये । जब तक इसके विकल्प की व्यवस्था नहीं की जाती, इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है । मेरा सुझाव यह है कि हम रेल बोर्ड के स्थान पर एक अधिक शक्तिवाला स्वायतशासी निगम अथवा क्षेत्रीय निगम स्थापित कर सकते हैं । वह रेलवे के किराये तथा भाड़े के युक्तियुक्तकरण की बात को करते हैं परन्तु प्रशासन अथवा रेल कर्मचारियों के वेतन ढांचे के युक्तियुक्तकरण की बात नहीं करते । युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया ऊपर से आरंभ होनी चाहिये ।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि रेलवे बोर्ड को सुसंगत बनाया जाये तथा इसमें वित्तीय आयुक्त सहित छः से अधिक सदस्य न हों एवं अतिरिक्त सदस्यों के पदों को समाप्त किया जाये। परन्तु इसके गठन से प्रतीत होता है कि यह बढ़ता जा रहा है । इसमें 11 पूर्णकालिक तथा अतिरिक्त सदस्य हैं जिनकी सहायता करने के लिये 39 निदेशकों तथा अनेक अतिरिक्त निदेशों और अधिकारियों का एक बड़ा भारी दल मौजूद है । रेलवे को लन्दन, पैरिस, बोरनियो, टोकियो और बोन में अपने परामर्शदाता रखने की क्या आवश्यकता है, जब कि उपकरणों के लिये आदेश देने हेतु नई दिल्ली से विशेष दल वहां जाते रहते हैं ।

रेलवे की स्थिति यह है कि एक स्थान पर तो माल डिब्बे खाली पड़े रहते हैं और दूसरे स्थान पर माल डिब्बों की भारी कमी होती है । रेलवे बोर्ड के सदस्यों को रेलवे को कुशलता से चलाने की पूरी जिम्मेदारी अपने पर लेनी चाहिये तथा इस संबंध में सभी निर्णय करने चाहियें । उन्हें रेलवे की कमियों के लिये महाप्रबंधकों और अधीक्षकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिये । वस्तुत: स्थिति यह है कि छोटे-छोटे निर्णय कि अमुक कैन्टीन में इडली की व्यवस्था की जाये अथवा दोसे की अथवा किसी अन्य वस्तु की, भी रेलवे बोर्ड द्वारा किये जाते हैं । जब स्थिति यह है तो रेलें ठीक ढंग से कैसे चल सकती हैं । शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये ।

विविध व्यय के अन्तर्गत बजट में कर्मचारियों को देय बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान की व्यवस्था नहीं की गई है । बढ़े हुए महांगई भत्ते की चार अपेक्षित किश्तों पर 162 करोड़ रुपये की राशि लगेगी । तीन किश्तों के बारे में बातचीत चल रही है । वृद्धि के कुछ भाग को जमा करने के बाद भी इस के लिये लगभग 40 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी ।

बजट में कोयले के मूल्य में वृद्धि तथा खपत में वृद्धि के कारण 23 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है । कोयले के मूल्य में वृद्धि की संभावना को देखते हुए यह राशि बहुत कम प्रतीत होती है ।

बजट के साथ दिये गये आंकड़ों से प्रतीत होता है खाद्यान्नों के भाड़े में वृद्धि होने के बावजूद भी पिछले वर्ष की अपेक्षा रेलवे के सामाजिक दायित्व इस वर्ष अधिक हैं । इसका मुख्य कारण कोचिंग सेवाओं में हो रहा बढ़ता हुआ नुकसान है । इस का कारण यह है कि मुख्यत: यात्री ही इस में जाते हैं । वर्ष 1974-75 में जानबूझ कर इससे 150 करोड़ रुपये अधिक रखा गया है । गत दो वर्षों में खराब काम करने के कारण रेलवे पर 394 करोड़ रुपये का ऋण चढ़ गया है ।

माननीय मंत्री ने कहा था कि जिन कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा, तोड़-फोड़ आदि के आरोप नहीं हैं, उन के मामलों को वापस ले लिया जायेगा और उन्हें नौकरी में बहाल कर दिया जायेगा । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस बात का निर्णय कौन करेगा कि अमुक कर्मचारी ने हिंसा और तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों में भाग लिया । इस का निर्णय स्थानीय अधिकारी ही करेंगे, जिन के मन में पहले ही कर्मचारियों के प्रति द्वेष है । अत: मैं निवेदन करता हूं कि मंत्री महोदय को स्थानीय कर्मचारियों पर निर्भर नहीं होना चाहिये । सभी मामलों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार किया जाना चाहिये ।

दक्षिण की अवहेलना किये जाने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । भूतपूर्व रेल मंत्री श्री हनुमन्तैया ने रेलवे प्रशासन पर आरोप लगयाया था कि दक्षिण के लिये नियत राशि में से छ: करोड़ रुपये उत्तर के लिये इस्तेमाल किये गये । माननीय मंत्री ने इस बात का खंडन किया है, परन्तु यदि हम रद्द की गई गाड़ियों की संख्या पर विचार करें तो ज्ञात होता है कि दक्षिण में 50 प्रतिशत से अधिक गाड़ियों को रद्द किया गया है । क्या यह दक्षिण की अवहेलना करना नहीं है । सभी रद्द की गई गाड़ियों को पुन: चालू करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये ।

जहां तक लोको कर्मचारियों की समस्याओं का संबंध है हड़ताल के दौरान लोको कर्मचारियों को अनेक आश्वासन दिये गये थे । श्री कुरेशी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी । इस समिति की हर महीने बैठकें हो रही हैं, परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है । इन आश्वासनों को पूरा करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये ।



18 Lss/75—16

रेलवे कर्मचारी मांग करते रहे हैं कि उनके लड़के-लड़कियों को रेलवे में रोज़गार दिया जाये। रेल प्रशासन ने उत्तर दिया है कि "संविधान" इस बात की अनुमति नहीं देता। हाल में हड़ताल के बाद रेलवे प्रशासन द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया था कि तथाकथित वफादार कर्मचारियों के लड़के-लड़कियों को रेलवे में नौकरी दी जाये। क्या संविधान इस की अनुमति देता है ?

मैं इंटैग्रल कोच फैक्टरी, मद्रास और गोल्डन रांक वर्कशाप के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यह बड़े खेद की बात है कि रेलवे प्रशासन डिब्बों के निर्माण के प्रति बड़ा अपेक्षा पूर्ण रवैया अपनाये हुए हैं। हज से रेलवे में श्रमिक संम्बधों पर कुप्रभाव पड़ रहा है। डिब्बे निर्माण का कार्य पूर्णतया सरकारी क्षेत्र में होना चाहिये तथा यह कार्य केवल रेलवे वर्कशापों को सौंपा जाना चाहिये। दक्षिण की एकमात्र डिब्बे बनाने वाली इंटीग्रल कोच फैक्टरी का जीवन खतरे में है, क्योंकि एम०जी० डिब्बों के निर्माण का कार्य वहां से हटाकर उत्तर के किसी नगर में ले जाने का विचार है। रेलवे की इस द्वेषपूर्ण योजना को रद्द किया जाना चाहिये।

रेलवे बोर्ड के वर्तमान अफसरशाही ढांचे को समाप्त किया जाना चाहिये तथा इस के स्थान पर स्वायत्तशासी निकाय होनी चाहिये।

रेलवे कमचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम और बोनस अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अधीन लाया जाना चाहिये। सरकार को उन की उचित मांगों को स्वीकार करना चाहिये। रेलवे प्रशासन की यह भी जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों को सभी आवयश्क वस्तुओं की सप्लाई उचित दर पर सुनिश्चित करे ताकि उन्हें बढ़ती हुई कीमतों में कुछ राहत मिल सके।

मद्रास और ओरकोणम और मद्रास और गुडूर स्टेशन की विद्युतिकरण परियोजनाओं को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। क्या इन परियोजनाओं को छोड़ दिया गया है ? इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने तथा लागू हो जाने से कई योजनाओं को लाभ होगा। इनसे उत्तर और उत्तर पूर्व से मद्रास को आने वाले यात्रियों को भी लाभ होगा तथा साथ ही मद्रास नगर में भीड़-भाड़ भी कुछ कम होगी।

अनाज पर लागू की गई नई भाड़ा दरों को वापिस लिया जाये। अनाज पर भाड़े की दरों में वृद्धि करने का यह उचित समय नहीं है, क्योंकि दक्षिण बुरी तरह सूखे से पीड़ित है और भारी मात्रा में गेहूं को उत्तर से दक्षिण में ले जाने की आवश्कता है।

पहले यह निर्णय किया गया था तिरूनलवली और कन्याकुमारी नई लाइन युर्वदी हो कर गुजरेगी। बाद में चूंकि दबाव डाला गया, इसलिये उस निर्णय को बदल दिया गया है। इस लाइन में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये तथा यह नई लाइन युर्वदी हो कर गुजरनी चाहिये।

**श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** (गौहाटी) : माननीय रेल मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने रेल बजट में जो बचत दिखाई है, वह केवल भ्रामक है। इसमें उन्होंने रेल कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की उन तीन या चार अतिरिक्त किशतों की राशि नहीं दिखाई गई है, जिसके भुगतान से 40 करोड़ रुपये से अधिक राशि का भार बढ़ेगा तथा ईंधन की लागत भी उस से कहीं अधिक हो जायेगी, जिसका अनुमान लगाया गया है। इसमें भी संदेह है कि कि हम भाड़े के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

हम गत दस वर्षों से देखते रहे हैं कि हालांकि रेल मंत्रालय में हर प्रकार के विशेषज्ञ मौजूद हैं, तथाहि हर बार उनके अनुमानित आंकडे गलत साबित हुए हैं। हमेशा यही कहा जाता रहा है कि औद्योगिक और कृषि उत्पादन में स्थिरीकरण के कारण रेलवे की आय में कमी हुई है। यह हो सकता है कि रेलवे की वित्तीय स्थिति औद्योगिक और कृषि उत्पादन में स्थिरिकरण के कारण खराब न हुई हो अपितु रेलवे के गत्यावरोध के कारण औद्योगिक और कृषि उत्पादन में स्थिरता आई हो ।

रेलवे की वित्तीय स्थिति खराब होने का पहला मुख्य कारण यह है कि रेलवे द्वारा ढोये जाने वाले माल की मात्रा में कमी आती रही है । रेलवे द्वारा ढोये जाने वाले माल की मात्रा में कमी होने का क्या कारण है ? रेलवे के आंकड़ों से स्पष्ट है कि भाड़े से होने वाली आय में कमी का कारण सड़क परिवहन है । जहां पहले रेल के द्वारा एक स्थान से दूसरी जगह वस्तुएं भेजी जाती थीं, वहां अब ट्रकों और अन्य सड़क परिवहनों द्वारा माल भेजा जाता है ।

रेलवे को होने वाली हानि का दूसरा मुख्य कारण मुआवज़े का बढ़ता हुआ बिल है । रेलवे सुरक्षा दल पर भी अधिक धन व्यय किया जाता है । रेलवे को रेलवे सुरक्षा बल के व्यय को कम करना चाहिये तथा उस के कर्मचारियों की संख्या कम कर देनी चाहिये, उस से रेलवे द्वारा दिये जाने वाले मुआवज़े की राशि भी कम हो जायेगी, क्यों हर जगह रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी चोरी करने वाले के साथ मिले हुए हैं ।

मैं रेलवे प्रशासन पर एक और गंभीर आरोप यह लगा रहा हूं कि रेलवे प्रशासन स्वयं सड़क परिवहन से मिला हुआ है । रेलवे और सड़क परिवहन संचालकों की मिली भगत है । रेलवे स्वयं सड़क परिवहन संचालकों को अधिक से अधिक यातायात प्रदान करती है । पूर्वोत्तर क्षेत्र में जगह जगह पर गाड़ी बदलने के कारण उस क्षेत्र में माल यातयात बहुत घट गया है। इसी कारण से क्योंकि जगह-जगह गाड़ियां बदलनी पड़ती है चाय अथवा पटसन का कोई भी उत्पादक अपना माल रेल के द्वारा नहीं भेजना चाहता। रेल प्रशासन को यह प्रयास करना चाहिये कि माल वाहन में मार्ग में बार बार गाड़ियां न बदलनी पड़ें। गोहाटी को बड़ी लाइन के साथ मिलाया जाना चाहिये । परन्तु पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया है कि न्यू बोंगईगांव को गोहाटी के साथ सड़क द्वारा मिलाया जाये । पूर्वोत्तर रेलवे के इस प्रस्ताव से यह स्पष्ट है कि रेल प्रशासन सड़क परिवहन से मिला हुआ है ।

हमारी योजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय असन्तुलन समाप्त करना रहा है । आप यह कार्य पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कर सकते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए, नई लाईनें बनायी गयी हैं। गत कुछ वर्षों में ऐसी लाइनों का काम हाथ में लिया गया है जो कि बाद में लिया जा सकता था इसका परिणाम यह हुआ ह कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं हो सका है : आसाम को देश के अन्य भागों से बड़ी लाईन से जोड़ने के काम में ठीक कार्य नहीं किया गया है। और धन के अभाव की बात कही जाती है ।

मुझे खेद है कि संसद सदस्यों को दिये जाने वाले आश्वासनों को पूरा नहीं किया जाता । श्री ललित नारायण मिश्र ने यह आश्वासन दिया था कि रंगिया डिवीजन को स्थापित किया जायेगा, परन्तु यह नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में हमें बहुत कठिन स्थिति का सामना करना पड़ता है ।

सलाहकार समिति की बैठक में मुझे दो आश्वासन दिये गये थे परन्तु वे पूरे नहीं किये गये हैं। रेलवे बोर्ड के अधिकारों को जनता को उत्तर नहीं देना होता है। हमें जनता को सन्तुष्ट करना होता है। मंत्री महोदय इस विषय का स्पष्टीकरण करें।

**श्री पी० जी० मावलंकार** (अहमदाबाद) : इस संबंध में संसद की समिति है जो यह देखती है कि क्या सरकार ने यहां पर दिये आश्वासनों को पूरा किया है अथवा नहीं। माननीय सदस्य उस समिति के समक्ष ये बातें रख सकते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मेरे विचार में उक्त समिति सभा में दिये गये आश्वासनों पर विचार करती है। परन्तु सभा से बाहर दिये गये आश्वासन भी पूरे किये जाने चाहियें। मंत्री महोदय इस संबंध में कुछ कह सकते हैं।

**श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : दूसरा आश्वासन तो यहां सभा में दिया गया था। एक आश्वासन उत्तर-पूर्वी सीमान्त रेलवे के लिये सेवा आयोग की स्थापना के बारे में था। अब कहा जा रहा है कि धन का अभाव है। अब क्या हो रहा है ? रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी अपने निकट के संबंधियों को रेलवे में भर्ती करा रहे हैं। योग्य और सेवा पाने के पात्र व्यक्तियों को नहीं रखा जाता है।

रेल हड़ताल में जिन कर्मचारियों ने भाग नहीं लिया उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये। सभी कर्मचारियों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये। यह हमारा कर्तव्य है कि सरकार को वास्तविक स्थिति से अवगत करायें। आज उत्तर-पूर्व भारत का युवा वर्ग बहुत अधीर हो रहा है। उनकी कठिनाइयां दूर की जानी चाहियें।

**Prof. S. L. Saksena (Maharajganj) :** Sir, I had my doubts about the Railway Budget. I feared that it would involve heavy deficit, but it was not like that. I congratulate the hon. Railway Minister for that.

I am very glad to hear to certain observations of the Minister.

He has assured the employees that the break in their service would be condoned. I would like the hon. Minister to set up a machinery that would look into the cases of these poor employees.

Another point made by him is about construction of new lines in backward areas. I come from one such area. A line from Gorakhpur to Maharajganj via Nichlol, Thuntibari, Chhitauni Bridge be constructed. This line will go long way in improving the condition of this area.

An assurance was given that some halts would be provided in District Gorakhpur. That assurance should be fulfilled.

A new policy has been adopted in the matter of catering. All the old contractors have been removed. I am not in favour of this policy. Those persons who have good record should not be removed. Rail travel is not safe these days. Ticketless travel is very common. This menace should be checked.

The cases of thefts of railway property are on the increase. I can say that R.P.F personnel have a hand in this. This is not protection force but destruction force.

Government had promised to give some benefits to the railway employees. This assurance should be fulfilled. More facilities should be provided to the passengers. More coaches should be added to the trains so that overcrowding is not there. The trains should be run punctually.

**Shri C. D. Gautam (Balaghat) :** Sir, I want to submit that most of lines of the South Eastern Railway are Madhya Pradesh but its headquarter is in Calcutta. It is the demand of the people of the state that this office should be shifted to Raipur or Bilaspur in Madhya Pradesh.

An assurance was given that the narrow gauge line between Jabalpur and Gondia would converted into broad gauge. This line would link North with South. Keeping in-view this important aspect this conversion of line should be taken up immediately. Further, this is a tribal area. It will help in the uplift of this backward areas. This line will help in the movement of enormous raw material and timber which is available in plenty there.

New railway lines should be laid in the backward areas of Bastar in Madhya Pradesh. I have demanded that a few halts should be provided in Jabalpur area.

The head office the Railway Service Commission is located at Calcutta. The result is that the people of the state of Madhya Pradesh do not get employment opportunity. I request that this office should be shifted either at Bilaspur or at Raipur.

Another point I want to make is that another first class bogie should be attached with the Howrah-Bombay Mail. It will help the passengers boarding train from Nagpur.

**श्री बालकृष्णैया** (तिरुपति) : रेलवे बजट की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुये और यह मानते हुये कि रेलवे देश का सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है मैं यह आशा करता हूं कि यह अपनी आय बढ़ायेगा। यात्री जनता की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई है। इसलिये आय में भी वृद्धि होनी चाहिये थी।

रेलवे, युद्ध काल में शान्ति काल में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना होता है। इसे सूखे की स्थिति में राहत का सामान पहुंचाना होता है।

तिरुपति एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। बहुत बड़ी संख्या में यात्री वहां पर देश के सभी भागों से आते हैं। उन्हें बसों में यात्रा करनी पड़ती है क्योंकि रेल की सुविधा न के समान है। सरकार को तिरुपति से काटपदी तक छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदलना चाहिये। इससे दिल्ली से मैसूर जाने वाली जनता को भी सुविधा हो जायेगी। उसे मद्रास नहीं जाना पड़ेगा।

रेलवे को अधिक संख्या में ऊपर के पुल बनाने चाहियें। इसकी तिरुपति में बहुत आवश्यकता है। 1972 में रेलवे मंत्री ने आश्वासन दिया था, परन्तु अभी तक वह पूरा नहीं किया गया है। इससे यात्रियों को बहुत सुविधा होगी।

दक्षिण भारत की रेल प्रशासन उपेक्षा कर रहा है। दिल्ली से कलकत्ता और बम्बई तक राजधानी एक्सप्रैस गाड़ियां चलाई गई है। परन्तु हैदराबाद के लिये ऐसी गाड़ी नहीं चलाई गई है। ऐसी एक गाड़ी मद्रास के लिये भी चलाई जानी चाहिये। आंध्र प्रदेश में और नई लाइनें बनाई जायें। जी० टी० एक्सप्रैस में उपलब्ध करायी जाने वाली खाद्य सामग्री ठीक नहीं होती है। इसमें आवश्यक सुधार किया जाये। यात्रियों को इसमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

**Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) :** Sir, I do not agree with the Railway Minister's contention that he has in his Budget spared the common man. Actually a burden of 39 crore rupees has been put on him. It is correct that passenger fares have not been increased. It is so because there is no scope of increasing them now.

Railways are our national property. It should be used in such a way that equal benefits are derived by all. Government has done away with the third class and in its place second class has been created. It has not resulted in any improvement. The trains are very much crowded. I sugget that Government should issue as many tickets as are seats in the trains. If Government is not able to provide adequate number of trains it should arrange for road transport.

I suggest to the Railway administration that it should prepare a time bound programme and follow it strictly.

The policy regarding granting recognition to the railway employees union should be reviewed. The system prevalent in P and T Department should be followed. The categories of staff which are not organised should be given sympathetic consideration.

Former Railway Minister had issued an order that the vendors who had completed six year their contract would stand terminated automatically. I am sorry that he is no more in this world now. But I want to say that this is not good policy. These are small contractors. They should not be deprived of their livelihood.

Much has been said about backward areas and I also want to draw your attention towards Gwalior-Shivpuri-narrow gauge line which should be converted into broad-gauge line and extended upto Guna because the entire area is economically backward and people there feel neglected.

I have seen that whereas much has been done by the Western Railway to redress the grievances of commuters, the Central Railway has hardly done anything. Therefore, at least one more train should be introduced to Bombay via Gwalior.

There should be a forum to receive consider and remove the difficulties of commuters The Ministry's Consultative Committee can serve as such a form but questions like extending the Delhi-Palwal Shuttle to Agra and back cannot be discussed there. Nor can this be discussed that why pass facility has been denied to Railway employees working at Mathura whereas those working at Kota are enjoying this facility ? Why there are different rules in different Railway Zones? Now the question arises as to where such questions should be raised ? I propose revival of old system of hodling separate meetings with Members of different states alongwith railway officers.

In the end I must say that there is much scope for improvement in services in trains and the Administration should ensure that trains should not run for 750 Members of Parliament but for the common people of the country.

**Shri Mohammad Jamilur Rehman** (Kishanganj) : Mr. Chairman, Sir, I welcome the Budget presented by Shri Tripathi. It is true that the years 1972 and 1973 have been very disasterous for the Railways and some of its own employees harmed the Railways the most. It also hit the country, the people, production and development .

For punctual and proper running of trains, for avoiding pilferage and thefts, for ensuring cleanliness and adequate light and water and proper amenities to the travellers none but the Railway staff is responsible. I feel that the principle of one industry-one Union should be applied in the Railways also as was advocated by the late Shri Mishra. Now there are as many as 700 Unions for each category of railway employees and despite much loss of time in negotiations with all of them agreement cannot be reached because of difference in approach and ideology of each union.

The number of Harijans, Adivasis and Muslims in Railways is almost nil. Despite an assurance given in the House to set up zonal Committees to look into these grievances and submission of a report every six months, no action appears to have been taken despite one year has passed.

The Act governing Railway Board should be amended to make it answerable to the public if you do not want to scrap it altogether. It should be fully subordinate to the Ministry and Parliament.

The works started by the late Shri Mishra should not be suspended and the Nangal Talwara line should be started and completed within four years as promised by him.

Train Services in N.F. Railway have deteriorated and not even a single train runs punctually. Local trains running from Katihar and going towards Siliguri and Jogbani neither run punctually nor have adequate water light and sanitation arrangements. The hon. Minister should ensure that the conversion work on Barauni-Katihar line is taken up immediatel y as the Survey has already been done.

There should be more discipline in R.P.F. so that thefts and pilferages are checked in Railways and claims to the time of 40 crore of rupees are avoided.

The concessions and promises announced by Government during the Railway Strike to loyal employees should be implemented.

I do not know why advertisements are denied to Urdu Newspapers ? I request that this should be done in order to ensure that general public is kept informed of messages of Railways.

A-T. Mail should be halted at Pothia which is a big market centre.

**Shri R. P. Yadav (Madhopura) :** I support the Railway Budget and take this opportunity to pay my homage to the late Shri L. N. Mishra.

It is gratifying to note that this time fares have not been increased and therefore it can be called a Socialist Budget. After many years surplus budget has been presented and for that the hon. Minister deserves congratulations.

I would request the hon. Minister to continue the policy of the late Shri Mishra of laying special emphasis on backward area. The idea of all lines being remunerative is not sound one. The assurance regarding condoning break-in-service of all those striking railway employees not involved in sabotage and violence needs effective implementation. There should be a time-bound programme in this regard.

All trains cancelled during the strike should be re-started. An 8 Km. long strip between Madhopura and Sigheshwar should be provided with a railway-line as a survey has already been conducted. Similarly, Bihariganj-Simri Bakhtiarpur line should also be provided early as its survey is also been conducted.

Baluvaha should be restored as a halt Station as people are facing nuch difficulty.

A panel should be formed of railway lawyers and their performance should be reviewed periodically and changes made, if necessary as it is seen that most of them are looting the railways in collusion with private parties.

The monopoly of M/s. A. H. Wheeler and Co. in respect of bookstalls at Railway Stationsshould be ended and these stalls be allotted to the unemployed persons.

In the end I would reiterate that the principle of one Industry—one union be applied in the Railways and rail-travel should be made more safe and comfortable.

**Shri Bhagirath Bhanwar (Jhabua) :** First of all I would like to say that the assurances given while presenting the Railway Budget every year regarding laying of new lines in backward areas are never fulfilled.

My constituency which is in M. P. is the most backward and railway lines are totally absent there. I am sorry to say that despite completion of survey work in respect of Ratlam-Banswada via Selana and Dohad-Jhabua-Indore lines, their construction has not taken in hand yet. There is a popular demand for a new line for Baroda-Alirajpur-Dhar-Indore. This should b e conceded to bring relief to the people of thiss region.

I congratulate the hon. Railway Minister for not putting any fresh burden on the people this year, but I am afraid supplementary budget would be presented to meet the expenditure.

There is utter lack of basic amenities for the public in trains. It is paradoxical to see that R. P. F. personnel are involved in many thefts and pilferages whereas this force was created to protect railway property and rolling stock.

The late running of trains should be checked as a part from inconvenience to the public it involves unnecessary overtime of running staff.

The hon. Minister should also ensure full employment to Harijans and S.C./S.T. according to quota reserved for them.

The assurance regarding giving employment to the children of loyal employees has not been fulfilled so far. Moreover many suspended employees have not yet been taken back.

Some stations of our area have waiting halls for first and second class passengers but there are no latrines and haltrooms there. These stations are : Meghnagar, Udaigarh and Bamania. Some stations require overbridges also. This should be looked into.

Departure time of the de-luxe to Bombay should be 5-30 P.M. or 6 P.M. The present timings do not suit people who want to leave Delhi after finishing their work in the day.

Steps should be taken to provide railway links in the Adivasi area of Madhya Pradesh. There areas are backward and need all sympathy.

**Shri Swami Brahmanandji (Hamirpur) :** I support the demands of the Railway Ministry.

There are no railway facilites in the backward areas. These areas deserve special attention. The Railway Minister and Members of Parliament from backward areas should sit together and formulate a programme for construction of new lines in backward areas.

Only one class should be there in the railways. All persons irrespective of their status should travel in the same class.

Railway is a big public undertaking. It should not run in losses. We should improve the functioning of the railways so that the deficit in the railways is wiped out. Steps should be taken to check thefts of railway property and corrupt practices in the railways should also be weeded out.

**Shri Madhu Limaye (Banka) :** The Railway Minister in his budget speech made no mention of any steps being taken to amend the old Railways Act. An assurance was given by the former Railway Minister that necessary changes will be made in the old

Act. Under that Act, it is not necessary to seek the approval of the House even if the railway fares are increased so much as to yield a revenue of Rs. 250 crores. In the case of ordinary budget, tax proposals are placed before the House by the Finance Ministry and they became a part of the statute Book only when they are approved by the House. But in regard to Railways, there is no provision of such kind. Therefore, the old Act should be amended to suit the modern conditions.

It is clear from the railway budget that the expenditure of Railways is increasing where as their revenue is declining. One of the reasons for it is that the Railway Ministry charge lesser freight and the movement of foodgrains and coal than what is commercially feasible.

A reference has been made to the social responsibility of the Railways. It is not known as to why the burden is being shifted to the railway workers. If Government want to give subsidy in order to reduce the prices of foodgrains or coal, they should come out and openly make a provision for that. It is not proper to put the burden on a commercial undertaking in the name of social reponsibility. Government should therefore enter into direct negotiations with the Railway Ministry and make a provision in the general budget for that subsidy, the burden of which has been put on railways.

Large number of thefts in the railways is another cause of heavy losses incurred by the Railways. Coal or copper is being stolen in an organised way on a very large scale with the connivance of railway officials and local traders. Even the R.P.F. extend help in these thefts. Some stern measures should, therefore, be taken to stop these thefts. Those who indulge in thefts, also circulate counterfeit currency. Information has been supplied about such persons but no strict action is taken aginst them. It is learnt that a workshop is running at Jamalpur which use the copper stolen from railways. An enquiry should be made about such workshops.

Some references have been made about wagon breaking. Government should have given the detalis of the goods and documents recorded in the raids at Gujhandi and Gurpa in Bihar. Full investigations should be made about the thefts committed between Gaya and Gomoti Railways are paying claims to the tune of crores of rupees every year. Due attention should be paid to this aspect.

A policy decision should be made by the Government that once the case of a railway employee is decided by a court, he will not be harrassed further and that efforts will be made to remove immediately his grievances. Minister has stated that there are only 90 cases pending decision but it can be asked as to why the remaining persons against whom there are no charges of violence or sabotage, have not been re-instated. No action should be taken against those whose cases have been decided by the court. The Railway workers unions, such as All India Railwaymen Federation, N.C.C.R. and such other organisations should be invited for negotiations with a view to removing injustices against the workers.

Policy of dieselisation in railways should be reconsidered. A long term rational policy should be evolved with regard to the use of fuel in Railways.

Many big gaps are there in the entire railway systems. There is no rail link between Bombay and Manglore. The Branch line from Bhagalpur to Bansi should be extended to Deogarh and Tumka for which former Railway Minister has given assurances.

**Shri Nathu Ram Ahirwar** (Tikamgarh) : Rail facilities are needed in the backward areas. Bundelkhand is an area which need special attention in this regard.

A line connecting Jhansi, Lalitpur, Tikamgarh, Chhatarpur, Khajuraho and Mhow is badly needed. This line can go direct to Calcutta. If the line from Jabalpur to Damoh is linked with Chhaterpur, the entire Bundelkhand will be covered. A railway line from Mhow to Khajuraho has been sanctiond. Survey work should be undertaken immediately.

A passenger train runs between Jhansi and Manavpur. This train often run very late which causes a lot of difficulty to the people. Attention should be paid towards this matter.

An express train from Jhansi to Banaras has been demanded, which should be conceded. The Taj express should be extended upto Jhansi.

Lucknow-Bombay Janta train has a bi-weekly service, which should run daily.

The R.P.F. is unable to check theft of railway property. The railways should fix responsibility on R.P.F. for loss of property.

---

**सभापति महोदय** : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

## दिल्ली नगर निगम को देय राशि के बारे में चर्चा

## *DISCUSSION RE : DUES PAYABLE TO DELHI MUNICIPAL CORPORATION

**सभापति महोदय** : अब हम आधे घन्टे की चर्चा को लेते हैं।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Gwalior) : In reply to a question, Government admitted on 19th February, 1975 that the Delhi Municipal Corporation is expecting to recieve payment of its dues amounting to Rs. 12 crores from the Central Government Delhi Administration, NDMC and Delhi Development Authority. Out of this amount Rs. 5 crores is to be received by the Corporation from NDMC as payment for the electricity supplied to it. The Corporation imposed house-tax on properties within its jurisdiction. This tax is received in the form of service charges so far as Government buildings are concerned. The corporation is claiming Rs. 5 crores from the Central Government on this account. This amount is not being paid. The Corporation has to get Rs. 51.5 lakhs from Delhi Administration.

*आधे घंटे की चर्चा

* Half an Hour Discussion.

The Corporation provided fire fighting services in the NDMC area, for which the NDMC has to make payment to the corporation. The NDMC is refusing to make payment on this account. The Central Government has also to give about Rs. 75 lakhs to the Corporation for the expenditure incurred on Jhuggi-Jhonpari schemes.

In September, 1973, the then Lt. Governor who mediated in the dispute pointed out that the matter has been settled. Why is not the decision of the Lt. Governor, being implemented ? NDMC is not paying the money to the Corporation. Why a body nominated by the Central Government is not paying its dutes to the Corporation ?

The budget of the Corporation amounts to Rs. 40 crores out of which Rs. 15 crores is due from the Centre which is not being paid. In this situation, how can the DMC discharge its responsibilities towards citizens of Delhi and also to its employees ?

**सभापति महोदय** : आप केवल व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं ।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : जब वह चाहते हैं तो उन्हें ही बोलने दीजिये ।

Due to wrong policies of the Central Government, the Delhi Municipal Corporation is facing financial crisis. The Corporation tried to increase its income through its own ways and means. But if the Central Government withholds such a big amount, then how the Corporation can function. The Corporation is to receive Rs. 188.24 lakhs from the Ministry of Works and Housing, Rs. 159.24 lakhs from Delhi Administration; Rs. 6.38 lakhs from the Railways; Rs. 79.79 lakhs from Delhi Development Authority and Rs. 65.97 lakhs from different ministries of the Central Government. I request that all the disputes should be settled as early as possible and all the dues should immediately be given to the Corporation. Government claims that they do not discriminate against any party, but these figures belied this claim.

The Hon. Minister should give a categorical reply which may satisfy this House as well as the citizens of Delhi.

**Shri S. M. Banerji (Kanpur) :** No body wants to wind up the Corporation forcibly. According to the enquiry conducted by the C.B.I., there are several cases of corruption in the Corporation. Some of the charges against the Corporation are serious. I want that an open enquiry should be conducted in this regard. It should be asertained whether the Central Government have not paid their dues or there is corruption in the Corporation itself. These all things should be worked into and the guilty persons should be removed. I want to know whether the Government propose to appoint a high powered Commission or Committee to go into it.

इन सब बातों की जांच के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिये। कुछ इस तरह की अफवाह चल रही है कि निगम को भंग कर दिया जायेगा। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी निर्वाचित निकाय को भंग कर दिया जाये। किन्तु राजनीतिक अयोग्यता तथा भ्रष्टाचार के कारण ऐसा किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जांच होनी चाहिये।

**श्री बी० वी० नायक (कनारा)** : प्रश्न यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार, दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नगर निगम को विभिन्न कार्यों के लिये कुल मिलाकर 12,36,39,000 रुपये दिये हैं। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा नई दिल्ली नगर पालिका की ओर से जवाब न दे पाये।

किन्तु सरकार ने अपने वक्तव्य में दिखाया है कि 1974 के अन्त तक सम्पत्ति कर तथा सेवा कार्यों के लिये लगभग 5 करोड़ रुपये की राशि देय है। क्या सरकार इस दावे को स्वीकार करती है। इसका उत्तर हां या नहीं में हो सकता था किन्तु इसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया। वक्तव्य प्रश्न के दूसरे भाग अर्थात "यदि हां तो, उसके तथ्य क्या है" के उत्तर में दिया गया है। आप स्पष्ट उत्तर दे सकते थे। इसी तरह के सैकड़ों प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर गोल मोल तरीके से दिया जाता है और समस्या बनी की बनी रह जाती है। संसदीय लोकतन्त्र में हम खुले मंच पर समस्याओं पर परस्पर विचार करते हैं। यह ठीक है कि तत्काल सारी समस्यायें हल नहीं हो सकतीं किन्तु उत्तर तो कम से कम स्पष्ट होना चाहिये।

संघ सम्पत्तियों की कराधान सम्बन्धी धारा 119 बिल्कुल स्पष्ट है। यह दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के सम्बन्ध में है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मोरारका समिति के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है। इस समिति ने 30 अगस्त, 1968 को अपना प्रतिवेदन पेश किया।

क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि दिल्ली नगर निगम आर्थिक संकट का सामना कर रहा है? वे सिनेमा गृह से एक शो के लिये 10 रुपये का मनोरंजन कर लेते हैं। वे प्रति शो 500 रुपये क्यों नहीं लेते?। सिनेमा गृह हमेशा फुल रहते हैं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मनोरंजन कर और चीज है।

**श्री बी० वी० नायक** : अनुसूची 2 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे सिनेमा गृहों पर कर लगा सकते हैं और वे केवल 10 रुपये या 8 रुपये या 5 रुपये कर लगा रहे हैं।

पुरानी दिल्ली के आन्तरिक भागों की दशा बड़ी दयनीय है और इसका कोई हल निकालना होगा। आज दिल्ली की जनसंख्या 45 लाख हो गई है। गृह मंत्री दिल्ली की उपेक्षा इसके खतरे पर ही कर सकते हैं।

अतः मैं जानना चाहता हूं कि गत सात सालों से मोरारका समिति की सिफारिशों का क्या हुआ है। आपने उस समिति की कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार की हैं तथा कौन-कौन सी अस्वीकार की हैं। और कितनी सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं।

यदि दिल्ली नगर निगम वित्तीय संकट में है तो आप इसके लिये क्या हल निकाल रहे हैं?

कहा गया है कि 12 करोड़ रुपये की राशि निगम को देय है। क्या आप बतायेंगे कि कर एकक का क्या अर्थ है ?

**Dr. Laxmi Narain Pandeya (Mandsaur)** : May I know whether the Attorney General has clearly expressed his opinion that the Delhi Municipal Corporation has right to levy the tax.

Shri Atal Behari Vajpayee has said that the Corporation is facing financial crisis due to some political reasons. The Corporation is not being given its dues from the various departments so that it may not function properly and that is why this question is being neglected. No other reason is there, what are the reasons for not giving the dues to the Corporation by the various Government institutions. The Minister had accepted this proposal that the Lt. Governor would give his decision in this regard which will be acceptable, and his decision was that such dues should be given to the Corporation immediately. But nothing has been done. There is again a talk of arbitration. When the Lt. Governor has given his decision, then how this question of arbitration raises? I came to the conclusion that the financial condition of the Corporation is being deteriorated delibrately.

Nothing has been done for the implementation of the recommendation of the Morarka Committee.

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Departpments of Administrative Reforms and Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta) :** Shri Vajpayee levelled several charges and said that we did not pay the dues of the Corporation in order to cripple it. One charge is that we have failed to help the Corporation in realising their electricity dues from the N.D.M.C. The fact is that the N.D.M.C. has disputed the dues long ago and we have always been trying to bring about a settlement. At first the opinion of the Attorney General was obtained and then the matter was sought to be referred to Shri S. K. Das, a retired Judge of the Supreme Court for arbitration. In 1973 the matter was against reviewed and it was decided that the Lt. Governor should try to settle it. The Lt. Governor wrote a letter to the Mayor in this regard. But when the N.D.M.C. came to know about it they again represented and said that their view point has not been put before the Lt. Governor and thtthey will not pay the money. At this the Lt. Governor said that he would write to the Ministry that the matter be referred for arbirtration. The Mayor was also informed accordingly. But then the Mayor declared that he would go on fast. When we came to know about it, we requested the Mayor to discuss the matter with us so that a way out could be found. When the Mayor came to us for discussion we told him that since it is a case of interpretation of law it would be better that it is referred for arbitration. The Mayor invited some of our officers and they discussed the matter with the N.D.M.C. officers but it could not be resolved.

The other question is of property tax. The D.M.C. claimed that Rs. 5 cores are due but the parties which had to pay the disputed amount and they have their own reasons. If an inflated claim is made in regard to the tax, it does not mean that the whole amount be paid. The parties concerned said that the amount asked for is an inflated claim. Now the Corporation is trying to malign us as if we have been with holding the payments.

संवैधानिक उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर केवल सेवा प्रभार ही लिया जा सकता है । क्योंकि स्थानीय निकाय सरकारी सम्पत्तियों पर सम्पत्ति कर नहीं लगा सकती। इस उपबन्ध के अन्तर्गत केवल वही सम्पत्तियां, जो 26-1-50 से पहले कर का भुगतान करती आ रही थीं, कर देना चालू रखेंगी। लेकिन 26-1-50 के बाद विनिर्मित सम्पत्तियों (भवनों) पर सम्पत्ति कर नहीं लगाया जा सकता। केन्द्रीय सरकार इस सम्पत्ति कर के स्थान पर सेवा प्रभार का भुगतान कर रही है। यह प्रभार सम्पत्ति कर का 75 प्रतिशत है। सम्पत्ति कर अर्थात् मकान कर और अग्निकर की क्षतिपूर्ति सेवा प्रभार से की जा रही है।

अतः दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्धारित सेवा प्रभार और सरकारी विभागों, दिल्ली प्रशासन आदि द्वारा स्वीकृत किये गये सेवा प्रभार में काफी अन्तर है। उदाहरणार्थ 1974-75 में दिल्ली नगर निगम ने केन्द्रीय लोक निर्माण की देखरेख के अन्तर्गत सम्पत्तियों पर 66.93 लाख रुपया सेवा प्रभार के रूप में निर्धारित किया गया था जबकि इन निकायों ने 31.55 लाख रुपया स्वीकृत कर लिया था।

कुछ बातों पर भी विवाद हुआ है। मैं पहले ही निर्माण मंत्रालय से अनुरोध कर चुका हूं कि गृह मंत्रालय से चर्चा की जाये। हम यह नहीं चाहते हैं कि छोटे-छोटे विवाद जो वहां उठे हुये हैं, गम्भीर रूप धारण करें और उनमें कटुता पैदा हो। श्री वाजपेयी जी को मालूम होना चाहिये कि देय राशि 5 करोड़ रुपये नहीं है बल्कि लाखों में है।

नगर निगम के गठन से पूर्व दिल्ली में अग्नि सेवा दिल्ली प्रशासन के अधीन कार्य कर रही थी और स्थानीय निकाय कुछ अंशदान करते थे। 1958 में इस सम्पूर्ण सेवा को निगम के इस वचन पर कि नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्रों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगा, इसकी सम्पूर्ण आस्तियों और देयताओं के साथ नगर निगम को स्थानान्तरित कर दिया गया था। यह याद रखने योग्य है कि नगर निगम के गठन के समय नई दिल्ली नगर पालिका का क्षेत्र घटाकर आधा कर दिया गया था। फिर भी केन्द्रीय सरकार ने, स्थानान्तरण के समय इन सेवाओं के रख रखाव की लागत के रूप में नगर निगम को 6.4 लाख रुपये की राशि दी थी। यहां इस बात पर ध्यान दिया गया है कि नई दिल्ली नगर पालिका अग्नि शमन सेवा के सम्बन्ध में नगर निगम को कोई भुगतान नहीं करेगी बाद में मोरारका समिति की सिफारिश से सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। दिल्ली नगर निगम का कहना है कि इस सेवा के उपलक्ष में नई दिल्ली नगर पालिका नगर निगम को अंशदान देगी। दिल्ली प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है।

मोरारका समिति ने कई सिफारिशें की हैं। एक सुझाव यह दिया गया है कि नगर निगम को केन्द्रीय सरकार से ऋण नहीं लेना चाहिये। दुर्भाग्य वश नगर निगम द्वारा लिया गया ऋण का भुगतान नहीं किया गया और ऋण की राशि बढ़ती जा रही है। श्री वाजपेयी को नगर निगम को कहना चाहिये कि वह अपने पांव पर खड़ा रहे।

मोरारका आयोग की कुछ सिफारिशें आंशिक रूप से कार्यान्वित की गई हैं। लेकिन अधिकांश सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की गई है। इसलिये निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

श्री बनर्जी ने भ्रष्टाचार के मामलों का प्रश्न उठाया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 10 मामले दर्ज किये हैं। पांच मामलों में उन्होंने निगम को अपनी सिफारिशें भेज दी हैं बाकी पांच मामलों में तीन की गवाहियां पूरी हो गई हैं और दो मामले चल रहे हैं।

नगर निगम ने आंतरिक संसाधन बढ़ाने के लिये ठीक से कार्य नहीं किया है। बजटों में कृत्रिम सन्तुलन लाया गया है ऋण तथा उस पर चढ़ ब्याज की अदायगी बिल्कुल नहीं की गई है। अतः सरकार ने निर्णय किया है। कि निगम को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये जिसमें उनसे यह पूछा जाये कि क्यों न निगम को भंग कर दिया जाये।

**इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 18 मार्च, 1975/27 फाल्गुन, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, the 18th March, 1975/Phalguna 27, 1896 (Saka).**



MGIPRRND—Sec. V (Day)—18 LSS/75—28-7-75—200